# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[ दसवा सत्र
Tenth Session ]

5th Lok Sabha

[ खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains nos. 1 to 10 ]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price* : Two Rupees

अंक 7, बुधवार, 27 फरवरी, 1974/8 फाल्गुन, 1895 (शक)
No. 7, Wednesday, February 27, 1974/Phalguna 8, 1895 (Saka)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| **ता० प्र० संख्या** S.Q.No. | | |
| 101 नरोरा (उत्तर प्रदेश) में कनाडा की सहायता से परमाणु शक्ति केन्द्र की स्थापना | Setting up of an Atomic Power Station at Narora (U.P.) with Canadian help . | 1 |
| 103 पांचवीं योजना में आत्म निर्भरता | Self Reliance in Fifth Plan | 2 |
| 104 चीनी मिलों के लिये लाइसेंस देने का मानदंड | Licensing Criteria for Sugar Mills | 4 |
| 107 उपक्रमों को मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट मिक्स) के लिये अनुमति | Permission for Product Mix to Undertakings . . . . . | 6 |
| 108 राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर टेलीविजन केन्द्र | Television Station on Rajasthan-Pakistan Border . . . . . | 8 |
| 109 केरल में क्रासवार स्विच गीयर कारखाना | Crossbar Switch Gear Factory in Kerala . | 8 |
| 110 महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद | Maharashtra-Karnataka Boundary Dispute | 11 |
| 112 प्रेस सूचना कार्यालय के उप-मुख्य सूचना अधिकारी की दिल्ली में गिरफ्तारी | Arrest of Deputy Principal Information Officer of P.I.B. in Delhi . . . . | 15 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| 102 टेलीविजन उद्योग में प्रगति की दर | Growth Rate in T.V. Industry. . | 16 |
| 105 कलकत्ता और मद्रास को जोड़ने के लिये को-एक्सियल टेलीफोन परियोजना | Coaxial Telephone Project to link Calcutta and Madras . . . . . | 17 |
| 106 लघु उद्योगों के लिये आयात हेतु प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाना | Rationalisation of procedure for imports for Small Scale Industries . . . | 18 |
| 111 उद्योगों की स्थापना के लिये गुजरात का आवेदन-पत्र | Application from Gujarat for Setting up of Industries . . . . . | 18 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was act ually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| 113 पोर्ट ब्लेयर में अग्निकांड के कारण भारी क्षति | Heavy loss due to Fire in Port Blair . | 18 |
| 114 वर्ष 1966 के बाद जारी किये गये 'अनापत्ति पत्र' | Issue of no objection letters after 1966 | 19 |
| 115 औद्योगिक उत्पादन में कमी | Fall in Industrial Production . . | 19 |
| 116 दिल्ली में आयोजित हुए साम्प्रदायिकता के विरुद्ध छठे राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प | Resolution passed at the Sixth National Convention against Communalism held in Delhi . . . . . | 21 |
| 117 अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, रामेश्वर नगर तथा ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड, बिहार को पुनः चालू करना | Rehabilitation of Ashoka Paper Mills Ltd., Rameshwarnagar and Thakur Paper Mills Ltd., Bihar . . . . | 21 |
| 118 पांचवीं योजना में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये राज्यों का आबंटन | Allocation to States for Social Welfare Programmes during Fifth Plan . . | 22 |
| 119 मदन किशोर समिति की विभागेतर कर्मचारियों के बारे में सिफारिशें | Recommendations made by Madan Kishore Committee reg. extra Departmental Staff . . . . . | 22 |
| 120 उपनगरों में रहने वाले कर्मचारियों को कार्यालय देरी से आ सकने हेतु अनुमति देने के लिए दिल्ली में विभागाध्यक्षों को अनुदेश जारी किया जाना | Instructions to Heads of Departments in Delhi to permit Employees living in Suburban Areas to come to office late . | 22 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | | |
|---|---|---|
| 1002 वर्ष 1973-74 में प्रति व्यक्ति आय | Per Capita Income in 1973-74 | 23 |
| 1003 ट्रावनकोरे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कच्चे माल की कमी | Scarcity of raw materials in Tranvancore Plywood Industries Limited . . | 23 |
| 1004 गुजरात में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र | Industrially backward areas in Gujarat | 23 |
| 1005 ब्रह्मवार में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन से स्थानीय भाषाओं टुलु और कोंकणी में कार्यक्रमों का प्रसारित किया जाना | Broadcasting of programmes in local languages, Tulu and Konkani in the proposed Broadcasting Station at Brahmavar | 24 |
| 1006 कर्नाटक में गैर-विकास कार्य | Non-development works in Karnataka . | 24 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1007 | औद्योगिक परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला का क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में विस्तार | Expansion of Industrial Testing and Research Laboratory into Regional Laboratory. . . . . | 25 |
| 1008 | आकाशवाणी, दिल्ली से बंगाली सुगम संगीत, रवीन्द्र संगीत और नजरुल के गीति के कार्यक्रम प्रसारित न किया जाना | Skipping of programmes of Bengali light music, Rabindra Sangeet and Najrul Geeti from AIR, Delhi Station | 25 |
| 1009 | ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा को प्रोत्साहन दिया जाना | Encouraging Postal life Insurance in Rural Areas . . . . . | 26 |
| 1010 | राजस्थान में डाक सुविधाएं | Postal facilities in Rajasthan . | 27 |
| 1011 | लम्बी अवधि के विजों पर आंध्र प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक | Pakistani Nationals staying on long term visas in Andhra Pradesh . . . | 27 |
| 1012 | पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना | Grant of Indian Citizenship to Pakistani nationals . . . . . | 27 |
| 1013 | मध्य प्रदेश में आर्थिक संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलें | Sick Textile Mills in M.P. . . | 27 |
| 1014 | प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्टों के बावजूद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां | Promotion of Scheduled Caste/Tribe employees despite their Adverse confidential Reports . . . . . | 28 |
| 1015 | संसद् सदस्यों की वार्ताओं का प्रसारण | Broadcast of talks of Members of Parliament . . . . . | 28 |
| 1016 | मध्य प्रदेश में डाक-घर भवनों के लिए किराया | Rent for Post Office Buildings in Madhya Pradesh . . . . . | 29 |
| 1017 | मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये वैज्ञानिकों के आवेदन-पत्र | Applications from Scientists for setting up industries in M.P. . . . . | 29 |
| 1018 | पांचवी योजना के दौरान रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करना | Creation of employment opportunities during Fifth Plan . . . . | 30 |
| 1019 | मध्य प्रदेश से यूरेनियम के निक्षेप | Uranium deposits in Madhya Pradesh | 30 |
| 1020 | कुआला लम्पुर में हुई "एशियन मास मीडिया कानफ्रेंस" | Conference of Asian Mass Media held at Kuala Lumpur . . . . | 31 |
| 1021 | केरल के जिला गोदामों में सीमेंट की बोरियां | Cement bags at District Godowns in Kerala . . . . . | 31 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1022. | केरल में मोज़ायक टाइल बनाने वाले कारखानों का बंद हो जाना | Closure of Mosaic Tiles Factories in Kerala . . . . . | 31 |
| 1023 | ए० सी० सी० वाइकस बाबकाक्स द्वारा तापीय बिजली घर के बायलरों की सप्लाई | Supply of Thermal Power Station Boilers by ACC Vickers Babcocks . . . | 31 |
| 1025 | दुर्गापुर में बायलर का निर्माण | Boiler Fabrication in Durgapur . . | 32 |
| 1026 | पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में अफीम और अन्य मादक पदार्थों का वितरण | Distribution of opium and other Drugs in Border Areas of Punjab . . . | 32 |
| 1027 | राज्यों में उपद्रवों को रोकने के लिए सेना का बुलाया जाना | Army called to Quell the disturbances in the States . . . . . | 32 |
| 1028 | पंजाब को बस के टायरों की सप्लाई | Supply of Bus Tyres to Punjab . . | 33 |
| 1029 | नामों तथा वेतनों में समानता लाने के लिए प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाओं का एकल संवर्ग बनाना | Formation of Administrative and Technical Services in a single cadre to ensure parity . . . . . | 33 |
| 1030 | केरल में इलमेनाइट के लि सर्वेक्षण | Survey for Ilmenite in Kerala . | 34 |
| 1031 | बर्दवान, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व डिप्टी इन्सपैक्टर जरनल के विरुद्ध केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच | CBI Inquiry Against Ex-DIG Burdwan, West Bengal . . . . . | 34 |
| 1032 | मंत्रियों के निवास स्थानों पर लगे टेलीफोनों पर हुआ व्यय | Expenditure on Telephones installed at the Residence of Ministers . . . | 34 |
| 1035 | गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम | Public Sector undertakings in Guiarat . | 35 |
| 1036 | नारियल जटा उद्योग तथा नारियल जटा सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए पांचवीं योजना में धन का आवंटन | Allocation of Funds in Fifth Plan for the Development of Coir Industry and Coir Co-operatives . . . . . | 35 |
| 1037 | प्रति व्यक्ति आय में कमी | Fall in per capita Income | 35 |
| 1038 | पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का समझौता | Agreement by National Small Industries Corporation with a West German Firm | 36 |
| 1039 | अशोधित तेल से आयात का व्यय वहन करने के लिए सीमेंट के निर्यात में वृद्धि | Increase in Export of Cement to Meet Crude Import Bill . . . . | 36 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1040 | कागज, गूदा तथा संबंद्ध उद्योगों संबंधी विकास परिषद की बैठक | Meeting of Development Council of Paper Pulp and Allied Industries . . . | 37 |
| 1041 | विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को वैज्ञानिक पूल के अंतर्गत रोजगार देना | Employment under Scientists' Pool to Persons coming from Abroad . . | 37 |
| 1042 | उच्च न्यायालय का समस्त कार्य हिन्दी में करने की उज्जैन बार एसोसिएशन की मांग | Demand made by Ujjain Bar Association for Entire Work of High Court in Hindi | 38 |
| 1044 | वर्ष 1973 तथा चालू वर्ष के दौरान हरिजनों पर अत्याचार | Atrocities on Harijans during 1973 and the current year . . . . . | 38 |
| 1045 | बिजली फेल हो जाने के कारण उद्योगों को हानि | Loss to Industries due to Power Failures . | 38 |
| 1046 | आंध्र प्रदेश में आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना | Setting up of a Nuclear Power Plant in Andhra Pradesh . . . . | 39 |
| 1047 | जेलों की स्थिति सुधारने संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन | Report of the Working Group on Improvement of conditions of Jails . . . | 39 |
| 1048 | बड़े औद्योगिक गृहों के कार्यकरण के बारे में सरकार आयोग का प्रतिवेदन | Report of Sarkar Commission regarding Working of large Industrial Houses . | 39 |
| 1049 | मैसर्स हिंद साइकिल्स लिमिटेड के दस्तावेजों का जब्त किया जाना | Seizure of Documents of M/s Hind Cycles Limited . . . . . | 40 |
| 1050 | पांचवीं योजना के लक्ष्यों का फिर से बनाया जाना | Recasting of Fifth Plan Targets | 40 |
| 1051 | अखबारी कागज की कमी के बारे में डा० रैना के विचार | Views of Dr. Raina on Newsprint Shortage . . . . . | 40 |
| 1052 | औद्योगिक लाइसेंसों के लिये उड़ीसा से आवेदन-पत्र | Applications from Orissa for Industrial Licences . . . . . | 41 |
| 1053 | पांचवीं पंचवर्षीय योजना को मुद्रा-स्फीति निरोधक बनाने के लिये किये गये उपाय | Measures taken to make Fifth Five Year Plan Inflation Resistant . . . | 41 |
| 1056 | बंगलौर के लिए टेलीविजन केन्द्र | Television Station for Bangalore . | 42 |
| 1057 | कर्नाटक भूमि सुधार विधेयक | Karnataka land Reforms Bill. . . | 43 |
| 1058 | सरोजनी नगर, नई दिल्ली से एक लड़के का गुम हो जाना | Missing of a boy from Sarojini, Nagar New Delhi . . . . . | 43 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. N. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1059 | नये उत्पाद के लिये औद्योगिक लाइसेंस | Industrial Licence for New Product | 44 |
| 1061 | उपक्रमों को कच्चे माल के आयात की अनुमति | Permission to Import Raw Materials by undertaking . . . . . | 45 |
| 1062 | तकनीकी विकास महानिदेशालय को प्रस्तुत उत्पादन का मासिक विवर ण | Monthly return of Production submitted to DGTD . . . . . | 45 |
| 1063 | उत्तर प्रदेश में तथा उड़ीसा में प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना के उद्घाटन | Projects inaugurated by Prime Minister in U.P. and Orissa . . . . | 46 |
| 1064 | धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने की कथित घटना | Alleged desceration of Religious places of Worship . . . . . | 46 |
| 1065 | गुजरात में कानून और अव्यवस्था की स्थिति | Law and order situation in Gujarat | 47 |
| 1066 | केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में केरल में समुद्री कटाव रोकने संबंधी निर्माण कार्यों को सम्मिलित किया जाना | Inclusion of Anti-Sea Erosion Works in Kerala in Centrally Sponsored Schemes | 47 |
| 1067 | पटियाला में डाक घर को आग लगाया जाना | Post Office set on fire in Patiala | 48 |
| 1068 | हिन्द साइकिल्स को अपने नियंत्रण में लेना | Take over of Hind Cycles | 48 |
| 1069 | भारत में कार्य कर रहे टेलीविजन केन्द्र | T.V. Stations Functioning in India . | 49 |
| 1070 | उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र | Applications for Setting up of Industries . | 49 |
| 1071 | राज्यों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना | Fifth Plan for States | 49 |
| 1072 | उसीलामपट्ट, मद्रास में हरिजन छात्रावास में महात्मा गांधी की मूर्ति के सिर को तोड़ना | Disfiguring of the head of the Statute of Mahatma Gandhi at Harijan Hostel in Usilampatt, Madras . . . . | 51 |
| 1073 | इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा भारत में स्थित कम्पनियों में बनी वस्तुओं की खरीद संबंधी करार | Agreement for purchase of Goods of Companies in India Oxygen Ltd. . | 51 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1074 | मणिपुरी भाषा को संविधा की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग | Demand for inclusion of Manipuri Language in English Schedule of Constitution | 51 |
| 1075 | इंडियन आक्सीजन लिमिटेड | Indian Oxygen Ltd. | 52 |
| 1076 | आदर्श विद्या मंदिर जयपुर, के क्रियाकलाप | Activities of Adarsh Vidya Mandir, Jaipur | 52 |
| 1077 | गरीबी से नीचे के स्तर पर निर्वाह कर रहे व्यक्तियों के लिए उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था | Provision of Essential Commodities at Fair Prices to People Living below Poverty Line | 52 |
| 1078 | उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे | Communal Riots in U.P. and in Various States | 53 |
| 1080 | सीमेंट उद्योग में कोयले की कमी | Shortage of Coal in Cement Industry | 53 |
| 1081 | उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पहाड़ी जिलों का विकास | Development of Hill Districts of U.P. and Madhya Pradesh. | 54 |
| 1082 | उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों का उत्थान | Upliftment of Harjans and Backward Classes in U.P. and M.P. | 55 |
| 1083 | साइकलों और ब्लेडों का उत्पादन | Production of Cycles and Blades | 55 |
| 1084 | हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी डाक डिवीजनों के लिए जीपों की सप्लाई | Supply of Jeeps for Hill Postal Divisions of H.P. | 56 |
| 1085 | सी० ओ० तथा पी० सी० ओ० खोलने की अनुमति देना | Sanctioning of C.Os. and P.COs. | 56 |
| 1086 | हिमाचल प्रदेश में सी० ओ० तथा पी० सी० ओ० का खोलना | Opening of C.Os. and P.C. Os. in H.P. | 56 |
| 1087 | प्रति व्यक्ति आय में कमी | Decline in per capita income | 57 |
| 1088 | दूर संचार उपकरणों संबंधी पाठक समिति का प्रतिवेदन | Pathak Committe Report on Telecommunication Equipment | 57 |
| 1089 | संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Sick Textile Mills | 57 |
| 1090 | दिल्ली के विकास के लिए उच्च स्तरीय बोर्ड | High Level Board for Development of Delhi | 58 |
| 1091 | दिल्ली पुलिस का कार्यकरण | Working of Delhi Police | 58 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1092 | कर्नाटक के नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा निर्माताओं द्वारा जबरन भूमि पर कब्जा करने के बारे में जांच | Enquiry into Land Grab by Caustic Soda Manufacturers in North Kanara, Karnataka . . . . . | 59 |
| 1093 | सीमा विवादों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव | Proposal to set up an Inter-State Council for border disputes . . . . . | 60 |
| 1094 | समाचार-पत्रों के स्वामित्व के विस्तार के बारे में प्रगति | Progress regarding diffusion of ownership of Newspapers . . . . . | 60 |
| 1095 | मोती नगर पुलिस स्टेशन से एक संदिग्ध व्यक्ति का गायब हो जाना | Disappearance of a suspect from Moti Nagar Police Station . . . . | 60 |
| 1096 | अप्रयुक्त लाइसेंस | Unutilized Licences | 61 |
| 1097 | बम्बई में शिवसेना द्वारा किये गये अत्याचार | Atrocities committed by Shiv Sena in Bombay . . . . . | 61 |
| 1098 | अखबारी कागज की छोटी मिलों की स्थापना | Setting up of Mini Newsprint Mills | 62 |
| 1099 | समाचार पत्रों द्वारा छपाई के सफेद कागज का उपयोग | Use of white printing paper by newspapers . . . . . | 62 |
| 1100 | ऊर्जा संकट के सिलसिले में योजना मंत्री का इराक, रूस और कुवैत का दौरा | Planning Minister's visit to Iraq, Russia and Kuwait in connection with energy crisis . . . . . | 63 |
| 1101 | अखबारी कागज की कमी के कारण अधिकांश भारतीय समाचार पत्रों के बंद होने की आशंका | Apprehension of closing down of most Indian papers for want of Newsprint . . | 63 |
| 1102 | प्रत्येक राज्य की योजना के आकार के बारे में मुख्य मंत्रियों से चर्चा | Discussions with Chief Ministers on size of Plan for each State . . . . | 64 |
| 1103 | रेडियो तथा टेलीविजन उद्योगों में जनशक्ति संबंधी कठिनाइयों का पूर्वानुमान | Manpower difficulties envisaged in Radio and T.V. Industries . . . . | 64 |
| 1104 | टाटा बन्धुओं को तैयार चमड़े के निर्माण के लिये लाइसेंस देना | Issue of licence for manufacture of finished leather to Tatas . . . . | 65 |
| 1105 | नाइलोन टायरों का मूल्य | Price of nylon tyres | 65 |
| 1106 | महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर बेलगांव में जनधन की हानि | Loss of life and property in Belgaum over Maharashtra Karnataka boundary Issue . . . . . | 66 |
| 1107 | अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र | T.V. Station at Ahmedabad . | 67 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1108 | राज्य सरकार के विरुद्ध प्रसारण के लिये आकाशवाणी द्वारा विपक्षी नेताओं को प्रोत्साहन | Encouragement from AIR to Opposition Leaders to Broadcast against State Governments . . . . . | 67 |
| 1109 | दिल्ली तथा बंगलौर, त्रिवेद्रम, हैदराबाद, भोपाल के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था | STD link between Delhi and Bangalore, Trivendrum, Hyderabad, Bhopal. . | 67 |
| 1110 | रंगीन टेलीविजन आरंभ करने का प्रस्ताव | Proposal to start colour T.V. . . . | 68 |
| 1111 | योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा त्याग-पत्र | Resignation by a Member of Planning Commission . . . . . | 68 |
| 1112 | औद्योगिक उत्पादन पर तेल संकट का प्रभाव | Impact of oil crisis on industrial production . . . . . | 68 |
| 1113 | डाक को नष्ट किये जाने के समाचार | Alleged destruction of dak . | 70 |
| 1114 | विपणन विचारधारा में परिवर्तन के समर्थन में योजना मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य | Statement made by the Planning Minister advocating change in marketing philosphy . . . . . | 70 |
| 1115 | केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडारों को हुआ लाभ तथा घाटा | Profit and loss made by the Central Government Employees Consumer Cooperative Stores . . . . . | 71 |
| 1116 | पांचवीं योजना में केरल का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण | Intensive industrialisation in Kerala during Fifth Plan . . . . . | 72 |
| 1117 | केरल में यांत्रिक इंजीनियरी के लिये अनुसंधान केन्द्र | Research centre for Mechanical Engineering in Kerala . . . . . | 72 |
| 1118 | पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में टेलीफोन लाइनें तथा टेलीफोन एक्सचेंज | Telephone lines and Telephone Exchanges in first Year of Fifth Plan . . . | 72 |
| 1119 | पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में डाकघरों का खोला जाना | Opening of Post Offices in First Year of Fifth Plan . . . . . | 73 |
| 1120 | पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में तारघरों का खोला जाना | Opening of Telegraph offices in the First Year of Fifth Plan . . . . . | 73 |
| 1121 | नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री बी० पी० कोइराला की हत्या का षड्यंत्र | Plan to murder Shri B.P. Koirala former Prime Minister of Nepal . . . | 73 |

| अ ता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1122 | 'फ्लैग कोड, इंडिया' | 'Flag Code, India' . . | 74 |
| 1123 | पंजाब में नक्सलवादियों द्वारा प्रायोजित हिंसा और उपद्रवों के बारे में पंजाब सरकार द्वारा सहायता मांगा जाना | Help sought by Punjab Govt. regarding Naxalite sponsored violence and disturbances in Punjab . . . . . | 74 |
| 1124 | भूतपूर्व राजाओं को अनुग्रहपूर्वक भुगतान | Ex-gratia payments to Former Princes | 74 |
| 1125 | त्रिपुरा में विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां | Activities of Foreign Missionaries in Tripura . . . . . | 75 |
| 1127 | तारापुर परमाणु बिजली घर के निर्माण में कुप्रबंध | Mismanagement in construction of Tarapur Nuclear Plant. . . . . | 75 |
| 1128 | आकाशवाणी के त्रिचूर केन्द्र से स्वतंत्र प्रसारण | Independent Broadcasting from Trichur Station of AIR . . . . . | 76 |
| 1129 | कागज संकट | Paper Crisis . . . | 76 |
| 1130 | मंदसौर (म० प्र०) में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था | Automatic Telephone system in Mandsaur (M.P.) . . . . . | 77 |
| 1131 | फिल्म सेंसर बो का पुनर्गठन | Reorganisation of Film Censors Board . | 77 |
| 1132 | दिल्ली के जोर बाग टेलीफोन एक्सचेंज में कन्सेनट्रेटर का लगाया जाना | Introducing a concentrator at Jor Bagh Telephone Exchange, Delhi . . | 78 |
| 1133 | ऊर्जा को जमा रखने तथा लिग्नाइट से तरल ईंधन बनाने के लिये एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना | Setting up of a Research Institute for conserving energy and making liquid fuel from lignite . . . . | 78 |
| 1134 | देश में पोस्ट कार्ड व्यवस्था | Post Card System in the country . . | 79 |
| 1135 | मध्य प्रदेश द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति के नवीकरण की मांग | Demand for reorientation of Industrial licensing by M.P. . . . . | 79 |
| 1136 | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में व्यस्त स्वेच्छा संगठनों को अनुदान | Grants to voluntary organisations engaged in welfare of S.C. and S.T. . . . | 80 |
| 1137 | चुनाव प्रचार के लिये राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी का प्रयोग | Use of AIR by political parties for election publicity . . . . | 80 |
| 1138 | रामगंज में तारों एवं पत्रों के प्राप्त होने/भेजे जाने में कथित देरी | Alleged delay in receipt/despatch of Telegrams and letters in Raiganj . . | 81 |
| 1139 | टैलीविजन सेटों की मांग में कमी | Declination in the demand of T.V. Sets | 81 |

| अता० प्र० संख्या U.S.Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1140 | पांचवीं योजना के दौरान राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | Minimum needs programme in States during Fifth Plan . . . . . | 81 |
| 1141 | पांचवीं योजना के दौरान राज्यों को धन-राशियां नियत करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत | Guidelines for allocation of funds to States during Fifth Plan . . . | 83 |
| 1142 | परमाणु ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारी | Schedule Caste/Tribe employees in the Department of Atomic Energy . . | 83 |
| 1143 | स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी | Sanction of pension to freedom fighters . | 83 |
| 1144 | अनुसंधान और विकास के लिये उपकर लगाना | Levy of cess for Research and Development . . . . . | 84 |
| 1145 | भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीशियनों तथा इंजीनियरों को विदेशों से आकर्षित करने के लिये व्यापक योजना | Package Scheme to Attract Indian Scientists, Technologists and Engineers from Abroad . . . . . | 85 |
| 1146 | सफेद कागज का प्रयोग न करने के बारे में समाचारपत्रों को निदेश देने का प्रस्ताव | Proposal to direct newspapers not to use white paper . . . . | 85 |
| 1147 | तेल से चलने वाले उद्योगों का कोयले से चलाया जाना | Switch over of Industry from fuel oil to coal. . . . . | 86 |
| 1149 | भोपाल में ड्राई बैटरी परियोजना स्थापित करना | Setting up of dry battery project in Bhopal . . . . . | 86 |
| 1150 | पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा टायर तथा ट्यूब कारखाना स्थापित करना | Setting up of Tyre and Tube Factory by West Bengal Industrial Development Corporation . . . . . | 87 |
| 1151 | आशय पत्र तथा लाइसेंसों का जारी किया जाना | Issue of Letters of Intent and Licences | 87 |
| 1152 | पोस्टकार्डों पर फर्मों द्वारा नाम तथा पते को मुद्रित करना | Printing of names and addresses by firms on Post Cards . . . . . | 88 |
| 1153 | स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के लिये पात्रता | Eligibility for pensions to Freedom Fighters . . . . . | 88 |
| 1154 | बम्बई में केरल निवासियों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये केरल सरकार से अनुरोध | Request from Kerala Government to protect the lives and properties of Keralites in Bombay. . . . | 88 |

| अता० प्र० संख्या | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| U. S. . . . .o | | | |
| 1155 | कटक के टेलीविजन केन्द्र का रेंज | Range of T.V. at Cuttack | 89 |
| 1156 | पांचवीं योजना में उड़ीसा की सुवर्ण रेखा परियोजना को शामिल करना | Inclusion of Subarnarekha Project in Orissa in the Fifth Plan . . . | 89 |
| 1157 | उड़ीसा को औद्योगिक लाइसेंस देना | Issue of Industrial licence to Orissa | 90 |
| 1158 | उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना | Opening of P.C.Os in Orissa . | 90 |
| 1159 | टेलीविजन को रेडियो से अलग करने संबंधी निर्णय को कार्यान्वित करना | Implementation of decision regarding delinking Television from Radio . | 91 |
| 1160 | दिल्ली प्रशासन अधिनियम में संशोधन | Amendment of Delhi Administration Act | 91 |
| 1161 | दिल्ली में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण | Working of Cross Bar Telephone Exchanges in Delhi . . . . | 91 |
| 1162 | रामपुर जिले में डाकघरों की संख्या बढ़ाना तथा संचार के अन्य साधनों को बढ़ावा देना | Increasing the number of Post Offices and Promoting other means of Communication in Raipur District . . . | 92 |
| 1163 | मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण | Survey of backward Areas in M.P. . | 92 |
| 1164 | सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां | Activities of Christian Missionaries in Border Areas . . . . . | 93 |
| 1165 | "मोपला विद्रोह" के स्वतंत्रता सेमानियों को पेंशन देना | Grant of Pension to Freedom Fighters of Moplah Rebellion . . . . | 93 |
| 1166 | अथोली में टेलीविजन एक्सचेंज | Telephone Exchange at Atholi | 94 |
| 1167 | मालापुरम जिले में टेलीफोन एक्सचेंज | Telephone Exchanges in Malapuram District . . . . . | 94 |
| 1168 | राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन | State Industries Ministers' Conference | 94 |
| 1169 | अल्पकालिक उत्पादन योजना | Short Term Production Plan . | 95 |
| 1170 | केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में राजामन्नार समिति | Rajamannar Committee on Centre-State Relations . . . . . | 95 |
| 1171 | चण्डीगढ़ पंचाट के विषय में पंजाब के मुख्य मंत्री का वक्तव्य | Statement of Punjab Chief Minister on Chandigarh Award . . . . | 95 |
| 1172 | गोआ की मुक्ति के दौरान ट्रांसमीटर की क्षति के कारण पुर्तगाली फर्म को अदायगी | Payment to a Portuguese Firm for Destruction of Radio Transmitter during Goa Liberation . . . . . | 96 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1173 | बंगलादेश संकट के दौरान सी० आई० ए० की गतिविधियां | Activities of CIA during Bangla desh Crisis | 96 |
| 1174 | आकाशवाणी के तकनीशियनों को बी० बी० सी० द्वारा प्रशिक्षित करवाना | Proposal to get AIR Technicians trained by BBC. | 97 |
| 1175 | ईंधन तेल के अभाव के कारण छोटी कागज मिलों का बंद होना | Closure of Small Paper Mills for want of Fuel Oil | 97 |
| 1176 | बस्तर में कागज मिल की स्थापना | Setting up of Paper Mill in Bastar | 97 |
| 1177 | अनाज के लिये हुये दंगों को समाप्त करने के लिये गुजरात के मुख्य मंत्री को केन्द्र अनुदेश | Instruction from Centre to Chief Minister of Gujarat to Tackle Food Riots | 97 |
| 1178 | डाक तथा तार कर्मचारियों को बोनस दिया जाना | Bonus for P & T Employees | 98 |
| 1180 | वेतन आयोग के प्रतिवेदनों से उत्पन्न विषमताएं | Anomalies arising out of pay Commission's Report | 98 |
| 1181 | पांचवीं योजना के दौरान दूर-संचार का जाल बिछाना | Tele-communication net work in Karnataka during Fifth Plan | 98 |
| 1182 | चौथी योजना के दौरान विभागीय कार्यों पर गैर-योजना व्यय | Non-Plan Expenditure on Developmental works during Fourth Plan | 99 |
| 1183 | उपग्रह प्रशिक्षणात्मक टेलीविजन परीक्षण | Satellite Instructional Television Experiment | 100 |
| 1184 | उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में प्रधान मंत्री द्वारा केन्द्रीय/राज्य परियोजनाओं का उद्घाटन | Central/State Projects inaugurated by the Prime Minister in U.P. and other States | 100 |
| 1185 | नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बिजली कर की बकाया राशि की अदायगी | Payment of Electricity Tax Arrears by NDMC | 101 |
| 1186 | श्री जगदीश चन्द्रबोस पर डाक-टिकट | Postal Stamp on Shri Jagdish Chandra Bose | 101 |
| 1187 | पांचवीं योजना के लिये संसाधनों की उपलब्धता | Availability of Resources for Fifth Plan | 102 |
| 1189 | श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बिहार के समाचार-पत्रों के लिए दिए गए विज्ञापन | Advertisements Released by Directorate of Audio Visual Publicity for Newspapers of Bihar | 102 |
| 1190 | लघु उद्योगों के विकास के लिये विधान | Legislation for Development of Small Scale Industries. | 103 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 1191 | सीमेंट के उत्पादन का नया तरीका | New Method of Production of Cement . | 103 |
| 1192 | दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों के विरुद्ध आरोप | Charges against Delhi Police Constables . | 103 |
| 1193 | निर्यात योग्य वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि | Augmenting Industrial Production of Exportable Commodities . . . | 104 |
| 1194 | योजना आयोग में परामर्शदाताओं की नियुक्ति | Appointment of Consultants in Planning Commission . . . . . | 104 |
| 1195 | लघु उद्योग निगम द्वारा कच्चा माल वितरण करने के बारे में जांच | Enquiry into Distribution of Raw Materials to Small Industries Corporation . | 105 |
| 1197 | अखबारी कागज की कमी | Shortage of Newsprint . . . | 105 |
| 1198 | जांच आयोग अधिनियम के अधीन नियुक्त आयोग | Commissions appointed under the Commissions of Inquiry Act. . . . . | 106 |
| 1199 | आई० पी० एस०/आई० एफ० एस० तथा आई० ए० एस० में नियुक्ति के लिये संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रत्याशी | Scheduled Caste/Tribe Candidates Recommended by UPSC for appointment in IPS, IFS and IAS . . . . | 106 |
| 1200 | उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा | Urdu as second language | 108 |
| 1201 | राज्यों के पुनर्गठन का आधार | Basis of reorganisation of States . | 108 |
| | स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न) | Re : Adjournment Motion(Query) | 109 |
| | रेल बजट 1974-75 | Railway Budget, 1974-75 . | 110 |
| | श्री एल० एन० मिश्र | Shri L.N. Mishra . . . . | 110 |
| | **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव :** | Motion of Thanks on the President's Address . . . . . | 136 |
| | श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee . . . | 136 |
| | श्री शशि भूषण | Shri Shashi Bhushan | 138 |
| | श्री एच० एम० पटेल | Shri H. M. Patel . . | 140 |
| | श्री रुद्र प्रताप सिंह | Shri Rudra Pratap Singh | 140 |
| | श्री एच० एन० मुकर्जी | Shri H.N. Mukerjee . | 141 |
| | श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा | Shrimati T. Lakshmikanthamma . | 142 |
| | श्री एस० ए० शमीम | Shri S.A. Shamim | 144 |
| | श्री एस० ए० कादर | Shri S.A. Kader | 145 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| श्री जांबुवंत धोते | | Shri Jambuwant Dhote | 146 |
| श्री एम० राम गोपाल रेड्डी | | Shri M. Ram Gopal Reddy | 146 |
| श्री इब्राहिम सुलेमान सैट | | Shri Ebrahim Sulaiman Sait . | 147 |
| श्री धामनकर | | Shri Dhamankar . | 148 |
| **कार्य मंत्रणा समिति** | | Business Advisory Committee | 150 |
| 37वां प्रतिवेदन--प्रस्तुत किया गया | | Thirty-seventh Report—presented . | 150 |
| **आधे-घंटे की चर्चा** | | Half-an-Hour Discussion | 150 |
| वर्ष 1974-75 के लिये इस्पात का उत्पादन लक्ष्य | | Production Target of Steel for 1974-75 . | 150 |
| श्री डी० डी० देसाई | | Shri D.D. Desai . | 150 |
| श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे | | Shri Annasaheb Gotkhinde . | 151 |
| श्री रामावतार शास्त्री | | Shri Ramavatar Shastri. | 151 |
| श्री विश्वनारायण शास्त्री | | Shri Biswanarayan Shastri | 151 |
| श्री के० डी० मालवीय | | Shri K. D. Malaviya | 152 |




76 LSS/73—2

# लोक सभा

## LOK SABHA

**बुधवार, 27 फरवरी, 1974/8 फाल्गुन, 1895 (शक)**

*Wednesday, February 27, 1974/Phalguna 8, 1895 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

**[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair ]**

# प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**नरोरा (उत्तर प्रदेश) में कनाडा की सहायता से परमाणु शक्ति केन्द्र की स्थापना**

*101. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा ने उत्तर प्रदेश में नरोरा में एक परमाणु शक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए भारत की सहायता करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की शर्तें क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)**: (क) नरोरा परमाणु बिजली घर का डिज़ाइन तैयार करने और उसका निर्माण करने का काम परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जायेगा । इस काम के लिए कनाडा या और किसी देश से मदद लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री प्रबोध चन्द्र** : बल इस बात पर दिया गया है कि कनाडा से इस बिजलीघर के लिए कोई सहायता नहीं ली जाएगी । तो क्या इसके निर्माण के अतिरिक्त कनाडा से और किसी प्रकार की सहायता इस के लिए ली जाएगी ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : जी नहीं ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I want to know the time likely to be taken to finalise this scheme. The expenditure involved and the quantum of power likely to be generated there ?

**Mr. Speaker** : When there is no such scheme, these points do not arise.

**श्री एम० एस० संजीवी राव** : वर्तमान तेल संकट को देखते हुए, जापान जैसे अधिकांश देश परमाणु बिजली पैदा करने पर बल दे रही हैं । इसलिए इस संदर्भ में सरकार की क्या योजना है, विशेषकर नरोरा परियोजना का निर्माण तेज करने के बारे में ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न संगत नहीं है ।

**Shri Lalji Bhai** : In Kota . . .

**Mr. Speaker** : The question does not pertain to Kota.

**Self reliance in Fifth Plan**

*103. **Shri Dhanshah Pradhan :**

**Shri Madhavrao Scindia :**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state the special measures proposed to be taken in the Fifth Plan to make the country economically fully self reliant and self-sufficient ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

**विवरण**

बाकी विश्व से पूर्ण आर्थिक पृथकत्व के अर्थ में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आधुनिक विश्व में न सम्भव है और न ही वांछनीय है । फिर भी, विदेशी सहायता पर उत्तरोत्तर निर्भरता घटाकर स्वावलम्बन प्राप्त करना योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया है । इस दिशा में प्रस्तावित मुख्य उपाय इस प्रकार है :—

(1) आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम में विविधता लाना । खासकर पी० ओ० एल०, धातुओं और उपस्कर, उर्वरक, अधिकतम उपयोग और देशी प्रौद्योगिकी का विकास ;

(2) (क) मुख्यतः कपास और पटसन कपड़ा, काफी, खली, मछली और मछली से तैयार किया गया सामान, कच्चा लोहा, कोयला, चमड़ा और चमड़े का सामान, रबड़ टायर और ट्यूबें, इंजीनियरी का सामान तथा हस्तशिल्प का उत्पादन बढ़ा कर निर्यात को प्रोत्साहन देना;

(ख) उत्पादन को घरेलू उपभोग की अपेक्षा निर्यात की ओर मोड़ देना, और

(ग) अपने निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना;

(3) अदृश्यों के अन्तर्गत, पर्यटन, जहाजरानी से आमदनी में वृद्धि कर और विदेशों से अधिक मात्रा में धन लाने को प्रोत्साहित करना ।

**Shri Dhanshah Pradhan** : I want to know the total foreign debt burden on India and targets fixed in the 5th Plan for its repayment? The esssential items like foodgrains on which the country is dependent on others and the targets fixed in this Plan to attain self-sufficiency therein ? What provision has been made to minimise import thereof and the percentage thereof to be imported from abroad?

**श्री मोहन धारिया** : पांचवीं योजना संबंधी दस्तावेज में जो सभा-पटल पर रख दिया गया है, यह सभी जानकारी दी गई है और हम सभी संभव प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम आयात करके निर्यात बढ़ाया जाये ।

**Shri Dhanshah Pradhan :** Sir my question has not been properly answered. What about the total debt burden and the items to be imported ?

**Mr. Speaker** : This information is contained in the statement.

**श्री माधवराव सिंधिया** : यह ठीक है कि किसानों के विकास से हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ेगा जो आत्म निर्भरता की ओर महत्वपूर्ण कदम होगा, परन्तु इसके लिए उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण है. तथापि चौथी योजना के अन्त में आंकड़ो से स्पष्ट है कि लक्ष्य के मुकाबले उत्पादन 53 प्रतिशत तक कम था । साथ ही अधतन आर्थिक सर्वेक्षण में उर्वरकों के प्रयोग से भिन्न उपाय करने पर काफी जोर दिया गया है । मंत्री महोदय ने सामान्य-सा विवरण यहां रखा है परन्तु मैं केवल उनसे यही जानना चाहता हूं कि पांचवीं योजना में उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या ठोस उपाय किए जाएंगे ताकि योजना में रखे गये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पांचवीं योजना में उर्वरक आयात से हमारे व्यापार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**श्री मोहन धारिया** : यह ठीक है कि उर्वरकों की देश में कमी है और इस लिए हम उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं और पांचवीं योजना में पांच उर्वरक कारखाने और खोले जाएंगे ।

**श्री माधवराव सिंधिया** : मैं यह भी जानना चाहा था कि उर्वरक-आयात से हमारे व्यापार-संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर)** : हमने भूमिका में इस की भी चर्चा की है और इसका ब्यौरा योजना के प्रारूप में दिया गया है, साथ ही आयात और क्षमता के अधिक उपभोग और नई क्षमता संबंधी आंकड़े भी दिए गए हैं ।

**श्री हरिकिशोर सिंह** : मुझे हर्ष है कि सरकार आत्म निर्भरता जैसे महान उद्देश्यों की ओर प्रयत्न-शील है । क्या पांचवीं योजना में मुख्य औद्योगिक क्रियाओं में आत्मनिर्भरता प्राप्ति संभव होगी ? इसका विशिष्ट उत्तर अपेक्षित है । मैं रूपरेखा-प्रारूप और विवरण दोनों पढ़ चुका हूं ।

**श्री डी० पी० धर** : पांचवीं योजना में हमने कहा है कि हम आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का प्रयास करेंगे जोकि संभव है । चौथी योजना में कुल विदेशी सहायता को आधा करने का उपबन्ध था जो पूरा होने की आशा है । अतः विदेशी निवेश और संसाधनों की कुल प्रतिशतता पांचवीं योजना के कुल परि-व्यय का लगभग 3.1 प्रतिशत होगी, अतः आत्म निर्भरता प्राप्त करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा ।

**श्री राम सहाय पांडे** : आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए किसी देश को दो प्रकार की शक्तियां दर-कार होती हैं--राजनीतिक तथा विद्युत शक्ति, सरकार के पास राजनीतिक शक्ति तो है ।

जहां तक विद्युत शक्ति की बात है, पांचवीं योजना में इसे क्या प्राथमिकता दी गई है क्योंकि सोवियत प्रधान मंत्री ने भी जो यहां आये थे कहा है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन दोनों ही इसी पर निर्भर हैं । अतः विद्युत शक्ति पैदा करने को क्या प्राथमिकता प्राप्त है और क्या देश की आवश्यकता-पूर्ति के लिए पर्याप्त बिजली पैदा की जाएगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : इसे पांचवीं योजना पर आम चर्चा मत बनाएं । यह तो सीधा सा प्रश्न है और इसका उत्तर विवरण में दे दिया गया है। यदि पांचवीं योजना पर इसी तरह प्रश्न पूछे जाते रहे तो पूरक प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे ।

**श्री डी० पी० धर** : यदि सदस्य महोदय ने योजना दस्तावेज देखा हो, तो पता चलेगा कि पांचवी योजना अवधि में हम 330 लाख किलोवाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन करने जा रहे हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्योंकि आर्थिक आत्म-निर्भरता का वास्तविक अर्थ देश के संसाधनों को बेहतर ढंग से जुटाना और उनकी बचत करना है । अतः क्या सरकार बताएगी कि क्या (1) काला धन निकालने के लिए विमुद्रीकरण, (2) पूंजी पर लेवी लगाने, (3) आय-संपत्ति और व्यय पर अधिकतम सीमा लगाने और (4) कृषि तथा गैर-कृषि आय जोड़कर आयकर की आय बढ़ाने जैसे उपाय किए जाएंगे ?

**श्री डी० पी० धर** : मेरे विचार में ये सुझाव काफी संगत और वांछनीय हैं परन्तु विमुद्रीकरण जैसे प्रश्न पर कभी खुली चर्चा नहीं हुई है । अतः मेरा सुझाव है कि बजट आने पर सदस्य महोदय उसे देखें तो शायद उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल जाएं । .... (**व्यवधान**) । यदि कोई ठोस सुझाव हो तो हम उनके आभारी होंगे ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : आत्म निर्भरता प्राप्ति के लिए योजना आयोग के सम्मुख क्या सुझाव हैं ? पांचवीं योजना में इसके लिए क्या कार्यक्रम है ?

**श्री डी० पी० धर** : क्योंकि वह अभी अभी आए हैं अतः मैं उनका ध्यान सभा पटल पर रखे गए विवरण की ओर दिलाता हूं जिसमें इसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : कुछ समय पहले कहा गया था कि पांचवीं योजना में 12 उर्वरक कारखाने लगाये जाएंगे परन्तु अब पांच ही बताए गए हैं । इस प्रकार देश की आवश्यकता कैसे पूरी होगी ?

**श्री डी० पी० धर** : मेरे माननीय सहयोगी ने पांच कारखाने सरकारी क्षेत्र में खोलने को कहा था । इसके अतिरिक्त वर्तमान कारखानों के विस्तार की भी योजना है और कुछ नए कारखाने सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में भी तो खोले जाएंगे ।

## चीनी मिलों के लिए लाइसेंस देने का मापदण्ड

*104 **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :

†**श्री डी० के० पण्डा** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों के लिये नये लाइसेंस मानदण्ड का अनुसरण करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) तथा (ख) चीनी मिलों को लाइसेंस देने के मानदण्ड में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सरकार ने दिनांक 9-1-74 की अपनी प्रेस टिप्पणी में यह घोषित किया है कि ऐसे उद्यमियों को जिनका इरादा चीनी की नई फैक्टरियां लगाने का है अथवा अपने कारखानों के पर्याप्त विस्तार हेतु आवेदन करने वाले चीनी के मिलों को औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों की मारफत भेजने होंगे । राज्य सरकारों से ऐसे आवेदनों की निर्धारित समय के अंदर अंदर अपनी सिफारिशों तथा गन्ने की उपलब्धि संबंधी आंकड़ों समेत औद्योगिक विकास मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया है यह कार्यपद्धति निर्धारित समय में आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही हेतु अपनाई गई है ।

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : सरकार द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में विशिष्ट रूप से कहा गया है कि अब केवल राज्य सरकारों द्वारा छानबीन किये जाने के पश्चात् ही लाइसेंसों के आवेदन-पत्र प्राप्त तथा लाइसेंस जारी किए जाएंगे । यदि यह बात है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि नीति में परिवर्तन करने तथा राज्यों द्वारा आवेदनपत्रों की छानबीन करने के क्या कारण हैं । क्या राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए ही ऐसा किया गया है क्योंकि कुछ राज्य अधिक शक्तियों की मांग कर रहे हैं ?

**योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर)** : अतीत में जब भी चीनी कारखानों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते थे, तो उन प्रार्थना पत्रों को राज्यों के पास इस लिये भेज दिया जाता था कि वे गन्ने कि उपलब्धता के बारे में मूल्यांकन करें । इस का कारण यह है कि गन्ने की उपलब्धता के बिना कोई भी कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता । अब हमारे द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् इन्हें भेजने की बजाये हम यह चाहते हैं कि आवेदन पत्र राज्य सरकार को भेजा जाये, ताकि ऐसे आवेदन पत्र उनकी सिफारिशों सहित हमारे पास आएं और कि आवेदनपत्रों को प्राप्त करने और राज्य सरकारों को भेजने तथा उनकी सिफारिशों को प्राप्त करने में समय नष्ट न हो और इसके साथ ही इन आवेदनपत्रों को भेजने के हेतु, राज्य सरकारों के लिये समय सीमा निर्धारित कर दी गई है । इस से किसी भी प्रकार राज्य सरकारों की शक्तियां न तो बढ़गी और न ही कम होंगी ।

**श्री डी० एन० तिवारी** : एक बात तो यह है कि नये कारखानों की स्थापना करना, दूसरी बात वर्तमान कारखानों का विस्तार करना है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि चीनी के पुराने कारखाने के नवीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ताकि चीनी का उत्पादन बढ़े ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम)** : आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम बनाया गया है और एक आयोग ने इस पहलू पर विचार किया है और उन्होंने सिफारिशें की हैं और आधुनीकीकरण के कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाना है ।

**श्री वंसत सांठे** : चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा के अर्जित किये जाने के रूप में बड़ी सम्भावना है । अतः क्या सरकार कम से कम सरकारी क्षेत्र में नये चीनी संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : जी, हां । अब अधिकांशतः अर्थात 99 प्रतिशत लाइसेंस सहकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र को दिये जा रहे हैं । हमें सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र से प्रस्ताव पास नहीं हुये । हम गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रस्तावों पर विचार करेंगे । किन्तु, इस पहलू को ध्यान में रखा जाता

है । इस समय हमारी बड़ी निर्यात क्षमता है । किन्तु इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हम उस भूमि में गन्ने का उत्पादन न करें जिस में खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है । इस बात का भी ध्यान रखना होगा ।

**उपक्रमों को मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्टस मिक्स के लिए अनुमति)**

*107. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उपक्रमों को मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) की अनुमति देने का कोई प्रावधान है ?

(ख) क्या इस संबंध में कोई और निर्देश जारी किये गये हैं । यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या मिश्र उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) की अनुमति देने के परिणामस्वरूप प्रत्येक एकक के विदेशी मुद्रा उपयोग में वृद्धि नहीं होगी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) और (ख) औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पाद में विविधता लाने की शर्तें व सीमाएं अधिसूचना सं० एस० ओ० 98 (ई०)/आई० डी० आर० ए०/298/73 दिनांक 16 फरवरी, 1973 (जिसकी एक प्रतिलिपि लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है) में दी गई है ।

(ग) ऐसे प्रस्तावों में विदेशी मुद्रा का उपयोग सरकार की आयात नीति से निर्धारित होता है ।

**श्री भालजी भाई परमार** : क्या यह सच है कि अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके विदेशी प्रभुत्व वाली फर्मों ने मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) के नाम पर एक नयी वस्तु का कुशल प्रयोग किया है और गत 10 वर्षों के दौरान उसके कारण देश को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 150 करोड़ रुपये तक की विदेश मुद्रा का हानि हुई है ?

(ख) लाइसेंस देने वाली समिति के नाम पर 105 मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) के अनुमति पत्र इस कम्पनी को जारी किये गये जिसका प्रारम्भिक पूंजी निवेश 1.5 लाख रुपये का था और जिसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 37 करोड़ रुपये की धनराशि बाहर भेजी तथा मुख्यतयः भारतीय लाभ से 62 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों का निर्माण किया और देश को 100 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ग) क्या सरकार विदेशी फर्मों द्वारा परिसम्पत्तियों का निर्माण किये जाने और इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों की गलत व्याख्या करके हमारे देश से भारी धनराशि को बाहर भेजे जाने की जांच करायेगी अथवा अनुमति पत्रों के मामले को औद्योगिक विकास मंत्रालय की सतर्कता शाखा को जांच करने के लिये ही सौंप देगी और उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करेगी जिन्होंने इन फर्मों के साथ सांठ-गांठ की थी । इन के निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर भी रखी जाये ।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता । यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें, तो मैं उत्तर देने में समर्थ हो सकता हूं । कुछ प्रश्नों को वित्त मंत्री के नाम भेजना होगा ।

**श्री के० एस० चावड़ा** : श्रीमान् जी, इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, क्या आप इस प्रश्न के (क) भाग की ओर ध्यान देंगे, अर्थात्, क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उपक्रमों को मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) की अनुमति देने का कोई प्रावधान है और उन्होंने इसका जो उत्तर दिया है वह उसको देखें ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सूचना प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं ।

**श्री के० एस० चावड़ा** : मैं इस बात की ओर आप का ध्यान दिला रहा हूं कि (क) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ? क्या मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं यह देखना आप का काम है कि उन्होंने इसका उत्तर दिया है अथवा नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह देखना आप का भी काम है ।

**श्री के० एस० चावड़ा** : यही कारण है कि मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिला रहा हूं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट-मिक्स) के हेतु, अनुमति पत्र जारी करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं और क्या यह सच है कि नहीं लाइसेंस देने वाली समिति के निर्णय के विपरीत मैसर्स में एण्ड बेकर तथा इन सभी विदेशी फर्मों को मिश्र-उत्पाद के अनुमति पत्र जारी किये गये थे और क्या सरकार उद्योग मंत्रालय की सतर्कता शाखा के माध्यम से इन मामलों की जांच करने के लिये एक समिति का गठन करना चाहती है ?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : माननीय सदस्य मिश्र-उत्पाद के प्रश्न के सम्बन्ध में विशेष योग्यता प्राप्त करते रहे हैं और विभिन्न औषध निर्माताओं को भी विविधीकरण की अनुमति दी गयी थी । 1953—62 के दौरान ऐसा किया गया था । वास्तव में एक नयी वस्तु की परिभाषा के सम्बन्ध में लाइसेंस देने वाली समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ही इस विविधीकरण की अनुमति दी गयी थी । अर्थात ऐसे मामले में जहां फर्में मूल औषधियां बता रही थीं, प्रश्न यह था कि क्या उन्हें 'फार्मूलेशन्स' बनाने की भी अनुमति भी दी जानी चाहिये और लाइसेंस देने वाली समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी यदि ऐसे भिन्न व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत नहीं किया जाता है, तो उन्हें फार्मूलेशन्स' बनाने की भी अनुमति दी जा सकती है । 1953—62 के दौरान इस विभिन्न पदार्थों के उत्पादन के लिये कई 'अनापत्ति पत्र' जारी किये गये । ये निर्णय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किये गये थे कि इन औषधियों का आयात करने के बजाय इनका उत्पादन देश के अन्दर ही किया जाये । अतः विदेशी मुद्रा की बचत करने के उद्देश्य से ही ये निर्णय किये गये थे ।

**श्री के० एस० चावड़ा** : यह बिल्कुल विपरीत बात है ।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : विशेषकर कि जब इन औषधियों के उत्पादन देश के अन्दर ही उपलब्ध हो ।

**श्री के० एस० चावड़ा** : मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये किया गया था । इसके विपरीत इस सभा में अनेक प्रश्न पूछे गये थे कि भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो माननीय सदस्य का मत है, किन्तु मंत्री महोदय सूचना दे रहे हैं ।

**श्री के० एस० चावड़ा** : यह मेरा मत नहीं है, अपितु यह तथ्य है जिस का उल्लेख सभा पटल पर किया गया है । मैं इस की ओर उनका ध्यान आपकी मार्फत दिला रहा हूं । श्रीमान् जी, उन्होंने प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया है ।

**Television Station on Rajasthan-Pakistan Border**

*108. **Shri Lalji Bahi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a television station on Rajasthan-Pakistan border ; and

(b) if so, the time by which it will be done ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Shri Lalji Bhai** : What is the reaction of the Government to the proposal for opening of a Television Centre in Ganganagar area which has been sent recently by the Rajasthan Government.

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujaral)** : It is true that the Rajasthan Government have written to us in this regard, but we have got no funds in this Plan.

**Shri Lalji Bhai** : Mr. Speaker, Sir. There are many television sets in Ganganagar area on which the programmes relayed by the Pakistan Television Centre are seen which has got an adverse effect on the people of the area. Whether such kind of arrangement can be made by which the capacity of the Amritsar Television Centre may be increased and this area may also be covered by it.

The capacity of the Amritsar Television Centre may be increased and this area may also be covered by it.

**Shri I. K. Gujral** : I agree with you, but the capacity of the Amritsar Television Centre cannot be increased, because it is not possible on technical grounds. That area can be covered only by setting up a new transmitter only, but we have got no funds in the Fifth Plan.

**Mr. Speaker** : I am thankful to you for asking a question in regard to Amritsar.

**Shri B. S. Bhaura** : The proposal for providing technical facilities in Bhatinda has been dropped. Whether you are prepared to consider this proposal again, because by doing so, Rajasthan as well as other areas of Pakistan would be covered by its programmes. Please let me know the time by which you would be able to do this ?

**Shri I. K. Gujral** : I fully agree with it, but my reply is this that as yet we have got no funds for it.

**Shri Ram Kanwar** : Whether there is any possibility for opening a Television Centre in Jaipur, the Capital of Rajasthan ?

**Shri I. K. Gujral** : The work regarding the covering of Jaipur, Swai-Madhopur and Kota through satellite would be started next year where the programmes of Delhi Television Centre would be exhibited.

**केरल में क्रासवार स्विच गीयर कारखाना**

109. **श्री एम० एम० जोजफ :**

**श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एक क्रासबार स्विच गियर कारखाना स्थापित करने में संभवतः कितना समय लगेगा जिसके लिये राज्य सरकार केन्द्र सरकार से वर्ष 1967 से अनुरोध करती आ रही है; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीय टेलीफोन उद्योग के अध्यक्ष द्वारा पालघाट, त्रिचूर तथा एर्नाकुलम जिलों के दौरे के पश्चात इस कारखाने के स्थान के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) और (ख) भारत सरकार ने, इलेक्ट्रानिक्स किस्म के टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर बनाने वाला एक कारखाना केरल में पालघाट के निकट स्थापित करने का निश्चय किया है । इस कारखाने के निर्माण का काम बहुत शीघ्र शुरू हो जायेगा ।

**श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस कारखाने के संबंध में काम शीघ्र ही शुरू हो जायेगा ? क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस कारखाने के सम्बन्ध में कार्य कब से शुरू किया जायेगा ? और इस कार्य को शुरू करने तथा इस कारखाने के काम चालू करने के प्रथम वर्ष के बीच क्या काम किया जायेगा ।

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : हम राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । राज्य सरकार ने पालघाट के पास जो वहां से लगभग 10 मील दूर है, भूमि देने की बात कही है । ज्यों ही भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा इस भूमि को ले लिया जायेगा, हम इस काम को शुरू कर देंगे । हमें आशा है कि प्रथम चरण में हम 10,000 लाइनों के पी० ए० बी० एक्स एक्सचैजों का निर्माण करेंगे । हम आशा करते हैं कि जब हमें भूमि मिल जायेगी, तो उसके पश्चात् दो वर्ष लगेगें ।

**श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : इस कारखाने को स्थापित करने के लिये पांचवीं योजना में कुल कितना नियतन किया गया है । क्या इस के लिये किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता है और कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन इस कारखाने में किया जायेगा ?

**प्रो० शेर सिंह** : प्रथम चरण के लिये लागत पूंजी लगभग 24 लाख रुपया होगी, जिसमें से 3.10 लाख रुपया विदेशी मुद्रा में होगा । इसके लिये किसी प्रकार की विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी । भारतीय टेलीफोन उद्योग के पास तकनीकी जानकारी है और वह ही यह काम करेगा ।

**श्री वटके जार्ज** : प्रश्न, जो पूछा गया था, वह क्रासबार स्विच गीयर कारखाना स्थापित करने के बारे में था और मंत्री महोदय ने टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण बानाने के कारखाने के बारे में उत्तर दिया है । क्या मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता हूं कि क्या ये दोनों परियोजनायें हैं और यदि हां, तो क्या एक परियोजना प्रतिवेदन को तैयार कर लिया गया है और इस परियोजना की कुल लागत क्या होगी और इसमें रोजगार की कुल क्षमता कितनी होगी ?

**प्रो० शेर सिंह** : ये दो भिन्न भिन्न परियोजनायें हैं । एक परियोजना तो क्रासबार तथा अन्य एक्सचेजों के लिये स्विचिंग कारखाने की स्थापना के स्थान के बारे में है । उसे रायबरेली में स्थापित किया जायेगा । हम पालघाट में एक छोटा एक्सचेंज कारखानों की स्थापना कर रहे हैं, यह स्विचिंग कारखाना नहीं होगा । इसकी स्थापना पालघाट में की जायेगी ।

**श्री वटके जार्ज** : जो प्रश्न पूछा गया था वह केरल में एक कारखाने के बारे में था और मंत्री महोदय ने किसी अन्य राज्य में कारखाने को स्थापित किये जाने के बारे में उत्तर दिया है । हम केरल में स्विच गीयर कारखाना के बारे में विवरण जानना चाहते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

**प्रो० शेर सिंह** : यह स्विच गीयर कारखाना नहीं है । जैसाकि मैंने कहा है कि केरल में, अर्थात पालाघाट जिले में एक छोटा एक्सचेंज कारखाना स्थापित किया जायेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसके बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है । इसे लम्बा मत कीजिये । उन्होंने बताया कि केरल में कोई स्विच गीयर कारखाना स्थापित नहीं किया जा रहा है, अपितु पालघाट में एक छोटा एक्सचेंज संयंत्र लगाया जायेगा । यह सूचना उन्होंने पहले ही दे दी है ।

**श्री एम० एस० संजीवीराव** : मंत्री पूरी तरह यह बात जानते हैं कि देश भर में क्रासबार पद्धति उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश में इस क्रास बार पद्धति को पुनः शुरू करने से पूर्व दोषों को सुधारने के लिये कौन कौन सी कार्यवाही की गयी है ।

**प्रो० शेर सिंह** : दिल्ली में तीन एक्सचेजों और बम्बई में भी कुछ एक्सचेजों में क्रासबार एक्सचेजों में सुधार कार्य किया जा रहा है । दर्जे को उन्नत करने के काम को पूरा करने तथा गलतियों को सुधारने के पश्चात ही हम क्रासबार एक्सचेंजों के डिजाइन के, जिस के अनुसार भविष्य में उत्पादन किया जायेगा, बारे में निर्णय किया जायेगा ।

**डा० रानेन सेन** : जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने पहले कहा है, यह सिद्ध हो चूका है कि क्रासबार पद्धति एक दोषपूर्ण पद्धति रही है । तत्कालीन संचार मंत्री, श्री बहुगुणा द्वारा खुलेआम यह घोषणा की गयी थी कि बेलजियम टेलीफोन मशीनरी कं० ने, जो यहां कार्य कर रही थी, भारत को ठग लिया था । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भारत भर में इस क्रासबार पद्धति को स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो इसके दोषपूर्ण पद्धति होते हुए भी ऐसा करने का क्या कारण है ?

**प्रो० शेर सिंह** : जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्रास बार एक्सचेंज की 'पेंटा कोन्टा' पद्धति में कुछ दोष है । हमने इस पद्धति में कुछ गलतियां पायी है जिन्हें सुधारा जा रहा है । "पेंटा कोन्टा" अथवा 'स्वेडिश' प्रकार की क्रासबार एक्सचेंज पद्धति का दर्जा ऊंचा किया जा रहा है ताकि भविष्य में उसी के अनुसार उत्पादन किया जाये । दर्जा ऊंचा करने के काम तथा सुधार करने के परिणाम को जान लेने तथा विभिन्न पद्धतियों अर्थात क्रासबार पद्धति, पेंटा कोन्टा पद्धति तथा अमरीकी तथा अन्य पद्धति का भी तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ही निर्णय लिया जायेगा । उसका अध्ययन किया जा रहा है । इन का दर्जा ऊंचा कर लेने तथा निर्णय ले लेने के पश्चात ही हम भविष्य में एक्सचेंजों के लिये इस क्रासबार पद्धति के निर्माण के काम को शुरू करेंगे ।

**डा० रानेन सेन** : क्या वही बेलजियम टेलीफोन कम्पनी ही इस संबंध में सलाह दे रही है, उन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया है ।

**प्रो० शेर सिंह** : जी, नहीं । वास्तव में हम ने उस कम्पनी से उन सभी एक्सचेंजों को, जिन्हें हमने उस कम्पनी से खरीदा है, सुधारने के लिए सभी खर्चे तथा दर्जे को ऊंचा करने के लिये अतिरिक्त खर्चे को वहन करने के लिये कहा है और हम उस कम्पनी से कोई भी सलाह नहीं ले रहे हैं । हम अन्य सभी स्रोतों से परामर्श ले रहे हैं ।

**Shri Phool Chand Verma** : Mr. Speaker, the minister has stated in reply to the Question that switch gear factory will be set up at Rai Bareli instead of Kerala. I would like to know from the Minister whether it is a fact that this factory was going to be set up at Ujjain or Dewas in Madhya Pradesh and why its location was shifted.

**The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):** I may explain it that no decision to set up this factory in Kerala was taken, but the Government of Kerala had stated that they are prepared to give the land for the purpose. The Government of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh had also forwarded some of their proposals. The I.T.I. technical team visited all the places and reported that this factory should be set up in Uttar Pradesh only. Therefore, it is not correct to say that the decision was taken in regard to some other place and later on the decision was taken in favour of U.P. The factory being set up at Palghat (Kerala) is known as small exchange.

**Shri Phool Chand Verma** : In the Advisory Committee attached to the Ministry of Communications, it was announced that this factory would be set up in Madhya Pradesh, but its location was changed to Uttar Pradesh because elections were going to be held there and it has been shifted to the constituency of the Prime Minister.

**Mr. Speaker** : Since elections are going to be held, so nothing should be set up in the Prime Minister's constituency. Is it so ?

**Shri Phool Chand Verma** : Mr. Speaker, Madhya Pradesh is also backward. Please keep it also in mind.

**Mr. Speaker.** : In the beginning objection was raised about Uttar Pradesh. Now you are talking about other areas. What is it ?

**Maharashtra-Karnataka Boundary Dispute**

*110. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari** :

**Shri Madhu Dandavate :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the border dispute between Maharashtra and Karnataka is still unresolved ;

(b) whether certain Commissions were appointed to solve this problem ; and

(c) if so, the reasons for delay and the steps taken for solving this problem ?

**गृहमंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित)** : (क) से (ग) . महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद के संबंध में जांच तथा सिफारिश करने के लिये 25 अक्तूबर 1966 को एक एक-सदस्यीय सीमा आयोग नियुक्त किया गया था जिसमें जस्टिस स्वर्गीय श्री मेहर चन्द महाजन थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त, 1967 को प्रस्तुत की थी। परन्तु आयोग की सिफारिशों को आवश्यक मात्रा में स्वीकार्यता नहीं पाई गई। अतः ऐसा हल ढूंढने के, जो अधिकाधिक स्वीकार्य हों, प्रयत्न किए जाते रहे हैं। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों ने 29 दिसम्बर, 1973 को प्रधान मंत्री और मेरे साथ मामले पर विचार-विमर्श किया था और उसी दिन उनके द्वारा जारी किये गये एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वे परस्पर तथा केन्द्रीय नेताओं से और आगे बातचीत करेंगे।

**श्री मधु दण्डवते** : सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी और अन्त में उसे उस समय वापिस ले लिया गया था जबकि गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार इस समस्या का तुरन्त ही कोई संतोषजनक हल निकालने का प्रयास करेगी। चर्चा से हट कर प्रधान

मंत्री ने यह भी उत्तर दिया था कि यह मामला मुख्य मंत्रियों पर नहीं छोड़ा जायेगा और केन्द्र सरकार वर्षों तक यह अनुभव करते हुए कि मुख्य मंत्री इसका कोई परस्पर स्वीकार्य हल नहीं निकाल सके, स्वंय इसका हल निकालेगी। अब फिर क्यों अन्ततः इसे मुख्य मंत्रियों पर छोड़ना और इस समस्या को लटकाये रखना चाहते हैं ?

**श्री उमाशंकर दीक्षित** : हम सब कुछ उन्हीं के विवेक तथा प्रयासों पर तो नहीं छोड़ना चाहते। उद्देश्य यह है कि हम उनको तथा लोगों को स्वीकार्य हल ढूंढने मैं उन की सहायता करना चाहते हैं। यदि मुख्य मंत्री भी किसी प्रस्ताव की न्यायोचित्तता पर सहमत हो जाते हैं तो इसके बाद वह प्रस्ताव वहां के लोगों तथा विधान सभा आदि को भी तो स्वीकार्य होना चाहिए। हमने अनेक विकल्प तैयार किये हैं परन्तु हमारे पास उन्हें मुख्य मंत्रियों के सामने रखकर विचार करने का समय नहीं है। हमारी यह धारणा है कि किसी हल के विस्तार में जाने के लिये अब भी समय उपयुक्त नहीं है। हम स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं, जैसा कि मैंने पिछले सत्र में कहा था, और हम इस संबंध में कार्यवाही करेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ स्पष्ट तथा विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया है। और आगे चर्चा के बाद, हम वैकल्पिक प्रस्तावों की जांच करेंगे तथा नेताओं तथा केरल सरकार के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे।

**श्री मधु दण्डवते** : अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर चाहूंगा जोकि बहुत ही विशिष्ट था। जब आप वर्षों के अनुभव के बाद यह जान चुके हैं कि दो मुख्य मंत्री कभी भी इसका स्वीकार्य हल नहीं निकाल सकें फिर भी आप इसे उन पर क्यों छोड़ रहे हैं।

**श्री उमाशंकर दीक्षित** : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मैं यह मत स्वीकार नहीं करता कि उनके सामने रखा गया कोई भी प्रस्ताव किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। यह तो बस समय की और उन्हें निकट लाने की बात है, जब यह तनाव कम हो जायेगा तो कोई न कोई प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य हो जायेगा।

**श्री मधु दण्डवते** : इस समस्या को हल करने की पवित्र भावना रखते हुए गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री दोनों ने ही कई अवसरों पर कहा है कि जब भी उन्होंने इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की तभी महाराष्ट्र या कर्नाटक में कोई न कोई आन्दोलन शुरू हो गया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि इस सीमा-विवाद का अनिर्णीत रहना ही इस समस्या का कारण है तथा आन्दोलन इसके परिणाम हैं ? इसलिये यदि आप उन सभी आन्दोलनों को समाप्त करना चाहते हैं तो आप बजाय यह कहने के कि कर्नाटक या महाराष्ट्र में आन्दोलन के कारण ही हल नहीं निकाला जा सकता है, बेहत्तर यह होगा कि आप इसका कोई हल निकाल ही दें। कर्नाटक या महाराष्ट्र के लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं है ? क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि सभी आन्दोलनों को समाप्त करने के लिये इस सीमा-विवाद का तुरन्त ही कोई हल निकालना जरूरी है ?

**श्री उमाशंकर दीक्षित** : इन दोनों या तीनों राज्यों को लोगों या प्रतिनिधियों को दोष देने की हमारी कोई मन्शा नहीं है। मैंने तो केवल यह स्पष्ट करना चाहा था कि जब भी इस दिशा में कोई कदम उठाया गया या वहां के कुछ प्रतिनिधियों को यहां बुलाया गया अथवा जांच करने के लिये यहां कुछ व्यक्ति भेजे गये, उसी बात को लेकर आन्दोलन शुरू कर दिया गया और इसी कारण कठिनाई पैदा होती गई। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने प्रयास छोड़ देंगे। इन कठिनाइयों के बावजूद प्रयास जारी रहेंगे। मैं यह स्वीकार करूंगा कि इस संबंध में समुचित प्रयास करना अब तक संभव नहीं हो सका है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : अब जब कि उत्तर प्रदेश के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो मुझे आशा है कि अब आप को इस संबंध में कुछ करने का समय मिल सकेगा।

**श्री उमाशंकर दीक्षित** : कृपया इस मामले में उत्तर प्रदेश के चुनावों को मत लाइये :

**प्रो० मधु दण्डवते** : हम सभी व्यस्त थे। हम भी चुनावों में व्यस्त थे।

**श्री उमा शंकर दीक्षित** : मुझे यह धारणा अनुभव कराई गई थी कि वर्तमान समय इसके लिये उपयुक्त नहीं है, यह नहीं कि वह इस का हल नहीं निकालेंगे। दोनों मुख्य मंत्री अभाव की समस्याओं को हल करने में व्यस्त थे। वे उस समय आवश्यक विस्तृत बातों की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सके थे। यह एक बड़ी ही जटिल समस्या है। मेरा संसद सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसका इतना सरल होने का प्रचार न करें।

**श्री शंकरराव सावंत** : दोनों मुख्य मंत्रियों की बैठक को दो महीने गुजर चुके हैं। चर्चा को लम्बी करने का कौन प्रयास कर रहा है कर्नाटक का मुख्य मंत्री अथवा महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री ?

**श्री उमाशंकर दीक्षित** : जब हम किसी अन्य मामले में अलग-अलग मिले थे तब किसी सीमा तक इस मामले पर चर्चा हुई थी।

**श्री अण्णासाहिब गोटाखिन्डे** : हमें बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि दोनों मुख्य मंत्री अपने लोगों को अपने विश्वास में ले। इस का अर्थ यह है कि उन्हें अपने राज्यों के लोगों का तथा अपनी अपनी विधान सभाओं में लोक-प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना है क्या सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इच्छाओं का भी केन्द्र सरकार ख्याल रखेगी ?

**श्री उमाशंकर दीक्षित** : ऐसा उनके अपने प्रतिनिधियों तथा मुख्य मंत्रियों के माध्यम से होगा। वस्तुतः तो यह प्रश्न उनकी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का मूल्यांकन ही करने का है। परन्तु यदि माननीय सदस्य इसे औपचारिक रूप देना चाहते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : हमारा विचार है कि एक अन्तर्राज्य परिषद् इस तरह के विवाद को भली प्रकार हल कर सकती थी। क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि एक अन्तर्राज्य परिषद् का संगठन क्यों नहीं किया गया है जबकि संविधान में इस की पूरी तरह व्यवस्था है।

**श्री उमाशंकर दीक्षित** : इस मामले पर गहराई तथा विस्तार के साथ विचार किया गया था। यह देखा गया कि इससे समस्या का हल नहीं निकल सकेगा। यहां तक कि संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर देने का विकल्प भी सोचा गया था। परन्तु अन्ततः उसे भी हल ढूंढने में सहायक नहीं समझा गया। इस मामले पर बड़े ही विस्तार से विचार किया गया है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : हम तो अब भी यही समझते हैं कि एक अन्तर्राज्य परिषद् इस तरह की समस्याओं का बड़ी आसानी से हल निकाल लेगी इस के लिए संविधान में प्रावधान है। इसके बावजूद भी इसका गठन नहीं किया गया है। मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछता हूं : गत 27 वर्षों में अब तक एक भी अन्तर्राज्य परिषद् क्यों नही गठित की गई।

**श्री उमा शंकर दीक्षित** : इस समय इस पर विचार किया गया था और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया इस पर फिर भी विचार किया जा सकता है।

**श्री बसन्त साठे** : यह देखते हुए कि दोनों मुख्य मंत्री अपने भरपूर प्रयास के बाद भी कोई स्वीकार्य हल नहीं निकाल सके, तो क्या सरकार का विचार इस विषय में जनमत एकत्रित करने तथा इस समस्या को हमेशा के लिये हल कर देने का है ?

**श्री उमा शंकर दीक्षित** : जनमत संग्रह के समय लोगों के जज़्बातों को इस सीमा तक भड़काया जाता है कि अपना मत देने वाले लोग यही भूल जाते हैं कि इस समस्या के बारे में उसकी राय ही क्या है।

**Shri Jagannath Rao Joshi** : This border dispute is there since 1956. The people's opinion has been clear during the last two or three elections : the wishes of the both Chief Ministers are also clear. The Mahajan Commission was appointed and its recommendations has come before the Parliament. I want to know as to when would the Government bring in a Bill here based on those recommendations. We want a finality to it and a date fixed.

**Shri Uma Shankar Dikshit** : It is not possible for us to fix a date. It is evident that for an issue which involves the future, the wishes, the sentiments, it is not possible to fix up a particular date. The hon. Member has not gone into this issue deeply. . . . **(Interruptions).**

**Mr. Speaker** : The hon. Minister wishes peace whereas you people are getting excited. If you are so much excited, how more would be the common people there ?

**श्री पीलू मोदी** : जब संविधान स्वयं ऐसे उपायों की व्यवस्था करता है जिनसे कि इस प्रकार के मामले हल किये जा सकते हैं, तो गृह मंत्री कहते हैं कि इस बारे में गहराई से विचार किया गया और उन्होंने पाया कि संविधान में प्रावधित उपाय सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं।

**श्री उमा शंकर दीक्षित** : मैंने यह तो नहीं कहा।

**श्री पीलू मोदी** : मैं आप को अपनी बात को ठीक कर लेने का अवसर दे रहा हूं।

फिर इस के बाद कहा गया कि जनमत संग्रह कराना चाहिये। इस पर मंत्री ने कहा कि किसी का विचार जानने का यह तरीका नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह पवित्र वक्तव्य दिया कि कोई हल निकालने से पहले वह दोनों पक्षों के लोगों का मत जानना चाहते हैं, तो फिर वह यह काम कैसे करेंगे जबकि वह संविधान में किये गये प्रावधान को भी नहीं स्वीकार करते और न ही जनमत संग्रह को मानते हैं ? अतः क्या मैं यह समझूं कि अंततः जनमत का तथाकथित इच्छायें पाने का आधार सर्वथा राजनैतिक होगा।

**श्री उमा शंकर दीक्षित** : जी नहीं। मैं संक्षिप्त रूप से स्थिति स्पष्ट करूंगा। वस्तुस्थिति यह है कि दोनों राज्यों में एक क्षेत्र में रहने वाले बहुत से लोग पास के दूसरे क्षेत्र की भाषा बोलते हैं। पहले आयोग का यह विचार था कि दूसरे राज्य में जहां तक संभव हो सके भाषायी अल्पसंख्यक कम से कम रहने दिये जायें। इस विशिष्ट मामले में, हल चाहे कोई भी निकले, बहुत बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग तथा कन्नड़ भाषी लोग अन्य क्षेत्रों में रह जायेंगे। इस तथ्य की पुष्टि के अनुपयुक्त है। यदि आप कन्नड भाषी लोगों से पूछें या मराठी भाषी लोगों से पूछें तो वे दूसरी ओर रहना चाहेंगे। यह ऐसा मामला नहीं है कि केवल एक पक्ष का मत जानने से ही बात बन जाती है। दोनों ओर का मत जानना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि वह इस बात को समझेंगे कि केवल एक ओर के मत को जान लेना ही काफ़ी नहीं है क्योंकि इस ओर का मत

दूसरी ओर के लोगों पर लादा नहीं जा सकता। यह एक जटिल प्रश्न है। आप चाहे यह बात कहें, परन्तु मैं आपको बता दूंगा कि इससे हल निकलने वाला नहीं है। हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यह सभा इस बात को समझे।

**प्रेस सूचना कार्यालय के उप-मुख्य सूचना अधिकारी की दिल्ली में गिरफ्तारी**

*112. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

**श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना कार्यालय के उप-मुख्य सूचना अधिकारी को दिल्ली में हाल ही में गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या आरोप लगाये गये थे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) पत्र सूचना कार्यालय के उप मुख्य सूचना अधिकारी श्री बी० एफ० डीसूजा को सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 (ख) के अन्तर्गत अपराधों के लिये 22 दिसम्बर, 1973 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन पर आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत भी आरोप लगाया है। उनकी गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप, सरकार ने भी डीसूजा को निलम्बित कर दिया।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : गत दिसंबर में प्रेस सूचना ब्यूरो के उप-मुख्य सूचना अधिकारी बी० एफ० डीसूजा तथा एक अन्य व्यक्ति को देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि श्री डीसूजा के पास तथा उसके घर के किस प्रकार के दस्तावेज पाये गये थे और क्या इस प्रकार के दस्तावेज उसके समक्ष अधिकारी के घर में रखे जा सकते हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल)** : क्योंकि श्री डीसूजा इस समय पुलिस हिरासत में हैं और उन पर मुकद्दमा चल रहा है, मेरे विचार से इस समय इस मामले पर और आगे चर्चा करना उचित नहीं होगा।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** समाचार मिले हैं कि कुछ दस्तावेज जैसे गुप्तचर विभाग के निदेशक तथा प्रधान मंत्री द्वारा लिखे गये पत्र, टेप तथा कुछ अन्य मूल्यवान वस्तुएं पाई गई थी। ये बातें अखबारों में छपी हैं। मैं तो इस बात पर जोर दे रहा था कि मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

**श्री पीलू मोदी** : एक अपवाद के रूप में।

**श्री इंद्र कुमार गुजराल** : जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा है पुलिस ने कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में कर लिये हैं और उन्हें प्रमाण के रूप में अदालत में पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि इस स्थिति में मुझे उन दस्तावेजों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रसन्न भाई मेहता।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** इस मिशन का क्या नाम है जिसे सूचना . . .

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगले सदस्य को पुकार चुका हूं।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : मेरा दूसरा अनुपूरक श्रीमन्? क्योंकि मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया तो मैं स्पष्टीकरण चाहता था।

**अध्यक्ष महोदय** : आप अभी तक दूसरा ही अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं?

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : इस मिशन का क्या नाम है जिसे ये जानकारियां दी जाती रही? क्या यह भी सच है कि यही मिशन पहले भी देशद्रोह के मामले में अन्तर्ग्रस्त था और उस समय इस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी?

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : आप यह मानेंगे कि इस मामले के बारे में पुलिस ने खोज करनी है तथा तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने निर्णय करना है। मुझे नहीं मालूम कि पुलिस क्या-क्या तथ्य न्यायालय के सामने पेश कर रही है। वह अधिकारी गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस को जिस भी फाईल या सामग्री की जरूरत थी वह उसे दे दी गई। इसलिये, इससे अधिक जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : Is it not in the rules that secret and important documents should be kept in office only? Are the officers permitted to take those documents home?

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : ये ऐसे मामले हैं जिन पर न्यायालय ही टिप्पणी करेगा। स्पष्ट है कि ये ऐसे मामले हैं जिन पर इस समय मेरे लिये कोई टिप्पणी करना मुश्किल है। पहले तो मुझे यही मालूम नहीं कि क्या क्या दस्तावेज भंग किये जा रहे हैं, दूसरे, मैं यह भी टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या कोई दस्तावेज घर में होना चाहिए या दफ्तर में। ये सभी मामले न्यायाधीन हैं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee**: My question is not related to this matter. I am asking about the practice in the Government office. Are there no such orders that the Officers should keep the secret documents in office and should not carry their home?

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : "सामान्य रूप से तो उत्तर 'हां' है। कोई भी अधिकारी गुप्त कागजात अपने धर नहीं ले जा सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

**श्री हुकम चन्द्र कछवाय** : प्रश्न संख्या 113।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### टेलीविजन उद्योग में प्रगति की दर

*102. **श्री गजाधर माझी** : क्या **इलैक्ट्रोनिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन एककों द्वारा अपनी क्षमता के उपयोग का पुनर्विलोकन कर लिया है जिनको टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लाइसेंस दिये गये थे; और

(ख) क्या सरकार इस उद्योग की प्रगति की दर से संतुष्ट है, और यदि नहीं, तो प्रगति में वृद्धि करने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय, विकास आयुक्त लघु उद्योग क्षेत्र, तथा राज्य के उद्योग निदेशकों के सहयोग से इलैक्ट्रोनिकी विभाग उन एककों द्वारा की गयी प्रगति का आवधिक पुनर्विलोकन करता रहा है, जिनको टेलीविजन लाइसेंस/स्वीकृतियां प्रदान किये गये थे। इस उद्योग की प्रगति दर सामान्यतः संतोषजनक रही है। 1972 में 29,965 सेटों की तुलना में कुल उत्पादन 1973 के दौरान 74,756 सेट पंजीकृत किया गया।

**कलकत्ता और मद्रास को जोड़ने के लिए को-एक्सियल टेलीफोन परियोजना**

*105. **श्री एम० कतामुतू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी तट के साथ-साथ कलकत्ता और मद्रास को जोड़ने के लिए एक को-एक्सियल टेलीफोन परियोजना लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) यह परियोजना संभवतः कब तक पूरी हो जाएगी ?

**संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : (क) जी हां। कलकत्ता और मद्रास को जोड़ने वाली 15 करोड़ 79 लाख 82 हजार रुपये के अनुमानित लागत की एक को-एक्सिएल योजना सन् 1968 में मंजूर की गई है।

(ख) इस योजना में 2160 किलोमीटर स्टैंडर्ड को-एक्सिएल केबिल लाइन बिछाई जाएगी जिससे किसी भी सैक्शन में कुल 2700 स्पीच चैनल दिए जाएंगे और 366 किलोमीटर स्माल ट्यूब को-एक्सिएल केबिल डाला जाएगा जिससे मुख्य मर्गों से नीचे लिखे स्थानों के बीच के शाखा मार्गों पर 600 चैनलों की व्यवस्था की जाएगी :—

| | | |
|---|---|---|
| कोडाड | — | खम्मामेट |
| राजमहेन्द्री | — | काकीनाडा |
| राजमहेन्द्री | — | तेनुकु–ताडेपल्लिगुडम |
| विजयवाडा | — | गुडीवाडा—मसलीपट्टम और |
| भुवनेश्वर | — | पुरी। |

(ग) विजयवाडा–सिकन्दराबाद सैक्शन मार्च, 1973 में चालू किया जा चुका है। अन्य सैक्शनों की प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| मद्रास—विजवाडदा सैक्शन | जून, 1974 तक |
| कलकत्ता—कटक सैक्शन | दिसम्बर, 1974 तक |
| कटक—विजयवाडा | दिसम्बर, 1975 तक |

शाखा मार्गों के सन् 1974–75 के दौरान उतरोत्तर चालू हो जाने की संभावना है।

**लघु उद्योगों के लिए आयात हेतु प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना**

*106. **श्री के० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान लाइसेंस प्रक्रिया लघु उद्योगों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु उद्योगों के लिये आयात के लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया को युक्ति सगंत बनाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)**: (क) से (ग) . उद्यमियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को यदि कोई हो तो, उन्हें दूर करने के लिए प्रतिवर्ष आयात लाइसेंसीकरण प्रक्रिया का पुनरावलोकन किया जाता है। इस प्रक्रिया का युक्तियुक्तकरण एक मतत प्रक्रिया है तथा आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा, 1974–75 वर्ष के लिए आयात नीति निर्धारण करते समय, इसे और अधिक बनाने के अभ्यूपायों पर विचार किया जाएगा।

**उद्योगों की स्थापना के लिए गुजरात का आवेदन-पत्र**

*111. **श्री डी० पी० जदेजा**:

**श्री अरविन्द एम० पटेल** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नये उद्योग स्थापित करने के लिये 31 दिसम्बर, 1973 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उन में से कितने आवेदन-पत्रों के लिये आशय-पत्र तथा लाइसेंस जारी किये गये; और

(ग) अभी तक कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) से (ग) . वर्ष 1972 और 1973 में गुजरात में नये उद्योग स्थापित करने के लिये क्रमशः 136 और 196 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 173 पर निर्णय लिया जा चुका है और 159 अभी अनिर्णीत पड़े हैं। 4 औद्योगिक लाइसेंस और 20 आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

**Heavy loss due to fire in Port Blair**

*113. **Shri M. S. Purty** :

**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have investigated into the causes of the devastating fire in Port Blair in January, 1974 ; and

(b) if so, the loss of life and property suffered and the steps taken by Government to make good this loss ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):** (a) and (b). A devastating fire took place in Port Blair on the night between 21st and 22nd January, 1974. Police have registered a case under Section 436 of the IPC which is under investigation. The Andaman and Nicobar Administration have appointed an Officer to enquire into and report on the incident. The Fire Adviser, Ministry of Home Affairs has sent a report to the Government.

There was no loss of life in he fire. The loss of property is estimated to be about Rs. 2 crores. Government have sanctioned a loan of rupees nineteen lakhs to re-activise the two Consumer Cooperatives and a loan of rupees Eight lakhs for the rehabilitation of the victims of fire. Temporary sites for the construction of small shops have already been allotted. Rs. 50,000/- has also been sanctioned from the Prime Minister's Relief Fund. Other rehabilitation measures are under consideration.

**वर्ष 1966 के बाद जारी किये गये 'अनापत्ति पत्र'**

*114. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1966 के बाद भी अनुमति-पत्र तथा अनापत्ति पत्र जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इन पत्रों का जारी करना रोकने के क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) से (ग). लाइसेंस कमेटी के निर्णयों के आधार पर सरकार ने दवाइयों और भेषजों के उत्पादकों को 1965 तक फर्मूलों के उत्पादन हेतु कतिपय अनुमतिपत्र/अनापत्ति पत्र जारी किए हैं। 1966 में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिना लाइसेंस लिए विविधता लाकर नये उत्पादन शुरू करने के लिये उपलब्ध कतिपय सुविधायों की सरकार के द्वारा घोषणा के पश्चात् इस प्रकार के अनुमति-पत्र/अनापत्ति पत्र नहीं जारी किए गए।

**औद्योगिक उत्पादन में कमी**

*115 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

**श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में काफी गिरावट आई है और वर्ष 1973–74 में भी विशेषकर महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में भी कमी होने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण तथा तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) से (ग). उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक जो मार्च, 1973 में 211.2 था अप्रैल में घट कर 187.6 और मई में 190.2 रह गया। अन्तिम आंकड़ों के अनुसार

जून और जुलाई में सूचकांक 191.0 व 197.7 होंगे यद्यपि तदनन्तर महीनों में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है, तथापि यह विश्वास करने के लिये कोई सुदृढ़ आधार नहीं है कि सूचकाँक इन महीनों में घटकर और भी कम रह जाएगा।

औद्योगिक उत्पादन में इस असंतोषजनक वृद्धि के अनेक कारण रहे हैं। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कुछ कारण निम्नलिखित थे :–

1. रख-रखाव या डिजाइन संबंधी खामियों के कारण विभिन्न एककों में परिचालन संबंधी समस्याओं की वजह से कतिपय नाजुक उद्योगों जैसे इस्पात व उर्वरक उद्योगों, में उत्पादन स्थापित क्षमता से काफी कम रहा।

2. चीनी व कपड़ा जैसे कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादन में योजना काल के दौरान काफी चढ़ाव-उतार रूख रहा जो तत्संबधी कृषि की फसलों के उत्पादन पर आधारित था ;

3. विनियोजन की अपर्याप्त गति से औद्योगिक मशीनों की मांग में कमी आई जिससे पूंजीगत माल के उद्योगों के उत्पादन स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया ;

4. इस्पात एवं अलौह धातुओं की कमी के कारण कुछ इंजीनियरी उद्योगों का उत्पादन गिरा ;

5. बिजली की व्यापी रूप से कमी ने देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक एककों के उत्पादन को पर्याप्त मात्रा में कम कर दिया ;

6. कोयले की कमी तथा इसको लाने ले जाने की समस्याओं ने भी वर्तमान क्षमता उपयोग कम होने में योगदान किया ; तथा]

7. असन्तोषपूर्ण औद्योगिक संबन्धों के कारण कतिपय उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

औद्योगिक निवेश तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) क्षमता के पूरे पूरे उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये 65 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे कारखानों के संबंध में किन्हीं शर्तों तथा सुरक्षाओं के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त क्षमता के दुगने तक की बढ़ी क्षमता को सरकार ने मान्यता दे दी है।

(ख) निवेश वातावरण में स्पष्टता तथा सुनिश्चितता लाने के लिये सरकार ने फरवरी, 1973 में परिशोधित लाइसेंस नीति घोषित की है।

(ग) लघु, मझोले तथा नए उद्यमियों के विशेष लाभ के लिए 110 उद्योगों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रकाशित कर दिए गए हैं।

(घ) औद्योगिक स्वीकृतियों का सचिवालय स्थापित किया जा चुका है तथा उसने 1 नवम्बर, 1973 से कार्य आरम्भ कर दिया है। इस संगठन का उद्देश्य लाइसेंस पद्धति को सुप्रवाही बनाने तथा सरकारी स्वीकृतियों में होने वाली देरी को दूर करना है।

(ङ) उत्पादन के अवरोधों तथा देश में उपलब्ध परन्तु जिनकी कमी अस्थायी रूप से देश में रहती है ऐसे संघटकों तथा कच्चे माल की तात्कालिक कमियों का मुकाबला करने में उद्योग की सहायता करने के लिए आयात नीति में अनेक छूटें दी गई हैं। छोटे कारखानों के लिए भी आयात नीति को उदार बना दिया गया है।

छोटे पैमाने के सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं को इस्पात व अलौह धातुओं के आयात की अनुमति दे दी गई है। आयात हकदारी में वृद्धि करने के लिए लघु उद्योगों को अनुमति दे दी गई है। अत्यावश्यक माल की अचानक व अप्रत्याशित कमी का सामना करने वाले उद्योगों को एक बड़ी रियायत यह दी गई है कि वे पूर्व सहमति या स्वीकृति के बिना ही वे अपनी हकदारी के 5 प्रतिशत तक वस्तुओं का आयात कर सकते हैं।

(छ) सरकार के सम्मुख यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि कारखाने की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति मशीनी उद्योगों को दे दी जाए। इस उपाय से मशीनों के निर्माता परिवर्तनशील मांग के अनुरूप अपने उत्पादों में विविधता ला सकेंगे तथा अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे।

आशा है कि इन उपायों से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

**दिल्ली में आयोजित हुए साम्प्रदायिकता के विरुद्ध छठे राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प**

*116 **श्री इसहाक सम्भली :**

**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 11, 12 तथा 13 जनवरी, 1974 को साम्प्रदायिकता के विरूद्ध छठा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या-क्या संकल्प पारित किये गये; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग).** सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जिनमें कहा गया है कि जनवरी, 1974 में दिल्ली में साम्प्रदायिकता विरोधी समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने साम्प्रदायिक दलों/संगठनों की गतिविधियों के बारे में अनेक संकल्प पारित किये। सरकार इन संकल्पों की निश्चित विषयवस्तु तथा शर्तों का पता लगा रही है ताकि उन पर उचित रूप से विचार कर सके।

**Rehabilitation of Ashoka Paper Mills Ltd., Rameshwarnagar and Thakur Paper Mills Ltd., Bihar**

*117. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the latest position with regard to the rehabilitation and functioning of the Ashoka Paper Mills Ltd., situated at Rameshwarnagar in the District of Darbhanga in Bihar ;

(b) when this unit will start producing pulp and paper and the quantum thereof ; **and**

(c) whether Thakur Paper Mills Ltd., situated at Samastipur in Bihar is also being rehabilitated ; if so, the facts thereabout ?

**The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam)** : (a) The civil works are nearing completion in Ashok Paper Mills at Rameshwarnagar. The erection of paper machine is under progress.

(b) Production of writing and printing paper with a capacity of 40 tonnes per day is expected to start before the end of 1974.

(c) The question of rehabilitation of Thakur Paper Mills is under examination of the State Government. Several parties have evinced interest and the State Government in consultation with the Industrial Finance Corporation are trying to locate a party which would be prepared to take up the rehabilitation of the mills.

### Allocation to states for Social Welfare Programmes during Fifth Plan

*118. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state the amount proposed to be allocated to each State during the Fifth Plan for Social Welfare programmes?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :** The Fifth Plan Sectoral outlays for different States have yet to be finalised in the light of the discussion which has taken place with the State Governments.

### मदन किशोर समिति की ई० डी० कर्मचारियों के बारे में सिफारिश

*119. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई० डी० बी० ओ० तथा ई० डी० एस० ओ० में काम करने वाले ई० डी० कर्मचारियों के लिए मूल परिलब्धियों समेत विभिन्न भतों के बारे में मदन किशोर समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे निर्णय क्या है ; और यदि नहीं, तो सरकार संभवतः किस तारीख तक उक्त निर्णय कर लेगी ?

**संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग)** :–जी हां। विभागेतर एजेंटों के विभिन्न भतों के बारे में मदन किशोर समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इस पर शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है।

### उपनगरों में रहने वाले कर्मचारियों को कार्यालय देरी से आ सकने हेतु अनुमति देने के लिए दिल्ली में विभागाध्यक्षों को अनुदेश जारी किया जाना

*120. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :– क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विभिन्न विभागाध्यक्षों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि वे गाजियाबाद तथा फरीदाबाद जैसे उपनगरों में रहने वाले अपने कर्मचारियों को कार्यालय में लगभग आधा घंटा देरी से आ सकने की अनुमति दें; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदेश किस संख्या के अन्तर्गत तथा किस तिथि को जारी किए गए हैं

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Per Capita Income in 1973-74**

1002. **Shri Hukam Chand Kashwai:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state the estimated net national product and per capita income for the year 1973-74 on the basis of existing price level ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia)** : Information on net national product and per capita income for the year 1973-74 is still being compiled and is not yet available.

**ट्रावनकोर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कच्चे माल की कमी**

1003. **श्री म० एम० जोसफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ट्रावनकोर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटड, पुनालूर के लिए यूरिया फार्म एल्डिहाईड, कृत्रिम रेसिन की कमी है और यदि हां तो सामान्य सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० बी० राना)** : जी हां । प्लाईवूड उद्योग में काम आने वाली यूरिया फार्मडेहाइड संश्लिष्ट रेसिन ए लेसिव (आसंजन) की पर्याप्त मेथलोल उपलब्ध न होने के कारण सामान्य कमी है और इसके फलस्वरूप फार्मलडेहाइड की कमी है । कमी को समाप्त करने के लिए 16,000 मी० टन मेथनोल आयात करने की व्यवस्था की गई है । इसमें से 8,000 मी० टन पहले ही यहां पहुंच चुकी है और शेष 8,000 मी० टन मार्च, 1974 तक उपलब्ध होने की आशा है । प्लाईवुड उद्योग को उसकी आवश्यकता यूरिया फार्मलेडेहाइड रेसिन एधेसिव उपलब्ध कराने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं तथा यह आशा की जाती है कि स्थिति 1974 के मध्य तक ठीक हो जायेगी।

**गुजरात में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र**

1004. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ;

(ख) इन पिछड़े हुये क्षत्रों में किन-किन उद्योगों को स्थापित किया जाएगा और

(ग) इन क्षेत्रों में लधु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) गुजरात राज्य में पंचमहल, भड़ौल और सुरेन्द्र नगर जिलों की 10 प्रतिशत–15 प्रतिशत केन्द्रीय प्रत्यक्ष अनुदान अथवा आर्थिक सहायता योजना के लिये औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है ।

(ख) इन क्षेत्रों में कोई भी उद्योग लगाया जा सकता है, किन्तु इन क्षेत्रों के लिए किए गए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा साल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हड्डियों का चूरा बनाना, हाइड्रालिक लाइम, रासायनिक रूप से शुद्ध नमक, कृषि संबंधी समुन्नत उपकरण, आटोमोबाइल के अतिरिक्त पुर्जे, बिजली की वस्तुएं इत्यादि जैसे संसाधन व मांग पर आधारित उद्योगों की स्थापना की सिफारिश की गयी है।

(ग) इन क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों को (क) केन्द्रीय आर्थिक सहायता योजना (ख) वित्त प्रदायिनि संस्थाओं की ओर से रियायती दर पर धन (ग) किराया-खरीद पर मशीनरी की उपलब्धता तथा (घ) लघु उद्योगों सेवा संस्थान अहमदाबाद और अन्य केन्द्रीय व राजकीय संस्थाओं द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन, विपणन संबंधी सूचना व प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं के प्रावधान, द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है ;

**ब्रह्मवार में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन से स्थानीय भाषाओं टुलू और काकणी में कार्यक्रमों का प्रसारित किया जाना**

1005. **श्री पी० आर० शिवाय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 19 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 5429 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मवार में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन के प्रसारण कार्यक्रमों में स्थानीय भाषाओं टुलू और कोंकणी के कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : आकाशवाणी के मंगलोर केन्द्र के 1975–76 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। केन्द्र के प्रसारणों की भाषा और कार्यक्रमों के स्वरूप के ब्यौरे पर विचार करने का अभी समय नहीं आया है, परन्तु जब कार्यक्रमों के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जायेगा, क्षेत्र की भाषायें और बोलियां स्वभावतः शामिल की जायेंगी।

**कर्नाटक में गैर-विकास कार्य**

1006. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक राज्य में विकास कार्यों पर गैर-योजना व्यय कुल कितना हुआ ; और

(ख) इस व्यय के लिये किन साधनों से राशि जुटाई गई और केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी सहायता दी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) और (ख) योजना आयोग उपलब्ध सूचना के अनुसार चौथी योजनावधि में कर्नाटक में 698 करोड़ रुपये का गैर-योजना विकास व्यय होने का अनुमान है। यह व्यय उस कुल गर-योजना व्यय का भाग है जिसे राज्य के बजट संसाधनों,

रिजर्व बैंक के संसाधनों तथा केन्द्र से गैर-योजना सहायता के रूप में पूरा किया गया है। चौथी योजना-वधि में 33.35 करोड़ रुपये की गैर-योजना केन्द्रीय सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकार की रिजर्व बैंक के संसाधनो से ली गई अधिक धन राशि का भुगतान करने के लिए 59.38 करोड़ रुपये की धन राशि दी।

**औद्योगिक परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला का क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में विस्तार**

1007. **श्री एम० एम० जोसफ** : क्या **योजना** मंत्री पुस्तकों और उपकरणों के लिये विदेशी मुद्रा दिये जाने के बारे में 21 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1437 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने औद्योगिक परीक्षणऔर अनुसंधान प्रयोगशाला का क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में विस्तार किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार के अधिकारियों और मुख्य मंत्री और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच इस प्रस्ताव पर बातचीत हुई थी। यह सुझाव दिया गया था कि वर्तमान अनुसंधान और परीक्षण प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग किया जाये और राज्य की कच्ची सामग्री तथा खनिज साधनों का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये एक प्रयोगशाला स्थापित की जाय।

प्रस्ताव के वित्तीय और संगठनात्मक विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

**आकाशवाणी, दिल्ली से बंगाली सुगम संगीत, रवीन्द्र संगीत और नजुरल के गीत के कार्यक्रम प्रसारित न किया जाना**

1008. **श्री शिवनाथ झुंझुनवाला** · क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 से आकाशवाणी दिल्ली से बंगाली सुगम संगीत रवीन्द्र संगीत और नजुरल गीत के अनेक कार्यक्रम प्रसारित नहीं किये जा रहे हैं

(ख) क्या रवीन्द्र संगीत का समय 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर, 1973 से अब तक ऐसे कार्यक्रमों की संख्या कितनी है जिन्हें यद्यपि समाचार पत्रों और आकाशवाणी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था लेकिन प्रसारित नहीं किया गया और इसका क्या औचित्य है ; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों का प्रसारण पुनः कब से आरम्भ किया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं

(ग) दिसम्बर में सभी कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रसारित किए गये थे। तथापि, जनवरी, 1974 में निम्नलिखित निर्धारित कार्यक्रम नीचे दिए गए कारणों से पसारित नहीं किए गए :—

| | | |
|---|---|---|
| 13-1-74 | रविवार | रात्रि 10.00 बजे से 10.15 तक (रवीन्द्र संगीत) |
| 15-1-74<br>22-1-74<br>29-1-74 | मंगलवार | प्रात : 8.00 बजे से प्रातः 8.10 बजे तक (बंगला गीत) |

(1) नहिरा परमाणु शक्ति प्लान्ट की आधार शिला रखने की रेडियो रिपोर्ट के प्रसारण को स्थान देने के लिए।

(2) बंगला गीत एवं स्वीन्द्र संगीत पहले लगातार मंगलवार तथा बुधवार के दिन प्रसारित किए जा रहे थे। इनकी सप्ताह के दौरान फैलाने के लिए बंगला गीतों का प्रसारण मंगलवार के स्थान पर शुक्रवार प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 8.10 बजे तक कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा को प्रोत्साहन दिया जाना**

1009. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों को डाक जीवन बीमा के अन्तर्गत लाने और ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों व्यक्तियों को जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने हेतु डाक जीवन बीमा योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यवाही करने की क्या योजना तैयार की गई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रीमियम की चोरी का भुगतान करने के लिए डाकघरों ने कुल कितनी राशि का कारोबार किया ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) और (ख) डाक जीवन बीमा का लाभ सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी (केन्द्रीय और राज्य) जिनके वेतन और भत्ते मूल नियमों या सिविल सेवा विनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं और ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के स्थायी कर्मचारी ही उठा सकते हैं।

ग्रामीण इलाकों की आम जनता में डाक जीवन बीमा का विस्तार करने के प्रस्ताव की जांच समय समय पर की गई परन्तु इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ग) यह जानकारी इस प्रकार है :

| वर्ष | नए कारोबार की रकम | कुल प्रीमियम आय |
|---|---|---|
| | रुपए | रुपए |
| 1970-71 | 9,64,16,500 | 2,79,50,000 |
| 1971-72 | 10,16,65,800 | 3,32,96,000 |
| 1972-73 | 10,04,41,400 | 3,51,99,000 |

**राजस्थान में डाक सुविधाएं**

1010. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि नहीं, तो उसमें कितनी कमी रही और इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्राम पंचायत वाले उन गांवों में जहां दो मील के अन्दर कोई डाक घर नहीं है तथा अन्य ऐसे गांवों में जो निर्धारित शर्तें पूरी करेंगे खासकर बहुत ही पिछडे और पहाड़ी इलाकों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान राज्य में भी जहां कहीं नए डाकघर खोलना उचित होगा डाकघर खोल दिए जाएंगे।

(ख) जी हां। लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

**Pakistani Nationals staying on long term visas in Andhra Pradesh**

1011. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the district-wise number of Pakistani Nationals staying on long-term visas in Andhra Pradesh, at present ; and

(b) the number of persons, out of them, whose visas were renewed more than once and the number of those whose visas were extended during the last six months ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Grant of Indian Citizenship to Pakistani Nationals**

1012. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani Nationals who were granted Indian citizenship during the last two years ; and

(b) the number of cases for granting Indian citizenship to Pakistani nationals under Government's consideration at present ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Sick Textile Mills in M.P.**

1013. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) number and names of sick textile mills in Madhya Pradesh at present, where controllers have been appointed ; and

(b) statement of profit and loss of the said mills during the year 1973-74 ?

**The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana):** (a) & (b). At present, there are 7 textile undertakings in Madhya Pradesh, whose management has been taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972. The names of these undertakings and the profit (provisional figures) made by them during the period April to December, 1973 are as follows :—

| Sl. No. | Name of the undertakings | (Net profit (Prov.) ) (Rs. in lakhs) |
|---|---|---|
| | *Under Industries (Development & Regulation) Act,* 1951 | |
| 1. | Bengal Nagpur Cotton Mills Ltd., Rajnandgaon | 45.08 |
| 2. | Hira Mills Ltd., Ujjain | 66.86 |
| 3. | Swadeshi Cotton and Flour Mills Ltd., Indore | 25.68 |
| 4. | Burhanpur Tapti Mills Ltd., Burhanpur | 62.66 |
| 5. | New Bhopal Textiles Ltd., Bhopal | 31.16 |
| | *Under Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act,* 1972 | |
| 6. | Indore Malwa United Mills, Indore | 53.99 |
| 7. | Kalyanmal Mills, Indore | 26.33 |
| | TOTAL | 311.76 |

**Promotion of Scheduled Caste/Tribe employees despite their Adverse Confidential Reports**

1014. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any orders have been issued that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees cannot be debarred from promotion even if their confidential reports are spoiled ; and

(b) if so, a copy of the same may be placed on the Table of the House ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Broadcast of Talks of Members of Parliament**

1015. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of the Members of Parliament whose talks were broadcast from Delhi and other Centres during the year 1972-73 ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)** : A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-6252/74]**

**Rent for Post Office Buildings in Madhya Pradesh**

1016. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of post offices in Madhya Pradesh housed in rented buildings indicating the total amount of money paid from April, 1972 to April, 1973 by way of rent ; and

(b) the number of new office buildings proposed to be constructed for post offices in Madhya Pradesh during 1973-74 and the estimated outlay involved thereon ?

**The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):**

(a) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) (i) Nine.

(ii) Estimated outlay involved is Rs. 14,83,120/-.

The execution of works is, however, likely to be delayed due to present ban, on account of financial stringency, on construction of non-functional buildings which include postal buildings.

**Applications from scientists for setting up industries in M.P.**

1017. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have received applications from the scientists of Madhya Pradesh for setting up industries ; and

(b) if so, the industries they propose to set up and the assistance Government propose to extend to them by way of working capital knowhow feasibility reports etc. ?

**The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam)** : (a) and (b) Industrial licence applications are not classified according to the profession of the applicants. However, the number of industrial licence applications for setting up new industries in Madhya Pradesh for the manufacture of Chemicals (other than fertilisers), Metallurgical items, Fruit products, milk foods, flour and other processed foods, drugs and pharmaceuticals, electrical equipments, miscellaneous mechanical and engineering items etc. received during the last three years and pendings as on 1-2-1974 is given below :—

Financing, promotional and consultancy service organisations such as State Finance Corporations, State Industrial Development Corporations, National Industrial Development Corporation etc., offer necessary assistance and advice to deserving entrepreneurs in respect of their financial and technical requirements.

**Creation of employment opportunities during Fifth Plan**

1018. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount allocated under major heads for 1974-75 plan ;

(b) the main features of the schemes proposed to be started for creating more employment opportunities ; and

(c) whether any national scheme is under consideration for creating more employment opportunities and if so, the outlines thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :**

(a) The allocation of amounts under major heads for the Annual Plan 1974-75 has yet to be finalised.

(b) and (c) The Draft Fifth Five Year Plan, in its chapter on Employment, Manpower and Labour Welfare, spells out the strategy for the generation and development of employment opportunities in the Fifth Plan. As indicated therein, the emphasis in the Fifth Plan would be on such programmes of investment in different sectors as would generate considerable new employment opportunities.

**Uranium deposits in Madhya Pradesh**

1019. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether there are indications of uranium deposits at any place in Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether experts have been drafted to carry out detailed investigations ; and

(c) if so, when exploitation of these deposits is proposed to be started ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) Yes, Sir. Some indications of uranium have been found in Madhya Pradesh.

(b) Yes, Sir. Detailed investigations by the Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy are in progress in Rajnandgaon and Sirguja Districts.

(c) The question of exploitation of the deposits will depend upon the results of the investigations currently in hand.

**कुआलालम्पुर से हुई 'एशियन मास मीडिया कान्फ्रेंस'**

1020. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुआलालम्पुर में हुई 'एशियन मास मीडिया कान्फ्रेंस' ने सिफारिश की थी कि एशियाई अखबारी कागज उपभोक्ता समुदाय की स्थापना की जाये ताकि एशिया में अखबारी कागज की कमी दूर की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रचना और कृत्यों संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या भारत भी उसका सदस्य बन गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** :(क) : जी, हां ।

(ख) समुदाय के गठन तथा उसके कार्य अभी विचाराधीन बताये जाते हैं ।

**केरल के जिला गोदामों में सीमेंट की बोरियां**

1021. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या केरल सरकार से सूचना मिली है कि जिला गोदामों में पड़ी बोरियों में काफी सीमेंट बेकार पड़ा है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :** जी, नहीं ।

**केरल में मोजायक टाइल बनाने वाले कारखानों का बन्द हो जाना**

1022. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि सीमेंट की भारी कमी के कारण केरल में लगभग 30 मोजाइक टायल बनने वाले कारखाने बंद होने वाले हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** सरकार को अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

**ए० सी० सी० वाइकर्स-बाबकाक्स द्वारा तापीय बिजली घर के बायलरों की सप्लाई**

1023. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित ब्रिटिश नियंत्रित एकाधिकारी निर्माता, ए० सी० सी० वाइकर्स-बाबकाक्स को, जिनके पास अपनी दुर्गापुर फैक्टरी में भारत के लगभग सभी राज्यों के लिए तापीय बिजली घर के बायलरों का निर्माण करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के क्रयादेश पड़े हुए हैं, भारतीय बायलर विनियमों की उपेक्षा करने का विशेष अधिकार दिया गया है ;

(ख) क्या बायलर के अंदर संरचना और डिजाइन संबंधी परिवर्तन का अब अधिक उत्पादन लागत और विदेशी फर्मों पर अधिक आश्रित होना नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका बेहतर पहलू क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) जी नहीं ।

**(ख) और (ग)** प्रश्न ही नहीं उठते ।

**दुर्गापुर में बायलर का निर्माण**

1025. **श्री आर० पी० दुलगनम्बी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के अधिकारी के प्रतिबंधात्मक रवैये के कारण संतालदीह, अमरकटिक और मरवा बिजलीघरों के लिये दुर्गा पुर में बायलर के मिलने पर हाल ही में काफी प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि संतालदीह, अमरकटक और कोरवा बिजलीघरों के लिये दुर्गापुर में बायलरों के निर्माण पर मानकीकरण संबंधी अन्तरर्राष्ट्रीय संगठन की तकनीकी समिति-ii द्वारा आई० एस० ओ० की सिफारिशें, आर० 831 (स्थिर बायलरों का निर्माण करने सम्बन्धी नियम) के अनुसार तैयार किये गये वायलर स्वीकार न किये जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) मामले पर सरकार गौर कर रही है ।

**पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में अफीम और अन्य मादक पदार्थों का वितरण**

1026. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी एजेंटों द्वारा देश की प्रथम रक्षा पंक्ति को तोड़ने के प्रयास हेतु अफीम और अन्य मादक पदार्थों का निःशुल्क वितरण करने के समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इन पदार्थों की चीन और पाकिस्तान से तस्करी की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने और रक्षा सेनाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जायेंगे ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) से (ग)** : पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक वस्तुओं का ऐसा कोई वितरण नहीं हो रहा है । फिर भी राज्य सरकार इस विषय में आवश्यक निगरानी रख रही है ।

**Army called to quell the disturbances in the States**

1027. **Shri M. C. Daga** : Will the Minisret of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times the Army was called to quell disturbances in each State during 1973-74;

(b) the number of persons killed in each of these States after the arrival of the army there; and

(c) the circumstances under which Army is called to quell disturbances and on whose request it is called ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) and (b) Facts are being ascertained and will be laid on the Table of the House.

(c) The maintenance of law and order is the function of the civil authorities of the State Government. When it is felt that the law and order situation would be beyond the control of the police and other forces like the Border Securitty Force and Central Reserve Police available to them, the Magistrate of the highest rank present may requisition the help of army units for the maintenance of law and order.

**पंजाब को बस के टायरों की सप्लाई**

1028. **श्री बूटा सिंह:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार की बस के टायरों की सप्लाई के लिए आपत्कालीन संदेश भेजा है ? और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम):** (क) और (ख) राज्य सरकार ने राज्य में टायरों की कमी की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । इस मामले में उद्योग से विचार-विमर्श किया गया था जिसने बताया है कि 1973 की अवधि में 67,375 टायर और 15 फरवरी, 1974 तक 8,448 टायर पंजाब को दिये गये हैं । उद्योग के अनुसार पंजाब रोडवेज़ की आवश्यकता दिये गये वचन के 106 प्रतिशत तक पूरी कर दी गई थी।

राज्य सरकार को यह भी बताया गया है कि लाइसेंस के अंकित मूल्य तक बाकी लाइसेन्स पर 900 × 20 आकार के टायरों के आयात हेतु 75 प्रतिशत तक फालतु पुर्जों का आयात करने के लिये सिद्धांत रुप में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

**नामों तथा वेतनों में समानता लाने के लिए प्रशासनिक**

**तथा तकनीकी सेवाओं का एकल संवर्ग बनाना**

1029. **श्री वंसल साठे:** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेलवे तथा लेखा परीक्षा सेवा आदि जैसे प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाओं के नाम तथा वेतनों में समानता लाने के लिये उनका एबल संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) समानता लाने का यह विषय किस चरण पर विचाराधीन है ;

(ग) क्या प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य संवर्गों के बीच समानता लाने का प्रस्ताव सिद्धांत: स्वीकार कर लिया गया है तथा उसे क्रमबद्ध रूप में लागू करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं तथा इन निर्णयों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

**(ख) से (घ):** उपरोक्त (क) को ध्यान मे रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**केरल में इलमेंनाइट के लिए सर्वेक्षण**

1030. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल ने नींडकारा समुद्र तट पर इलमेनाइट स्रोतों का पता लगाने हेतु कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, हां । केरल में नींडकारा समुद्रतट पर इल्मेनाइट तथा व्यावसायिक महत्व के अन्य खनिजों के भंडारों में विद्यमान खनिजों की मात्रा का पता लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ख) अब तक किए गए सर्वेक्षण से पता लगा है कि इलमेनाइट के समृद्धतम भंडार नींडकार तथा कायमकुलम के बीच के इलाके में विद्यमान हैं । विस्तार से सर्वेक्षण करने का काम अभी जारी है ।

**वर्दवान, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल के विरुद्ध केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच**

1031. **श्री रोबिन सेन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग पश्चिम बंगाल के वर्दवान डिवीजन के भूतपूर्व डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल जो इस समय पश्चिम बंगाल के जेलों के मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, के विरुद्ध कोई जांच कर रहा है ;

(ख) क्या राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध लगाये गए गम्भीर आरोपों के उपरान्त उसे वर्तमान पद पर स्थानांतरित किया गया था; और

(ग) केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) केन्द्रीय अन्वेषण विभाग भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467/468/420/120(ख) तथा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1947 की धारा 5(2) के अधीन एक आपराधिक मामले की जांच पड़ताल कर रहा है जिसमें इस अधिकारी के अन्तर्ग्रस्त होने का आरोप है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण विभाग द्वारा अभी मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है ।

**मंत्रियों के निवास-स्थानों पर लगे टेलीफोनों पर हुआ व्यय**

1032. **श्री फूल चन्द्र वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री के निवासस्थानों पर लगे टेलीफोनों पर वर्ष 1973-74 के दौरान अब तक कितना व्यय हुआ है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही यह मिलेगी, लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम**

1035. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

**श्री बेकारिया :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने यह सुझाव दिया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम स्थापित किए जाने चाहिएं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) गुजरात सरकार ने गुजरात में सरकारी क्षेत्र में एक आणविक बिजली केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था । इस स्कीम को पांचवीं योजना में शामिल करना संभव न हो सका ।

**नारियल जटा उद्योग तथा नारियल जटा सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए पांचवीं योजना में धन का आवटन**

1036. **श्री वरके जार्ज :**

**श्रीमती मार्गश्री तनकप्पन :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नारियल जटा उद्योग तथा नारियल जटा सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए पांचवीं योजना में कितना धन आवंटित किया गया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० राना) :** पांचवीं योजना के प्रारूप में देश के क्वायर उद्योग के लिये 15.50 करोड़ रुपये की राशि का अस्थायी तौर पर प्रावधान किया गया है ।

**प्रति व्यक्ति आय में कमी**

1037. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 से प्रति व्यक्ति आय में निरंतर कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) 1970-71 से प्रति व्यक्ति आय के अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 1973-74 के अनुसार, जिसकी एक प्रति 25 फरवरी, 1974 को सभा पटल पर पर रख दी गयी थी, निम्न प्रकार से है :—

| वर्ष | 1960-61 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय |
|---|---|
| 1970-71 | 348.6 |
| 1971-72 | 346.0 |
| 1972-73 | 333.0 |

(ख) चौथी योजना में परिकल्पित वार्षिक औसत की तुलना में राष्ट्रीय आय की विकास दर कम होने के कारण ही 1971-72 और 1972-73 में प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है । व्यापक रूप से सूखा पड़ने और बाढ़ आने से कृषि उत्पादन में कमी आने तथा औद्योगिक कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई, बिजली की कमी, परिवहन में रुकावटें और अशान्त औद्योगिक संबंधों के कारण धीमी रफ्तार से औद्योगिक उत्पादन होना भी इसके मुख्य कारण हैं ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में 5.5 प्रतिशत औसत वार्षिक विकास दर की परिकल्पना की गयी है । इससे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होनी चाहिए । राष्ट्रीय आय की लक्षित विकास दर प्राप्त करने के लिए पांचवीं योजना प्रारूप में नीति और उपायों का उल्लेख किया गया है । पांचवीं योजना का प्रारूप पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

**पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का समझौता**

1038. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने चेन बनाने वाली स्वचालित मशीन की सप्लाई करने के लिए पश्चिम जर्मनी की एक फर्म मैसर्स मायर रीथ एंड पेस्टर के साथ समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को ऐसी कितनी मशीनें प्राप्त हुई हैं तथा उसने भारत में विभिन्न फर्मों को कितनी मशीनें बेची हैं ;

(घ) क्या ये मशीनें दी गई गारंटी के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) और (ख). पश्चिमी जर्मनी की फर्म मे० मायर रीथ एंड पेस्टर के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने कोई चलने वाला समान्य समझौता नहीं किया है, हां, इन्होंने चेन बनने वाली स्वचालित मशीनों के संभरण के लिए उन्हें क्रयादेश दिये हैं ।

(ग) छः मशीनें प्राप्त हुई और इन्हें छः अलग-अलग लघु एककों को दिया गया है ।

(घ) और (ङ). उन छः लघु एककों में से जिन्हें चेन बनाने की स्वचालित मशीनों की सप्लाई की गयी है केवल एक इकाई ने इस मशीन के निर्धारित उत्पादन के विषय में विवाद उठाया है जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

**अशोधित तेल से आयात का व्यय वहन करने के लिए सीमेंट के निर्यात में वृद्धि**

1039. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल के बढ़े हुए आयात खर्चों को पूरा करने के लिए सीमेंट का निर्यात बढ़ाने हेतु इसकी आन्तरिक खपत पर रोक लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सीमेन्ट का कृत्रिम अभाव पैदा नहीं हो जायेगा तथा तदनुसार इसके मूल्यों में वृद्धि नहीं हो जाएगी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : **(क) और (ख)** : भारत एवं ईरान के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के फलस्वरूप तथा 1975 की अवधि में 3 लाख मी० टन सीमेंट ईरान को निर्यात किया जायेगा । इस निर्यात से अशोधित तेल के बढ़े हुए आयात खर्चों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिलेगी ।

इस निर्यात से देश के आन्तरिक उपयोग के लिए सीमेंट की उपलब्धता की मात्रा कम रहेगी । फिर भी देश में अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करके तथा अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके देश में सीमेंट की उपलब्धता पर इसके प्रभाव को कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

**कागज, गूदा तथा संबद्ध उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद की बैठक**

1040 **डा० हरि प्रशादशर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में आयोजित कागज, गूदा तथा संबद्ध उद्योगों की बैठक में कागज उद्योग स्वेच्छा से कागज की सफेद तथा अन्य किस्मों के नमूनों पर उत्पादन करने में, जो उसने वर्ष 1968-69 के दौरान प्राप्त किया था तथा जो कागज उत्पादन के सबसे अच्छे वर्ष थे, सहमत हो गया है तथा साथ में स्वेच्छा से मूल्यों में बढ़ोत्तरी न करने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग ने अपने उक्त आश्वासनों के बदले में क्या मांगें रखी हैं ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) जी, हां ।

(ख) अपने उक्त आश्वासन के बदले उद्योग ने कोई मांग नहीं रखी थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**विदेशों में आने वाले व्यक्तियों को वैज्ञानिक पूल के अंतर्गत रोजगार देना**

1041. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक पूल अपने स्थापित होने के समय से देश में वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने की अपनी लाभप्रद भूमिका निभा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने तथा उन्हें उनके योग्य कार्य सौंपने और सुरक्षा की भावना देने के अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पूल के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) जी, हां । श्विविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की स्वास्थ्य सेवाओं आदि के द्वारा पूल अधिकारियों का सेवाओं का प्रयोग विस्तारपूर्वक किया गया है ।

(ख) वैज्ञानिक पूल में चयन किये गये व्यक्तियों को उपयुक्त संगठनों के साथ संबद्ध कर दिया जाता है और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें उचित कार्य आवंटित किया जाता है जिससे उनकी

सेवाओं का भली भांति प्रयोग किया जा सके । यह वास्तविकता है कि काफी संख्या में पूल अधिकारियों को उन्ही संगठनों में नियमित रूप से नियुक्त किया जा चुका है जहां पर उनको संबद्ध किया गया था । इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि पूल अधिकारियों की सेवाओं का सही रूप से सदुपयोग किया गया और उक्त संगठन के लिये उनकी सेवाएं उपयोगी सिद्ध हुई

(ग) वर्ष 1973 के अंत तक 9,850 से अधिक व्यक्तियों को वैज्ञानिक पूल के लिये चयन किया गया था, जिसमें से 4358 व्यक्ति पूल के कार्य पर आये । पूल अधिकारी के रूप में कुछ दिन कार्य करने के पश्चात् 3,555 व्यक्तियों को भारत में नियमित रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है ।

अन्य 1,128 व्यक्ति पूल में चयन किये गये थे, वे पूल में प्रवेश किये बिना ही नियमित रोजगार प्राप्त करने में समर्थ थे ।

**Demand made by Ujjain Bar Association for entire work of High Court in Hindi**

1042. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Ujjain Bar Association of Madhya Pradesh has demanded that the entire work of the High Court should be done in Hindi; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):** (a) No such demand has been received either by the State Government of Madhya Pradesh or the Government of India.

However, the Governor of Madhya Pradesh, with the previous consent of the President of India, has authorised the optional use of Hindi, in addition to the use of the English Language, in all proceedings and for the purpose of any judgment, decree or order passed or made by the Madhya Pradesh High Court, with effect from the 2nd October, 1973, and where any judgment, decree or order is passed or made in Hindi, it shall be accompanied by translation of the same in the English language issued under the authority of the High Court of Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

**वर्ष 1973 तथा चालू वर्ष के दौरान हरिजनों पर अत्याचार**

1044. **श्री कमलमिश्र मधुकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण हरिजनों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा हैं और

(ख) यदि हां तो वर्ष 1973 में तथा चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में राज्यवार कितने हरिजन मारे गये

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**बिजली फेल हो जाने के कारण उद्योगो को हानि**

1045. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिजली फेल हो जाने के कारण समस्त देश में उद्योगों की (उत्पादन और धन के रूप में) कुल किनी हानि हुई; और

(ख) इसका कर्मचारियों, विशेषकर औद्योगिक कर्मचारियों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख) यद्यपि अधिकतर राज्यों ने समय-समय पर बिजली की कमी विद्यमान होने की सूचना दी है, फिर भी निश्चित रूप से यह बता सकना संभव नहीं है कि केवल बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कितनी कमी हुई है । प्रमुख रूप से बिजली की कमी के कारण कुछ इंजीनियरी उद्योगों में हुई अनुमानित हानि के सरकार के पास उपलब्ध विवरण लोक सभा में 25 जुलाई, 1973 को अतारांकित प्रश्न सं० 421 के उत्तर में पेश किए गए थे । इसके बाद की अवधि में उत्पादन में हुई हानि का विवरण तैयार नहीं किया गया है । बिजली बंद हो जाने से कर्मचारियों, विशेषकर के औद्योगिक कर्मचारियों की आमदनी पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

**आन्ध्र प्रदेश में आणविक विद्युत् संयंत्र की स्थापना**

1046. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने आंध्र प्रदेश में आणविक विद्युत् संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्तावित संयंत्र कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब आरंभ किया जायेगा?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग) स्थल-चयन-समिति द्वारा दक्षिणी क्षेत्र ; जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, में विभिन्न स्थलों की जांच की जा रही है । स्थल-चयन-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा सरकार द्वारा उस पर विचार किए जाने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकेगा कि बिजलीघर किस स्थान पर स्थापित किया जाए ।

**जेलों की स्थिति सुधारने संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन**

1047. **श्री रानेन सेन** : क्या **गृह** मंत्री जेलों की स्थिति सुधार संबंधी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के बारे में 21 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 384 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में राज्यों के दृष्टिकोण पर विचार करने के उपरान्त अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : कार्यकारी दल, जो जेलों तथा जेल प्रशासन के सुधार के लिए उपायों की जांच करने के लिए गठित की गई थी, ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है । उक्त रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई है और उसमें निहित सिफारिशों पर उनसे अपनी राय भेजने का अनुरोध किया गया है । केन्द्र सरकार समन्वयकर्ता के रूप में राज्यों के सुविचारित मत के आधार पर ही सिफारिशों की जांच करेगा ।

**बड़े औद्योगिक गृहों के कार्यकरण के बारे में सरकार आयोग का प्रतिवेदन**

1048. **श्री रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयोग ने इन आरोपों के बारे में अपना जांच कार्य पूरा कर लिया है कि धन देने वाली अनेक संस्थाओं ने बड़े औद्योगिक गृहों को वित्तीय सहायता देने में 'अनुचित पक्ष' लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) आयोग ने जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुछ बड़े औद्योगिक गृहों को दी गई वित्तीय सहायता की पड़ताल कर रहा है, अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**मैसर्स हिंद साइकिल्स लिमिटेड के दस्तावेजों का जब्त किया जाना**

1049. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैसर्स हिंद साइकिल्स लिमिटेड के उन सभी दस्तावेजों को जब्त करने में असफल रही है जिसके द्वारा इस कंपनी ने अनियमितताएं बरती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में पूर्ण जांच करने के लिए सरकार का विचार शीघ्र ही इस कंपनी की सभी फाइलों को जब्त करने का है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) से (ग) सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध मंडल ने मै० हिन्द साइकिल लि० बम्बई व गाजियाबाद के कारखानों में उपलब्ध सभी चालू लेखा पुस्तकें तथा अन्य संबंधित कागजातों को अपने अधिकार में ले लिया है ।

**पांचवीं योजना के लक्ष्यों का फिर से बनाया जाना**

1050. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

**श्री दरेन्द्र सिंह :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में भारी वृद्धि तथा अशोधित तेल के मूल्य संबंधी संकट को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार पांचवीं पंचर्षीय योजना के लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके परिणामस्वरूप किन प्रमुख क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) और (ख) 1972-73 के मूल्यों के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था । 1973-74 में मूल्य-वृद्धि, कच्चे तेल का संकट और 1973-74 में आर्थिक कार्यकलाप सहित सारे सम्बद्ध घटकों पर ध्यान देने के पश्चात् ही पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा । अभी यह बतलाना संभव नहीं कि पांचवीं योजना के आकार और विषयवस्तु पर इन घटकों का क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस विषय पर अभी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है ।

**अखबारी कागज की कमी के बारे में डा० रैना के विचार**

1051 **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कागज उद्योग के बारे में एक विशेषज्ञ डा० रैना द्वारा व्यक्त विचारों की ओर दिलाया गया है कि अखबारी कागज की कमी सरकार की अवास्तविक नीतियों के कारण हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**औद्योगिक लाइसेन्सों के लिये उड़ीसा से आवेदन-पत्र**

1052. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े, छोटे तथा मध्यम स्तर के क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये 1972-73 के दौरान उड़ीसा राज्य से कितने आवेदन-पत्र दिये गये तथा उन आवेदन-पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित किया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) उड़ीसा राज्य से 1972-73 में 38 आवेदन-प्राप्त हुये । इनमें से 13 अनिर्णीत पड़े हैं और शेष पर निर्णय कर लिया गया है । चूंकि छोटे स्तर की परियोजनाओं के लिये लाइसेंस आवश्यक नहीं है, अतः दी गई जानकारी उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के संबंध में है ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्रों के आवेदनों पर औद्योगिक नीति और योजना प्राथमिकताओं के ढांचे के अंतर्गत विचार करते समय औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों और लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जैसे तथ्यों पर विशेष बल दिया जाता है ।

**Measures taken to make Fifth Five Year Plan inflation resistant**

1053. **Shri Dhan Shan Pradhan :**

**Shri Madhavrao Scindia :**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the specific precautionary measures taken to make the Fifth Five Year Plan inflation resistant; and

(b) the advantages of the experience gained from the last four plans which have been taken into consideration while preparing the draft Fifth Plan ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia)** : (a) The specific measures proposed to be taken to make the Fifth Five Year Plan inflation resistant are set out in the document on Draft Fifth Five Year Plan, a copy of which has already been placed on the Table of the House. Some of the important measures envisaged are indicated below :—

1. Pattern and composition of growth has been so designed as to achieve a significant increase in the output of mass consumption goods.
2. In the allocation of investable funds high priority has been accorded to agriculture, consumer industries and the core sector industries producing essential intermediate and investment goods.
3. The production of inessential and luxury goods is proposed to be restricted.

4. An appropriate mix of long and short duration projects would be worked out.

5. It is proposed to avoid deficit financing in the first two years and to limit is thereafter.

6. High degree of fiscal discipline and restraint on growth in non-Plan expenditure is envisaged.

7. A closer coordination between the monetary and fiscal policies as also suitable measures to avoid generation of black money have been kept in view.

8. Efficient deployment of resources consistent with priorities of the Plan has been envisaged.

9. More efficient arrangements for procurement and public distribution of selected essential goods of mass consumption have been suggested.

(b) The Draft Fifth Five Year Plan has been prepared taking into account the experience gained from the last four Plans as also other relevant factors and considerations.

**बंगलौर के लिए टेलीविजन केन्द्र**

1056. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री पी०आर० शिनाय :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बंगलौर में एक टेलीविजन रिले केन्द्र खोला जाएगा ; और

(ख) क्या बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कोई निर्णय पहले ही किया जा चुका है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख)** साधनों की कमी के कारण पांचवी योजना के दौरान बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं होगा। तथापि, उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग की समाप्ति के बाद टेलीविजन सेवा चालू रखने के लिए कर्नाटक में तीन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है । ट्रान्समिटरों के प्रस्तावित स्थान--

(1) गुलबर्ग,

(2) रायचूर, और

(3) बागलकोट / बीजापुर

के समीप होंगे ।

## कर्नाटक भूमि सुधार विधेयक

1057. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री डी०पी० चन्द्र गौडा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक भूमि सुधार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कर्नाटक भूमि सुधार विधेयक भारत सरकार द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कर्नाटक भूमि सुधार विधेयक मार्गदर्शी सिद्धांतों से किस रूप में भिन्न हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** (क) मैसूर भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति दे दी गई है।

**(ख) और (ग)** : विधेयक मोटे तौर पर राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है ।

## सरोजनी नगर, नई दिल्ली में एक लड़के का गुम हो जाना

1058. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री सरोजनी नगर, नई दिल्ली से एक लड़के के गुम हो जाने के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुम लड़के को ढूंढने के लिये पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) गुम लड़के के माता-पिता द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रहस्य बताये जाने के बावजूद क्या अब तक अपराधियों को नही पकड़ा गया ; और

(ग) गुम लड़के को उसके मां बाप को सौंपने के बारे में क्या आगामी कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) 5 जून, 1973 को श्री आर० एस० खन्ना ने विनय नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि उनका पुत्र राकेश, आयु 16 वर्ष घर से गुम हो गया है । एक रिपोर्ट दर्ज की गई और उसकी प्रतिलिपि दिल्ली पुलिस के खोये हुए व्यक्तियों का पता लगाने वाले दस्ते को दी गई और थाने के कर्मचारियों को खोये हुए लड़के की पहचान बताई गई तथा कांस्टेबलों को उसकी खोज करने के लिए तैनात किया गया ।

21 जून, 1973 को श्री आर० एस० खन्ना ने विनय नगर पुलिस थाने को लिख कर सूचित किया कि उनके लड़के का अपहरण किया गया है । उसी दिन अपहरण का एक मामला दर्ज किया गया और जांच आरम्भ की गई । दिल्ली पुलिस के केन्द्रीय रिकार्ड कार्यालय गजट में छापने के लिये एक रिपोर्ट भेजी गई और आकाशवाणी से सूचना भी प्रसारित की गई । लड़के को ढूंढने के लिए देश भर के पुलिस अधीक्षकों को संदेश भेजे गये । पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र तथा साथ के क्षेत्रों में नालों, कुंओं, रेल की पटरी के किनारों तथा अन्य संदिग्ध क्षेत्रों में खोज की गई । उनके सहपाठियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की गई ।

5 नवम्बर, 1973 को मामले की जांच का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को स्थानान्तरित किया गया । लड़के का फोटो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बुलेटिन में प्रकाशित करने के लिये भेजा गया। जहां खोया हुआ लड़का पढ़ता था, उस पाठशाला में जांच पड़ताल की गई है । अब तक लड़के का कोई पता नहीं लगा हैं ।

(ख) लड़के के बारे में उसके माता पिता द्वारा दिए गये सभी सुरागों की पूर्णरूप से छानबीन की गई थी, परन्तु किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं पाया गया ।

(ग) लड़के को ढूंढने के लिए हर संभव उपाय कारगर रूप से किए जा रहे हैं।

**नए उत्पाद के लिए औद्योगिक लाइसेंस**

1059. **श्री भालजी भाई परमार :**

**श्री के०एम० चावडा :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन एक नए उत्पाद का तात्पर्य क्या है ;

(ख) क्या कोई नया उत्पाद बनाने के लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय से औद्योगिक लाइसेंस लेना/पंजीकरण करवाना अथवा विविधीकरण के अन्तर्गत निर्माण के लिये अनुमति लेना आवश्यक है ;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) के सम्बन्ध में कोई अपवाद हैं ; और

(घ) यदि हां । तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 3 की उप-धारा) (घ घ) उपबंधों के अनुसार नवीन वस्तु का उस औद्योगिक उपक्रम के संबंध में जो पंजीकृत है अथवा जिसके लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस या अनुमति जारी की गयी है, का अर्थ है :—

(अ) पंजीकरण अथवा लाइसेंस या अनुमति के जारी होने की तारीख इनमें से जैसी भी स्थिति हो, को औद्योगिक उपक्रम में साधारणतः निर्मित या उत्पादित वस्तु वाले मद से इतर इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद के अन्तर्गत आने वाली कोई भी वस्तु।

(आ) कोई भी वस्तु जिस पर व्यापार और पण्य चिहनांकन अधिनियम, 1958 में परिभाषित चिहन लगा हो अथवा जो पेटेण्ट का विषय है यदि पंजीकरण अथवा लाइसेंस या अनुमति जारी करने की तारीख, इनमें से जैसी भी स्थिति हो, को औद्योगिक उपक्रम उस चिह्नन वाली ऐसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन नहीं कर रहा था जो उस पेटेण्ट का विषय हो।

(ख) से (घ) : औद्योगिक उपक्रमों को अधिसूचना स० एस० ओ० 98 (ई) आइ० डी० आर० ए० 290 बी० 73/2 दिनांक 16 फरवरी 1973 (जिसकी एक प्रतिलिपि लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है) जो कतिपय शर्तों के साथ औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने में छूट प्रदान करता है के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से इतरनवीनन वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है ।

**उपक्रमों को कच्चे माल के आयात की अनुमति**

1061. **श्री भालजी भाई परमार**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी फर्मों के विस्तार के लिये आशयपत्र जारी करने संबंधी 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 43 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपक्रमों को अनुमति/अनापत्ति पत्रों के अन्तर्गत आने वाली प्रत्यक्ष मदों के लिए कच्चा माल आयात करने की अनुमति दे दी गई है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या अनुमति पत्रों को सभी आशयों एवं प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस मान लिया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग) : आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार उपक्रमों को कच्चे माल के आयात की अनुमति है । अनुमति पत्रों में संबंधित फर्मों के द्वारा कतिपय फर्मूलों के उत्पादन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

**तकनीकी विकास महानिदेशालय को प्रस्तुत उत्पादन का मासिक विवरण**

**1062. श्री भालजी भाई परमार:**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय को प्रस्तुत किया जाने वाला मासिक विवरण केवल आंकड़ों के प्रयोजन के लिये हैं ;

(ख) क्या इसमें प्रत्येक मद का नाम और उसके उत्पादन का उल्लेख होता है ; यदि नहीं, तो सरकार इस बात का कैसे पता लगाती है कि अमुक नए उत्पाद को सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) इन दावों की प्रमाणिकता का सत्यापन करने के लिये क्या उपाय किए जाते हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)**: **(क) और (ख)** तकनीकी विकास के महानिदेशालय के रजिस्टर में दर्ज एककों द्वारा मासिक उत्पादन विवरणियों का उपयोग सांख्याकीय उपयोग के अलावा निम्नलिखित की जांच के लिये भी किया जाता है :—

(1) सम्बन्धित एककों का निष्पादन तथा उसकी क्षमता ;

(2) क्षमता का प्रभावी रूप से उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयां और रुकावटें ;

(3) रिपोर्ट के समय कम्पनी द्वारा तैयार सामान के स्टाक के लिये दर्ज किये गये ऋयादेश ;

(4) रोजगार की स्थिति; और

(5) अधिक उपयोग ।

मूल वस्तुओं के नाम और उत्पादन का विवरण में संकेत किया जाता है ।

(ग) उत्पादन विवरणियों की तकनीकी विकास महानिदेशालय में विकास अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है तथा इनका तत्पश्चात् कच्चे माल आदि की अनापत्ति के त्रैमासिका/छमाही और वार्षिक आवेदनों के साथ परस्पर मिलान किया जाता है जिनकी उस स्थिति में एकाउन्टेंट द्वारा

प्रमाणित किया जाता है । इस प्रक्रिया में एककों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक विवरणियों को लेख में सम्मिलित कर लिया जाता है और उनकी प्रामाणिकता की जांच भी हो जाती है । जहां अधिक उपयोग की प्रवृत्ति दर्शायी गई होती है आवश्यकतानुसार तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है । यह स्मरण रखना होगा कि प्रतिमास विवरणियों की संख्या 4000 से अधिक होती है और इनमें दर्शायी गयी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर आवर्ती आधार पर उनका चयनात्मक निरीक्षण किया जाता है ।

**Projects inaugurated by Prime Minister in U.P. & Orissa**

1063. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the various projects inaugurated by Prime Minister from December, 1973, to February, 1974, at various places in Uttar Pradesh and Orissa and the names of places of inauguration; and

(b) the expenditure incurred on these inaugural functions?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) Five projects, completed and substantially completed (as per details in the attached statement) were inaugurated by the Prime Minister in Uttar Pradesh during the period 1-12-1973 to 11-2-1974. No project was inaugurated in Orissa during this period.

(b) The Prime Minister does not draw any Travelling or Daily Allowance. An expenditure of Rs. 85.85 was incurred by the Prime Minister's Secretariat on Travelling Allowance/Daily Allowance of the officers of that Secretariat who accompanied the Prime Minister on tours for these functions. A sum of Rs. 25 was also paid towards tips on behalf of the Prime Minister.

STATEMENT

INAUGURATION OF PROJECTS IN UTTAR PRADESH BY THE PRIME MINISTER DURING THE PERIOD 1.12.73 to 11.2.74

| Date of inauguration | Place | Project |
|---|---|---|
| 1.12.73 | Allahabad | New Block of Mehta Eye Hospital. |
| 8.1.74 | Kheri District | Barrage at Sarda Sahayak Pariyojna. |
| | Ghaziabad (Meerut) | Bharat Electronics Limited. |
| 10.1.74 | Haripura (Nainital) | Haripura Dam. |
| 17.1.74 | Obra (Mirzapur) | One Power Plant. |

**Alleged desecration of religious places of worship**

1064. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Shri P. S. Wallace, President of the All Indian Council of Indian Christians has stated in Delhi on 12th January, 1974 that the Delhi Administration and a number of State Governments are conniving in the desecration of their religious places of worship and demolition of graveyards; and

(b) if so, the facts in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):** (a) and (b). Yes, Sir. In his statement Shri P. S. Wallace is reported to have made the specific allegation that the Church in Pataudi House, Daryaganj, has been demolished. According to information received from the Delhi Administration, a Baptish Church which was reportedly in Pataudi House, Daryaganj, Delhi, in the form of a community hall, had been sold along with other adjoining property, to a commercial concern in or about the year 1944. Later, a part of the property was acquired by the Delhi Administration for construction of a school after demolishing the old structure. The construction work is now in progress. Efforts made by Shri P. S. Wallace to obtain stay order from Courts were not successful. He is reported to have filed a Civil Writ which is pending in the Court.

**गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति**

1065. **श्री एम० एम० जोजफ :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री को मौके पर स्थिति का अध्ययन करने के लिये गुजरात भेजा गया था ; और यदि हां, तो उनके अध्ययन व प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ख) क्या राज्य में स्थिति का सामना करने के लिये जनवरी, 1974 में सेना व केन्द्रीय पुलिस की टुकड़ियां नियुक्त की गई थीं ;

(ग) प्रत्येक नगर/शहर में सेना व पुलिस की गोलियों के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इसमें जन-धन की कितनी हानि हुई और मरे व्यक्तियों के परिवारों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है ; और

(घ) वहां स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली मंत्री ने गुजरात में प्रचलित स्थिति के सम्बन्ध में जनवरी, 1974 में राज्य का दौरा किया । उन्होंने बताया कि राज्य में अनाजों के अभाव तथा मूल्य वृद्धि से उत्पन्न आंदोलनों तथा दंगों से स्थिति जटिल हो गई थी और यह कि राज्य सरकार को संयुक्त रूप से उपाय ढूंढने चाहिएं ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र दिये जाने से 9 फरवरी, 1974 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और जनता के सभी वर्गों के सहयोग से समान्य स्थिति लाने के सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

**केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में केरल में समुद्री कटाव रोकने सम्बन्धी निर्माण कार्यों का सम्मिलित किया जाना**

1066. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में केरल में समुद्री कटाव रोकने सम्बन्धी निर्माण कार्यों को सम्मिलित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार पूरे हो चुके निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भी दी गई सहायता को ऋण की बजाये अनुदान का रूप देगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क)जी, हां । बहरहाल, पांचवीं योजना के दौरान इस उद्देश्य से राज्य को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने के एक प्रस्ताव पर योजना आयोग विचार कर रहा है।

(ख) वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श कर योजना आयोग ने निर्णय किया है कि स्कीम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, केरल में समुद्र से भूमि का कटाव को रोकने के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को अनुदान मानना सम्भव नहीं जब कि अन्य राज्यों के मामले में संसाधन विकास के कार्यक्रमों को दिए गए आवंटन को ऋण सहायता के रूप में माना जा रहा है।

**Post Office set on fire in Patiala**

1067. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether as a result of student agitations in the various parts of Punjab, a post Office was set on fire in Patiala; and

(b) if so, the loss suffered by Government?

**The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):** (a) Yes.

(b) There is no loss of cash or valuables. However, certain items of stock and office record alongwith some unregistered letters were burnt.

**Take over of Hind Cycles**

1068. **Shri Chandra Bhalmani Tewari :**

**Shri Shanker Rao Savant:**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2481 on 28th November, 1973 regarding enquiry into the affairs of Hind cycles and state:

(a) the date of taking over the management of Hind Bicycles Factories at Bombay and Ghaziabad by the Central Government and terms and conditions of take-over including payment of compensation;

(b) the percentage increase or decrease in the production after take-over of the factories; and

(c) the steps taken by Government to increase the production of bicycles?

**The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana):** (a) 3rd January, 1974.

Only the management of the undertaking has been taken over for a period of five years under Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and the question of payment of compensation does not arise.

(b) The preliminary restrating operations like stock taking, maintenance, etc. of both the factories have commenced and actual production is expected to start soon.

(c) The present installed capacity for manufacturing bicycles in the country is quite adequate to meet the demand. As the demand increases, the production is expected to keep pace.

**भारत में कार्य कर रहे टेलीविजन केन्द्र**

1069. **श्री डी० पी० जदेजा :**

**श्री अरविंद एम० पटेल :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कितने टेलीविजन केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा वे किन स्थानों पर स्थित है और उनका प्रसारण क्षेत्र कितना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)**: इस समय देश में दिल्ली, बम्बई और श्रीनगर में तीन टेलीविजन केन्द्र तथा अमृतसर और पूना में दो रिले केन्द्र चालू हैं । इनका अनुमानित प्रसारण क्षेत्र इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (1) दिल्ली | 60 कि० मी० |
| (2) बम्बई | 95 कि० मी० |
| (3) श्रीनगर | 90 कि० मी० |
| (4) अमृतसर | 65 कि० मी० |
| (5) पूना . . . . | 80 कि० मी० |

**उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र**

1070. **श्री डी० पी० जदेजा :**

**श्री बेकारिया :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में विभिन्न राज्यों से, राज्यवार, एक करोड़ से कम पूंजी वाले उद्योग स्थापित करने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) एक महीने की अवधि में कितने मामले निपटाए गए ; और

(ग) समय सीमा के अन्दर ऐसे कितने मामलों को नहीं निपटाया गया और इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) एक करोड़ रुपये से कम की पूंजी के प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिये 1043 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन 1973 में प्राप्त हुए । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (अनुबन्ध-1) । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6253/74] इसके अतिरिक्त, तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए 1418 आवेदन विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए, राज्यवार विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-2)। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6253/74]

(ख) और (ग) : औद्योगिक स्वीकृतियों के लिये सुवाही प्रक्रियाएं 1-11-73 से लागू कर दी गई है तथा इसके बाद प्राप्त हुए आवेदन निर्धारित समय-सीमा के अनुसार निपटाए जा रहे हैं । पंजीकरण के आवेदनों पर भी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । इस तिथि से पहिले प्राप्त हुए पुराने आवेदनों का यथा शीघ्र निपटान करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

**राज्यों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना**

1071. **श्री डी० पी० जदेजा :**

**श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने अब तक कितने राज्यों के बारे में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) विभिन्न राज्यों के प्रस्तावित योजना परिव्यय क्या थे ; और

(ग) योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में कितनी धनराशि मंजूर की है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग) : राज्य सरकारों ने अपनी सम्बन्ध पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप में जो पांचवीं योजना परिव्यय प्रस्तावित किए हैं, उन्हें दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । इन राज्य योजनाओं पर विचार-विमर्श समाप्त हो गया है । केन्द्र और सम्बद्ध राज्य सरकारों के पास उपलब्ध समस्त संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य की योजना के आकार-प्रकार के बारे में अंतिम निश्चय किया जायेगा ।

**विवरण**

(करोड़ रुपये)

| राज्य | पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित परिव्यय |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 1277.00 |
| असम | 944.34 |
| बिहार | 1520.00 |
| गुजरात | 1100.00 |
| हरियाणा | 740.02 |
| हिमाचल प्रदेश | 319.13 |
| जम्मू तथा कश्मीर | 425.00 |
| कर्नाटक | 1350.00 |
| केरल | 747.50 |
| मध्य प्रदेश | 1970.96 |
| महाराष्ट्र | 2621.22 |
| मणिपुर | 238.76 |
| मेघालय | 223.88 |
| नागालैंड | 139.93 |
| उड़ीसा | 836.09 |
| पंजाब | 929.75 |
| राजस्थान | 921.76 |
| तमिल नाडु | 1531.88 |
| त्रिपुरा | 278.29 |
| उत्तर प्रदेश | 3539.25 |
| पश्चिम बंगाल | 1513.79 |

**उसीलामपट्ट 'मद्रास' में हरिजन छात्रावास में महात्मा गांधी की मूर्ति के सिर को तोड़ना**

1072. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसीलामपट्ट, मद्रास के हरिजन छात्रावास में महात्मा गांधी की मूर्ति का सिर गणतन्त्र दिवस अर्थात् 26 जनवरी, 1974 के अवसर पर टूटा पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना के बारे में जांच की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार उसीलामपट्ट (जिला मदुराई) में हरिजन छात्रावास के प्रांगण में स्थापित महात्मा गांधी की मूर्ति को 25 जनवरी, 1974 की रात्रि में कुछ बदमाशों ने विकृत कर दिया था । पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और जांच हो रही है ।

**इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा भारत में स्थित कंपनियों में बनी वस्तुओं की खरीद संबंधी करार**

1073. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री इण्डियन आक्सीजन लिमिडेट द्वारा भारत में स्थित कम्पनियों में बनी वस्तुओं की खरीद सम्बन्धी करार के बारे में 28 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस कम्पनी का टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और बिड़ला जूट मैन्यू-फेक्चरिंग कम्पनी के साथ व्यापार इन कम्पनियों के बीच हुए विभिन्न करारों के अन्तर्गत किया जाता है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के देश में औद्योगिक गेसों के अन्य निर्माताओं के साथ भी कोई व्यापारिक सम्बन्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग**

1074. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये मणिपुर में जबरदस्त मांग बल पकड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) : तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं ।

**इंडियन आक्सीजन लिमिटेड**

1075. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक गैसें बनाने के लिये भावी उद्यमकर्ताओं को उनके आशय पत्र जारी करने का विचार है ताकि इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड का इस व्यापार में एकाधिकार समाप्त हो जाए ;

(ख) क्या एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने कभी इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के कृत्यों के ब्यौरों की जांच की है ; और

(ग) क्या प० बंगाल सरकार ने इण्डियन आक्सीजन लि० के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव का विरोध किया था ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना)** : (क) सरकार ने देश में औद्योगिक गैस बनाने के लिये बहुत से उद्यगियों को आशय-पत्र जारी किये है। इससे अवश्य ही औद्योगिक गैसों के क्षेत्र में मे० इण्डियन आक्सीजन लि० की प्रमुखशाली स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार से विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**आर्दश विद्या मन्दिर, जयपुर के क्रियाकलाप**

1076. **मौलाना इसहाक सम्भाली** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर" के क्रियाकलापों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें और अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यौरो ने जांच प्रारम्भ कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

**Provision of essential commodities at fair prices to people living below poverty line**

1077. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for providing essential commodities at fair prices to the people living below poverty line; and

(b) if so, the outlines thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia):** (a) and (b) The Planning Commission set up a Committee on Essential Commodities and Articles for Mass Consumption to suggest long term and short term policies and measures for making available essential commodities and articles to the common man at reasonable prices. The Committee has submitted its report to the Planning Commission.

The recommendations of the Committee are under examination.

**उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे**

1078. **श्री भोगेन्द्र झा :**

**श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों और कुछ अन्य राज्यों ने हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के विशिष्ट कारण क्या थे और उनके पीछे कौन-सी शक्तियां काम कर रही थीं ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : **(क) और (ख)** साम्प्रदायिक घटनाओं तथा दंगों के पीछे सामान्यत : विशिष्ठ कारण तथा शक्तियां स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न हैं और एक ही समय के दौरान विभिन्न स्थानों में घटनाओं के लिये उत्तरदायी ऐसे कारणों तथा शक्तियों को सामान्य रूप से स्पष्ट करना संभव नहीं है । 1973 के दौरान साम्प्रदायिक स्वरूप की 242 घटनायें हुई थीं जिनमें से 13 गम्भीर थीं । विभिन्न समुदायों के लोगों तथा दलों में मतभेद होने के कारण ऐसी घटनायें हुई थीं। प्रत्येक घटना को संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त ढंग से निपटाया गया था और जहां आवश्यक थी वहां भारत सरकार ने वांछनीय तथा ऐसी सम्भव सहायता प्रदान की थी ।

**सीमेंट उद्योग में कोयले की कमी**

1080. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग को कोयले की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किए हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना)** : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग में कोयले की आवश्यकता 5 लाख मी० प्रति मास आंकी गयी है जिसमें से 4.57 लाख मी० टन प्रति मास आबंटन निर्धारित किया गया है । सीमेंट उद्योग को कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये खान विभाग में स्थायी लिकेंज समिति बनायी गयी है और यह समिति सीमेंट उद्योग को की गयी कोयले की सप्लाई की स्थिति का प्रत्येक महीने पुनरावलोकन करती है । कारखानों के स्थापना स्थलों और कोयले की अपेक्षित कोटि इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए सीमेंट के कारखानों को

कोयले की भिन्न-भिन्न खदानों के साथ जोड़ दिया गया है । सीमेंट के कारखानों को कोयले की वास्तविक लदानों पर निरन्तर निगरानी रखने के लिए कलकत्ता में संयुक्त मानीटरिंग कक्ष बनाया गया है । परन्तु जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है कोयले की वास्तविक लदान निर्धारित आवंटनों से कम रही हैं।

| महीना | लिकेंज समिति द्वारा निर्धारित मासिक कोटा | कोयले की वास्तविक प्राप्ति | सप्लाई में कमी |
|---|---|---|---|
| सितम्बर, 1973 | 4,45,450 | 3,27,024 | 1,18,426 |
| अक्टूबर, 1973 | 4,53,550 | 3,38,482 | 1,15,068 |
| नवम्बर, 1973 . | 4,53,450 | 3,47,331 | 1,06,219 |
| दिसम्बर, 1973 | 4,57,250 | 3,25,057 | 1,32,193 |
| जनवरी, 1974 . . . . | 4,57,250 | 3,27,910 | 1,29,340 |

कोयले की सप्लाई में कमी के परिणामस्वरूप कुछ सीमेंट के कारखानों को मट्टी का तेल प्रयोग करना पड़ा ।

कोयले के उत्पादन तथा सीमेंट के कारखानों को इसकी ढुलाई में सुधार लाने के लिये सरकार ने बहुत से अभ्युपाय किये हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयले की ढुलाई तथा वितरण में सुधार लाने के लिये अपेक्षित अभ्युपायों की संवीक्षा करने के लिये खान विभाग के उप मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी है ।

(2) कोयले के लाने-ले जाने में समुचित तालमेल सुनिश्चित करने के लिये कलकत्ता में एक संयुक्त कक्ष बनाया गया है जिसमें रेलवे बोर्ड, कोयला खान अधिकरण तथा भारत कोकिंग कोल लि० के प्रतिनिधि है ।

(3) कोयले के लाने-ले जाने में रेलवे परिवहन के अलावा संपूर्ति सड़क तटीय जल परिवहन इत्यादि के द्वारा की जा रही है ।

(4) जिनमें कोयलों का स्टाक कम है ऐसे सीमेंट के कारखानों को कोयले की शीघ्र सप्लाई करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जाते हैं ।

**Development of hill districts of U.P. and Madhya Pradesh**

1081. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have asked the Centre to develop hill districts of these States; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia):** (a) and (b) The Fifth Plan envisages special measures to foster the development of hill and tribal areas. A Plan for the accelerated development of the Hill Areas of Uttar Pradesh has been received and is under consideration. No such plan has been received from the Government of Madhya Pradesh. However, the Madhya Pradesh Government is preparing a Plan for the socio-economic development of the tribals living in the hills and plains areas of the State in accordance with the guidelines issued by the Home Ministry and the Planning Commission.

**Upliftment of Harijans and Backward Classes in U.P. and M.P.**

1082. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the number of schemes sent by Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Governments to the Centre for uplifting the Harijans and Backward Classes in these States; and

(b) the number of schemes accepted by the Centre?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia):** (a) and (b) The number of schemes relating to development of backward classes including Harijans proposed by the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and those tentatively accepted by the Planning Commission for inclusion in the Fifth Plan are as follows:

| | Madhya Pradesh | | Uttar Pradesh | |
|---|---|---|---|---|
| | Proposed | Accepted | Proposed | Accepted |
| Scheduled Castes . . | 28 | 27 | 16 | 14 |
| Scheduled Tribes . . | 32 | 29 | 16 | 15 |
| Other Backward Classes . | .. | .. | 2 | 2 |
| | 60 | 56 | 34 | 31 |

**Production of Cycles and Blades**

1083. **Shri B. S. Chowhan:**

**Shri Jagannath Rao Joshi:**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology be** pleased to state:

(a) whether the reduction of number of consumer goods have been much less than the capacity;

(b) whether the production capacity of cycles in the country is 333 lakhs, but only 229 lakh cycles are being produced and similarly the production capacity of blades is 20,350 lakhs but only 10,000 lakhs are being produced; and

(c) the action being taken o utilise the full production capacity of consumer goods?

**The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana):** (a) and (c) Capacity utilisation on a good number of consumer goods has been satisfactory. Government are, however, continuously reviewing the availability of indigenous and imported raw materials to improve the production level, wherever necessary. Government are keen that the existing industrial capacity in the country should be fully utilised.

(b) As against a production capacity of 40.19 lakh bicycles and 2630 million safety razor blades per annum in the organised sector, production has been of the order of 26 lakh and 1004 million respectively per annum.

**हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी डाक डिवीजनों के लिए जीपों की सप्लाई**

1084. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी डाक डिवीजनों के लिए मंजर की गई जीपें उन डाक डिवीजनों के डाकघरों के अधीक्षकों को सप्लाई कर दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इनके कब तक सप्लाई की जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशक ने, जोकि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को जीपों की व्यवस्था करते हैं, यह बतलाया है कि इस मामले में जीपों की सप्लाई मार्च, 1974 तक कर दिए जाने की सम्भावना है ।

**सी०ओ० तथा पी०सी०ओ० खोलने की अनुमति देना**

1085. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में राज्यवार कितने पी० सी० ओ० तथा सी० ओ० खोलने की अनुमति दी गई; और

(ख) उनमें से कितने स्थानों पर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को प्रत्येक मामले में इन कार्यालयों के खोलने की मंजूरी प्राप्त करने के लिये किराया तथा प्रतिभूति शर्तों का प्रस्ताव करना पड़ा था ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) और (ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दे दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6254/74]**

**हिमाचल प्रदेश में सी० ओ० तथा पी०सी०ओ० का खोलना**

1086. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में जिलावार किन-किन स्थानों से (1) पी० सी० ओ० तथा (2) सी० ओ० खोलने के सम्बन्ध में 1973–74 में अनुरोध प्राप्त हुए;

(ख) कहां-कहां पर ऐसे कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) शेष मामलों में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) से (ग) वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी जा रही है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6255/74]**

**प्रति व्यक्ति आय में कमी**

1087. **श्री समर गुह :**

**श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष 1972–73 में भारत में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्यों के अनुसार कमी हुई ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े क्या हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) से (ग) तत्र के आंकड़ों की जांच हो रही है और सदन के सामने शीघ्र ही प्रस्तुत किये जायेंगे ।

**दूर संचार उपकरणों संबंधी पाठक समिति का प्रतिवेदन**

1088. **श्री राम प्रकाश :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठक समिति ने दूर संचार उपकरणों के विकास के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी) :** (क) जी हां ।

(ख) पाठक समिति की अधिकांश सिफारिशों पर सरकारी निर्णय ले लिए गए हैं । इन निर्णयों से सम्बन्धित विवरण 28 नवम्बर, 1973 को लोक सभा के पटल पर रखा जा चुका है । बाकी बच रही सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

**संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण**

1089. **श्री महेन्द्रसिंह गिल :**

**श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की उन लगभग 104 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है जो गत कुछ वर्षों से राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और अभी तक संकटग्रस्त मिलों की सूची में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने से पूर्व वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है; और

(ग) यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) से (ग) सिद्धान्त रूप में निर्णय किया गया है कि 103 संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रमों, जिनके प्रबन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 और संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध को हाथ में लेना) अधिनियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में ले लिया है, का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। वर्तमान में सभी संबंधित पक्षों की जांच पड़ताल की जा रही है।

**दिल्ली के विकास के लिए उच्च स्तरीय बोर्ड**

1090. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली के विकास के लिये एक उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं और इस बोर्ड को कौन-कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली पुलिस का कार्यकरण**

1091. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कार्यकरण में सुधार करने के बारे में कुछ अतिरिक्त कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये कदम क्या हैं और इससे किन परिवर्तनों को लाया जायेगा ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**दिल्ली पुलिस के कार्यकरण में वांछित परिवर्तन लाने के लिए किए गये उपायों का विवरण**

1. पुलिस कन्ट्रोल रूम के वाहनों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से रात-दिन गश्त लगाई जाती है, इसका तात्पर्य सहायता के लिए किए गये आह्वान पर स्थानीय पुलिस की स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने तक तुरन्त कार्यवाही करके जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए सूचना को तुरन्त एकत्रित तथा प्रसार को सुनिश्चित करना है।

2. बढ़े अपराधों की घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों हेतु जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए मोहल्ला मीटिंग आयोजित की जा रही हैं।

3. डिवीजन अधिकारियों तथा बीट कान्स्टेबलों के उत्तरदायित्व निश्चित किए गये हैं और अकुशलता के लिए दण्ड दिया जाता है और जो उपयोगी आपराधिक आसूचना देते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है ।

4. पुलिस की जांच के लिए निलम्बित मामलों की जांच पूरी करने तथा इन मामलों को न्यायालयों में प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक संगठित अभियान चलाया गया था । 20 सितम्बर, 1973 को 1198 आई० पी० सी० के मामलों में जांच होनी थी जिनको 1971 तथा 1972 में दर्ज किया था । इस अभियान के दौरान इन मामलों में से 775 मामलों में जांच पूरी की गई थी ।

5. नागरिकों को अपने क्षेत्र में अपराधों से निपटने के लिए तथा अपराधों की सूचना पुलिस को देने हेतु शिक्षित किया जा रहा है ।

6. अपराध के संभावित क्षेत्रों गश्त लगाने के जिलों में वायरलैस युक्त मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं ।

7. पैदल गश्त कर्मचारियों को भी वायरलैस उपलब्ध कराये गये हैं और उनका कन्ट्रोल रूम से लगातार सम्पर्क रहता है ।

8. नागरिकों का स्वयं सेवी बल संगठित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत अपराध नियंत्रण तथा अपने नियमित कार्यों को पूरा करने के लिए पुलिस द्वारा जनता की सहायता प्राप्त की जा रही है ।

9. कुछ पुलिस थानों में मामलों की जांच करने की गति बढ़ाने के लिए जांच कर्मचारियों को विधि तथा व्यवस्था ड्यूटी वाले कर्मचारियों से अलग कर दिया गया है ।

10. पुलिस तथा जनता के सम्बन्ध सुधारने के लिए शहर के चुने हुए भागों में अनेक पुलिस सूचना बूथ स्थापित किए गये हैं ।

11. यमुना पार के क्षेत्रों में गहन तथा प्रभावी पुलिस के पहरे के लिए इन क्षेत्रों का एक अलग पुलिस जिला बनाया गया है ।

**कनारा के नार्थ कनारा जिलों में कास्टिक सोडा निर्माताओं द्वारा जबरन भूमि पर कब्जा करने के बारे में जांच**

1092. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 संसद् सदस्यों द्वारा 14 दिसम्बर, 1973 को औद्योगिक विकास मंत्रालय को कर्नाटक में नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा निर्माताओं द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने के बारे में जांच करने हेतु जांच आयोग नियुक्त करने के लिए एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) 14 दिसम्बर, 1973 को कर्नाटक के नार्थ कनारा जिले में कास्टिक सोडा निर्माताओं द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने के बारे में जांच करने हेतु आयोग नियुक्त करने के लिए 21 संसद् सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, प्रधानमंत्री को प्रेषित संयुक्त अभ्यावेदन इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ था ।

(ख) यह समझा जाता है कि कर्नाटक सरकार ने उत्तरी कनारा जिला में कर्नटक राज्य के सोडा उत्पादकों द्वारा नमक का उत्पादन करने के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने के हेतु भूमि का अधिग्रहण करने की एक अधिसूचना जारी की है। अतः यह राज्य सरकार संबंधी मामला है।

**सीमा विवादों के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव**

1093. **श्री बी० के० नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा विवादों के लिये अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : **(क) तथा (ख)** सीमा विवाद के हल करने हेतु एक स्थायी मशीनरी का गठन करने के लिये सरकार को समय समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि ये विवाद सामान्यतया पारस्परिक बातचीत तथा समझौते से तय किये जाने चाहिएं। क्षेत्रीय परिषदों का मंच सीमा विवादों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने तथा सिफारिशें देने के लिये उपलब्ध है। प्रत्येक मामले की प्रकृति तथा आवश्यकताएं भिन्न होने के कारण, केवल सीमा विवादों के हल के लिये एक स्थायी एजेंसी अथवा मशीनरी आवश्यक अथवा वांछनीय नहीं समझी जाती है।

**समाचार पत्रों के स्वामित्व के विस्तार के बारे में प्रगति**

1094. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के स्वामित्व के विस्तार के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह उद्देश्य अनुमानतः कितनी अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : **(क) तथा (ख)** : समाचारपत्रों को बड़े व्यापार घरानों के हितों से असम्बद्ध करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है । अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि सरकार द्वारा मामले में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा।

**मोती नगर पुलिस स्टेशन से एक सन्दिग्ध व्यक्ति का गायब हो जाना**

1095. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोती नगर पुलिस स्टेशन, दिल्ली की हवालात से एक संदिग्ध व्यक्ति रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है ;

(ख) क्या गायब होने की परिस्थितियों के बारे में जांच करने के कोई आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस बारे में उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) 10 और 11 जनवरी, 1974 के बीच की रात्रि में थाना मोती नगर से एक संदिग्ध व्यक्ति आंख बचा कर निकल गया और उसका अभी तक पता नहीं चला है।

(ख) तथा (ग) : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में जांच-पड़ताल की थी और यह पाया था कि यह आरोप सही नहीं था कि पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण अपराधी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस हिरासत से संदिग्ध व्यक्ति के भाग जाने में लापरवाही के लिये एक पुलिस उप-निरीक्षक को मुअत्तल कर दिया गया है।

**उपयुक्त लाइसेंस**

1096. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1972-73 के दौरान कुछ उद्योगों के लिये लाइसेन्स दिये थे किन्तु उनका उपयोग नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उनका सही रूप से उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के पश्चात् नया उपक्रम स्थापित करने में प्रायः तीन से चार वर्ष का समय लगता है। इसलिये नए उपक्रम से जिनको पिछले दो वर्षों में औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये थे वास्तविक उत्पादन शुरू कर देने की अपेक्षा करना समयपूर्व है। अतः 1972-73 में दिये गये औद्योगिक लाइसेन्स कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बम्बई में शिवसेना द्वारा किये गए अत्याचार**

1097. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :**

**श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस वर्ष जनवरी में शिव सैनिकों ने केरल के एक खोंमचे वाले को छूरा घोंप कर मार दिया, कन्नाडिगा द्वारा चलाये जा रहे लगभग 250 कुदिपि होटलों को लूटा, बैंकों और फर्मों के सामने के शीशों को तोड़ा और फ्लोरा फाउन्टेन के आस पास के गुंजान फोर्ट क्षेत्र, विक्टोरिया टरमिनस कालबा देवी और दक्षिण बम्बई के गिरगाव में घर जा रहे बहुत से लोगों को पत्थर और नारियल के खोल मार-मार कर परेशान किया ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे।

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)**: (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शिव सेना का मोर्चा आरम्भ होने के पूर्व एक केरल खोमचे वाले की छूरा मार कर हत्या कर दीं गई थी। उस दिन तीन उदिपि होटलों से नगदी लूट जाने का समाचार है और कुछ दुकानों, स्टालों इत्यादि जिनमें दो उदिपि होटल भी हैं को मामूली क्षति पहुंचाई गई।

(ख) बम्बई खुफिया विभाग की अपराध शाखा द्वारा खोमचे वाले को छूरा मारने से संबंधित मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इन दंगों में वास्तविक अपराधों के लिये अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने नगर के लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने और सभी भाषायी अल्पसंख्यकों को पूर्ण संरक्षण देने और हिंसा के सभी कार्यों से दृढ़ता से निपटने के सभी उपाय किए गए हैं।

**अखबारी कागज की छोटी मिलों की स्थापना**

1098. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :**

**श्री ए०के० गोपालन**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की छोटी मिले स्थापित करने की कोई योजना है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा किस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाएगा।

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) देश में अखबारी कागज की छोटी मिलें स्थापित करने सम्बन्धी एक नोट पर जनवरी 74 में हुई विकास परिषद की बैठक में विचार किया गया तथा परिषद की तकनीकी समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच किये जाने का निश्चय किया गया।

(ख) योजना में प्रतिदिन 25-30 मीटर टन की क्षमता के संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इन संयंत्रों में 50% रद्दी कागजों से तथा 50% लकड़ी से तैयार लुगदी अथवा अधिक उपज वाले कृषि अवशेष पदार्थों से तैयार लुगदी का उपयोग किया जायेगा।

**समाचार पत्रों द्वारा छपाई के सफेद कागज का उपयोग**

1099 **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

**श्री बेकरिया :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों से कहा गया है कि वे खुले बाजार से छपाई का सफेद कागज न खरीदें:

(ख) क्या मिलों द्वारा समाचारपत्रों को सप्लाई किए जाने वाले छपाई के सफेद कागज का निर्धारित कोटा समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा वितरित किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की नई नीति क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना)** : (क) अखबारों द्वारा छपाई के सफेद कागज के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंद नहीं है। जिन अखबारों को सरकार अखबारी कागज का संभरण नहीं करती है वे किसी भी प्रकार के कागज का प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु अखबारी कागज का उपयोग करने वाले उपभोक्ता छपाई और लिखाई के कागज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किन्तु इस नियंत्रण आदेश की वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई है।

(ख) और (ग) इस समय अखबारों के रजिस्ट्रार अखबारों के छपाई के सफेद कागज का वितरण नहीं कर रहे हैं। किन्तु अखबारों को प्रतिवर्ष छपाई के सफेद कागज का कुछ टन भार देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

**ऊर्जा संकट के सिलसिले में योजना मंत्री का ईराक, रूस और कुवैत का दौरा**

1100 **श्री पी० गंगादेव :**

**श्री एम०एस० संजीवी राव :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संकट के सिलसिले में उन्होंने ईराक, रूस और कुवैत का दौरा किया था ; और

(ख) क्या इन सरकारों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस ऊर्जा संकट पर काबू पाने के लिये इस समझौते के अनुसरण में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग)** : आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र में पारस्परिक सम्बन्धों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए योजना मंत्री हाल में ही ईराक गये। अवसर देख कर उन्होंने कच्चे तेल के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि के कारण पैदा होने वाली समस्याओं पर भी ईराक गणतन्त्र के नेताओं से बातचीत की। वे अधिकृत रूप से कुवैत नहीं गये। परन्तु बगदाद से वापिस आते हुए उन्हें रास्ते में रुकना पड़ा। वे रूस बिलकुल नहीं गये।

समीक्षा के दौरान, कृषि, सिंचाई और उद्योग के क्षेत्र में भारत और ईराक के लिए कतिपय नये क्षेत्रों का पता लगाया गया। परियोजना रिपोर्टें तैयार करने तथा सिंचाई, कृषि, भूमि संरक्षण और तेल की खोज, आयोजन में विशेष ज्ञान रखने वाले वरिष्ट और मध्यम स्तर के तकनीकी अधिकारियों को भेजने के लिए ईराक से नया अनुरोध प्राप्त हुआ है। तेल का मूल्य बढ़ने के कारण जो समस्यायें पैदा हो गई हैं उन का हल ढूंढने के लिए हमने जो सुझाव दिए ईराक की उनके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया रही।

**अखबारी कागज की कमी के कारण अधिकांश भारतीय समाचार पत्रों के बन्द होने की आशंका**

1101 **श्री पी० गंगादेव :**

**श्री डी०डी० देसाई :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टर नैशनल प्रैस इन्सटीट्यूट के डायरेक्टर ने दिसम्बर, 1973 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अखबारी कागज के अभाव के कारण अधिकांश भारतीय समाचार पत्र बन्द हो सकते हैं ;

(ख) क्या अखबारी कागज की कमी से भारतीय समाचारपत्रों को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ग) क्या देश के अधिकांश समाचार पत्र बन्द हो जायेंगे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)**: (क) एक समाचार एजेन्सी ने यह समाचार दिया है कि इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीट्यूट ने अपनी वार्षिक समीक्षा में यह कहा है :—

> "यदि तत्काल सख्त कदम न उठाये गये तो कागज की पूर्णतया अपर्याप्त सप्लाई के कारण 521 भारतीय दैनिकों में से अधिकांश दैनिक बन्द होने पर विवश हो जायेंगे" ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों तथा समाचारपत्रों द्वारा स्वेच्छा से प्रकाशन के विनियमन के कारण यह उम्मीद है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी ।

**प्रत्येक राज्य की योजना के आकार के बारे में मुख्य मंत्रियों से चर्चा**

1102 **श्री पी० गंगादेव :**

**श्री प्रसन्नभाई महता :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से नई दिल्ली में चर्चा की गई थी ।

(ख) यदि हां, तो क्या उनके साथ 1974-75 की प्रत्येक राज्य की योजना के आकार के बारे में कोई समझौता हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के बारे में हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों राज्यपालों के साथ उनकी 1974-75 की वार्षिक योजनाओं पर 1 जनवरी से 12 फरवरी 1974 के दौरान विचार-विमर्श हुआ । परन्तु इन विचार-विमर्शों के आधार पर प्रत्येक राज्य को अपनी योजना के आकार और विषय-वस्तु को अभी अन्तिम रूप देना है ।

**रेडियो तथा टेलीविजन उद्योगों में जनशक्ति संबंधी कठिनाइयों का पुर्वानुमान**

1103. **श्री पी० गंगादेव**

**श्री श्रीकिशन मोदी**

क्या **इलैक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में रेडियो तथा टेलीविजन उद्योग को जनशक्ति सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करने की संभावना है, और

(ख) यदि हाँ, तो विशेष उद्योगों में जनशक्ति सम्बन्धी स्थिति के अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** (क) तथा (ख) इलैक्ट्रोनिकी विभाग ने विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रों की स्थापना को समर्थन दिया है । इलैक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में जनशक्ति से संबंधित स्थिति के विश्लेषण का कार्य भी विभाग के हाथ में है । इलैक्ट्रोनिकी के विभिन्न क्षेत्रों में जनशक्ति अपेक्षाओं की विस्तृत श्रेणियों का निर्धारण प्रस्तावित अध्ययन में शामिल होगा । इस अध्ययन के आधार पर अगली कार्रवाई की जायेगी जिससे वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत किया जा सके तथा इलैक्ट्रोनिकी एवं संबंद्ध क्षेत्रों में नये पाठ्यक्रम भी चालू हो सकें । जिन भारतीय विज्ञानियों एवं टैक्नोलाजीविज्ञों ने इलैक्ट्रोनिकी से संबंधित विदेश में अनुभव प्राप्त किया है, उनके अर्थपूर्ण उपयोग की एक योजना के परिचालन की रूपरेखा भी विभाग के पास है ।

**टाटा बन्धुओं को तैयार चमड़े के निर्माण के लिए लाइसेंस देना**

1104 **श्री पी० गंगादेव**

**श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार चमड़े तथा चमड़े के वस्त्रों के निर्माण के लिए टाटा बन्धुओं को कोई लाइसेंस प्रदान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन्हीं अन्य वस्तुओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या छोटे स्तर पर काम करने वाले कारीगारों के हितों को ध्यान में रखा गया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना)** : (क) मैसर्स टाटा एक्सपोर्टस लि० नई दिल्ली को दिनांक 13-2-74 को मध्य प्रदेश के देवास में तैयार चमड़ा तथा चमड़े के वस्त्र बनाने के लिए एक नया प्रतिष्ठान लगाने हेतु लाइसेंस दिया गया है ।

(ख) 1973 के दौरान तथा 16-2-74 तक मैसर्स टाटा एक्सपोर्टस् लि० को कोई नया और लाइसेंस नहीं दिया गया ।

(ग) इस प्रस्ताव पर विचार करते समय छोटे में चमड़ा कारीगरों के हितों को ध्यान में रखा गया है ।

**नाइलोन टायरों का मूल्य**

1105. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि नाइलोन कार्ड के मूल्य 300 प्रतिशत बढ़ गए थे और इस कारण नाइलोन टायरों के निर्माताओं ने टायरों के मूल्य दस प्रतिशत बढ़ा दिए थे परन्तु सरकार ने मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी और टायर निर्माताओं ने इस प्रकार के टायरों के उत्पादन को अलाभ-प्रद पाया ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पेट्रोल मूल्य में वृद्धि के कारण पैसेंजर कारों, हल्के ट्रकों और जीपों की मांग कम हो गई है और ये बहुत जमा हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति की रूपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों से जो व्यवस्था लागू है उसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब निर्माताओं को इनकी कीमतों में वृद्धि करने का इरादा सरकार का अधिसूचित करना पड़ता है और इसे लागू करने से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है । चूंकि उन का विचार सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना ही कुछ किस्म के टायरों और ट्यूबों की कीमतों में एकतरफ वृद्धि करने का था, अतः सरकार द्वारा ट्रक टायरों और ट्यूबों ट्रैक्टरों के पिछले टायरों और ट्यूबों तथा सड़क के अतिरिक्त काम में आने वाले टायरों और ट्यूबों की कीमतों को विनियमन करने के लिए सरकार ने टायर और ट्यूब (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1973 जारी किया था ।

यद्यपि यह सच है कि नायलोन टायर कोर्ड और अन्य कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है, नायलोन ट्रक टायरों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न केवल नायलोन टायर कोर्ड के मूल्य में वृद्धि होने के ही कारण पड़ा है, बल्कि ऐसा प्रमुख रूप से नायलोन टायर कोर्ड के उत्पादन के लिए मूल कच्चे माल के रूप में उपयोग में आने वाले कैप्रोलैक्टग की विष्व्यापी कमी के कारण हुआ है । यद्यपि यह संभव है कि पेट्रोल की कीमतों में हुई विद्यमान वृद्धि का यात्री कारों, हल्के ट्रकों और जीपों के टायरों की मांग पर कुछ असर पड़ा है, किन्तु इस प्रभाव का पता लगा सकना कठिन है क्योंकि स्थिति में स्थिरता आने में अभी कुछ समय लग जायगा फिर भी आधिक्य की स्थिति की अभी कोई सूचना नहीं मिली है ।

**महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर बेलगांव में जन धन की हानि**

1106. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मामले में बेलगांव जिले में भागों के कितने व्यक्ति हताहत हुए और सरकार ने कितनी सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए सहयोग तथा हताहतों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल के महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद आंन्दोलन के दौरान बेलगांव जिले में तीन व्यक्ति मारे गये और 51 पुलिस कर्मचारियों समेत 91 व्यक्ति घायल हुए तथा 13.19 लाख रुपयों की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी ।

(ख) दंगों के दौरान केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाये रही तथा विधि व व्यवस्था बनाये रखने के लिए उनको केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की यूनिटें उपलब्ध कराई । राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को अनुग्रहात राहत तथा ब्याज युक्त ऋण दिया ।

**अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र**

1107. **श्री बेकारिया :**

**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के समाप्त होने से पूर्व अहमदाबाद में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी नवीनतम स्थिति क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीरसिंह)** : (क) तथा (ख) आई० एस० आर० ओ० द्वारा उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग के संदर्भ में एक प्रयोगात्मक टेलीविजन केन्द्र अहमदाबाद के निकट नडियाड में स्थापित किया जा रहा है । इस केन्द्र, जो आकाशवाणी द्वारा संचालित होगा, के 1975 के प्रारम्भ में चालू होने की उम्मीद है ।

**राज्य सरकार के विरुद्ध प्रसारण के लिये आकाशवाणी द्वारा विपक्षी नेताओं को प्रोत्साहन**

1108. **श्री बेकारिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में आकाशवाणी ने विपक्षी सदस्यों तथा छात्रों के नेताओं को प्रोत्साहन दिया है तथा राज्य सरकार के विरुद्ध प्रसारण के लिए उन्हें अनुमति दी है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीरसिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**दिल्ली तथा बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद भोपाल के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था**

1109. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद और भोपाल को दिल्ली के साथ सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था से सम्बद्ध किया जाएगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या पांचवीं योजना में इन शहरों को शामिल करने के प्रस्ताव हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की सुविधा देने के लिए कोएक्सियल/माइक्रोवेव प्रणाली के जरिए इन मार्गों पर बड़ी तादाद में टेलीफोन सर्किट देने और कई स्थानों पर स्विचिंग उपस्कर लगाने की जरूरत होगी । आवश्यक माइक्रोवेव उपस्कर मंगाने के लिए आर्डर भेज दिए गए हैं । इन ट्रान्समिशन प्रणालियों का इन्तजाम करने और आवश्यक स्विचिंग उपस्कर देने की योजनाएं उत्तरोत्तर अमल में लाई जा रही हैं । इन शहरों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली के जरिए दिल्ली के साथ जोड़ने के प्रस्ताव पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिए गए हैं ।

**रंगीन टेलीविजन आरंभ करने का प्रस्ताव**

1110. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा त्याग-पत्र**

1111. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री समर गुह :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन परिस्थितियों तथा कारणों से योजना आयोग के एक सदस्य ने अपनी सदस्यता त्याग दी ; और

(ख) क्या इस बारे में हुए पत्र व्यवहार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में समाविष्ट विचारों और नीतियों के बारे में मतभेद होने के कारण डा० बी० एस० मिन्हास ने योजना आयोग से त्यागपत्र दिया । डा० मिन्हास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए जो नोट लिखा उसकी प्रति तथा उसे प्रधान मंत्री के पास भेजते हुए पत्र की प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी०—6256/74]

**औद्योगिक उत्पादन पर तेल संकट का प्रभाव**

1112. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल संकट का औद्योगिक उत्पादन तथा विकास पर क्या तथा कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)**: (क) तथा (ख) यद्यपि ठीक ठीक परिमाण में अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी सरकार तेल की कमी के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन की सम्भाव्यता की निरन्तर समीक्षा कर रही है :

1. देश में तेल की खपत का 80 प्रतिशत से ज्यादा भाग अर्थ-व्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, परिवहन तथा बिजली के अनिवार्य निवेश (इनपुट) के निमित्त है । खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि से होने वाली तेल की सप्लाई की कमी इन क्षेत्रों को प्रभावित करेगी । इन अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

2. तेल की वर्तमान कमी का प्रभाव प्रत्यक्षता और परोक्षतः औद्योगिक उत्पादन पर पड़ सकता है । परोक्ष रूप से इस का प्रभाव तेल की कमी तथा/अथवा ढुलाई लागत और बिजली की कीमतों में वृद्धि और औद्योगिक कच्चे माल के आयात के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा में संभाव्य कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन पर पड़ेगा । उन उद्योगों में जो पैट्रोलियम पदार्थों का प्रत्यक्ष निवेश (अर्थात् उर्वरकों) क्षेत्र में उपयोग करते हैं तथा उन उद्योगों में फर्नेस आयल का लाभकारक तत्व के रूप में उपयोग होता है । ऐसे उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन प्रत्यक्षतः प्रभावित करेगा । इन बातों को देखते हुए सरकार का ध्यान अन्य पहलुओं के साथ साथ निम्नलिखित पहलुओं पर केन्द्रित है :—

(1) विदेशी मुद्रा के संसाधनों की संपूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से निर्यात बढ़ाने की जरूरत है ।

(2) फर्नेस आयल व पैट्रोलियम की अन्य वस्तुओं की खपत में अधिक कुशलता प्राप्त करनी है । अनुमान है कि ईंधन उपकरण आदि की उत्तम व्यवस्था से लगभग 5 प्रतिशत की बचत तुरन्त की जा सकती है ।

(3) सचिव (तकनीकी विकास) की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति ने प्राप्त फर्नेस आयल के आवंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा कार्यरत अभिकरणों को आवंटन योजना लागू करने के लिए सुझाव दिए हैं । यह ध्यान में रखते हुए कि किस सीमा तक अल्प व दीर्घ अवधि में फर्नेस आयल की जगह कोयलों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इस समिति ने भिन्न भिन्न वर्गों के उद्योगों को फर्नेस के आवंटन के बारे में सिफारिशें की हैं । पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय में फर्नेस आयल की उपलब्धता का समय समय पर जायजा लेने के लिए तथा कोयले के उपयोग के बारे में पारस्परिक प्राथमिकताओं व व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न वर्गों के उद्योगों को इसके उपयोग के विषय में सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित की गई है । तकनीकी विकास निदेशालय भी भिन्न भिन्न एककों के लिए फर्नेस आयल और प्रयुक्त होने वाले/जलने वाले/कम्बशन संबंधी उपस्करों की किस्मों की अद्यतन जरूरतों को संकलन को अद्यतन कर रहा है ।

(4) भट्टी के तेल (फर्नेस आयल) के स्थान पर कोयले के प्रतिस्थापन की संभावनाएं : ईंधन नीति समिति ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं । भट्टी के तेल का आवंटन करते समय इन संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है । कोयले की आवश्यकताओं तथा अपेक्षित कोयले की ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए साथ साथ कार्यवाही की जाती है ।

(5) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की संभावनाएं : विज्ञान व प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने अपनी दिनांक 24 जनवरी, 1974 की बैठक में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर तथा पैट्रोलियम पर आधारित पदार्थों के अन्य पदार्थों से प्रौद्योगिक प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित कार्यवाही पर विचार किया ।

(6) योजना आयोग ने प्रतिस्थाप्य ईंधनों के जरिए पैट्रोलियम की विभिन्न वस्तुओं की खपत को घटाने के लिए किए जाने वाले अभ्युपायों का पता लगाने तथा विभिन्न औद्योगिक कारखानों में परिचालन संबंधी अधिकतम कुशलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में 25 कार्यकारी दल गठित किए हैं ।

(7) पैट्रोलियम पदार्थों के लिए विदेशी मुद्रा के बढ़ी हुई राशि के फलस्वरूप अन्य औद्योगिक उत्पादों को उपलब्ध विदेशी मुद्रा के आवटन को प्राथमिकता के सभी क्षेत्रों में उत्पादन बनाए रखने के लिए समीक्षा की जाती है ।

**डाक को नष्ट किये जाने के समाचार**

1113. **श्री विरेन्द्र सिंह राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनवरी, 1974 को समाचारपत्रों में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि डाक व तार विभाग ने हाल ही रेलवे हड़ताल के दौरान जमा हुए लाखों पत्र/पैकेट, जो बांटे नहीं गये थे, नष्ट कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से इस बारे में कोई पूर्व अनुमति ली गई थी और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी हां, 'सन्डे स्टेंडर्ड' के 20 जनवरी, 74 अंक में एक खबर जरूर छपी थी कि लखनऊ के पुनः प्रेषण केन्द्र में इकटठी डाक को नष्ट कर दिया गया । 25-1-74 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में "आर्बिट्रेरी डिसीजन (मनमाना निर्णय) शीर्षक के अंतर्गत सम्पादक के नाम कुछ पत्र भी छपे थे । शायद माननीय सदस्य का आशय सम्पादक के नाम लिखे इन पत्रों से ही है ।

(ख) इन आरोपों की सावधानी पूर्वक जांच कराई गई और मालूम हुआ कि ऐसी कोई डाक-वस्तुएं नष्ट नहीं की गई थीं । लोको कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान जो डाक इकट्ठी हो गई थी उन्हें वितरण के लिए यथा-स्थान भेज दिया गया था । 25-1-74 को इस आशय का एक जवाब भी प्रेस में जारी किया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**विपणन विचारधारा में परिवर्तन के समर्थन में योजना मंत्री द्वारा दिया जया वक्तव्य**

1114. **श्री विरेन्द्र सिंह राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है कि विपणन की समूची विचारधारा में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि उसको उत्पादन तथा वितरण के नये तकनीकों के अनुसार बनाया जा सके ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रामीण मार्किट का लाभ उसी प्रकार उठाया जाना चाहिए जिस प्रकार गत 50 वर्षों से नगरीय मार्किट उठाया जाता रहा है ; और

(ग) क्या उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय को परामर्श दिया है कि वह नगरीय तथा ग्रामीण विपणन को उनके विचारों के अनुसार नया रूप दें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) 24 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में नेशनल मार्केटिंग कन्वेंशन का उद्घाटन करते हुए योजना मंत्री ने सुझाव दिया था कि पांचवीं योजना प्रारूप में परिकल्पित किए गए उत्पादन तथा वितरण पद्धति में होने वाले बुनियादी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विपणन की संपूर्ण विचारधारा की समीक्षा तथा पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है ।

(ख) योजना मंत्री ने कहा था कि यह तभी केवल कुछ सीमा तक ही ठीक है कि ग्रामीण मार्किट का लाभ उसी प्रकार उठाया जाना चाहिए जिस प्रकार गत 50 या 60 वर्षों से नगरीय मार्केट का उठाया जाता रहा है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय को परामर्श देना जरूरी नहीं समझा गया क्योंकि ये विचार मूलत: उस सम्मेलन की चर्चा का दिशा-निर्देश करने के लिए थे जिसमें निजी संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। ये इसलिए थे कि इन लोगों को परिवर्तित परिस्थितियों में विपणन से संबंधित सम्पूर्ण समस्या पर एक नए दृष्टिकोण से विचार करने में सहायता मिले।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडारों को हुआ लाभ तथा घाटा**

1115. **श्री विरेन्द्र सिंह राव :**

**श्री एस०एच० मिश्र :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार की शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, भंडार द्वारा कितनी बिक्री की गई है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान वर्ष-वार इसे कितना लाभ तथा कितना घाटा हुआ है?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) रुपये 4,66,644.00।

(ख) गत तीन सहकारी वर्षों में भंडार द्वारा की गई बिक्री का वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| सहकारी वर्ष | कुल बिक्री |
|---|---|
| | (लाख रुपयों में) |
| 1970-71 | 110.10 |
| 1971-72 | 106.38 |
| 1972-73* | 112.84 (अंतिम तथा बिना लेखा परीक्षा किए हुए) |

(ग) पर्मित गत तीन वर्षों में लाभ प्राप्त करती रही है। उसकी प्राप्त शुद्ध (नेट) लाभ इस प्रकार है :—

| सहकारी वर्ष | शुद्ध लाभ |
|---|---|
| | (लाख रुपयों में) |
| 1970-71 | 4.81 |
| 1971-72 | 1.91 |
| 1972-73 | 1.42 (अंतिम तथा बिना लेखा परीक्षा किए हुए) |

**पांचवीं योजना में केरल का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण**

1116. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में केरल का तेजी से तथा बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में खनिजों को निकालने तथा उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) इससे राज्य में बेरोजगारी किस सीमा तक दूर हो जायेगी ; और

(घ) पांचवीं योजना में राज्य के काजू एककों, नारियल जटा तथा हथकरघा जैसे परम्परागत उद्योगों के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) से (घ) केरल सरकार ने पांचवी योजना के लिए कुल 747.50 करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उद्योग तथा खनिज के लिए 98.24 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इसका लक्ष्य राज्य की अर्थ-व्यवस्था में 6 प्रतिशत वार्षिक दर से वार्षिक विकास करना तथा नए उद्यम स्थापित करके और परम्परागत उद्योगों का आधुनिकीकरण करके तीव्रगति से औद्योगीकरण करना है । अन्य राज्यों के समान ही केरल की पांचवीं योजना, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के परिव्यय बताए गए हों, को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

**केरल में यांत्रिक इंजीनियरों के लिये अनुसंधान केन्द्र**

1117. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
**श्री एन० श्रीकान्त नागर :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री केरल में यांत्रिक इंजीनियरी के लिये अनुसंधान केन्द्रों के स्थान के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने मामले पर ध्यान दिया है और केरल में अनुसंधान केन्द्र के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** 3 फरवरी, 1974 को त्रिवेन्द्रम में हुई एक बैठक में यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास संगठन (मरडो) की तरह का एक केन्द्र केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा केरल राज्य में कोचीन/एर्नाकुलम के पास स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर केरल के मुख्य मंत्री, राज्य सरकार के अधिकारियों और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के मध्य बातचीत की गई थी । उपरोक्त प्रस्ताव के विवरणों का अध्ययन जारी है ।

**पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में टेलीफोन लाइनें तथा टेलीफोन एक्सचेंज**

1118. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए देश में नई टेलीफोन लाइनों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) सन् 1974–75 के दौरान मौजूदा टेलीफोन प्रणाली में लगभग 1,40,000 टेलीफोन लाइनें और 27 मुख्य आटोमैटिक एक्सचेंज बढ़ाने का कार्यक्रम है।

**पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में डाकघरों का खोला जाना**

1119. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में खोले जाने वाले नये डाकघरों की संख्या निर्धारित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में लिये गए निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) देश में 1974–75 के दौरान 4000 नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है जो इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| सामान्य देहाती इलाकों के ग्राम-पंचायत वाले गांवों में | 3000 डाकघर |
| बहुत ही पिछड़े/पहाड़ी इलाकों के गांवों में | 600 डाकघर |
| दूसरे गांवों में, जहां नये डाकघर खोलना आवश्यक समझा गया है | 400 डाकघर |

तथापि, नया डाकघर तभी खोला जाता है जबकि वह फासले, आबादी, अनुमानित आय और वार्षिक घाटे से संबंधित निर्धारित शर्तें पूरी करे।

**पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में तारघरों का खोला जाना**

1120. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में खोले जाने वाले नये तारघरों की संख्या निर्धारित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान देश में 900 तारघर खोलने का प्रस्ताव है। बड़े अनुपात में तारघरों को यह सुविधा संयुक्त सार्वजनिक टेलीफोन घरों/संयुक्त डाकतार घरों के जरिये दी जाएगी।

**नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री बी० पी० कोइराला की हत्या का षड्यंत्र**

1121. **श्री मधु दंडवते** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूचना मिली है कि नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सदस्य श्री एम० पी० कोइराला की हत्या के पश्चात् नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री बी० पी० कोइराला की, जो इस समय भारत में निर्वासित हैं, हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या श्री बी० पी० कोइराला के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित योजनाओं के बारे में सरकार को कोई निश्चित सूचना नहीं है परन्तु ऐसे खतरों की संभावना की पूर्णरूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती, जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त सावधानी बरती जाती है।

**'फ्लैग कोड इंडिया'**

1122. **श्री मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फ्लैग कोड इण्डिया" कपड़े के रंगीन टुकड़ों को इस प्रकार जोड़ने से रोकता है कि उसके राष्ट्रीय झंडे की प्रतीति न हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तिरंगे झंडे के उपयोग से फ्लैग कोड के उपबन्धों का उल्लंघन होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में फ्लैग कोड के उल्लंघन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ध्वज तथा कांग्रेस दल के ध्वज एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। कांग्रेस दल के ध्वज के चर्खे को राष्ट्रीय ध्वज का चक्र नहीं समझा जा सकता। कांग्रेस दल का ध्वज पहले से था तथा उस पर चर्खा चूंकि इसका प्रमुख पहचान-चिन्ह है, अतः इसे फ्लैग कोड-इंडिया के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

**पंजाब में नक्सलवादियों द्वारा प्रायोजित हिंसा और उपद्रवों के बारे में पंजाब सरकार द्वारा सहायता मांगा जाना**

1123. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों द्वारा प्रायोजित हिंसा और उपद्रवों के समाचार पंजाब से मिल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता मांगी गयी है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में कुछ घटनाएं हुई जिनमें वहां हाल के छात्र आंदोलन में, उग्रपंथियों के प्रभाव के अन्तर्गत छात्रों के एक वर्ग द्वारा सरकारी बसों तथा अन्य संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। परन्तु नक्सलपंथी प्रकार की गतिविधियां कम हो गई हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

**भूतपूर्व राजाओं को अनुग्रहपूर्वक भुगतान**

1124. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राजाओं को अन्तरिम भुगतान करने के बारे में जैसाकि उन्होंने हाल ही में प्रधान मंत्री को सुझाव दिया था, कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन राजाओं, उनके आश्रितों और परिजनों को, जिनका वर्तमान परिस्थितियों में भावी जीवन निराशाजनक है, अन्य किस प्रकार का अनुग्रहपूर्वक भुगतान करने का मामला विचाराधीन है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जैसा कि 7 मार्च, 1973 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2343 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, सरकार ने ऐसे भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहात भुगतान करने का निर्णय पहले ही कर लिया था, जो इसे स्वीकार करेंगे। किन्तु कोई भुगतान नहीं किया क्योंकि सरकार को तब तक भुगतान न करने की सलाह दी गई थी जब तक की संविधान (24वां, 25वां तथा 26वां संशोधन) अधिनियम, 1971 को चुनौती देते हुए दो भूतपूर्व नरेशों द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ज्ञात न हो जाये। कुछ भूतपूर्व नरेशों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(ख) भूतपूर्व नरेशों और उनके आश्रितों को कोई अन्य अनुग्रहात भुगतान करने का कोई विचार नहीं है। परन्तु सरकार के पास ऐसे संबंधियों को मासिक भत्ते देने की एक योजना है, जो प्रिवी पर्स समाप्त होने से पूर्व नरेशों से नियमित भत्ते ले रहे थे और अब आर्थिक कठिनाई में हैं।

**Activities of foreign missionaries in Tripura**

1125. **Shri Jagannathrao Mishra :**

**Shri Ranabahadur Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news reports that a national of New Zealand is indulging in anti-Indian propaganda in the Adivasi areas of Tripura in the garb of propagating the teachings of Bible with the help of foreign missionaries, doctors and bishops ;

(b) if so, whether the Government of India have collected information about it;

(c) if so, the facts thereof ; and

(d) the measures taken by Government to check such activities ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) to (d). Government have seen the report. In 1972 and 1973 there were some New Zealand missionaries in Tripura but there was no evidence of any of them having indulged in anti-Indian propaganda.

**तारापुर परमाणु बिजलीघर के निर्माण में कुप्रबंध**

1127. **श्री नवल किशोर सिंह :**

**श्री हरि किशोर सिंह :**

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तारापुर परमाणु बिजलीघर के निर्माण में व्यापक कुप्रबन्ध के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार कि क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा, मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रेस रिपोर्ट में की गई आलोचना अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी, जिसने तारापुर बिजलीघर का निर्माण "टर्न-की" आधार पर किया है, की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में थी, न कि परमाणु ऊर्जा विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में। तारापुर परमाणु बिजलीघर के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी को दिया गया ठेका एक 'निश्चित लागत' के आधार पर था तथा उस ठेके के निर्माण कार्य के जल्दी/देर से समाप्त किए जाने के बारे में बोनस/पैनल्टी सम्बन्धी धारा शामिल की गई थी। सभी परियोजनाओं को बनाते समय कुछ न कुछ समस्याएं सामने आती ही हैं तथा तारापुर परमाणु बिजलीघर बनाते समय भी ऐसी समस्याएं सामने आईं। इन समस्याओं का समाधान ठेकेदारों ने किया तथा इस पर आने वाला खर्चा भी स्वयं उन्होंने ही उठाया। परमाणु ऊर्जा विभाग के जो इंजीनियर संयंत्र-स्थल पर नियुक्त थे, उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि बिजलीघर के सभी दोष समय रहते पता लग जाएं और उन्हें बिजलीघर की सम्बन्धित प्रणालियों को चालू करने से पहले ही जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी द्वारा अपने खर्च पर दूर कर दिया जाए। कुल मिलाकर, दोषों को दूर करने के इस काम से बिजलीघर को पूरा करने के लिए निर्धारित समय में कोई विलम्ब नहीं हुआ

**आकाशवाणी के त्रिचूर केन्द्र से स्वतन्त्र प्रसारण**

1128 **श्री सी० जनार्दनन :**

**श्री सी०के० चन्द्रप्पन :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के त्रिचुर केन्द्र ने स्वतन्त्र प्रसारण आरम्भ कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र से स्वतंत्र प्रसारण नाममात्र के लिये किये जाते हैं और वे संक्षिप्त और अपर्याप्त होते हैं ; और

(ग) सरकार इस केन्द्र के प्रसारणों में सुधार करने के लिए क्या उदम उठाना चाहती है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)**: (क) से (ग), त्रिचूर 23 दिसम्बर, 1973 तक आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र का सहायक रिले केन्द्र था। इसने 24 दिसम्बर, 1973 से स्वतन्त्र रूप से प्रतिदिन 90 मिनट की अवधि के मूल कार्यक्रमों का प्रसारण आरम्भ किया और शेष कार्यक्रम इसके तीनों परिषेणों में त्रिवेन्द्रम से रिले किये जा रहे हैं। सरकार त्रिचूर से प्रसारित किये जाने वाले मूल कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में पहले ही विचार कर रही है। कार्यक्रमों के स्तर में सुधार एक निरन्तर क्रिया है।

**Paper Crisis**

1129. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

**Shri S. N. Misra :**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether according to a note regarding production of printing paper issued by the Ministry of Industrial Development, the paper industry has been held responsible for the crisis, because it deliberately did **not** produce the ordinary printing paper and instead produced other type of paper and this is the cause of crisis ; and

(b) if so, the action taken against the paper industry for this ?

**The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana):** (a) and (b). While the shortfall in production of paper has been mainly due to power cuts, difficulties in the movement of coal and other chemicals, labour problems etc. decrease in the quantity of low gramage paper has also been due to diversion of production in favour of high gramage industrial paper. To increase the production of writing and printing variety of paper, a suggestion was made by the Development Council for Paper at its meeting held on 16-1-74 that the paper industry should revert to the pattern of production of different varieties of paper as per the pattern of the average production achieved during 1968-69 and 1969-70. The paper industry, paper trade and major consumers who were participants in the meeting have agreed to this suggestion.

**Automatic telephone system in Mandsaur (M.P.)**

1130. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is a long standing demand for automatic telephone system in Mandsaur (M.P.);

(b) whether work on this system has already been started but this facility has not been made available so far ; and

(c) if so, the time by which this facility will be available ?

**The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):** (a) Yes Sir.

(b) and (c) The work has since been completed and automatic telephone exchange at Mandsaur commissioned on 1-2-1974.

**Reorganisation of Film Censors Board**

1131. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) when the Film Censors Board was constituted;

(b) the Members of the Board at present; and

(c) the tenure of the members of the Board ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha):** (a) to (c). The present Board of Film Censors was constituted on 1-1-1974 and its term was extended upto 31-3-1974. The names of the present members of the Board are as follows:—

Shri V. D. Vyas—Chairman.

**Members:**

1. Shri B. R. Chopra.
2. Smt. Veena Duggal.
3. Smt. Surinder Gupta.

4. Shri P. C. Mathew.

5. Smt. M. Nasrullah.

6. Shri B. N. Sircar.

7. Shri A. L. Srinivasan.

8. Shri C. R. Sundaram.

9. Shri David Abraham.

2. Government,, after taking into consideration the recommendations of the Enquiry Committee on Film Censorship relating to the re-organisation of the Board of Film Censors and the certification procedures, introduced a Bill to amend the Cinematograph Act. 1952 in the Rajya Sabha in August, 1973 which has since been passed by it. The Bill is now pending before the Lok Sabha. The Board will be reconstituted after the passage of the Bill.

**दिल्ली के जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज में कान्सेनट्रेटर का लगाया जाना**

1132. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज में एक कान्सेनट्रेटर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी टेलीफोन लाइनों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) ऐसी पद्धति से राजधानी की टेलीफोन सेवा में किस हद तक सुधार होगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) और (ख). जोरबाग एक्सचेंज में एक कान्सेंट्रेटर लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । हां 1000 लाइन का एक ऐसा कांन्सनट्रेटर स्थापित करने का प्रस्ताव अवश्य है, जो मूलतः चाणक्यपुरी एक्सचेंज से जुड़ा होगा । इस कांन्सनट्रेटर के चालू हो जाने पर जोरबाग/चाणक्यपुरी इलाकों में करीब 900 अतिरिक्त कनेक्शन दिए जा सकेंगे ।

(ग) कान्सेंट्रेटर की स्थापना टेलिफोन एक्सचेंज से दूर पड़ने वाली बस्तियों की मांगे पूरी करने और साथ ही लाइन प्लांट विशेषकर अन्डरग्राउंड केबिलों का कारगर ढंग से इस्तेमाल करने के उद्देश्य से की जाती है ।

**ऊर्जा को जमा रखने तथा लिग्नाइट से तरल ईंधन बनाने के लिये एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना**

1133. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संसाधनों को जमा रखने तथा लिग्नाइट में तरल ईंधन बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) अन्य ईंधनों की तुलना में यह ईंधन कितना सस्ता होगा ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगीकीय की राष्ट्रीय समिति के ईंधन तथा बिजली संबंधी पैनल ने ऊर्जा आयोजन के लिए एक संस्थान की स्थापना करने के लिए एक संकल्पनात्मक रूपरेखा तैयार की है । इस संस्थान के संगठन संबंधी ब्यौरे को अभी तैयार करना बाकी है। यह संस्थान स्वदेशी ईंधन तथा ऊर्जा संसाधनों के उपयोग, परिवहन तथा प्रयोग संबंधी समस्त योजना कार्यों में योगदान देगा ।

**देश में पोस्ट कार्ड व्यवस्था**

1134. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

**श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोस्ट कार्डों पर प्रति वर्ष भारी हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में पोस्ट कार्ड व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) सरकार को कितनी हानि होती है ; और

(घ) पोस्ट कार्डों के विकल्प का प्रस्ताव क्या है और इसकी लागत क्या होगी ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सन् 1973–74 का अनुमानित घाटा 73624 लाख रुपये है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**मध्य प्रदेश द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति के नवीकरण की मांग**

1135. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश सरकार ने मांग की है कि पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक लाइसेंस नीति का नवीकरण किया जाना चाहिए और यह सुझाव दिया है कि यदि तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिक कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं तो पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करने के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कोई आशय-पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) और (ख) 22 जनवरी, 1974 को उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में बोलते समय मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री ने अपने भाषण में बताया था कि कहीं भी पिछड़े क्षेत्र के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से किसी पिछड़े क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के उद्योग की स्थापना की आर्थिक संभाव्यता का पता चलता है तो किसी भी परिस्थिति में ऐसे उद्योगों के लिए विकसित क्षेत्र को कोई आशयपत्र नहीं दिया जायेगा।

(ग) "उद्योगों के मार्गदर्शी सिद्धान्त, 1973–74" में सरकार ने स्पष्टतया बताया है कि लाइसेंसों के बारे में निर्णय लेते समय सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी, विशेष रुप से, सरकार जांच करेगी कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित कए जाने वाले उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार क्षेत्रीय आवश्यक मांग के रूप में तथा आपूर्ति की उपलब्धता का भी ध्यान रखेगी।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण में व्यस्त स्वैच्छी संगठनों को अनुदान**

1136. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में व्यस्त स्वेच्छी संगठनों को अनुदान देती है' और

(ख) यह किस प्रकार सुनिश्चित कराया जाता ह कि इन स्वेच्छी संगठनों को दिए गए अनुदान वास्तव में पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्यों पर व्यय किए जाते हैं।

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)**: : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वयं सेवी संगठन अनुदान-सहायता की शर्तों का अनुपालन करें तथा स्वीकृत योजनाओं को यथोचित रूप से चलाया जाये, पिछड़े वर्ग कल्याण के क्षेत्रीय निदेशकों/उपनिदेशकों को सरकार के नामजद अधिकारी के रूप में स्वयं सेवी संगठनों का प्रबन्धक समितियों में नियुक्त किया गया है। इन संगठनों द्वारा चलाई गई अनुमोदित योजनाओं का पिछड़े वर्ग कल्याण के महानिदेशक के संगठन के अधिकारयों द्वारा भी नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। इन संगठनों द्वारा किए गये कार्यक्रमों की समीक्षा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन राष्ट्रपति को प्रस्तुत अपने वार्षिक प्रतिवेदन में करता है। केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार द्वारा इन स्वयं सेवी संगठनों की लेखा परीक्षा भी की जाती है।

**चुनाव प्रचार के लिये राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी का प्रयोग**

1137. **श्री रण बहादुर सिंह :**

**श्री पी०जी० मावलंकर**

क्या **सचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी के प्रयोग को अनुमति देने का कोई उपक्रम किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) और (ख) :—सरकार रेडियों और टेलीविजन से राजनीतिक प्रसारण के लिए समय आवंटन के प्रश्न पर किसी भी सर्वसम्मत व्यवस्था का स्वागत करेगी। तथापि, चुनाओं के समय इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में सर्वदलीय मतैक्य प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा भूतकाल में किए गए प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

**रायगंज में तारों एवं पत्रों के प्राप्त होने/भेजे जाने में कथित देरी**

1138 **श्री. आर०एन० बर्मन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 जनवरी, 1974 के समाचार पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि रायगंज (पश्चिम बंगाल) में तारों एवं पत्रों के प्राप्त होने और उनके प्रेषण में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी नहीं। 12 जनवरी, 1974 को या इस तारीख के पहले या बाद में हमने ऐसा कोई समाचार नहीं देखा है जिसमें रायगंज (पश्चिम बंगाल) में तारों और पत्रों की प्राप्ति/प्रेषण में विलम्ब होने का आरोप लगाया गया हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**टेलीविजन सेटों की मांग में कमी**

1139. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:,

(क) क्या देश में टेलीविजन सेटो की मांग हाल ही में कम हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)**

(क) हाल के वर्षों में टेलीविजन सेटों की मांग में कोई कमी नहीं आयी है। इसके विपरीत मांग नियमित रूप से बढ़ रही है, ऐसा कि देश में टेलीविजन लाइसेंसों की संख्या से स्पष्ट है। दिसम्बर, 1971 में ऐसे लाइसेंसों की संख्या 44,055 थी, जो दिसम्बर, 1972 में 84,114 हो गयी तथा सितम्बर 1973 तक यह संख्या 1,35,369 तक थी।

(ख) उदय नहीं होता।

**पांचवी योजना के दौरान राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम**

1140. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी कितनी धन राशि नियत करने का विचार है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मौहन धारिया)** : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

**विवरण**

| राज्य | (करोड़ रु०) राज्य की पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए आवंटन |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 176.73 |
| 2. असम | 120.00 |
| 3. बिहार | 276.80 |
| 4. गुजरात | 128.20 |
| 5. हरियाणा | 62.90 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 44.03 |
| 7. जम्मू और काश्मीर | 56.35 |
| 8. केरल | 119.11 |
| 9. मध्य प्रदेश | 285.10 |
| 10. महाराष्ट्र | 206.68 |
| 11. मणिपुर | 12.93 |
| 12. मेघालय | 15.40 |
| 13. मैसूर | 116.60 |
| 14. नागालैण्ड | 11.89 |
| 15. उड़ीसा | 157.78 |
| 16. पंजाब | 73.79 |
| 17. राजस्थान | 203.54 |
| 18. तमिलनाडु | 148.31 |
| 19. त्रिपुरा | 20.41 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 361.44 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 205.80 |
| जोड़ : | 2803.79 |

**पांचवी योजना के दौरान राज्यों को धन-राशियां नियत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत**

1141. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के लिए राज्यों को धनराशि नियत करते समय आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों से साक्षरता तथा बेरोजगार की स्थिति को ध्यान में रखा है; और

(ख) यदि नहीं तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को निधियों का नियतन करने के लिए सरकार का विचार क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाने का है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) और (ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता का वितरण राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा तैयार एक सूत्र के अनुसार किया जाता है। इस सम्बन्ध में जिन सूचकों को ध्यान में रखा गया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या का घनत्व, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों की विद्यमानता, कराधान का स्तर इत्यादि। पांचवीं योजना में केन्द्रीय सहायता आवंटित करने का सत्र अभी राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा तैयार किया जाना है।

राज्यों में जनसंख्या के सुविधाहीन वर्गों को आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पांचवीं योजना के दौरान अनेक विशेष स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम, लघु तथा सीमान्त कृषक और सूखा प्रवृत्त क्षेत्र परियोजनायें।

**परमाणु ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारी**

1142. **श्री आर० एन० बर्नन** : क्या **परमाणु ऊजा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित [जनजातियों के श्रेणीवार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) श्रेणीवार कितने पद अब तक रिक्त पड़े हैं; और

(ग) वर्ष 1972 और 1973 में श्रेणीवार कितने पद भरे नहीं गये और 1973–74 में ले जाये गए; और उसके कारण क्या हैं ?

**प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकस मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी**

1143. **श्री एस० वी० धामनकर :**

**श्री रानेन सैन :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है। उन सभी के मामलों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने लोगों को पेंशन मंजूर कर दी गई है और कितने मामले अभी तक राज्यवार अनिर्णीत हैं ;

(ग) अनिर्णीत मामलों को अन्तिम रूप तथा पेंशन मंजूर करने में बिलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के प्राप्त होने से पेंशन मंजूरी तक कितना समय लगता है; और

(ङ) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या अतिरिक्त कार्यवाही की गई है जिससे कि कठिनाई ग्रस्त तथा वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी जितना शीघ्र सम्भव हो सके अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। [**ग्रंथालय में रखी गयी / देखिये संख्या एल० टी०** 6257/74]

(ग) आरम्भ में, प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या मूल आशा से अधिक हो गई थी। फिर भी इतनी भारी संख्या के निपटान के लिये कर्मचारियों की संख्या उचित रूप से बढ़ा दी गई थी।

विलम्ब मुख्यतः अपूर्ण कागजातों अथवा राजनैतिक यातानाओं के बारे में प्राप्त हुए आवेदनपत्रों की भारी संख्या के कारण हुआ जिनमें पूरे सबूत निहित नहीं थे। आवेदकों से अनिवार्य विवरण तथा यातना का प्रमाण या तो आवेदक से अथवा संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त करने में समय लगता है।

(घ) आवेदनपत्र तैथिकक्रम अर्थात् आवेदनपत्र की प्राप्ति की तिथि के अनुसार निपटाये जा रहे हैं। यदि वे सब प्रकार से पूर्ण है तो अस्थायी पेंशन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सत्यापन रिपोर्ट का इंतजार किये बिना स्वीकृत कर दी जाती है। 15 अगस्त, 1973 तक प्राप्त अधिकांश आवेदन-पत्रों की जांच कर ली गई है। अब 15 अगस्त, 1973 के पश्चात् प्राप्त आवेदनपत्रों की जांच करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

(ङ) उन व्यक्तियों के आवेदनपत्रों की जांच जो बहुत वृद्ध हैं अथवा बहुत बीमार हैं, प्राथमिकता के आधार पर की जाती है तथा वे यदि पात्र हैं तो पेंशन स्वीकार की जाती है। अब बहुत वृद्ध तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लम्बित आवेदनपत्रों की जांच करने के लिये विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और जो पात्र पाए जाएंगे उन्हें तुरन्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी।]

**अनुसंधान और विकास के लिए उपकर लगाना**

1144. **श्री धामनकर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के लिए धन जुटाने की दृष्टि से अनुसंधान और विकास उपकर लगाने का विचार है और उपकर के माध्यम से लिए गए धन को एक विशेष कोष में जमा कराया जाएगा तथा उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा;

(ख) उपकर एकत्रित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाने का विचार है,

(ग) क्या यह उपकर छोटे तथा बड़े कारखानों पर, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बड़े औद्योगिक कारखानों के अपने बृहत आर० एण्ड डी० प्रतिष्ठान हैं, समान रूप से लगाया जाएगा। और

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पर्याप्त कदम उठा रही है कि छोटे कारखानों पर इस उपकर का विशेष प्रभाव न पड़ने पाये तथा यह उपकर उनके लिए बिना किसी आनुषंगिक लाभ के ध्येय को मद ही न बन कर रह जाए अपितु छोटे कारखानों को इससे अधिकतम लाभ हो ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक एककों पर अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए, उपकर लगाने का सुझाव विज्ञान और प्रौद्योगिक की राष्ट्रीय समिति द्वारा दिया गया था।

(ख) से (घ) : योजनाओं के ब्यौरे तैयार करने का कार्य अभी बाकी है ।

**भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीशियनों तथा इंजीनियरों को विदेशों से आकर्षित करने के लिए व्यापक योजना**

1145. **श्री धामनकर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में उत्पादन कारखानों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों तकनीशियनों तथा इंजीनियरों को स्वदेश लौटने तथा भारत में ही अपने निजी उद्योग आरम्भ करने के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार किस तारीख तक व्यापक योजना आरम्भ करेगी ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को वापस भारत लौटने तथा अपने निजी उद्योग स्थापित करने के लिए क्या रियायतें तथा सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ?

(ग) क्या व्यापक योजना की उत्साहजनक प्रतिक्रिया होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो देश में उत्पादन में वृद्धि होने में यह योजना कितनी सहायता होगी।

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (घ) विदेशों के उत्पादन/अनुसंधान कार्य में रत भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और इंजीनियरों को आकर्षित करने से संबंधित योजना के विवरणों को तैयार किया जा रहा है । ज्यों ही विवरणों का अंतिम निर्णय हो जायेगा, योजना को लागू कर दिया जायेगा और यह कार्य किया जा रहा है ।

**सफेद कागज का प्रयोग न करने के बारे में समाचार पत्रों को निदेश देने का प्रस्ताव**

1146. **श्री एम० सुदर्शनम्** :

**श्री वी० मायावान** :

क्या **सूचना और सारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफेद कागज का प्रयोग न करने के बारे में समाचारपत्रों को निदेश देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां तो अखबारी कागज़ की कमी को देखते हुए इसके स्थान पर क्या प्रयोग करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** (क) तथा (ख) : अखबारी कागज़ की कमी के कारण, अखबारी कागज़ के उपभोक्ताओं द्वारा छपाई तथा लिखाई के कागज के प्रतिबन्धित उपयोग के लिए अनुमति देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

**तेल से चलने वाले उद्योगों का कोयले से चलाया जाना**

1147. **श्री एम० सुदर्शनम् :**

**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 70 प्रतिशत उद्योगों को जो तेल से चलते हैं बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोयले से चलाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं। तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि उन एककों द्वारा तुरन्त अथवा 3 से 6 महीने की अल्प अवधि में कोयले का उपयोग करना शुरु कर देने से फर्नेस आयल की कुल खपत में लगभग 30% की बचत होने की आशा है।

(ख) फर्नेस आयल संबंधी स्थायी समिति ने पहले ही उन औद्योगिक एककों का आकलन किया है जहां प्रतिस्थापन अविलम्ब सम्भव है तथा यह ईधन के उपयोग में मितव्ययिता और क्षमता लाने तथा कोयले का उपयोग शुरु कर देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये योजनायें तैयार कर रही है।

**भोपाल में ड्राई बैटरी परियोजना स्थापित करना**

1149 **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की फर्म, वार्ता के तकनीकी सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार 227 लाख रुपये की ड्राईबैटरी परियोजना भोपाल में स्थापित कर रही है ;

(ख) क्या इस उद्योग द्वारा निर्मित सैलों का खोल धातु का होगा, जिससे सेल अधिक समय तक कार्यशील/अधिक टिकाऊ और सुन्दर बनते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्य आरम्भ करने के लिए अन्य राज्य सरकारों को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार तैयार है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** (क) जी, नहीं किन्तु मै० मध्य प्रदेश इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक एकक स्थापित किया जा रहा है।

(ख) उत्पादन में कागज से मढे हुए तथा धातु से मेढ़े हुए दोनों प्रकार के सैल शामिल होंगे।

(ग) सरकार का विचार है कि पूर्व स्थापित तथा लाइसैन्सीकृत क्षमता पांचवीं योजनावधि की संभावित मांग को पूरा कर सकेगी। जारी किये गये आशय-पत्रों तथा लाइसेन्सों के कार्यान्वयन की निरन्तर संवीक्षा की जाती रहती है।

**पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा टायर तथा ट्यूब कारखाना स्थापित करना**

1150. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में टायर तथा ट्यूब बनाने का एक स्वचालित कारखाने की स्थापना करने के संबन्ध में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ब्रिटेन और डनलप इंडिया लिमिटेड के बीच गत नवम्बर में किसी तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस कारखाने के चालू हो जाने पर टायर तथा ट्यूबों की हमारी सम्पूर्ण मांग की पूर्ति हो जाएगी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने टायर तथा ट्यूब बनाने के लिए ब्रिटेन के मै० डनलप, के साथ तकनीकी सहयोग हेतू नवम्बर 1973 में प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

**आशय-पत्र तथा लाइसेंसों का जारी किया जाना**

1151. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** :

**[श्री प्रसन्न भाई मेहता** :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1973 में 59 औद्योगिक उपक्रमों को 95 आशय-पत्र तथा लाइसेंस दिये गये ;

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस किन-किन वस्तुओं तथा कितनी कितनी मात्रा के लिए दिये गये; और

(ग) सितम्बर से फरवरी, 1974 तक कितने आशय-पत्र तथा लाइसेंस दिये गये ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) सितम्बर, 1973 के महीने में 74 आशय-पत्र तथा 57 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे।

(ख) और (ग) सितम्बर, 1973 से 16 फरवरी 1974 तक की अवधि में, 468 आशय-पत्र तथा 352 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये। सरकार द्वारा दिये गये सभी आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा उत्पादन की वस्तु तथा मात्रा आदि सहित सांवधिक रूप से अनेक जरनलों में जैसे "वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइससैंज, इम्पोर्ट लाइसेन्सिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज", साप्ताहिक "इंडियन ट्रेड जरनल" तथा मासिक "जरनल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

**Printing of names and addresses by firms on post cards**

1152. **Shri Onkar Lal Berwa :**

**Shri Sukhdeo Prasad Verma :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose restrictions on printing names and addresses on post cards by the firms; and

(b) if so, the reasons thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के लिये पात्रता**

1153. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या गृह मंत्री 21 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 151 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; (एक) जो गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप जेल से पहले ही रिहा कर दिये गये थे; और (दो) जिन पर छः महीने से अधिक मुकदमें चले;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस निर्णय से प्रत्येक श्रेणी के कितने कितने स्वतंत्रता सेनानी प्रभावित होंगे ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**बम्बई में केरल निवासियों के जीवन तथा सम्पति की सुरक्षा के लिए केरल सरकार से अनुरोध**

1154. **श्री वयालार रवि :**

**श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को केरल के मुख्य मंत्री से कोई पत्र मिला है जिसमें हिंसात्मक गतिविधियों से बम्बई में रहने वाले केरल वासियों तथा अन्य भाषाई अल्प संख्यकों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन ):** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय सरकार शिव सेना की हाल की गतिविधियों के कारण बम्बई में उत्पन्न कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन क्षेत्रों में विशेष पुलिस गश्त का प्रबन्ध किया गया है जहां भाषाई अल्प संख्यक रहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री 8.2.1974 को भाषाई अल्प संख्यकों के प्रतिनिधियों से मिले थे और उन्होंने इस बात को दोहराया कि अभी नागरिकों और अल्पसंख्यकों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये सभी कदम उठाएं जाएंगे।

**कटक के टेलीविजन केन्द्र का रेंज**

1155. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक के टेलीविजन केन्द्र का प्रसारण उड़ीसा के सभी जिलों में किया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने जिलों में इसका प्रसारण किया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** (क) और (ख) उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग द्वारा कवर किये जाने वाले क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा को जारी रखने के लिए उड़ीसा राज्य में पांचवी योजना की परियोजना के रूप में कटक में एक मूल टेलीविजन केन्द्र और अनगुल, सम्बलपुर और फुलबानी के निकट तीन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों का जिलेवार प्रसारण क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :--

कटक : कटक और पुरी के पूरे जिले। इनकी कुल जनसंख्या 51 लाख है।

अनगुल : धनकानल का पूरा जिला और केओनझर, पूरी, कटक और सम्बलपुर जिलों के कुछ छोटे भाग। इनकी कुल जनसंख्या 20 लाख होगी।

सम्बलपुर : सम्बलपुर का पूरा जिला तथा बोलनगीर, सुन्दरगढ़ और बौद्ध खोनडेमल के कुछ छोटे भाग। इनकी कुल जनसंख्या 21 लाख है।

फुलबानी : बोद्ध खोनडेमल जिले का अधिकांश भाग तथा धनकानल, बोलनगीर, गनजम, पुरी, कलाहांडी और सम्बलपुर जिलों के कुछ छोटे भाग। इनकी कुल जनसंख्या 26 लाख है।

**पांचवीं योजना में उड़ीसा की सुवर्ण रेखा परियोजना को शामिल करना**

1156. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सुवर्णरेखा परियोजना शामिल की जा रही है;

(ख) क्या इसको शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है; और

(ग) क्या उड़ीसा के आदिवासी जिलों का औद्योगीकरण करने की कोई योजना है और यदि हां, तो कौन-कौन सी परियोजनाएं सोची गयी हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) बिहार सरकार ने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग की स्वीकृति के लिए 90.03 करोड़ रुपये व्यय की अनुमानित लागत की "स्वर्णरेखा बहुद्देश्य परियोजना" पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस परियोजना को पांचवीं योजना में शामिल करने के प्रश्न पर विचार केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आशा है कि राज्य आवश्यकताओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं जो कि स्थानीय स्थितियों के अनुरूप हों, के आधार पर आदिमजाति क्षेत्रों के विकास में तेज़ी लाने के लिए संमेकित क्षेत्र विकास योजनाएं तैयार करेंगे। इन योजनाओं में प्राकृतिक संसाधनों के विकास, कृषि, बागवानी और उद्योग के साथ-साथ क्रमिक आधार पर अपेक्षित बुनियादी आधार और सामाजिक सेवाओं की भी व्यवस्था होगी। आदिमजाति क्षेत्रों में ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों से संबंधित कतिपय सामान्य स्कीमों के अलावा उड़ीसा के आदिमजाति क्षेत्रों के लिए पूर्वप्राप्त उप योजना के प्रारूप में विभिन्न छोटे उद्योगों की निम्नांकित विशेष स्कीमें भी शामिल हैं:--

(1) आई० टी० आइज़;

(2) रेशम परिष्करण एवं जांच स्टेशन की स्थापना;

(3) टसर-सूत उत्पादन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना;

(4) 10 शिल्प विद्यालयों की स्थापना; और

(5) आदिमजाति शिल्पों का विकास।

**उड़ीसा को औद्योगिक लाइसेंस देना**

1157. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में बालासोर तथा मयूरभंज के लिये औद्योगिक लाईसेंस देने की सरकार की कोई योजना है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : 1971 से 73 तक की अवधि में इन दोनों जिलों से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा :--

| | प्राप्त आवेदन पत्र | स्वीकृत लाइसेन्स/आवेदन पत्र | अस्वीकृत | अनिर्णीत |
|---|---|---|---|---|
| बालासोर जिला | 6 | 1 | 1 | 4 |
| मयूरभंज जिला | 7 | 2 | 4 | 1 |

**उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना**

1158. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में उड़ीसा में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का लक्ष्य है; और

(ख) क्या **मांगों** और जनसंख्या की दृष्टि से उड़ीसा डाकघरों के मामले में अन्य राज्यों की अपेक्षा पीछे है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) वर्ष 1974-75 के दौरान उड़ीसा में 30 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 10 संयुक्त डाक-तार घर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी नहीं । उड़ीसा में डाकघरों के औसत इस प्रकार हैं :—

हर आठ गांवों में एक डाकघर जो 26.92 वर्ग किलोमीटर के और 3764 की आबादी वाले इलाके के लिए होता है । ये अखिल भारतीय औसतों के काफी नजदीक हैं, जिसके मुताबिक 6 गांवों के लिए एक डाकघर होता है, जो 27.63 वर्ग किलोमीटर के और 4710 की आबादी वाले इलाके में डाक-सेवा प्रदान करता है ।

**टेलीविजन को रेडियो से अलग करने सम्बन्धी निर्णय को कार्यान्वित करना**

1159. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन को रेडियो से अलग करने संबन्धी निर्णय को कार्यन्वित करने में और विलम्ब होगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) से (ग) देश में टेलीविजन सेवा को चलाने के लिये एक अलग संगठन स्थापित करने में कुछ समय और लगेगा, क्योंकि नये ढांचे के ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

**दिल्ली प्रशासन अधिनियम में संशोधन**

1160. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद् के अध्यक्ष ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली प्रशासन अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है जिसके अन्तर्गत परिषद् सभा की मानहानि के लिये कार्यवाही करने का उपक्रम कर सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमन्

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली महानगर के अध्यक्ष के सुझावों की जांच की जा रही है ।

**दिल्ली में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण**

1161. **श्री एस० सी० सामान्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के दिल्ली और नई दिल्ली नगरों में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों के दोषपूर्ण कार्यकरण के सुधारार्थ क्या कदम उठाये जा रहे हैं और यह सुधार कब तक हो जाएगा ;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि दिल्ली और नई दिल्ली में लगाए गए अधिकाधिक टेलीफोन मशीनों के एकक लगभग प्रतिदिन कुछ या काफी समय तक बंद पड़े रहते हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों में पाए गए दोषों की विस्तृत छानबीन के बाद उपस्कर को बेहतर बनाने और उसमें सुधार करने का फैसला किया गया है । करोलबाग और जोरबाग के स्थानीय क्रासबार एक्सचेंजों और बेल्जियम की बेल टेलीफोन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी द्वारा सप्लाई किए गए क्रासबार ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है । इसी प्रकार का कार्य इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलूर द्वारा सप्लाई किए गए जनपथ-1 के स्थानीय क्रासबार एक्सचेंज में भी किया जा रहा है । विभिन्न एक्सचेंजों में करीब 15 से 30 प्रतिशत तक सुधार कार्य पूरा हो चुका है और बाकी काम अगले 12 से 14 महीनों में पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ख) जी नहीं, दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में खराबियों और शिकायतों की संख्या में असाधारण वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) उपस्कर बेहतर बनाने का काम पूरा हो जाने पर आशा है कि क्रासबार एक्सचेंजों के कार्य में काफी सुधार हो जायेगा ।

**Increasing the number of post offices and promoting other means of communication to Raipur District**

1162. **Shri Shrikrishna Agrawal:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of sub post offices and main post offices in Raipur District of Madhya Pradesh; and

(b) the efforts being made to increase their number and to promote other means of communications keeping in view the backwardness of the area ?

**The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):** (a) At present, Raipur District is having post offices as under :—

| | |
|---|---|
| Head Post Office | 1 |
| Sub Post Offices | 46 |
| Branch Post Offices | 267 |

(b) **Postal communication:** 4 more post offices have been sanctioned and are likely to be opened shortly. It is proposed to open some more post offices during the 1st year of Fifth Five Year Plan—74-75 wherever found justified.

**Telecommunications:** Sanction has been issued for opening one telephone exchange and 3 Public Call Offices.

**Survey of backward areas in M.P.**

1163. **Shri Shrikrishna Agrawal:**

**Shri G. C. Dixit:**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether under the instructions issued by the Planning Commission Madhya Pradesh Government has surveyed the backward areas in the State on the basis of different criteria and it has been found that two-third of the population lives in three-fourth of the backward areas of the State;

(b) if so, the reaction of Central Government thereto; and

(c) the efforts being made to remove this imbalance in the Fifth Five Year Plan ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia):** (a) to (c). Government of Madhya Pradesh have, on the basis of certain selected indicators, identified 32 out of 45 districts as backward. Three-fourth of the area and two-thirds of the population of the State is accounted for by these backward districts.

Accelerated development of backward areas, with a view to reducing regional disparities is one of the important national objectives. The steps proposed in this regard have been spelt out in Chapter XIV of the draft Fifth Five Year Plan (Vol. II).

**Activities of Christian missionaries in border areas**

1164. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news reports on 30th December, 1973 in which deep concern has been expressed on the activities of Christian missionaries in border areas; and

(b) if so, the facts thereof and the steps taken to check these activities ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha):** (a) and (b) No such reports of December 30, 1973 have come to notice. However, Government have seen a news-item published in the Hindustan Times dated the 2nd January, 1974 in which it was reported that Christian Missionaries in Tripura particularly the doctors and priests of foreign origin are alleged to be preaching anti-India views among the tribals. According to information received from the Government of Tripura, there is no specific information to substantiate the allegation made in the above news report. They have reported that neither any doctor nor any priest of foreign origin has remained in Tripura since the beginning of this year. The State Government are, however, maintraining the utmost vigilance.

**"मोपला विद्रोह" के स्वतन्त्रता सेनानियों को पैन्शन देना**

**1165. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1921 में 'खिलाफत और मोपला विद्रोह' में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पैन्शन देने संबन्धी निर्णय पर पुन: विचार कर लिया है जैसा कि उन्होंने 3 दिसम्बर, 1973 को सदन में आश्वासन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) ताजा सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर मामले पर पुन: विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**अथोली में टेलीफोन एक्सचेंज**

1166. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले में अथोली के स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) अथोली में फिलहाल टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**– मालापुरम जिल में टेलीफोन एक्सचेंज**

1167. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **मंचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मालापुरम जिले में इस वित्तीय वर्ष में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने क सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :** (क) और (ख) केरल के मालापुरम जिले में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित दो टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ;

1. कालीकबु
2. एरियाकोड

**राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन**

1168. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य रूप से किन बातों पर चर्चा हुई थी और उन पर क्या निर्णय लिए गए ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) जी, हां राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में 22 जनवरी, 1974 को हुआ था ।

(ख) सम्मेलन में औद्योगिक स्थिति के विशेष संदर्भ में सामान्य आर्थिक स्थिति की संवीक्षा की गई । पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में मितव्ययिता बरतने के लिये सुझाव दिये गये । सरकारी क्षेत्र की भूमिका, लाइसेंसों के कार्यान्वयन-औद्योगिक सहकारी समितियों की भूमिका और सम्मेलन और लघु उद्यमियों की विकास समिति के प्रतिवेदन पर भी सामान्यरूप से विचार-विमर्श किया गया । विचारविमर्श से उत्पन्न प्रमुख विषय की सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा जांच करके उन पर निर्णय लिया जायेगा ।

**अल्पकालिक उत्पादन योजना**

1169. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

**श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान औद्योगिक संकट से निपटने के लिये भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने एक अल्पकालिक उत्पादन योजना का सरकार को सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राणा)** : (क) जी हां, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष ने दिनांक 17-12-1973 को "कुछ चुने हुए उद्योगों की अल्पकालिक उत्पादन संभाव्यताएं" शीर्षक एक टिप्पणी (नोट) भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया था जो कि सीमेंट, अल्यूमिनियम, उर्वरकों, मोटर गाड़ी के टायरों/ट्यूबों तथा कपड़ा उद्योगों की शीघ्र ही संवीक्षा करने पर आधारित था ; तथा

(ख) इस टिप्पण में दिए गए सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

**केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में राजामन्नार समिति**

1170. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामन्नार समिति की सिफारिशों पर तमिलनाडु सरकार द्वारा व्यक्त किये गये विचार सरकार को प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने जून 1971 में राजामन्नार समिति का प्रतिवेदन प्रधान मंत्री को भेजा था क्योंकि राजामन्नार समिति को तमिलनाडु सरकार ने नियुक्त किया था। इसलिए इसकी सिफारिशों की जांच करना उस सरकार का कार्य है। केन्द्र राज्य संबन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी जांच राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके की जा रही है। इस संबन्ध में अब तक केवल कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों के विचार प्राप्त हुए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेते समय इस विषय पर तमिलनाडु सरकार के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

**चंडीगढ़ पंचाट के विषय में पंजाब के मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

1171. **श्री राम कंवर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने हाल ही में यह कहा था कि चंडीगढ़ के संबन्ध में भारत सरकार का 29 जनवरी, 1970 के निर्णय का पुनरीक्षण होना था और इस कारण से वह पंजाब और हरियाणा पर बाध्य नहीं है ;

(ख) क्या हरियाणा में राजनीतिक सूत्रों ने इस वक्तव्य पर हैरानी प्रकट की है ;

(ग) क्या उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री के इस प्रकार के वक्तव्यों पर विरोध प्रकट किया है : और

(घ) भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** (क) संभवत: सदस्य महोदय का आशय पंजाब के मुख्य मंत्री के संवाददाताओं के साथ साक्षात्कार के उस समाचार से है जो ट्रिब्यून में दिनांक 13-12-1973 को प्रकाशित हुआ था जिसके लिए सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया गया था।

(ख) भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) भारत सरकार को आशा है कि राज्यों की उन्नति के अच्छे हित में किए गए ये निर्णय सरकारों व दोनों राज्यों के लोगों द्वारा सद्भाव तथा विवेक से स्वीकार किये जायेंगे।

**गोआ की मुक्ति के दौरान रेडियो ट्रांसमीटर की क्षति के कारण पुर्तगाली फर्म की अदायगी**

1172. **श्री राम कंवर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 दिसम्बर, 1973 के उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत ने दिसम्बर, 1961 में पुर्तगाली उपनिवेश की मुक्ति के दौरान गोआ रेडियो के क्षतिग्रस्त हुए टांसमीटर की ब्याज सहित पूरी कीमत पुर्तगाली फर्म को अदा कर दी है; और

(ख) क्या पुर्तगाली फर्म को कुल कितनी क्षतिपूर्ति राशि अदा की गई ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** (क) तथा (ख) सरकार उक्त समाचार से अवगत है। भारत सरकार के विरुद्ध सिविल कोर्ट की डिग्री के निस्तारण में मैसर्स कोस्में मटियास यैनेजीस की फर्म को 2,97,370 रुपये 15 पैसे की राशि का भुगतान किया गया है।

**बंगलादेश संकट के दौरान सी०आई०ए० की गतिविधियां**

1173. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री राम कंवर :**

क्या क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 दिसम्बर, 1973 के एक प्रैस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बंगलादेश संकट के दौरान भारत सरकार में एक ऐसा उच्च-स्तरीय व्यक्ति था जो अमरीकी सी०आई०ए० को सूचना दिया करता था ;

(ख) क्या इस समाचार के आधार पर कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की जांच के क्या परिणाम निकले है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) "भारत सरकार में सी० आई०ए० का उच्चस्तरीय एजेंट था" शीर्षक अधीन एक रिपोर्ट 10 दिसम्बर 1973 को टाइम्स आफ इंडिया के देहली संस्करण में छपी थी। फिर भी प्रेस रिपोर्ट की परिपुष्टि करने के लिये सरकार के पास कोई सूचना नहीं है

**आकाशवाणी के तकनीशियनों को बी०बी०सी० द्वारा प्रशिक्षित करवाना**

1174. **श्री राम सहाय पांडेय**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के तकनीशियनों को बी०बी०सी० द्वारा प्रशिक्षत करवाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर यदि कोई व्यय होगा तो वह कितना होगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)**: (क) से (ग) बी०बी०सी० तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानों में तकनीशियनों के लिए जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं उनका आकाशवाणी की आवश्यकताओं और पाठ्यक्रमों से संबद्ध शर्तों के अनुसार लाभ उठाया जाता है। संबन्धित प्रयोजन के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है।

**ईंधन तेल के अभाव के कारण छोटी कागज मिलों का बन्द होना**

1175. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन तेल की सप्लाई के अभाव के कारण कुछ छोटी कागज मिलें बन्द हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी उपाय करने का प्रस्ताव है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) देश में किसी कागज मिल के ईंधन तेल की कमी के कारण बन्द हो जाने की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बस्तर में कागज मिल की स्थापना**

1176. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिड़ला की ओरिएंट पेपर मिल ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में एक कागज मिल स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि राज्य सरकार परियोजना के लिये नियमित रूप से कच्चे माल के संभरण हेतु आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थी अतः आवेदन रद्द कर दिया गया।

**अनाज के लिये हुये दंगों को समाप्त करने के लिये गुजरात के मुख्य मंत्री को केन्द्र द्वारा अनुदेश**

1177. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनाज के लिए हुए दंगों को समाप्त करने के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री को केन्द्र द्वारा कुछ अनुदेश भेजे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुदेश दिये गये थे और क्या उसकी प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**डाक तथा तार कर्मचारियों को बोनस दिया जाना**

1178. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स एम्प्लाइज (राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी महासंघ) के नेताओं ने बोनस का मामला उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस संबन्ध में वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)**: (क) इस संबन्ध में फेडरेशन से डाक-तार निदेशालय में कोई पत्र नहीं आया।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**वेतन आयोग के प्रतिवेदनों से उत्पन्न विषमताएं**

1180. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति से उत्पन्न डाक तथा तार कर्मचारियों के वेतनमानों में ज्वलन्त विषमताओं का नेशनल फैडरेशन आफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एम्प्लाईज द्वारा उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विषमताओं को दूर करने के लिए कोई संयुक्त विभागीय समिति बनाई गई है ; और

(ग) क्या की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी डाक-तार विभागीय समिति (जे०सी०एम०) के कर्मचारी पक्ष को यह लिख दिया गया है कि अगर वे चाहे तो विभागीय काउन्सिल में वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न किन्हीं विषमताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

**पांचवीं योजना के दौरान दूर संचार का जाल बिछाना**

1181. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974—79 के दौरान कर्नाटक राज्य में दूर संचार का जाल बिछाने के कौन-कौन से प्रस्ताव हैं ; और

(ख) ये प्रस्ताव किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)** : (क) और (ख) यह जानकारी संकलित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

**चौथी योजना के दौरान विभागीय कार्यों पर गैर-योजना व्यय**

1182. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय सैक्टर तथा राज्य सैक्टर में, राज्यवार, विकास कार्यों पर कुल कितना गैर-योजना व्यय हुआ ; और

(ख) क्या गैर-योजना व्यय नीति पांचवीं योजना के दौरान जारी रखी जायेगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) केन्द्र तथा राज्यों में चोथी योजना अवधि के दौरान जो कुल गैर-योजना विकास व्यय हुआ उसके अद्यतन अनुमान दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है ।

(ख) पांचवीं योजना अवधि में गैर-योजना व्यय निम्नतम संभव स्तर पर बनाये रखने की नीति का अनुसरण किया जायेगा ।

**विवरण**

**केन्द्र तथा राज्यों में चौथी योजना अवधि के दौरान कुल गैर-योजना विकास व्यय**

(करोड़ रु०)

| | |
|---|---|
| **(क) केन्द्र** | 2788 |
| **(ख) राज्य** | |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 694 |
| 2. असम | 335 |
| 3. बिहार | 608 |
| 4. गुजरात | 541 |
| 5. हरियाणा | 188 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 156 |
| 7. जम्मू व कश्मीर | 147 |
| 8. कर्णाटक | 698 |
| 9. केरल | 598 |
| 10. मध्य प्रदेश | 654 |
| 11. महाराष्ट्र | 1093 |
| 12. मणिपुर | 41 |
| 13. मेघालय | 24 |
| 14. नागालैंड | 57 |
| 15. उड़ीसा | 363 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. पंजाब | | 403 |
| 17. राजस्थान | | 444 |
| 18. तमिलनाडु | | 904 |
| 19. त्रिपुरा | | 63 |
| 20. उत्तर प्रदेश | | 951 |
| 21. पश्चिम बंगाल | | 902 |
| **जोड़-राज्य** | | 9859 |
| **कुल जोड़ (क) और (ख)** | | 12647 |

**उपग्रह प्रशिक्षणात्मक टेलीविजन परीक्षण**

1183. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1975 में भारत में एक उपग्रह प्रशिक्षणात्मक टेलीविजन परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षण पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) प्रस्तावित टेलीविजन कार्यक्रम का स्वरूप क्या है तथा देश के किन भागों में इस कार्यक्रम को किया जायगा और यह कार्यक्रम कितने समय का होगा ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां।

(ख) उपग्रह प्रशिक्षणात्मक टेलीविजन परीक्षण पर किए जाने वाले व्यय के लिए सन् 1971 में 6.36 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। इस व्यय को संशोधित किया जा रहा है और अब इस पर लगभग 9.00 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(ग) इस परीक्षण द्वारा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्णाटक, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के 6 समूहों में स्थापित किए जाने वाले 2400 टेलीविजन सैट लगाने की परिकल्पना की गई है। ये सैट भारतीय प्रशिक्षणात्मक टेलीविजन के कार्यक्रमों को उपग्रह से सीधे ही ग्रहण करेंगे । ये कार्यक्रम आकाशवाणी के किन्हीं चुने हुए टेलीविजन ट्रांसमीटरों के आसपास के क्षेत्रों में भी पुनःप्रसारण द्वारा ग्रहण किये जाएंगें । यह परीक्षण लगभग एक वर्ष की अवधि तक चलेगा।

**Central /State projects inaugurated by the Prime Minister in U.P. and other States**

1184. **Shri Jagannath Rao Joshi :**

**Shri Jyotirmoy Bosu :**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the names of the centrally or State Government sponsored projects or institutions together with the cost of each of them, which were inaugurated or foundation

stones of which were laid by the Prime Minister in Uttar Pradesh and other States from 1st October, 1973 to 20th February, 1974 indicating the dates of their inaugurations or laying of foundation stones; and

(b) whether these projects have been included in the Fifth Five Year Plan; if so, the main features thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia):** (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House indicating the names of projects/institutions inaugurated/foundation stones laid by the Prime Minister during the period from 1st October, 1973 to 20th February, 1974 in Uttar Pradesh and other States. [Placed in Library. See No. L.T. 6258/74]. The other information asked for is being obtained from the appropriate authorities and will be laid on the Table of the House.

**Payment of electricity tax arrears by NDMC**

1185. **Shri Jagannath Rao Joshi:**

**Shri Phool Chand Verma:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 2466 on 28-11-73 regarding dispute between NDMC and DMC over payment of electricity tax arrears and state:

(a) the total amount in dispute at present; and

(b) the action taken since the advice of Lt. Governor was received and proposed to be taken in future in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) The D.M.C. made a claim of Rs. 4,28,59,326.85 upto October, 1973 as outstanding against the N.D.M.C. on account of Electricity Tax arrears.

(b) The N.D.M.C. has decided to send a Memorandum to the Lt. Governor to re-consider his advice.

**Postal stamp on Shri Jagdish Chandra Bose**

1186. **Shri Jagannath Rao Joshi:**

**Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards a news report on 12th January, 1974 that Shri Jagdish Chandra Bose, the inventor of wireless should be honoured by releasing a special postal stamp; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):** (a) Yes Sir.

(b) A Commemorative stamp in honour of a personality is normally issued on the occasion of the Birth/Death centenary and a special postage stamp has already been brought out on the occasion of the Birth Centenary of Shri Jagdish Chandra Bose on 30th November, 1958.

**पांचवीं योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धता**

1187. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पांचवीं योजना के लिए अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में अनिश्चितता का अनुभव करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि तथा उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगने वाली अपेक्षित पूंजी में कमी करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) योजना के वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) करों व अन्य सरकारी देयताओं की वसूली में सुधार लाने, गैर-योजना खर्चों में मितव्ययता बरतने, सार्वजनिक उद्यमों की कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रोत्साहन व सुविधाएं देकर निजी बचत को बढ़ावा देने के अतिरिक्त आशा की जाती है कि पांचवीं योजनावधि के दौरान केन्द्र और राज्य 6850S करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाएंगे ।

**श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बिहार के समाचार-पत्रों के लिए दिए गए विज्ञापन**

1189. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1973 तथा जनवरी, 1974 तक बिहार के समाचार पत्रों के लिए कुल कितने विज्ञापन दिये गये; और

(ख) इन विज्ञापनों में से कितने विज्ञापन छोटे समाचार-पत्रों तथा कितने विज्ञापन बड़े समाचार-पत्रों को दिये गये ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

**बिहार के समाचार पत्रों तथा नियतकालिक पत्रों में निवेशों की संख्या**

| | कुल | बड़े | मझौले | छोटे |
|---|---|---|---|---|
| 1972-73 . | 3,594 | 500 | 1,838 | 1,256 |
| 1973-74 . . | 2,481 | 343 | 1,332 | 806 |

(31 जनवरी, 1974 तक)

बड़: 50,000 से अधिक खपत संख्या वाले ।

मझौले: 15,001 से 50,000 तक की खपत की संख्या वाले

छोटे: 15,000 तक की खपत संख्या वाले ।

## लघु उद्योगों के विकास के लिए विधान

1190. **श्री राजा कुलकर्णी :**

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के संवर्धन और भावी विकास की सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए कानून बनाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त प्रकार का विधान कब तक प्रस्तुत करेगी; और

(ग) सरकार ने देश में लघु औद्योगिक एककों की गणना कार्य को पूरा करने में कितना धन और समय व्यय किया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना)** : (क) और (ख). लघु उद्योगों की राष्ट्रव्यापी गणना के परिणामों से उन तरीकों के बारे में स्पष्ट पता लग सकेगा जिन पर लघु उद्योगों को भविष्य में चलाया जाना है । इन परिणामों के 1974 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है । इन से सरकार को उन आधारों के बारे में जिन पर वैधानिक समर्थन दिया जाना है, सही-सही निष्कर्षों पर पहुंचने में सहायता मिलेगी ।

(ग) वर्ष 1973-74 में लघु उद्योगों की गणना पर 65 लाख रुपये की राशि खर्च होने की आशा है, जिसके परिणाम 1974 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ।

## सीमेंट के उत्पादन का नया तरीका

1191. **श्री के० मालन्ना** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने सीमेंट के उत्पादन का कोई नया तरीका अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों के विरुद्ध आरोप

1192. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1970 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग द्वारा कुल कितने कांस्टेबल गैर-कानूनी रिश्वत लेते हुए रंगे-हाथ पकड़े गए ;

(ख) क्या सतर्कता विभाग को दरियागंज पुलिस थाने के कुछ पुलिस कांस्टेबलों के विरुद्ध पहले ही शिकायत मिली थी ; और

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)**: (क) एक।

(ख) पुलिस थाना दरियागंज के इस कांस्टेबल के विरुद्ध पहले ही शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) कांस्टेबल के विरुद्ध एक जाल बिछाया गया और उसे पकड़ लिया गया। कांस्टेबल के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया। किन्तु, मामला विचारण के लिए न्यायालय को नहीं भेजा गया था क्योंकि स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन के लिए मुकदमे का समर्थन नहीं किया। कांस्टेबल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

**निर्यात योग्य वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि**

1193. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

**श्री पीलू मोदी :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट ने औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने की इतनी अधिक आवश्यकता उत्पन्न कर दी है जितनी पहले कभी नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात योग्य वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि किए जाने के विचार से सरकार ने उत्पादकों, श्रमिकों और कच्चे माल के सप्लाई कर्ताओं से तुरन्त विचार विमर्श किए जाने के प्रस्ताव को उपयुक्त समझा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सम्मेलन के कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या उत्पादन की वृद्धि में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समितियों ने अपने-अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं और यदि हां, तो सरकार ने उनके सुझावों पर क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार ने हमेशा निर्यात हेतु उत्पादन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है और औद्योगिक नीति के विभिन्न अभ्युपायों में इस बात को ध्यान में रखा गया है। सामान्य रूप से प्रत्येक उत्पादन की निर्यात-क्षमताओं को दृष्टि में रखकर निर्यात हेतु उत्पादन बढ़ाने की व्यवहार्यता पर वर्तमान तथा भूतपूर्व अनेक दलों एवं समितियों ने विचार किया तथा उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद, व्यापार परामर्श दात्री परिषद आदि की गोष्ठियों में जहां संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं, चर्चा हुई है।

तेल संकट के संदर्भ में तात्कालिक आवश्यकता इस बात की है कि पहले से किये जा रहे प्रयासों को और गहन किया जाए तथा इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि निर्यात हेतु उत्पादन पर प्रभाव न पड़े। कच्चे माल तथा फर्नेस तेल के नियतन में इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। वाणिज्य मंत्रालय निर्यात बढ़ाने हेतु एक क्रेश (त्वरित) कार्यक्रम बना रहा है।

**योजना आयोग में परामर्शदाताओं की नियुक्ति**

1194. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में परामर्शदाताओं की नियुक्ति का मानदंड क्या है; और

(ख) उनके दायित्व तथा अवधि की शर्तें क्या हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति परामर्शदाताओं के पदों पर काम कर रहे हैं।

(ख) सामान्यता उनका काम उन कार्य/अध्ययनों की विशेष मदों पर काम करना है जो योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के नियमित कर्मचारी नहीं कर सकते। इन परामर्शदाताओं की नियुक्ति की शर्त प्रत्येक मामले में उनकी योग्यता और उन्हें सौंपे गए कामों पर निर्भर करती है। वे सामान्यतया थोड़े समय जो कि तीन वर्ष से अधिक न हो के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

**लघु उद्योग निगम द्वारा कच्चा माल वितरण करने के बारे में जांच**

1195. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उस अधिकारी के प्रतिवेदन की जांच कर ली है जिसने लघु उद्योग निगम कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों द्वारा कच्चा माल वितरण करने के मामले में कथित अनियमितताओं की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों को कच्चा माल वितरण करने के मामले में सुधार करने के लिए कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना)** : (क) गुजरात सरकार गुजरात लघु उद्योग निगम के कुछ सदस्यों द्वारा कच्चे माल के वितरण में की गई अधिकथित अनियमितताओं की जांच की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

**अखबारी कागज की कमी**

1197. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
**श्री पी०ए० स्वामिनाथन** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में देश में अखबारी कागज की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या रूस और कनाडा के साथ अखबारी कागज की सप्लाई के बारे में करार के बावजूद भी अखबारी कागज की कमी रहेगी ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अखबारी कागज की कमी का गुजरात राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिये आगे क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां। चालू वर्ष के लिये समाचार-पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में जुलाई, 1973 में 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी चूंकि उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि आयातित अखबारी कागज की उपलब्धि में इतनी ही कमी होगी। आयातित अखबारी कागज की उपलब्धि की अनुमानित मात्रा 1,26,700 टन थी

जिसमें सोवियत संघ और कनाडा से अनुबंधित आपूर्तियाँ भी शामिल थी। इस मात्रा में से, 31 जनवरी, 1974 के दिन के अनुसार केवल लगभग 51,000 टन ही देश में वास्तव में पहुंचा था या रास्ते में था । यह उक्त कमी का कारण था।

(ग) अखबारी कागज की कमी गुजरात के लिए विशिष्ट नहीं है चूंकि समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का आवंटन सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार उनके प्रकाशन स्थान का विचार किए बिना किया जाता है, राज्य-वार नहीं।

(घ) सरकार अखबारी कागज का आयात बढ़ाने और उसे शीघ्र प्राप्त करने तथा देशी अखबारी कागज के निर्माण की गति को तेज करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है ।

**जांच आयोग अधिनियम के अधीन नियुक्त आयोग**

1198. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में ऐसे कितने जांच आयोग नियुक्त किये गये जिनको अभी अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हैं ;

(ख) प्रत्येक जांच आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगता है अथवा उन आयोगों को कितना समय लगा जिन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार नियुक्त किये गये आयोग प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब करते हैं, जांच आयोग अधिनियम में कुछ संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(घ) उन जांच आयोगों के नाम क्या हैं जिनके प्रतिवेदन दो वर्षों से अधिक समय से प्राप्त नहीं हुए हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त दो आयोगों को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ख) तथा (ग). जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अनुसार उपयुक्त सरकार एक अधिसूचना जारी करके वह समय सीमा निर्धारित करती है जिसके अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। जांच के स्वरूप और संबंधित कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सरकार आयोग के अनुरोध पर समय-समय पर इस समय-सीमा को बढ़ा सकती है । इस सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग।

**आई०पी०एस०, आई०एफ०एस० तथा आई०ए०एस० में नियुक्ति के लिये संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुसूचित जातियों/जन जातियों के प्रत्याशी**

1199. **श्री अम्बेश :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में संघीय लोक सेवा आयोग ने आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० तथा आई० ए० एस० में नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रत्याशियों की सिफारिश की है ; और

(ख) इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिये इन जातियों के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अनेक उपाय किये हैं। इस दिशा में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार से हैं :—

(1) **आयु सीमा में छूट**—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए किसी भी सेवा अथवा पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई ।

(2) शुल्क सम्बन्धी रियायत-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए किसी भी सेवा अथवा पद पर चयन अथवा परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क को कम करके एक चौथाई कर दिया गया है ।

(3) **उपयुक्तता के मानदंड में छूट**—इस आशय के अनुदेश जारी किये गये हैं कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्ड के आधार पर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों पर नियुक्ति के लिये अयोग्य न पाए जाएं ।

(4) **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए अलग इन्टरव्यू की व्यवस्था**—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिए अलग दिन बुलाया जाता है अथवा उनके लिए इन्टरव्यू बोर्ड की अलग बैठक की जाती है ।

(5) **परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण**—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा इलाहाबाद, मद्रास, पटियाला तथा जयपुर में खोले गए केन्द्रों में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है । इन चार केन्द्रों के अतिरिक्त, दिल्ली के एक गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान में भी इनके लिए शिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है ।

(6) **परीक्षा में बैठने के अवसरों में छूट दिया जाना**—इन परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए अवसरों संख्याकी के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

**विवरण**

वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० तथा आई० ए० एस० में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

| सेवा | 1971 | | | 1972 | | | 1973 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनु० जा० | अनु० जन जा० | योग | अनु० जा० | अनु० जन जा० | योग | अनु० जा० | अनु० जन जा० | योग |
| भारतीय प्रशासन सेवा/ भारतीय विदेश सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा/ श्रेणी II पुलिस सेवाएं/ | 30 | 6 | 36 | 33 | 17 | 50 | 35 | 21 | 56 |
| भारतीय वन सेवा । | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |

## उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा

1200. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों में उर्दू को दूसरी भाषा बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जहां जनसंख्या का काफी बड़ा भाग उर्दू-भाषी है।

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** अगस्त, 1961 में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई समस्त योजना के अनुसार किसी राज्य को एक भाषी राज्य समझा जाता है, यदि वहां की लगभग 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक जनसंख्या एक भाषा बोलती हो पर यदि राज्य में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त जनसंख्या राज्य की उन जनसंख्या का 30 प्रतिशत अथवा अधिक भाग हो तो ऐसे राज्य को द्विभाषिक समझा जाता है । जिला स्तर पर, जहां 60 प्रतिशत जनसंख्या राज्य की राज्य भाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा बोलती है अथवा प्रयोग करती है, तो अल्पसंख्यकों की उस भाषा को उस जिले में राज्य की राज भाषा के अतिरिक्त एक राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। जहां कहीं उर्दू भाषी जनसंख्या के सम्बन्ध में उपरोक्त मानदण्ड पूरे होते हैं, वहां की राज्य सरकार की उस भाषा के द्वितीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी है। यद्यपि उर्दू को किसी राज्य सरकार की द्वितीय भाषा घोषित नहीं किया जा सकता है, तथापि इस भाषा की विशिष्टि बातों और उसकी परम्परागत समृद्धि पर विचार करने के बाद 14 जुलाई, 1958 को भाषा सम्बन्धी विवरण जारी किया गया था जिसमें उर्दू के विकास और प्रगति के सम्बन्ध में व्यापक नीति निर्धारित की गई थी। विवरण की एक प्रति संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 6259/74) विवरण संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था और उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त अनुदेश दे दिए गए थे। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उपरोक्त नीति के अनुसरण में उर्दू भाषी जनसंख्या को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं, केन्द्र सरकार और भाषायी अल्पसंख्यक के आयुक्त संबंधी सरकारों के साथ हमेशा सम्पर्क बनाए रखते हैं।

## राज्यों के पुनर्गठन का आधार

1201. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाजन आयोग के गठन के उद्देश्य-पत्र में उल्लिखित 'भारत में राज्यों के पुनर्गठन का मूल आधार' कहीं पर भी क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और वे आधार क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) तथा (ख) महाजन आयोग के गठन के संबंध में संकल्प में उल्लिखित 'भारत में राज्यों के पुनर्गठन का मूल आधार' अन्य बातों के साथ साथ राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से सम्बद्ध है जिन पर वर्तमान राज्य बनाए गए हैं।

**स्थगन प्रस्ताव के बारे में**

**Re : Adjournment Motion**

**प्रश्न**

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) :** हमने मधुबनी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में रुकावट पैदा करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। **गैरवता** पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ है। श्रीमान् जी यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रश्न है हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य दे कि भविष्य में इस प्रकार की बात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी। यह एक बहुत ही गम्भीर बात है। गाड़ियों और बसों को रोक दिया गया प्रभारी मंत्री वहां की कार्यवाही का निर्देशन करते रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक बात है। श्रीमान् जी इस देश में क्या हो रहा है ?

**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक चुनावों आदि का सम्बन्ध है, यह मामला निर्वाचन आयोग के ध्यान देने का है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : I have raised the issue of Railways. It relates to trains, it does not concern Election Commission. Please see my adournment motion.

**Mr. Speaker :** मैं इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति के बारे में मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलाऊंगा। You can give notice for Calling Attention motion also. It is better if statement is made by him.

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** यह एक गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय अपने राजनीतिक लाभ के लिये ऐसा कर रहे हैं।

**Shri Atal Bihari Bajpayee :** It is fact that on the eve of elections in Madhubani, the movement of trains was stopped there. The facts should be ascertained.

**Mr. Speaker :** Let the facts come.

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** Can the Railway Minister clear this thing.

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** रेल बजट को पेश किये जाने से पूर्व मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये। वह राजनीतिक रूप से अन्तर्ग्रस्त हैं। यह देश भर के लिये शर्म की बात है। उन्हें वक्तव्य देना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** आप को इस के बारे में पर्याप्त समय पूर्व सूचना देनी चाहिये।

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : The Railway Minister has done a bad thing so he should not allowed to present the Railway budget.

**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें आज या कल वक्तव्य दे देना चाहिये।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : चुनाव में धांधलेबाजी करने के बारे में, हम जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने क्या कहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह देखना निर्वाचन आयोग का काम है । यह सभी बातें यहां नहीं उठायी जा सकती। ये निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें हैं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : The Minister should be asked about it.

**Shri Madhu Limaye** : He should be censured on this account. The budget should be read out by Mr. Qureshi.

**Shri Atal Bihari Vaipayee**: The Railway Minister is misusing his official powers. He should be asked to make a statement.

**Shri Syamnandan Mishra**: Have you heard that repoll has been ordered for 11 booths in a single Constituency?

**अध्यक्ष महोदय**: निर्वाचन आयोग एक स्वशासी निकाय है, हम उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

**Shri Madhu Limaye** : The minister is not competent to present the Railway budget. He has done a bad thing by suspending trains. Some other minister should present the budget.

**Mr. Speaker** : You cannot check the presentation of the railway budget. You have some objections, so he would make a statement. If the statement happens to be wrong, you would then bring forth a privilege motions.

**Shri Atal Bihari Vajpayee**: What has happened to my adjournment motion.

**Mr. Speaker**: Please give me factual information. I am asking the minister to make a statement.

**Shri Atal Bihari Vajpayee**: The trains were suspended for the sake of elections.

**Shri A. P. Sharma** (Buxar) : They are making so much noise after getting defeated.

**Mr. Speaker**: No body knows who is going to win or loose the elections.

**Shri S. A. Shamim** (Srinagar): Everywhere independents are being elected.

## रेल बजट 1974–75
## Railway Budget, 1974-75

**रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1973–74 के लिये संशोधित अनुमान तथा वर्ष 1974–75 के बजट अनुमानों को पेश करना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

**Shri Madhu Limave**: I raise the point of order. It should be decided first whether he is competent to present the budget.

**अध्यक्ष महोदय**: मंत्री महोदय अपने भाषण को जारी रख सकते हैं।

**श्री एल० एन० मिश्र :**

अध्यक्ष महोदय,

मैं 1973-74 में संशोधित अनुमान और 1974-75 के बजट अनुमान पेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

**1972-73 के वित्तीय परिणाम**

जैसी कि इस अवसर पर परम्परा है, पहले मैं पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1972-73 के परिणामों की समीक्षा करूंगा। मेरे सुयोग्य पूर्ववर्ती ने जब उस वर्ष का रेलवे बजट पेश किया तब उन्हें पूरी आशा थी कि हमारी अर्थ-व्यवस्था की उर्ध्वगामी प्रवृत्ति से रेल परिवहन में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप रेलवे की आमदनी में सुधार होगा। दुर्भाग्यवश, साल के शुरू में ही यह आभास हो गया कि यह आशा सही नहीं उतरेगी। बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती, आंध्र प्रदेश में मुल्की नियम सम्बन्धी आन्दोलन, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियरों की हड़ताल और अन्य उपद्रवों का मुख्य औद्योगिक इकाइयों के कार्य-संचालन और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की आम स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा।

इस पृष्ठभूमि में जब मैंने उस वर्ष का संशोधित अनुमान सदन में पेश किया तो मुझे 32.53 करोड़ रुपये के पूर्व अनुमानित अधिशेष को घटाकर 12.40 करोड़ रुपये करना पड़ा। फिर भी, मुझे आशा थी कि प्रारम्भिक यातायात में गिरावट के बावजूद वहन दूरी में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में हो रहे सुधार और समग्र मिश्रित यातायात में अनुकूल परिवर्तन से स्थिति कुछ सुधर जायेगी। किन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई और उस वर्ष का वास्तविक अधिशेष केवल 2.92 करोड़ रुपये रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि यातायात से कुल प्राप्तियां प्रत्याशित स्तर तक नहीं पहुंचीं। उस वर्ष की यातायात से कुल वास्तविक प्राप्तियां 1162.42 करोड़ रुपये रहीं जबकि संशोधित अनुमान में 1174 करोड़ रुपये का अन्दाज़ा लगाया गया था।

संचालन व्यय सम्बन्धी हमारा अनुमान व्यवहारतः बिल्कुल ठीक था क्योंकि वास्तविक व्यय 982.62 करोड़ रुपये रहा जबकि इसका संशोधित अनुमान 982.68 करोड़ रुपये का था। राजस्व से मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग 110 करोड़ रुपये और पेंशन निधि में विनियोग 16 करोड़ रुपये रहा। रेलवे की व्याजदेय पूंजी पर लाभांश के रूप में सामान्य राजस्व को 161.51 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

विकास निधि एवं राजस्व आरक्षित निधि के अन्तर्गत सामान्य राजस्व से रेलवे का ऋण जिसके बारे में संशोधित अनुमान तैयार करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि 1972-73 के अन्त तक यह बढ़कर 110.67 करोड़ रुपये हो जायेगा, वस्तुतः घटकर 85.65 करोड़ रुपये रह गया। इसका कारण यह था कि रेल अभिसमय समिति, 1971 की सिफारिश के अनुसार 1969-70 और 1970-71 के वर्षों से सम्बन्धित लाभांश के भुगतान में जो राहत दी गयी थी, उसके बकाये का समायोजन किया गया था।

**संशोधित अनुमान, 1973-74**

संसद् द्वारा अनुमोदित, 1973-74 के बजट अनुमान में 23.86 करोड़ रुपये के अधिशेष की कल्पना की गयी थी। किन्तु वर्ष के दौरान रेलों के संचालन परिणामों में तीन महत्वपूर्ण कारणों के समवेत प्रभाव से परिवर्तन हो गया जिनके चलते रेलों की वित्तीय स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये कारण हैं—राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की स्थिति, कर्मचारी-अनुशासन में गिरावट और सरकार द्वारा स्वीकृत एवं उदारीकृत वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव।

## राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति

1972 में औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, किन्तु इस्पात, कोयला और सीमेंट आदि की कम सप्लाई आदि विभिन्न कारणों से 1973 में इसकी प्रगति अवरुद्ध हो गयी। जलाशयों में पानी की कमी के कारण बिजली की व्यापक कमी और कटौतियों के कारण भी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत से उद्योगों में अशान्तिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों और रेलों में हुई हड़तालों का भी दुष्प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप, रेलों को मिलने वाला यातायात आशा से काफी कम रहा। इसके साथ ही, गत वर्ष मई से जुलाई तक रेलों को पंजाब और हरियाणा से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 24 लाख मीटरिक टन खाद्यान्नों की उच्च प्राथमिकता के आधार पर ढुलाई करनी पड़ी । संचलन का यह एक कीर्तिमान रहा क्योंकि 1972-73 की इसी अवधि में रेलों ने केवल 16.4 लाख मीटरिक टन और उससे पिछले वर्ष 14 लाख मीटरिक टन का परिवहन किया था। अल्प समय में खाद्यान्न के यातायात का भारी दबाव और महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और असम के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में तेजी से रसद पहुंचाने की सर्वोपरि आवश्यकता से रेल प्रणाली पर काफी बोझ रहा। समग्र परिचालन कार्य अग्नि-शमन उपक्रम के स्तर पर किया गया ताकि अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों को ठीक समय पर खाद्यान्न पहुंचा कर लोगों को भुखमरी से बचाया जा सके। इस यातायात का संचलन करने के लिए बहुत सी सवारी गाड़ियों को रद्द करना पड़ा तथा काफी मात्रा में ऊंची दर वाले सामान्य माल यातायात का परित्याग करना पड़ा । इसमें लम्बी दूरी तक बड़ी संख्या में खाली माल-डिब्बों का संचलन भी करना पड़ा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, रेलों द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई काफी घटी हुई दरों पर की जाती है । अतः खाद्यान्न के परिवहन में जितनी अधिक संख्या में माल डिब्बे इस्तेमाल किये जाते हैं, रेलों को घाटा उतना ही अधिक होता है लेकिन रेलों ने अपना घाटा उठाकर भी इस राष्ट्रीय दायित्व को निभाया।

## कर्मचारी अनुशासन में ह्रास

जहां तक कर्मचारी अनुशासन का सम्बन्ध है, भारतीय रेलों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से बुरा रहा है। शुरू से ही 'धीमे काम करो', 'नियमानुसार काम करो' और 'पदनाम के अनुसार काम करो' जैसे आन्दोलनों, सामूहिक अनुपस्थिति, अचानक हड़तालों, बन्दों, और रेल-पथ पर धरना आदि के रूप में हम पर प्रहार होता रहा है । एक ओर रेल परिचालन से असम्बद्ध इन आन्दोलनों ने हमारे संचालन में अवरोध उत्पन्न किया, दूसरी ओर कर्मचारी आंदोलनों से स्थिति और भी बिगड़ गयी। अप्रैल में पश्चिम रेलवे पर स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की आकस्मिक हड़ताल, मई, जुलाई, अगस्त और दिसम्बर में लोको रनिंग कर्मचारियों की एक के बाद एक हड़तालें और आन्दोलन जिनका प्रभाव अधिकांश क्षेत्रीय रेलों पर पड़ा, और अगस्त तथा सितम्बर में दक्षिण मध्य रेलवे के शोलापुर मण्डल के कर्मचारियों के आन्दोलन इन्हीं आन्दोलनों में आते हैं। नवम्बर और दिसम्बर, 1973 में सिगनल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों के 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन का भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके पश्चात्, सवारी और माल डिब्बा कर्मचारियों के आन्दोलन से परिवहन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वास्तविकता यह है कि इस वर्ष रेलों पर कोई ऐसा महीना नहीं बीता जिसमें कतिपय मान्यताविहीन कोटिवार एसोसियेशनों द्वारा चलाये गये ऐसे आन्दोलनों से देश के किसी न किसी भाग में गाड़ियों के परिचालन में अवरोध या क्षति न पहुंची हो। इसके फलस्वरूप, वित्तीय और परिचालन सम्बन्धी दोनों लक्ष्य अस्त-व्यस्त हो गये। दिसम्बर, 1973 के अन्त तक जो आमदनी हुई, वह प्रत्याशा से 81.50 करोड़, रुपये कम रही।

मूल बजट में हमारा पूर्वानुमान था कि रेलें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक करोड़ मीटरिक टन अतिरिक्त राजस्व उपार्जक माल यातायात ढो सकेंगी। लेकिन वास्तविक यातायात अब तक आशा से बहुत कम रहा है। दिसम्बर के अन्त तक गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रारम्भिक माल यातायात में लगभग 80 लाख मीटरिक टन की गिरावट आयी है। बजट परिकल्पना की तुलना में प्रारम्भिक माल यातायात 153.0 लाख मीटरिक टन कम रहा। यद्यपि यह कमी कोयला, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल और वहां से तैयार माल, निर्यात के लिए लोह अयस्क, सीमेंट,उर्वरक, पैट्रोल, तेल और स्नेहक तथा अन्य सामान्य माल आदि यातायात के सभी वर्गों में रही किन्तु कोयले के संचलन में विशेष रूप से मन्दी रही।

बजट अनुमान में यह प्रत्याशा की गयी थी कि कोयले का संचलन 710 लाख मीटरिक टन तक पहुंचेगा। किन्तु कुछ तो स्थापित रेल-शीर्षों पर लदान के लिए कोयला उपलब्ध न होने के कारण और कुछ आन्दोलनकारी प्रवृति के कारण कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह प्रयत्न न किये जाने के फलस्वरूप वास्तव में केवल 610 लाख मीटरिक टन कोयले के संचलन की संभावना है। कोयले के संचलन में इस कमी से रेलों पर दो तरह से बुरा प्रभाव पड़ा है : कम संचलन होने के कारण आमदनी में घाटा और इंजनों के लिए कोयले की कमी के कारण गाड़ियों का रद्द किया जाना। बहुत से स्थानों पर लोको शेड में जहां सामान्यतः 10 दिन की खपत का कोयला रखा जाता था, मुश्किल से एक दिन की खपत का कोयला रह गया। कभी-कभी तो कोक और इस्पात कारखानों में मिश्रण योग्य कोयले और कोक का स्टाक भी गम्भीर रूप से घट गया।

इसके अलावा, पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में यातायात की औसत गमन दूरी में 2.4 प्रतिशत की गिरावट आने से स्थिति और भी बिगड़ गयी। यातायात की मात्रा और गमन दूरी में हुई हानि को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि अब वर्ष की समाप्ति पर भी स्थिति सामान्य होने के आसार नहीं दिखायी दे रहे हैं।

## वेंतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव

वेतन आयोग की, सरकार द्वारा यथा आशोधित, सिफारिशों के क्रियान्वयन और चालू वर्ष में महंगाई-भत्ते में तीन वृद्धियों ने हमारे खर्च को अत्यधिक बढ़ा दिया है; इसका प्रभाव पूरे वर्ष के लिए 109 करोड़ रुपये से अधिक है। हमने इस बात के ज़ोरदार उपाय किये हैं कि बढ़ी हुई दरों पर वेतन और भत्तों का भुगतान यथासंभव अधिक से अधिक कर्मचारियों को कर दिया जाये। फिर भी समग्र अवधि के लिए भुगतान करना संभव नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में पन्द्रह लाख रेल कर्मचारियों से उनके विकल्प प्राप्त करने, संशोधित वेतन-मानों में उनके वेतन को पुनः निर्धारित करने और उन्हें मिलने वाली शुद्ध रकम के लिए बिल तैयार करने के काम शामिल हैं। चूंकि इन प्रक्रियायों में कुछ समय लगता, इसलिए सरकार ने सोच-विचार कर यह निर्णय लिया कि चालू वर्ष में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी को 150 रुपये और चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी को 100 रुपये की तदर्थ रकम का भुगतान कर दिया जाये क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उन्हें वेतन और भत्ते के पूरे बकायों का भुगतान नहीं किया जा सकता। निश्चय ही, यह तदर्थ रकम उन्हें देय बकायों में या अन्य प्रकार से समायोजित कर दी जायेगी। चालू वर्ष की 94 करोड़ रुपये की अनुमानित देयता में से कर्मचारियों को लगभग 52 करोड़ रुपये के भुगतान इसी वर्ष किये जाने की संभावना है और बाकी 42 करोड़ रुपये की रकम को अग्रानीत करके उसकी व्यवस्था अगले वर्ष के बजट में की गयी है।

**यातायात से कुल प्राप्ति**

संचालन कार्य में इस अभूतपूर्व गिरावट को देखते हुए यात्री यातायात से आमदनी का संशोधित अनुमान 370.60 करोड़ रुपये रखा गया जो बजट अनुमान से 8.61 करोड़ रुपये कम है। अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी में भी 5.39 करोड़ रुपये की कमी करनी पड़ी है। माल यातायात में आमदनी का अनुमान 709.50 करोड़ रुपये रखा गया जो बजट प्रत्याशा से 75.20 करोड़ रुपये कम है। रक्षा मंत्रालय को लेखागत भुगतान के लिए हमें अपनी आमदनी में 4 करोड़ रुपये का समायोजन भी करना है। सब मिला कर यातायात से कुल प्राप्तियां 1263.20 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 1170 करोड़ रुपये अर्थात् 93.20 करोड़ रुपये कम होने की संभावना है।

**मितव्ययिता के उपायों का प्रभाव**

भारी मात्रा में अतिरिक्त खर्च और आमदनी में अत्यधिक कमी के मिले-जुले कारणों से 1973-74 का वर्ष रेलों के लिए पिछले कई दशकों में सबसे खराब वर्ष रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, हमने खर्च करने वाली सभी इकाइयों पर 'राजकोष नियंत्रण' की व्यवस्था लागू की ताकि उनके द्वारा किये जाने वाले भुगतानों को बजट में निर्धारित राशि के अनुसार विनियमित किया जा सके। इसके अलावा, मितव्ययिता के कई उपायों में तेज़ी लायी गयी जिनके प्रशंसनीय परिणाम निकले हैं। फलस्वरूप, संचालन व्यय का संशोधित अनुमान केवल 953 करोड़ रुपये निश्चित किया गया है जो मूल बजट से 34.77 करोड़ रुपये अधिक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वेतन आयोग की, सरकार द्वारा यथा आशोधित, सिफारिशों को लागू करने पर वेतन और भत्ते के खर्च के लिए चालू वर्ष में 52 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि मितव्ययिता के विभिन्न उपायों के लागू करने से संचालन व्यय में समहित हो गयी है। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 115 करोड़ रुपये और पेंशन निधि में 16 करोड़ रुपये का विनियोग मूल बजट अनुमानों के अनुसार यथावत रखा गया है। नवीनतम आकलन के अनुसार सामान्य राजस्व को लाभांश की दायिता 172.61 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 168.60 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

**सारांश**

संक्षेप में, आमदनी में 93.20 करोड़ रुपये की कमी और विविध संव्यवहार और सामान्य राजस्व को देय लाभांश की राशि में 4.36 करोड़ रुपये की कटौती के साथ खर्च में 34.77 करोड़ रुपये की अपरिहार्य वृद्धि के कारण बजट में 23.86 करोड़ रुपये की बचत 99.75 करोड़ रुपये के घाटे में बदल गयी है। इस राशि की पूर्ति के लिए सामान्य राजस्व से ऋण लेने का प्रस्ताव है। विकास निधि से होने वाले खर्च की आवश्यकताएं पूरी करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की देनदारी के लिए सामान्य राजस्व से 22.65 करोड़ रुपये का ऋण और लेना होगा। रेलों पर सामान्य राजस्व का ऋण 111.01 करोड़ रुपये होने की प्रत्याशा थी, लेकिन इन परिस्थितियों में यह बढ़कर 208.02 करोड़ रुपये हो जायेगा।

**निर्माण खर्च के संशोधित अनुमान**

अगस्त, 1973 में मितव्ययिता लागू करने के संबंध में सरकार के विनिश्चय का अनुपालन करते हुए हमें योजना व्यय के कार्यक्रम में कटौती करनी पड़ी ताकि चालू वित्तीय वर्ष में हमारा खर्च निधि में आबंटित घटी हुई राशि की सीमा में ही रहे। 29 अगस्त, 1973 को संसद् में मैंने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया था कि रेलें 1973-74 में निर्माण और राजस्व खर्च के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की मितव्ययिता लाने का प्रयास करेंगी। लेकिन सरकार का मितव्ययिता सम्बन्धी निदेश अगस्त, 1973 के अन्त में मिला और तब तक रेलें कुछ मामलों में वचनबद्ध हो चुकी थीं जिन्हें चालू वर्ष के अंदर ही पूरा करना था। फिर भी, खर्च पर प्रशासनिक निग्रह और राजकोष नियंत्रण, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, लागू करने से 30.5 करोड़ रुपये अर्थात् निर्माण व्यय में लगभग 13.5 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय में लगभग 17 करोड़ रुपये की बचत करना संभव हो सका है; यद्यपि कुल 20 करोड़ रुपये की बचत करने का वचन दिया गया था। चालू वर्ष में, महानगर परिवहन परियोजना सहित, रेलों का वार्षिक योजना खर्च मूल बजट में की गयी 337.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में अब 324.19 करोड़ रुपये होगा। इस घटी हुई राशि में से 166.80 करोड़ रुपये पूंजी लेखे में 130.19 करोड़ रुपये मूल्यह्रास आरक्षित निधि में प्रभारित नवीकरण और बदलाव कार्यों पर, 20 करोड़ रुपये विकास निधि में प्रभारित निर्माण कार्यों पर और 7.20 करोड़ रुपये चालू लाइन निर्माण राजस्व पर खर्च होंगे।

**चौथी योजना की समीक्षा**

चौथी पंचवर्षीय योजना लगभग एक महीने में समाप्त हो जायेगी। इसलिए, मैं यहां थोड़ा योजना का संक्षिप्त मूल्यांकन करना चाहूंगा। योजना में पहले यह व्यवस्था की गयी थी कि योजना के अंत तक 26 करोड़ 50 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक माल यातायात की ढुलाई की जाये। किन्तु, जनवरी, 1971 में मध्यावधि मूल्यांकन करते समय देखा गया कि योजना के पहले दो वर्षों के दौरान यातायात की मात्रा लक्ष्य से कम है। अत: उसमें संशोधन करके प्रारंभिक माल यातायात का लक्ष्य 24 करोड़ मीटरिक टन कर दिया गया। योजना के दूसरे वर्ष से यातायात में अधोगामी प्रवृत्ति का मुख्य कारण देश के पूर्वी भाग में कानून और व्यवस्था तथा औद्योगिक संबंधों में गड़बड़ी थी। 1971-72 से स्थिति कुछ सुधर गयी और उक्त वर्ष में प्रारंभिक यातायात 19 करोड़ 78 लाख मीटरिक टन से बढ़ कर योजना के चौथे वर्ष अर्थात् 1972-73 में 20 करोड़ 13 लाख मीटरिक टन हो गया। किन्तु, चालू वर्ष में, जो कि योजना का अंतिम वर्ष है, प्रारंभिक यातायात में भारी गिरावट आयी है और वर्तमान संकेतों के अनुसार इस वर्ष के अंत तक केवल 19 करोड़ 20 लाख मीटरिक टन यातायात होने की संभावना है, जो कि 1963-64 से अब तक की न्यूनतम मात्रा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि चालू वर्ष में अव्यवस्थित श्रमिक स्थितियों, बार-बार होने वाली हड़तालों और इस वर्ष लगभग हर महीने रेल कर्मचारियों खासतौर से लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा, 'धीमे काम करो', 'पदनाम के अनुसार काम करो', जैसे आन्दोलनों के कारण रेलों के काम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन, योजना अवधि में रेलों के समग्र काम का मूल्यांकन करने के लिए प्रारंभिक मीटरिक टन की कसौटी रेलों द्वारा किये जा रहे काम का सही सूचक नहीं है। इसका अपेक्षाकृत अधिक सही सूचक है—शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर जो इस बात का द्योतक है कि यातायात कितनी दूर तक ढोया गया। इस सूचक में योजना के पहले चार वर्षों में 9.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार यात्री यातायात के संबंध में भी यात्री किलोमीटर को काम का अधिक स्पष्ट सूचक कहा जा सकता है और इसमें भी पहले के चार वर्षों में 24.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल चालू वर्ष ही में जो कि योजना का अंतिम वर्ष है, प्रारंभिक मीटरिक टन और वहन दूरी दोनों ही निम्नतम स्तर पर हैं। मैं आशा करता हूं कि बुरा समय बीत चुका है और अब रेलें कार्य कुशलता और सेवा के सामान्य स्तर तक पहुंचने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक प्रयास करेंगी।

**पांचवीं पंचवर्षीय योजना**

भारतीय रेलों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के भौतिक और वित्तीय दोनों रूपों को लम्बे विचार-विमर्श और योजना आयोग तथा अन्य आर्थिक मंत्रालयों से परामर्श करने के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें पांचवीं योजना अवधि के अंत तक प्रारम्भिक माल यातायात के 3000 लाख मीटरिक टन के लक्ष्य के लिए 2350 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। यह रेलों द्वारा ढोये जा रहे माल यातायात के वर्तमान स्तर की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। यात्री यातायात के संबंध में, इस योजना में यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि अनुपनगरीय यातायात के लिए यात्री किलोमीटर में 4 प्रतिशत और उपनगरीय यातायात में 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि होगी। वास्तव में, उपनगरीय क्षेत्रों में वृद्धि की यह दर कलकत्ता क्षेत्र में 3 प्रतिशत से लेकर बम्बई क्षेत्र में 6 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न होगी। इसलिए, रेलों को इस बृहद् कार्य के लिए सन्नद्ध होना है। इस चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से लाइन क्षमता और चल-स्टाक का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसी चालू वर्ष में कुछ प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिये गये हैं।

**1974-75 के लिए वार्षिक योजना**

महानगर परिवहन परियोजना सहित 2170 लाख मीटरिक टन प्रारंभिक माल यातायात की ढुलाई के लिए योजना निवेश के रूप में योजना के पहले वर्ष में हमारे लिए 368 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस रकम का ब्यौरा इस प्रकार है:—पूंजी के अंतर्गत 227 करोड़ रुपये, मूल्यह्रास आरक्षित निधी के अन्तर्गत 115 करोड़ रुपये, विकास निधि के अन्तर्गत 18.50 करोड़ रुपये और चालू लाइन निर्माण राजस्व के अन्तर्गत 7.50 करोड़ रुपये। यद्यपि यह राशि 1973–74 में खर्च की गई राशि की तुलना में लगभग 44 करोड़ रुपये अधिक है फिर भी चालू वर्ष में कीमतों की भारी वृद्धि को देखते हुए हमारे योजना कार्यों को बढ़ाने के लिए यह राशि अपर्याप्त हो सकती है। किन्तु, अपनी परिवहन क्षमता बढ़ाने और अर्थक्षम क्षेत्रों का विकास करने के लिए हमने उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत चल-स्टाक, लाइन क्षमता आदि के कार्यक्रम तैयार किये हैं।

**महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों और सर्वेक्षणों की प्रगति**

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कटक-पारादीप रेल सम्पर्क पूरा हो चुका है और इस वर्ष यातायात के लिए खोल दिया गया है। 132 किलोमीटर लम्बी गुना-मक्सी लाइन भी यातायात के लिए खोल दी गयी है और शेष भाग पर काम जारी है। खेतड़ी तांबा उद्योग समूह के निमित बनायी गयी डाबला-सिंघाना रेल लाइन भी लगभग पूरी हो चूकी है और आशा है कि इस वर्ष इसे यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।

पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने कुछ महत्वपूर्ण नयी लाइनों और आमान परिवर्तन संबंधी निर्माण कार्यों का उल्लेख किया था जिनकी उस समय जांच की जा रही थी और जिन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा था और इस बात के लिए मैंने सदन की अनुमति प्राप्त की थी कि सरकार का अनुमोदन मिलने पर तत्संबंधी अनुदानों के अन्तर्गत निधि के पुनर्विनियोग द्वारा उक्त निर्माण कार्य शुरू किये जायें। सदन को यह सूचना देते समय मुझे प्रसन्नता है कि वानी-चनाका रेल सम्पर्क और मनमाड से पुरली बैजनाथ तक के आमान परिवर्तन के संबंध में मिट्टी डालने का काम जारी है। मंगलूर-आप्ता लाइन के संबंध में आप्ता-दासगांव खंड पर मिट्टी डालने के कार्य की मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली-अहमदाबाद लाइन के आमान परिवर्तन के लिए यातायात और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं और रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। बरौनी-कटिहार और न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी आमान परिवर्तन के लिए भी इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं।

**उखाड़ी गयी लाईनों को फिर से बिछाना**

जैसा कि मैंने गत वर्ष उल्लेख किया था, हमने उखाड़ी गयी लाइनों को फिर स बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया है ताकि जिन लोगों ने अतीत में रेल परिवहन की सुविधा का आनन्द उठाया है और जो लोग द्वितीय महायुद्ध या बाढ़ आदि के कारण इस सुविधा से बंचित हो गये हैं, उन्हें ये सुविधाएं फिर से दी जा सकें। डलमऊ-दरयापुर, गोहाना-पानीपत, सरायगढ़-प्रतापगढ़-फारबिसगंज, हल्दीबाढ़ी-जलपाईगुड़ी और छितौनी-बगहा लाइनों को फिर से बिछाने के लिए इस वर्ष पूरक मांगों के जरिये मंजूरी ले ली गयी है और उनका निष्पादन शुरू कर दिया गया है । मैंने यह भी उल्लेख किया था कि हवड़ा-आमता, हवड़ा-शियाखला और सहारनपुर-शाहदरा लाइट रेलों को फिर से खोलने का प्रश्न सिद्धांत रूप से मान लिया गया है । इन लाइनों के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पूरे हो जाने के बाद पुरानी छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइनों के निर्माण के लिए इस वर्ष सदन द्वारा पूरक मांगों के जरिये पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है । उत्तर प्रदेश सरकार भी नयी शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन के निर्माण में 50:50 के आधार पर योगदान के लिए सहमत हो गयी है । नयी रेलवे लाइन के प्रबंध के लिए एक निगम बनाया जायेगा और इस क्षेत्र में विद्यमान सड़क परिवहन भी इसके नियंत्रण में रखा जायेगा ताकि परिवहन के विभिन्न साधनों का पारस्परिक सहयोग और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके । हवड़ा-आमता, हवड़ा-शियाखला और बड़गछिया-चम्पाडांगा लाइनों के लिए हमने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुझाव दिया है कि जिस तरह शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत निगम बनाया गया है, उसी तरह का एक निगम बना दिया जाये । राज्य सरकार के साथ अपेक्षित व्यवस्था को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही इन लाइनों का निर्माण शुरू किया जायेगा ।

**नयी लाईनें और आमान परिवर्तन**

1973–74 का बजट पेश करते समय ,मैंने, पिछड़े हुए क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए नये दृष्टिकोण की आवश्यकता का उल्लेख किया था । इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए अब यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि 1974–75 में निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों और आमान परिवर्तन परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया जाये :—

(1) न्यू बोंगाईगांव–गुवाहाटी खंड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव ।

(2) धर्मनगर से कुमारघाट तक नयी मीटर लाइन का निर्माण ।

(3) नाडिकुडे से बीबीनगर तक नयी बड़ी लाइन का निर्माण ।

(4) गंटुर-मचेरला लाइन का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव ।

(5) रोहतक से भिवानी तक नयी बड़ी लाइन ।

(6) मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काटगोदाम तक बड़ी लाइन की व्यवस्था ।

(7) समस्तीपुर से दरभंगा तक मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव ।

(8) झंझारपुर से लौकहा बाजार तक नयी मीटर लाइन का निर्माण ।

(9) सकरी से हसनपुर तक नयी मीटर लाइन का निर्माण ।

(10) जाखापुरा से बांसपानी तक नयी बड़ी लाइन का निर्माण ।

पूर्वोत्तर परिषद से यह अनुरोध किया गया है कि धर्मनगर-कुमारघाट लाइन के निर्माण की लागत उस निधि से वहन की जाये जो पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए उसे आबंटित हो । आंध्र प्रदेश और हरियाणा की सरकारें भूमि की लागत वहन करने, सड़क परिवहन का विनियमन करने और नाडिकुडे-बीबीनगर और रोहतक-भिवानी रेल सम्पर्क तथा गुंटुर-मचेरला आमान परिवर्तन परियोजना के लिए प्रभार्य किलोमीटर की दूरी बढ़ाकर, किराया लेने के संबंध में सहमत हो गयी है । मैं उत्तर प्रदेश उड़ीसा और बिहार की सरकारों से भी इसी प्रकार के सहयोग और वित्तीय साझेदारी की आशा करता हूं ।

मैं, 1974–75 में धन की कमी के कारण देश के अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों में नयी लाइनों का निर्माण कार्य शामिल नहीं कर सका हूं । फिर, भी राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित बहुत सी नयी रेलवे लाइनों के लिए 1974–75 में सर्वेक्षण शुरू किये जा चुके हैं या शुरू करने का प्रस्ताव है । मैं खासतौर से निम्नलिखित का उल्लेख कर रहा हूं :—

(1) डल्ली-राजहरा-जगदलपुर,

(2) भावनगर-तारापुर,

(3) दासगांव-मंगलूर,

(4) कुमारघाट-अगरतला-साबरूम,

(5) सिलचर-जिरिबाम,

(6) नांगल-डैम-तलबाड़ा,

(7) माल्दा-बेलूरघाट,

(8) मिरज-लातूर,

(9) मजफ्फरपुर-रक्सौल आमान परिवर्तन,

(10) डेहरी-आन-सोन-पिपराडीह,

(11) देवधर-दुमका-रामपुर हाट,

(12) गया-राजगीर

मैं चाहूंगा कि इन लाइनों का निर्माण पांचवीं योजना में शुरू कर दिया जाये लेकिन यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । नयी लाइनों के निर्माण के लिए पांचवीं योजना में नियत वर्तमान राशि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है । सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने और अपनी योजना निधि बढ़ा सकने की स्थिति में होने पर, सरकार द्वारा इन निर्माण-कार्यों के निष्पादन के बारे में विचार किया जायेगा ।

**अन्य महत्वपूर्ण काम**

इन नयी लाइनों, आमान परिवर्तनों और सर्वेक्षणों के अलावा, आगामी वर्ष में रेलों पर अन्य बहुत से महत्वपूर्ण निर्माण-कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है यद्यपि बजट प्रलेखों के साथ परिपत्रित निर्माण-कार्यों की सारांश पुस्तिका में ये निर्माण-कार्य बता दिये गये हैं, फिर भी इस विषय में माननीय सदस्यों की अभिरूचि समझते हुए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करना उचित होगा ।

हमारा प्रस्ताव है कि 1974-75 में मज़गांव यार्ड के ढांचे में परिवर्तन किया जाये ताकि बंबई बी०टी० में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके जिससे इस टर्मिनस तक और वहां से अधिक लम्बी गाड़ियों का आना-जाना और नयी गाड़ियों का संचालन शुरू करना संभव हो सके । इसी तरह, मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर 2.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यातायात संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । हैदराबाद-सिकन्दराबाद क्षेत्र में 41.69 लाख रुपये की अनुमानित लागत से टर्मिनल सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है । अहमदाबाद-साबरमती खंड में साबरमती नदी पर इस वर्ष 2.64 करोड़ रुपये की लागत से एक पुल के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जायेगा जिस पर बड़ी लाइन के एक अतिरिक्त रेल-पथ की व्यवस्था भी की जायेगी । झांसी और लुधियाना में प्रत्येक स्थान पर 1.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नये डीजल इंजन शेड बनाने का प्रस्ताव है । इलाहाबाद में 1.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नया कंक्रीट स्लीपर संयंत्र बनाया जायेगा । दिल्ली-टूंडला खंड के विद्युतीकरण का काम तेज कर दिया जायेगा । मद्रास-विजयवाड़ा खंड के विद्युतीकरण की प्रगति भी तेज की जायेगी ।

विभिन्न कोटियों के रेल कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 5000 क्वार्टर बनाये जाते हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रेल कर्मचारियों के मकानों के लिए 40 करोड़ रुपये खर्चा की व्यवस्था है । 1974-75 के बजट में इस प्रयोजन के लिए 7.96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

बजट में रेल कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सेवाओं पर 17.24 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था भी है । 659 अस्पतालों और स्वास्थ्य यूनिटों में 10,000 से अधिक खाटों की व्यवस्था की गयी है जहां आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हैं । इन/अस्पतालों/स्वास्थ्य यूनिटों में प्रति दिन लगभग 1.6 लाख रोगियों का इलाज किया जाता है ।

यद्यपि वैद्य रूप से शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व है फिर भी रेलें 750 से अधिक रेलवे स्कूल चला रही हैं ताकि जिन स्थानों में अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां बच्चों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें । इन बड़ी सुविधाओं के अलावा, रेल कर्मचारियों के लिए 751 इंस्टीट्यूट और मनोरंजन केन्द्रों, 22 अवकाश ग्रहों जिनमें श्रीनगर और पहलगांम के दो केन्द्र शामिल हैं और 14 केन्द्रों में होस्टलों की व्यवस्था की गयी है जहां रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए रियायती दरों पर भोजन और आवास की व्यवस्था की जाती है ।

रेलवे कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसमें प्रत्येक रेलयात्री की दिलचस्पी है, स्टेशनों और गाड़ियों में सुविधाओं की व्यवस्था है । मेरा यह प्रयास रहा है कि रेलें देश में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख उपक्रम होने के नाते वैसा ही गौरवपूर्ण चित्र उपस्थित कर सकें । चौथी पंचवर्षीय योजना में यात्रियों और अन्य रेल उपयोगकर्त्ताओं की सुविधाओं पर प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये का खर्च बरकरार रखा गया है । सभी स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय, बेंचे रोशनी, पेयजल, शौचालय, फर्श वाले प्लेट-फार्म, छायादार वृक्ष आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है । पहले दर्जे के गलियारेदार सवारी डिब्बों और तीसरे दर्जे के शयनयानों में लगभग 900 जलशीतकों की व्यवस्था की गयी है । महत्वपूर्ण स्टेशनों की सफाई और स्वरूप में सुधार लाने का विशेष कार्यक्रम सन्तोषप्रद ढंग से प्रगति पर है । वाराणसी स्टेशन को जो तीर्थयात्रा के महत्वपूर्ण केन्द्रों में से है, 0.65 करोड़ की अनुमानित लागत से नया रूप दिया जा रहा है । कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्टेशन जहां निर्माण-कार्य

जारी हैं, इस प्रकार हैं: बम्बई बी० टी० बम्बई सेंट्रल, नागपुर, नयी दिल्ली और दिल्ली ,कानपुर, अलीगढ़, रायबरेली, गोरखपुर गुवाहाटी, मद्रास सेंट्रल भोपाल बेंगलूरु सिटी, हैदराबाद, पुणे दरभंगा और पटना । हावड़ा में अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए भी कार्यवाही शुरू की जा रही है ।

**पिछडे छेत्रों का विकास**

अक्सर मुझे मुख्य मंत्रियों, संसद सदस्यों, सार्वजनिक संस्थाओं आदि से इस आशय के प्रस्ताव मिलते रहे हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनें बनायी जायें । अनुभव से यह पता चला है कि ऐसे क्षेत्रों के लिए यातायात का उद्यगम इस बात पर निर्भर करता है कि वहां यातायात संबंधी आधार-भूत सुविधाओं का विकास हो । यही कारण है कि मैंने इस बात पर जोर दिया है कि अल्पविकसित क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण के संबंध में रूढ़िगत वित्तीय मापदण्डों को लागू करने में हमें सांवि-धिक परिवर्तन लाना है । इन्ही तथ्यों के आधार पर मैंने अपने सहयोगी, योजना मंत्री से भी बातचीत की है कि इस प्रयोजन के लिए रेलवे योजना से अलग अतिरिक्त धन का आवंटन किया जाये । फिर भी, कुल मिलाकर धन की सीमित उपलब्धता के कारण, 1974–75 के वर्ष में ऐसी परियोजनाओं को अधिक संख्या में शामिल करना संभव नहीं हो सका है । लेकिन मैं इनकी आवश्यकता के प्रति सजग हूं और मैं इस मामले में योजना आयोग से आगे बाचचीत करूंगा ।

**सवारी और माल डिब्बों का उत्पादन**

जैसा कि चौथी योजना में अपेक्षित था, 4,125 बड़ी लाइनों के और 2.125 मीटर लाइन के पारम्परिक ढंग के सवारी डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था । योजना के प्रथम चार वर्षों में बड़ी लाइन के 2,942 और मीटर लाइन के 1,969 सवारी डिब्बों का उत्पादन हुआ । आशा है चालू वर्ष में बाकी डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य लगभग एकदम पूरा हो जायेगा । 1974–75 में नये अर्जन के रूप में 1,157 सवारी डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जो उपनगरीय खण्डों पर इस्तेमाल किये जाने के लिए 112 बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बों के अलावा होंगे । इसप्रकार निजी और सरकारी क्षेत्रों तथा रेलों में जो उत्पादन-क्षमता इस समय सुलभ है, वह सवारी डिब्बों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रायः पर्याप्त है ।

रेलों की माल डिब्बों की आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः निजी क्षेत्रों में माल डिब्बों निर्माताओं द्वारा और अंशतः अमृतसर गोल्डन राक तथा समस्तीपुर के रेल कारखानों द्वारा की जाती है । 1972-73 में लगभग 10,900 माल डिब्बे बनाये गये जिनमें, से 9,000 निजी क्षेत्र में और लगभग 1,900 रेल कारखानों में बने । इस वर्ष लगभग 1,3000 माल डिब्बे बनाये जाने की उम्मीद है । इनमें से लगभग 11,000 निजी क्षेत्रों में और लगभग 2,000 रेल कारखानों में बनेंगे । यद्यपि अगले वर्ष, रेल कारखानों में उत्पादन का लक्ष्य वही रहेगा जो कि चालू वर्ष में है, निजी क्षेत्र का उत्पादन लक्ष्य बढ़कर 12,000 माल डिब्बों तक पहुंचने की उम्मीद है । माल डिब्बों के स्टाक में इन नये डिब्बों के शामिल हो जाने पर परिवहन क्षमता के एक उचित स्तर पर माल भाड़ा वाले सामान को ढोने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । पांचवीं योजना की अवधि में लगभग एक लाख माल डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है और इनमें से अधिकांश का उत्पादन निजी क्षेत्र में होगा । निजी क्षेत्र में माल डिब्बों का उत्पादन एक बार वर्ष में 27,000 माल डिब्बों तक पहुंच गया था लेकिन बाद में गिर कर लगभग 9,000 पर आ गया जिसका प्रमुख कारण यह था कि देश के पूर्वी भाग में, जहां अधिकतर

उद्योग स्थित हैं, श्रमिक स्थिति ठीक नहीं रही । फिलहाल, माल डिब्बे बनाने वाली फर्मों के पास 38,000 माल डिब्बों का आर्डर पड़ा है और 1974–75 में 12,000 माल डिब्बों का उन्हें आर्डर देने का विचार है । मैं माल डिब्बे बनाने वाली फर्मों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में आडर की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा । मुझे यह भी उम्मीद है कि काम-काज की सामान्य स्थिति आ जाने पर, निजी क्षेत्र के उद्योग अपनी पिछली उच्च उत्पादन-क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेंगे । इस हिसाब से, मुझे आशा है कि रेलों के पास जिस संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध होंगे, वे परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त होंगे ।

**रेलों द्वारा अतिरिक्त बिजली सप्लाई की व्यवस्था**

• माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि अक्सर बिजली सप्लाई में बाधा और कटौती आदि होती रही है और खासकर पिछले 18 महीनों की अवधि में हमें जितनी सप्लाई मिली, उसी से गुजारा करना पड़ा । इन बाधाओं का बुरा प्रभाव गाड़ियों के परिचालन पर तथा इंजनों, माल और सवारी डिब्बों के उत्पादन, ओवरहाल तथा रख-रखाव पर पड़ा । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली की सप्लाई में बाधा न पड़े कुछ मरम्मत कारखानों और उत्पादन यूनिटों के लिए अतिरिक्त जैनरेटिंग सैट्स उपलब्ध किये जा रहे हैं ।

तेल के वर्तमान संकट के संदर्भ में, पांचवीं योजना की अवधि के अंत तक 1,800 मार्ग किलो-मीटर में बिजलीकरण के काम की रफ्तार बढ़ायी जा रही है । बिजली सप्लाई में बाधा न पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर हम विचार कर रहे हैं कि अपने बिजली-घरों की स्थापना की जाये जो राज्यों की ग्रिड-प्रणाली से जुड़े हों । पिछले दिसम्बर माह में, मैंने सदन से निवेदन किया था और एक पूरक मांग के जरिये उसकी सहमति प्राप्त की थी कि इस काम के लिए मध्य और पूर्व रेलों पर सर्वेक्षण और स्थान निश्चित करने के उद्देश्य से अध्ययन किया जाये । मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अध्ययन के काम में काफी प्रगति हुई है । जैसे ही ये परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी, पांचवीं योजना में थर्मल बिजली-घरों की स्थापना करने के लिए योजना आयोग के परामर्श से कार्रवाई की जायेगी । चूंकि निकट भविष्य में बिजली की कमी पर पूरी तरह काबू पाना संभव नहीं है, रेलों को संभवतः छठी योजना की अवधि में भी अपने बिजली घर स्थापित करने पड़ेंगे ।

**तेल संकट तथा रेलें**

पिछले दो दशकों में रेल-परिवहन तकनीक को आधुनिक बनाने और यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कर्षण के स्वरूप को भाप से डीज़ल और बिजली में परिवर्तित किया गया । 1971 में यह भी फैसला किया गया कि चित्तरंजन में भाप के इंजनों का बनाया जाना बंद कर दिया जाये । रेलों में उच्चगति डीज़ल तेल की सालाना खपत लगभग 5.8 लाख मीटरिक टन है, जबकि देश मे डीज़ल तेल की कुल खपत 60 लाख मीटरिक टन है । इस प्रकार रेलों में केवल 'लगभग 10 प्रतिशत डीज़ल तेल की खपत होती है । डीज़लीकरण के लिए वर्तमान कार्यक्रम के आधार पर अनुमान है कि पांचवीं योजना के अंत तक रेलों पर डीज़ल तेल की खपत बढ़ कर 8 लाख मीटरिक टन हो जायेगी । उच्च गति डीज़ल तेल का मुख्य खपतकर्ता सड़क परिवहन है जो कुल सालाना खपत का लगभग 80 प्रतिशत डीज़ल तेल इस्तेमाल करता है । सड़क परिवहन की तुलना में रेलें डीज़ल तेल के अधिक कुशल उपयोगकर्ता हैं, क्योंकि मीटरिक टन किलोमीटर के हिसाब से एक यूनिट डीज़ल तेल में सड़क परिवहन के मुकाबले वे छः गुना बेहतर कार्य निष्पादन करती हैं ।

आज हमारे सामने जो समस्या है, वह है डीज़ल तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि और डीज़ल तेल की उपलब्धता में संभावित कमी । यदि सड़क परिवहन के लिए उच्च गति डीज़ल तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध लग जाये तो तेल संकट के कारण भी रेल परिवहन की अधिक मांग होने लगेगी । इस संदर्भ में ट्रंक मार्गों पर बिजली-करण की हमारी जो योजना है, उसमें पांचवीं योजना की अवधि में 1,800 किलोमीटर की वृद्धि की जायेगी । छठी योजना में यह बढ़कर 3,000 और सातवीं योजना में 4,000 मार्ग किलोमीटर हो जायेगी । प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक दृष्टि से यह बुद्धिमानी का काम नहीं होगा कि पुनः भाप-कर्षण पर लौट आया जाये क्योंकि ऐसा करने के लिए लाइन क्षमता और अनुरक्षण की सुविधाओं आदि पर काफी ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत होगी जबकि उनसे डीज़ल या बिजली रेल इंजनों की तुलना में कम भार ढोया जा सकेगा । अतः रेल मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि इन कारणों से और परिवहन के आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने में उनकी प्रमुख भूमिका को देखते हुए उच्चगति डीज़ल तेल की उनकी मांग को घटाया न जाय । राष्ट्रीय स्तर पर आगे कोई नयी परिस्थिति पैदा होने तक, डीज़ल इंजनों और डीज़लीकरण के लिए लाइन संबंधी योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

वैसे तो तेल संकट का प्रभाव अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों पर पड़ा है लेकिन रेलों पर इसका दुहरा प्रभाव पड़ा है । पहला यह कि इसके कारण कोयले की मांग में वृद्धि हुई है और अनुमान है कि यह 1974-75 में 9 करोड़ से 9.5 करोड़ मीटरिक टन के उत्पादन स्तर तक पहुंच जायेगी जब कि चालू वर्ष में यह 7.90 करोड़ मीटरिक टन थी । कोयले के इस प्रारंभिक यातायात में इस भारी वृद्धि के संचालन के उद्देश्य से परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए संपर्कों की ब्यौरेवार योजना बनानी पड़ेगी और मौजूदा परिसंपत्तियों का अधिकाधिक उपयोग करना पड़ेगा तथा अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी । इस चुनौती का सामना करने के लिए हम खान विभाग के सहयोग से आवश्यक कदम उठा रहे हैं । इसका दूसरा प्रभाव यह है कि इसके कारण डीज़लीकरण के संभावित विकल्प के रूप में हम पुनः भाप कर्षण में दिलचस्पी लेने लगे हैं । सरसरी तौर पर एक आर्थिक अध्ययन किया गया है, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यद्यपि भाप इंजनों के उत्पादन को पुनः शुरू करना वांछनीय नहीं है, लेकिन मौजूदा इंजनों के अनुरक्षण में सुधार लाकर और उनके पुनःस्थापन द्वारा उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है । इसलिए यह फैसला किया गया है कि पुराने भाप इंजनों को फिलहाल नाकाम घोषित करके हटाया न जाय ।

**अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां—इनकी दशा में सुधार के उपाय**

सरकार की घोषित नीति है कि समाज में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को उन्नति के अधिक अवसर दिये जायें । इस नीति के अनुरूप मैं इस दिशा में व्यक्तिगत रूचि ले रहा हूं कि सरकार ने इस संबंध में समय-समय पर जो आदेश निकाले हैं, उनके अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को रेल सेवा में वस्तुतः प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । पिछले वर्ष इस दिशा में एक कदम यह उठाया गया कि जिन पदों पर वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति की जाती है और जिनमें सीधी भर्ती से लिये गये उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होते, उन पर इन जातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए स्थान आरक्षित किये गये । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य अल्प संख्यक जातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नति के अधिक अवसर सुलभ हों, इस प्रयोजन से रेलवे बोर्ड में, वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन एक विशेष कक्ष की स्थापना की गयी है । इस महत्वपूर्ण कार्य के

लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के कार्मिक विभाग में भी एक-एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी की नियुक्ति की गयी है और उसकी सहायता के लिए उसके नीचे पर्याप्त कर्मचारी भी रखे गये हैं । इसी उद्देश्य से, रेल सेवा आयोग, कलकत्ता की एक शाखा, आदिवासी क्षेत्र के केन्द्रस्थल रांची में स्थापित की गयी है ताकि अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों को रेल सेवा की ओर आकृष्ट किया जा सके ।

1972-73 तक रेल सेवा के तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती रेल सेवा आयोग के कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद और मद्रास स्थित कार्यालयों के माध्यम से की जाती थी । अब एक नीति विषयक निर्णय यह किया गया है कि दूरस्थ और पिछड़े हुए प्रदेशों में रहने वाले नव-युवकों को नौकरी के समान अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया जाये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि रेल सेवा आयोग का क्षेत्राधिकार उतना ही हो जितना कि संबंधित क्षेत्रीय रेल प्रशासन का । इस नीति के अनुसार 1973-74 में मुज़फ्फरपुर में रेल सेवा आयोग का एक नया कार्यालय खोला गया है जिससे कि उक्त अंचल के अर्धविकसित क्षेत्रों से भर्ती की जा सके । भर्ती व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत बनाने और उसमें गतिशीलता लाने के उद्देश्य से 1974-75 में सिकन्दराबाद में एक और रेल सेवा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है :

**रेल सुरक्षा दल**

रेल संपत्ति की रक्षा और परिवहन के लिए रेलों को सुपुर्द किये गये माल की हिफ़ाजत के लिए रेल सुरक्षा दल की व्यवस्था की गयी है । इस दल की बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियों को देखते हुए मेरी यह प्रबल इच्छा है कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा बना रहे ताकि यह दल रेलों में अपराधों की रोक-थाम और खोज-बीन का उत्तरोत्तर अधिक कारगर साधन बनता जाये ।

पहली जुलाई, 1973 को रेल सुरक्षा दल के वार्षिक समारोह के अवसर पर मैंने यह घोषणा की थी कि इस दल के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति कीं संभावनाओं में सुधार किया जायेगा । उस अवसर पर मैंने यह भी कहा था कि उनको वर्दियां भी पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी और ज्यादा संख्या में दी जायेंगी ।

मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि रेल सुरक्षा दल में पदक्रमों के अनुसार पदों की वितरण व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो चुका है और अब इस दल के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अच्छे अवसर प्राप्त हैं । इसके अतिरिक्त हमारा इरादा यह भी है कि इस दल में प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने वाले अधिकारियों की संख्या क्रमशः कम होती जाये ताकि बाहरी लोगों की प्रतिनियुक्ति पर हमारी निर्भरता कम से कम हो और दल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पदोन्नति के और अधिक अवसर सुलभ हों ।

रेल सुरक्षा दल को अधिक अच्छी और ज्यादा संख्या में वर्दियां देने की दिशा में भी कदम उठाये गये हैं । मेरी यह प्रबल इच्छा है कि रेल सुरक्षा दल में सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये ताकि कुल मिला कर यह दल अन्य केन्द्रीय सुरक्षा संगठनों से, किसी भी दिशा में, पिछड़ा हुआ न रहे । जहां तक वेतन-मानों का प्रश्न है, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें हमें मिल चुकी हैं और अब मेरा मंत्रालय उन पर, अन्य केन्द्रीय सुरक्षा संगठनों जैसे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सचिवालय सुरक्षा संगठन, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस आदि के लिए प्रस्तावित वेतन-मानों के संदर्भ में विचार कर रहा है । मैं चाहता हूं कि रेल सुरक्षा दल में सेवा की शर्तें और पदोन्नति की संभावनाएं, मोटे तौर पर, इस तरह के अन्य केन्द्रीय संगठनों के समान हों ।

**लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर हड़ताल**

मैं अपने भाषण के पूर्वांश में 1973 में लोको कर्मचारियों की तीन बड़ी हड़तालों का उल्लेख कर चुका हूं। इनमें पहली हड़ताल मई में, दूसरी जुलाई-अगस्त में और तीसरी नवम्बर-दिसम्बर के महीनों में हुई। मैं सदन में अनेक बार कह चुका हूं कि अगस्त, 1973 में जब लोको कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली थी, उस समय उनको जितने भी आश्वासन दिये गये थे, उन सबको ––शब्दशः और उनमें निहित भावना के अनुसार भी––पूरा किया गया है। कुरेशी कमेटी में लोको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सरकारी पक्ष के बीच, पिछले दिनों, बड़े प्रयास के बाद, 10 घंटों का नियम लागू करने का ढंग और तरीका निकालने के लिए एक समझौता हुआ है। इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय रेलें शीघ्र-योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में जुटी हैं। किन्तु यह समस्या कितनी बड़ी है, इसका थोड़ा संकेत मैं यहां कर देना चाहता हूं। 10 घंटे का नियम लागू करने के लिए हमें लगभग 20 हज़ार अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती करने होंगे, उन्हें प्रशिक्षित करना होगा और लगभग 38 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से अतिरिक्त लूप लाइनें बिछाने तथा ड्राइवरों और इंजन कर्मीदल के अन्य लोगों के लिए विश्राम-कक्षों के निर्माण का कार्यक्रम बनाना होगा। इन कामों के लिए रेल प्रशासनों को आदेश जारी किये जा चुके हैं। निःसंदेह, सदन मेरे इस कथन से सहमत होगा कि इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण और संबंधित निर्माण–कार्यों में समय तो लगेगा ही। ये सब काम 30 या 90 दिन में पूरे नहीं किये जा सकते। इसलिए मैं लोको कर्मचारियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्थिति की वास्तविकता को पहचानें और आगे आन्दोलन छेड़ने या फिर से हड़ताल करने की धमकियों का सहारा न लें। इनसे पूरे समाज को नुकसान होता है। माल यातायात से आमदनी के रूप में रेलों को एक रुपये के घाटे का अर्थ होता है, राष्ट्र को 10 गुना या इससे अधिक घाटा। बड़े पैमाने पर माल परिवहन का कार्य रेलें ही करती हैं। इनकी परिवहन क्षमता में यदि कोई रूकावट आती है तो इस्पात कारखानों, उर्वरक और सीमेंट तैयार करने वाली फैक्टरियों आदि में उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

**प्रादेशिक सेना की रेल टुकड़ियां**

प्रादेशिक सेना की रेल टुकड़ियों ने आड़े वक्त में बहुत परिश्रम से काम किया है। मैं उनकी प्रशंसा में दो शब्द अवश्य कहना चाहूंगा। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि इन टुकड़ियों में रेल कर्मचारी ही होते हैं जो वर्दियों में सैनिक अनुशासन से बंधे होते हैं। जब-जब रेल परिचालन में हमें आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, तब-तब राष्ट्र की जीवन-धारा इस रेल-व्यवस्था को सक्रिय रखने में, इन टुकड़ियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। पिछले भारत-पाक संघर्ष के समय इन टुकड़ियों ने ही सीमांत क्षेत्रों में, रेल सेवाओं को संचालित रखा था। बंगला देश से लाखों शरणार्थियों को निकलाने और फिर उन्हें पुनः वहां पहुंचाने में भीं हमें इन टुकड़ियों की सहायता मिली है। सरकार ने और इस सदन ने भी, इनकी सेवाओं की पूरी कद्र की है। हड़ताल और आन्दोलन के चिन्तापूर्ण दिनों में प्रादेशिक सेना ने, अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई और इस्पात कारखानों, निर्माण कारखानों, बिजली-घरों आदि को परमावश्यक सामान पहुंचाने में, सराहनीय काम किया है। इन बहुमूल्य सेवाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रादेशिक सेना में रेल-टुकड़ियों की संख्या दुगुनी कर दी जाये। मैं अनुभव करता हूं कि बाद में इनके संवर्ग में और भी बढ़ोतरी की जायेगी जो उपयोगी सिद्ध होगी। प्रादेशिक सेना का यह स्कंध और भी आकर्षक बने, इस उद्देश्य से हम उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देना चाहते हैं।

**विद्यार्थियों और जनता के अन्य वर्गों को रियायत**

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, अध्यापकों और किसानों आदि को यात्रा में दी जाने वाली सामान्य रियायतें चालू वर्ष में जारी रखी गयी हैं । उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान जैसे विपत्ति-गस्त क्षेत्रों को सहायता के रूप में मुफ्त बांटे जाने वाले सामान की निःशुल्क ढुलाई मुफ्त रूप से की गयी । मई, 1973 से, विद्यार्थियों के शैक्षिक परिभ्रमण के लिए नियमित रूप से उदार शर्तों पर स्पेशल गाड़ियां चलाने की अनुमति दी गयी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ तीसरे दर्जे के किराये में 50 प्रतिशत की रियायत, निःशुल्क रसोई-यान और इन स्पेशल गाड़ियों में चलने वाले रसोइयों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था भी की गयी है । यह विशेष व्यवस्था नवयुवकों में लोकप्रिय हुई है, क्योंकि इससे उन्हें न केवल देश की सांस्कृतिक तथा आर्थिक एकता के परिपूर्ण दर्शन करने का, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण को अपनी आंखों से देखने का भी अवसर प्राप्त होता है ।

**पढ़े लिखे बेरोजगारों की ओर विशेष ध्यान**

पिछले वर्ष के बजट पर हुई बहस के दौरान मैंने यह वचन दिया था कि स्टेशनों पर बुक-स्टाल के ठेके पढ़े-लिखे बेरोजगार नवयुवकों द्वारा बनायी गई सहकारी समितियों को दिये जायेंगे । तदनुसार, रेलों को हिदायतें जारी कर दी गई थीं कि जिन स्टेशनों पर इस समय कोई बुक-स्टाल नहीं है और यदि वहां बुक स्टाल होना आवश्यक है, तो उन स्टेशनों पर और भविष्य में खोले जाने वाले स्टेशनों पर, बुक-स्टालों के ठेके पढ़े-लिखे बेरोज़गार नवयुवकों को पंजीकृत सहकारी समितियों को दिये जांये ।

यह योजना सीमित रूप में ही सफल हो पायी है । लेकिन, प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पाने और इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

**खान पान और खोमचों के ठेकों के नवीकरण के सम्बन्ध में नीती**

रेलों को निर्देश दिया गया है कि खान-पान और बिक्री के ठेकों के ऐसे सभी मामलों में आवेदन-पत्र मांगे जायें जहां ठेकेदार दो कार्यकाल पूरे कर चुके हों, अर्थात सभी स्टेशनों वेंडिंग और भोजनालय के ठेकों से संबन्ध में छः वर्ष तथा रेस्तरां और भोजन यान के ठेकों के संबंध में दस वर्ष पूरे कर चुके हों । इसका उद्देश्य यह है कि पुरानी कार्यविधि के अन्तर्गत निहित स्वार्थों की वृद्धि को बढ़ावा न मिल सके । इस प्रबन्ध से हमें ऐसे लोग भी मिल सकेंगे जो यात्री-जनता को अधिक संतोषजनक सेवा प्रदान करने में अधिक समर्थ और उत्साही होंगे ।

**दुर्घटना क्षतिपूर्ति**

पिछले वर्ष के अन्त में भारतीय रेल (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 के बनने से पहले तक, रेल दुर्घटना में मरने वाले अथवा पूर्ण रूप से अपंग होने वाले यात्री को क्षतिपूर्ति के भुगतान की अधिकतम सीमा बीस हजार रुपये थी । क्षतिपूर्ति के रूप में देय राशि का संबंध दुर्घटना के समय यात्री की आमदनी से होता था। जीवन-यापन की बढ़ती हुई लागत और हवाई दुर्घटना में ग्रस्त होने वालों के संबंध में लागू क्षतिपूर्ति की सीमा को देखते हुए यह महसूस किया गया कि उपर्युक्त सीमा कुछ कम है और यह भी कि यात्री की उपार्जन-क्षमता तय करने में लगने वाले समय के कारण भुगतान में काफी विलम्ब हो जाता है । इसलिए, भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन किया गया और रेल दुर्घटना में मरने अथवा पूर्ण रूप से अपंग होने वाले यात्री को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा बढ़ा कर पचास हज़ार रुपये कर दी गयी । इस अधिनियम से, मरने वाले अथवा पूर्णतः

अपंग हो जाने वाले यात्री की आमदनी का विचार न करते हुए, सबको बराबर क्षतिपूर्ति करने की प्रणाली लागू हो गयी, जिससे कम आमदनी वाले यात्रियों को बड़ा भारी लाभ हुआ। अब जो क्षतिपूर्ति की जायेगी, वह इस बात पर निर्भर होगी कि यात्री को किस किस्म की चोट आयी है, न कि इस बात पर कि दुर्घटना के समय उसकी उपार्जन क्षमता क्या थी। चोटों के संबंध में भुगतान की अनुसूची में भी संशोधन कर दिया गया है ताकि समुचित क्षतिपूर्ति का शीघ्र भुगतान किया जा सके। 1 जनवरी, 1974 से, तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रति टिकट केवल पांच पैसे से लेकर वातानुकूल पहले दर्जे के यात्रियों के लिए प्रति टिकट एक रुपये तक का अतिरिक्त प्रभार लगाया गया है जिससे, अन्य मदों के साथ-साथ, अतिरिक्त प्रत्याशित दायित्व पूरा किया जा सके।

**अनुदानों की दो नयी मांगें**

अभी हाल तक रेल दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों से प्राप्त होने वालों दावों के भुगतान को संचालन-व्यय का अंग माना जाता था। परन्तु, 1-4-1974 से "दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि" नाम की एक नयी नीधि बनायी जा रही है, जिसमें से, मुख्यतः रेल दुर्घटनाओं में ग्रस्त यात्रियों के प्रति दायित्व पूरा किया जायेगा। इस निधि का उपयोग रेल-पथ परिपथन या धुरा काउंटर, स्वचल चेतावनी प्रणाली, सतर्कता नियंत्रण उपाय, समपारों पर ऊपर उठने वाले फाटक, सिगनलों के साथ समपारों के अन्तर्पाशन, दर्शा या चेतावनी बोर्डों पर प्रतिबिम्बक सामग्री की चमकदार बत्ती, आदि संरक्षा कार्यों पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए भी किया जायेगा। गाड़ी सूचक बोर्डों, लाइसेंसधारी भारिकों के विश्राम-स्थलों जैसी यात्री सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी इस निधि से किया जायेगा। इस निधि का पोषण यात्री टिकटों पर लगने वाले अधिप्रभार से होने वाली आय के विनियोग से किया जायेगा। चूंकि इस निधि का परिचालन 1–4–74 से होगा, इसलिए 1–1–1974 के बाद लगाये गये अधिभार से होने वाली आय और रेल दुर्घटनाओं में ग्रस्त यात्रियों के दावों के भुगतान पर होने वाला व्यय "निक्षेप-विविध" के अन्तर्गत दिखाया जायेगा और 1973–74 के अन्त में बकाया रकम को प्रोफार्मा अथशेष के रूप में नयी निधि में डाल दिया जायेगा। अतः 1974–75 की "अनुदान की मांगें" नामक पुस्तिका में अब संख्या 21 और 22 दो अतिरिक्त अनुदान की मांगें शामिल की गयी हैं, जिनमें इस निधि में किये जाने वाले विनियोग तथा निकासी का ब्यौरा दिया गया है। 1974–75 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में भी इस निधि के अन्तर्गत होने वाले लेन-देन से सम्बन्धित एक विवरण शामिल किया गया है।

**रेलों में परामर्श सेवा**

पिछले वर्ष अपने भाषण में मैंने इस बात का संकेत दिया था कि सरकार रेलवे के बारे में परामर्श के लिए एक अलग यूनिट संगठित करने का विचार कर रही है ताकि भारतीय रेलें अपने ग्राहकों को, विशेष रूप से विदेशी रेलों और विश्व की ऋणदाता एजेंसियों को प्रबन्ध, संगणकीकरण, परिवहन-कार्य, ब्यौरेवार क्षेत्र-कार्य के बाद के परियोजना मूल्यांकन आदि समस्त क्षेत्रों में पूर्णरूपेण परामर्श-सेवाएं प्रदान कर सके और "टर्न-की" परियोजनाओं का कार्य कर सकें।

सरकार ने रेलवे बोर्ड के प्रशासी नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त कम्पनी के रूप में इस परामर्श यूनिट की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। यह कम्पनी निकट भविष्य में काम आरम्भ कर देगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय रेलों ने अनेक वर्षों में रेलवे के काम के सभी पहलूओं में जिस ज्ञान और विशेज्ञता का विकास किया है उससे इसकी परामर्श यूनिट विश्व-भर से ग्राहक आकर्षित कर सकेगी।

**रेलवे अभिसमय समिति**

रेलवे अभिसमय समिति, 1971 ने अप्रैल, 1973 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश की जिसे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया । सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान में कुल राहत, जो रेलों को चौथी योजना के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों के फलस्वरूप प्राप्त हुई, वह कुल मिलाकर 107 करोड़ रुपये थी । मैं पुनः अभिसमय समिति के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लेखा संबंधी मामलों उपनगरीय गाड़ियों, महानगर परियोजनाओं, वाणिज्यिक तथा सम्बद्ध मामलों और माल डिब्बों की उपलब्धता की आवश्यकता जैसे रेल संचालन के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया है । उनकी सिफारिशों पर पूरी शक्ति से अमल किया जा रहा है और उन पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट रेलवे अभिसमय समिति, 1973 के माध्यम से दी जा रही है । मई, 1973 में गठित इस समिति को भेजे गये मामलों पर गहराई से विचार होने तक, समिति द्वारा एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी गई है और उनमें की गई सिफारिशें 1974–75 के बजट में शामिल कर ली गई हैं । पूर्ववर्ती समिति द्वारा दी गयी विभिन्न राहतों को वर्तमान समिति ने बजट वर्ष 1974–75 तक बढ़ा दिया है जिसमें उसका योगदान लगभग 23.82 करोड़ रुपये है ।

**विदेशी मुद्रा सहायता**

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेलों की विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता का अनुमान लगभग 330 करोड़ रुपये है । यह आवश्यकता चल-स्टाक के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल और पुर्जों के आयात तथा रेल प्रणाली के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए अन्य उपस्कर के आयात के लिए है ।

कई वर्षों से, भारतीय रेलों के विकास कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत विश्व बैंक और सबसे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाला ऋण और कर्ज रहा है । दिसम्बर, 1973 में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 8 करोड़ डालर (60 करोड़ रुपये के बराबर) का एक और कर्ज दिया है जिसे जनवरी, 1974 से मार्च, 1975 तक की 15 महीने की अवधि में आयात के बड़े भाग पर खर्च किया जायेगा । 5 दिसम्बर, 1973 को हस्ताक्षरित तृतीय जेक कर्ज करार में रेलवे क्षेत्र में एक पहिया और धुरा संयंत्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित उपस्कर तथा सुविधाओं के लिए और इसके साथ-साथ, यदि आवश्यक हो तो, भारी काम के बिजली रेल-इंजनों के आयात के लिए, व्यवस्था की गयी है।

मुझे सदन को सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि 29 नवम्बर, 1973 को हस्ताक्षरित आर्थिक एवं व्यापार सहयोग के और अधिक विकास से सम्बन्धित करार में, सोवियत रूस की सरकार ने कलकत्ता भूगत रेल परियोजना के निर्माण के लिए कर्ज देना स्वीकार कर लिया है ।

**श्रमिक सम्बन्ध**

देश के आर्थिक जीवन में रेल कर्मचारी की प्रमुख भूमिका है, इसे माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं । ऐसी स्थिति में, सभी कोटि के रेल कर्मचारियों के कंधों पर एक बहुत विशेष जिम्मेदारियां आ पड़ती हैं । उनमें से अधिकांश लोग समाज की जो निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं, वह मेरी नजर में

हार्दिक रूप से प्रशंसनीय हैं। में प्रादेसिक सेना के अधिकारियों और अन्य पर्यवेक्षक कर्मचारियों और उसमें शामिल रेल कर्मचारियों की भी प्रशंसा करना हूं जिन्होंने बहुत ही दबावपूर्ण और तनावपूर्ण परिस्थितियों में, और यहां तक कि कभी-कभी जान की जोखिम उठाकर भी, अमूल्य सेवा की है।

लेकिन मुझे इस बात के लिए अत्यन्त खेद और चिन्ता है कि इधर कुछ दिनों से थोड़े से रेल कर्मचारियों ने रेलों का अनुरक्षण और परिचालन करने वाले अनिवार्य कर्मचारियों के बीच अपने धौंस दबाव वाले गुट संगठित कर लिये हैं। इन गुटों ने नाजुक क्षेत्रों में रेल संचलन कार्य को जब तक ठप्प करने की कोशिश की है और समय-समय पर समाज के हितों से सौदेबाजी की है। मैं रेल कर्मचारियों की कुछ कोटियों द्वारा किये गये आन्दोलन राजनीति से प्रेरित रहे हैं और चूंकि इन आन्दोलनों का ट्रेड यूनियन के कार्य-कलाप से कोई संबंध नहीं रहा है, इसलिए ये मेहनतकश वर्ग के हित में भी नहीं हैं। हम एक अत्यन्त कठिन दौरे से गुजर रहे हैं। हमारी अधिकांश कठिनाइयों का कारण यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सामाजिक परिवर्तन के लिए अपेक्षित साज-समान मुहैया हो सके, और प्यारे देश के चेहरे से दरिद्रता की कालिमा धुल सके और उन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को ज्यादा सुखी और सम्पन्न बनाने की पक्की व्यवस्था की जा सके जो अपने परिश्रम द्वारा राष्ट्र के लिए आवश्यक माल और सेवा-साधन पैदा करते हैं। हमारे विकास कार्यक्रम के लिए सामान आदि पहुंचाने की व्यवस्था करना रेलों की जिम्मेदारी है जैसे बिजली पैदा करने के लिए कोयले की ढुलाई, संयंत्रों और उद्योगों के लिए कच्चा माल मुहैया करना और वहां से निर्मित माल को बाहर पहुंचाना, अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाना और जनता को अपने बृहत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने के लिये गतिशीलता की व्यवस्था करना। रेलें इस कठिन कार्य को केवल अपनी उत्पादकता में सुधार लाकर और अपनी कार्य-कुशलता बढ़ाकर ही पूरा कर सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए बेहतर औद्योगिक संबंध और अधिक प्रबुद्ध प्रबंध-व्यवस्था की आवश्यकता है। गत वर्ष, जैसा कि मैंने पहले कहा है, रेलों पर औद्योगिक संबंध अत्यधिक अस्त-व्यस्त रहे जिनके कारण न केवल रेलों को आमदनी में भारी नुकसान हुआ, बल्कि सर्वांगीण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर भी भारी धक्का पहुंचा। यह एक गंभीर मामला है जिस पर हमें तुरन्त ध्यान देना होगा। मेरा यह निश्चित मत है कि श्रम संगठनवाद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार होता है। लोकतंत्र और श्रम संगठनों को साथ-साथ चलना पड़ेगा। जहां-जहां लोकतंत्र दबाया गया है, वहां श्रम संगठन भी समाप्त हो गये हैं और जहां-जहां श्रम संगठनों ने अनुत्तरदायित्वपूर्ण तरीके और दुःसाहसी ढंग से व्यवहार किया, वहां लोकतंत्रिक खतरे में पड़ गया। इसलिए एक स्वस्थ श्रम संगठनवाद के विकास की आवश्यकता अपरिहार्य है। मेरा सुझाव यह नहीं है कि राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता श्रम संगठनों की गतिविधियों में भाग न लें। लेकिन इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना राजनैतिक दलों के नेताओं की जिम्मेदारी है कि केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए श्रम संगठनों का अनुचित लाभ न उठाया जाये। विभिन्न आस्थाओं वाले राजनैतिक दलों को यह भी देखना है कि श्रम संगठन राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की समग्र-स्थिति को ध्यान में रखें और उससे अलग-थलग रहकर व्यवहार न करें। मैं यह मानता हूं कि एक लोकतांत्रिक समाज में श्रमिक संगठनों को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हड़ताल करने का अधिकार निर्विवाद रूप से प्राप्त है। लेकिन इस के साथ यह भी मानना होगा कि समाज के प्रति कर्मचारियों का कुछ दायित्व भी है और हड़ताल को अन्तिम हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। छोटी-मोटी और निराधार बातों पर इस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब आपसी बातचीत और पंच फैसले के द्वारा समस्या सुलझाने के सभी

दूसरे रास्ते पूरी तरह बन्द हो जाएं। मैं समझता हूं कि यूनियनों और प्रशासन—दोनों के लिए यह परमावश्यक है कि वे विवाद सुलझाने के लिए उपलब्ध सभी ऐसे माध्यमों का उपयोग करें जिनके संबंध में रेल प्रशासनों में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त तंत्र मौजूद हैं और जिसमें बातचीत असफल होने पर खुद-ब-खुद पंच फैसले का अधिकार भी आ जाता है। रेल कर्मचारियों के कुछ गैर-जिम्मेदारी संवर्गों द्वारा गैर-कानूनी आकस्मिक हड़तालों और अड़ंगेबाजी का तारीका अपनाये जाने से समाज को असुविधा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। अब इसके विरुद्ध जनता में रोष पैदा होने लगा है। जहां मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं उन कर्मचारियों की प्रशंसा करूं जो भांति-भांति के भड़कावों के बावजूद अपना-अपना काय करते रहे, वहां मैं विभिन्न श्रम संगठनों के जिम्मेदार नेताओं से भी यह कहना चाहूंगा कि वे ऐसी स्थिति पैदा करने में सहायक हों जिसमें बिना सोचे-समझे हड़ताल करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाये क्योंकि यह न केवल कर्मचारियों के हित में होगा बल्कि बृहत राष्ट्रीय हित में भी होगा।

मेरे कहने पर रेलवे बोर्ड क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श करके श्रमिक संबंधों की विषय की गंभीरतापूर्वक जांच की थी और कुछ स्थूल निर्णय किये थे। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि जब कर्मचारी गैर-कानूनी हड़तालें करेंगे तो उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अन्य अनुशासनिक कार्यवाई के अलावा "काम नहीं तो वेतन नहीं" की नीति भी लागू की जायेगी। यह भी विनिश्चय किया गया है कि सेवा-अवधि बढ़ाकर, पुरस्कार और उल्लेखनीय सेवा के लिए अग्रिम वेतन-वृद्धिया देकर निष्ठावान कर्मचारियों की सेवाओं को सम्मानित किया जाये और निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को रेल सेवा में लेने के बारे में प्रशासनिक नियमों के अधीन अनुकूल विचार किया जाये। निष्ठावान कर्मचारियों और उनके परिवारों को मार-पीट और दाव-धौंस से बचाने के कारगर उपाय भी हम खोजेंगे। 1973 के दौरान हड़तालों से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि ये हड़तालें ऐसी कोटि-वार यूनियनों द्वारा आयोजित की गयी जो मान्यता प्राप्त करने के लिये और बातचीत की सुविधाएं पाने के लिये जोर देती रही है। रेल कर्मचारियों की 700 कोटियां है और माननीय सदस्य यह मानेंगे कि किसी भी संगठन के लिये यह संभव नहीं है कि इतनी अधिक कोटियों के प्रतिनिधियों से सभी स्तरों पर बातचीत की जा सके। यदि ऐसी सुविधाएं दे भी दी जाये तो इससे मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों में बिखराव पैदा हो जायेगा और एक कोटि को रियायतें देने से असंतुलन पैदा हो जायेगा और अन्य कोटियों से भी ऐसी ही मांगें आने लगेंगी। इसलिए मैंने एक पूर्वाग्रह रहित कदम उठाया और 4 फरवरी, 1974 को एक बैठक बुलायी, जिसमें श्रमिक संबंधों में रुचि रखने वाले माननीय संसद सदस्यों के अलावा मेरे कुछ साथियों ने और रेलों पर कार्यशील दो फडरेशनों के पदाधिकारियों एवं चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में श्रमिक संबंधों के समूचे विषय पर अनौपचारिक विचार-विमर्श हुआ और आम राय यह बनी कि श्रमिकों और प्रशासन के बीच सोद्देश्य बातचीत और निबटारे के लिए केवल एक यूनियन रहनी चाहिए जिसका आधार व्यापक हो और जो इतनी लोकप्रिय हो कि उसमें शिल्पविधाओं तथा रेल कर्मचारियों की सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व होता हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यदि गुप्त मतपत्र का सिद्धान्त अपनाना पड़े तो मैं समझता हूं कि यह अपनाया जाना चाहिए। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि रेलवे के दोनों श्रमिक फेडरेशनों, श्रम मंत्रालय और अन्य संबंधित लोगों के साथ विचार-विमर्श करके इस विचार को मूर्त रूप दूं।

मैं मानता हूं कि सुखद औद्योगिक संबंधों और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रबुद्ध प्रशासनतंत्र आवश्यक है। औद्योगक संबंधों को सम्हालने के लिये कड़ा नौकरशाही रवैया अपनाना अब गयी-बीती बात हो गयी है। इसलिए, सभी रेल प्रशासकों का लक्ष्य यह देखना है कि प्रबंधकीय दायित्वों को प्रबुद्ध

दृष्टिकोण के साथ निभाया जाये। इस दृष्टिकोण को अपनाये बिना कोई भी प्रबंधक, चाहे उसे कितना ही प्राधिकार मिला हो, अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या से सर्वोत्तम लाभ नहीं उठा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास और अडिग लक्ष्य है कि रेलें इस दिशा में एक आदर्श प्रस्तुत करें।

**बजट अनुमान 1974-75**

अब मैं आगामी वर्ष के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा। चौथी योजना की संग्रहीत दायिताओं का जिनमें से अधिकांश 1973–74 से संबंधित हैं, अभी निपटारा होना शेष है। इसके परिणामस्वरूप रेलों के वित्तीय भविष्य पर न केवल 1974–75 में, जो कि पांचवीं योजना का पहला वर्ष होगा बल्कि आगामी दो वर्षों में भी, एक सुदीर्घ काली छाया पड़ने वाली है। चालू वर्ष के असंतोषपूर्ण वित्तीय परिणामों के फलस्वरूप सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उस पर सूद की अदायगी के लिए अगले वर्ष के बजट में हमें 44.76 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा। इसके अलावा वेतन आयोग की सिफारिशों और मंगहाई भत्ते की बढ़ोत्तरियों के कारण उत्पन्न दायिताओं के निर्वाह के लिए हमें 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। इस प्रकार चालू खर्चों के अतिरिक्त 1974–75 के वर्ष को इन भारी खर्चों का प्रबल बोझ उठाना ही पड़ेगा।

**यातायात से कुल प्राप्ति**

हमारा अनुमान है कि किराये-भाड़े की वर्तमान दरों के आधार पर यातायात से कुल 1290.77 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। यह इस आशापूर्ण मान्यता पर आधारित है कि चालू वर्ष में ढोये जाने वाले यातायात के अलावा रेलें 250 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त प्रारम्भिक माल-यातायात ढोयेंगी। 1973–74 की घटनाएं हमारी इस आशावादी मान्यता के आगे प्रश्नचिन्ह अवश्य लगाती हैं। फिर भी मैं निराश नहीं हूं और नये वर्ष की ओर आशा और विश्वास की दृष्टि से देखता हूं। माल-यातायात से आमदनी 811.60 करोड़ रु० आंकी गयी है, जबकि इस का संशोधित अनुमान 709.56 करोड़ रुपये था। 1973–74 में यात्री यातायात में सदा की भांति वृद्धि का रुख परिलक्षित नहीं हुआ, अतः इस मद में प्राप्ति का अनुमान 1973–74 के बजट अनुमान के अनुरूप ही रहने दिया गया है। अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी का अनुमान 1973–74 में 56.94 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 66.58 करोड़ रुपये रखा गया है।

**संचलन व्यय**

हमारा संचालन-व्यय 1148.37 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें 99 करोड़ रुपये का वह खर्च भी शामिल है जो वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्तों में हुई वृद्धि के भुगतान के साथ-साथ अतिरिक्त मंगहाई भत्तों के भुगतान पर हुआ है। इसके अलावा रेलपथ, चल स्टाक तथा अन्य उपकरणों आदि सहित रेल परिसम्पत्तियों की मरम्मत करने के लिए 29.29 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की भी व्यवस्था की गयी है। इन अनुमानों में रेलवे के ईंधन बिल में वृद्धि भी शामिल है जो 250 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त यातायात के परिवहन तथा ईंधन के अधिक ऊंचे दाम (40.78 करोड़ रुपये) होने के कारण है। हमने मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 115 करोड़ रुपये तथा पेंशन निधि में

16 करोड़ के विनियोग की व्यवस्था भी की है। रेलवे अभिसमय समिति, 1973 की संसद द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर बजट वर्ष में मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अंशदान की दर उसी स्तर पर रखी गयी है जो 1973–74 में थी। 1-4-1974 से शुरू की गयी "दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि" में लगभग 8 करोड़ रुपये की समग्र प्राप्तियां जमा होंगी जोकि भारतीय रेल संशोधन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत यात्री यातायात पर लगाये गये अधिप्रभार से प्राप्त होंगी।

**अतीत के वित्तीय भार**

इन सबको तथा अन्य संबद्ध मदों को ध्यान में रखते हुए हमारा राजस्व अपने खर्च से 7.5 करोड़ रुपये कम पड़ेगा। यदि गत वर्ष की 42 करोड़ रुपये की अग्रेषित दायिता, जो कि वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण है, को छोड़ दिया जाये तो राजस्व प्राप्तियां हमारे खर्च (जिसमें मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग भी शामिल हैं) से 34.5 करोड़ रुपये अधिक हो जातीं।

इन पूर्वानुमानों से यह देखा जा सकेगा कि अपने अंशदान की दायिता, ऋणों के सेवा प्रभार की दायिता तथा विकास निधि से किये जाने वाले निर्माण कार्यों के खर्चों को रेलें पूरा नहीं कर सकेंगी। इस मद के अन्तर्गत समग्र दायिता 252.43 करोड़ रुपये बनती है।

अतएव, माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि देश की आर्थिक अंतः संरचना में रेलों की प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि उनकी वित्तीय स्थिति को पुनः सुदृढ़ किया जाय। इसलिए मुझे अत्यन्त अनिच्छापूर्वक इस निष्कर्ष पर आना पड़ा कि अब किरायों और भाड़ों के स्तरों में समायोजन करना अपरिहार्य है।

**बजट प्रस्ताव**

**भाड़ा संरचनों में संशोधन**

माननीय सदस्य मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि साधन जुटाने की आज अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता है जिसके लिए बहुत अधिक प्रयास अपेक्षित है। माल-भाड़े और यात्री किरायों की दरों में समायोजन के लिए बजट प्रस्ताव बड़े ध्यान पूर्वक, सोच-विचार के बाद तैयार किये गए हैं। मैं सदन को पहले ही यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि वृद्धि के जो प्रस्ताव मैंने रखे हैं, वे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम हैं। मैं सबसे पहले माल यातायात को लेता हूं। हमारे निवेश की लागत, विशेष रूप से वेतन बिल, जो कुल संचालन-व्यय का 60 प्रतिशत बैठता है, और ईंधन जिस पर लगभग 20 प्रतिशत व्यय होता है, और अन्य सामान तथा भण्डार की लागत हाल में इतनी बढ़ गयी है कि माल-भाड़े और यात्री किराये के घटकों के मूल्य सर्वथा विपर्यस्त हो गये हैं। इसके अलावा, लागत अध्ययन जो भाड़ा संरचना का आधार होता है, से पता चलता है कि विशेष रूप से भारी परिमाण में ढोयी जाने वाली प्रमुख वस्तुओं, जोकि हमारे सम्पूर्ण माल यातायात का लगभग 75 प्रतिशत होती हैं, के प्रसंग में लागत और आमदनी के बीच का अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर कुछ वर्षों से माल यातायात की औसत वहन-दूरी बढ़ रही है, वहां चालू वर्ष के दौरान सम-विभाजन के स्थलों की दूरी में अत्याधिक कमी हुई है। दूरहीयमान दरों (अधिक दूरी कम किराया) का क्रमावरोह अर्थात् प्रति मीटरिक टन प्रति किलोमीटर भाड़ा दूरी बढ़ने के साथ-साथ कम होता या घटता जाता है और ढुलाई की लागत में वृद्धि के मुकाबले भाड़ा-दर बहुत ही कम होती जाती है।

उदाहरण के लिए, पहले बड़ी लाइन पर 1300 किलोमीटर के बाद लोह अयस्क की ढुलाई अलाभप्रद होती जाती थी, अब परिचालन की लागत इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी ढुलाई अब पूर्णतः अलाभप्रद हो चुकी है। यही दशा कोयले के परिवहन की भी है। पहले 1100 किलोमीटर की दूरी तक कोयले का परिवहन लाभप्रद रहता था। इसकी ढुलाई की वर्तमान भाड़ा-दर से 1973–74 में किसी भी दूरी तक कर्षण की लागत नहीं निकल पायेगी। नवीनतम अनुमान के अनुसार कम दर वाले माल यातायात से होने वाली हानि 1973–74 में 115.40 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी। इसलिए आवश्यकता पड़ गयी है कि भाड़ा दर अनुसूची का व्यापक रूप म पुनरीक्षण किया जाये। इस तरह लागत के घटक तत्वों में आमूल परिवर्तन हो जाने के कारण घटने वाली इस दर-प्रणाली में यह घाटा और भी बढ़ता जाता है और इसके अनुसार अधिक वहन दूरी से जो प्राप्ति होती है, उसकी तुलना में लागत और भी अधिक रहती है। इस प्रवृति पर नियंत्रण रखने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि न केवल भाड़ा दरों में उपयुक्त वृद्धि की जाये बल्कि लम्बी दूरी की ढुलाई के लिए लागू दरों से संबंधित दर-प्रणाली में भी समायोजन किया जाये। इसलिए, माल के पारस्परिक वर्गीकरण में कोई भी परिवर्तन किये बिना, माल भाड़ा संरचना में संशोधन करने का प्रस्ताव है। जैसी कि वर्तमान व्यवस्था है, किसी भी वस्तु की ढुलाई की दर बुनियादी मान पर आधारित होगी। वर्तमान भाड़ा दरों की तुलना में संशोधित संरचना के अन्तर्गत 40 किलोमीटर की वहन-दूरी पर लगभग 5 प्रतिशत से लेकर 3000 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 11 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

**कोयले पर भाड़ा**

अपवाद के रूप में इस समय कोयले को मानक भाड़ा संरचना की परिधि से बाहर माना जाता है। परिणामतः चालू रियायती दरों पर रेलों को 1974–75 में, कोयले की ढुलाई से लगभग 37.67 करोड़ रुपये की हानि होगी। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि रेलवे की नाजुक वित्तीय स्थिति इतने बड़े बोझ को सहन नहीं कर सकती। इसलिए अब कोयले की भाड़ा दर को, मानक भाड़ा संरचना के वर्ग 37.5 में रखकर वर्तमान लागत के अनुरूप स्थिर करने का विचार है। इससे रेलों को कोयले के परिवहन से होने वाले घाटे से मुक्ति मिल जायेगी। इससे 760 किलोमीटर की वहन दूरी पर एक औसत उपभोक्ता को कोयले के मूल्य पर केवल लगभग 5 से 6 प्रतिशत अधिक भाड़ा देना होगा। कम दूरी की ढुलाई पर इसका प्रभाव और भी कम होगा।

भाड़ा दरों में जो परिवर्तन किये गये हैं, उनका ब्यौरा ज्ञापन में दिया गया है। अनुमान है कि सामान्य दर-सूची में प्रस्तावित परिवर्तन और कोयले को उपयुक्त मानक अनुसूची में शामिल कर लिये जाने के परिणामस्वरूप कोयले से प्रति वर्ष 39.33 करोड़ रुपये और अन्य वस्तुओं से 44.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

**खाद्यान्न**

खाद्यान्न और दालों की ढुलाई भी गैर-मानक और रियायती दरों पर की जाती है। इनसे हमारा अपना खर्चा भी पूरा नहीं होता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में आपातिक आधार पर खाद्यान्न की ढुलाई में रेलों ने बड़ा सराहनीय काम किया है लेकिन इससे न केवल उनके परिवहन की गति और उनके काम करने के ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि वित्तीय दृष्टि से यह उनके लिए अलाभकर भी रहता है। इस तरह के यातायात से 1972–73 में रेलों को लगभग 26 करोड़ रुपये

की हानि उठनी पड़ी। परिचालन की लागत बढ़ जाने से 1974–75 में हानि की यह मात्रा बढ़कर 47.49 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है। यदि परिस्थितियां सामान्य होती, तो मैं सदन के समक्ष यह सुझाव रखता कि रेलों को इस भारी सामाजिक दायित्व से राहत दिलायी जाये। लेकिन बढ़ी हुई कीमतों और इस बात को देखते हुए कि आम जनता को कठिनाइयों से जुझना पड़ रहा है, मैं खाद्यान्न की वर्तमान भाड़ा दरों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं ताकि जनता के पारिवारिक बजट पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई बोझ न बढ़े।

**यानान्तरण प्रभार**

यानान्तरण प्रभार में पिछली बार 1970 में संशोधन किया गया था। यानान्तरण स्थलों पर बढ़ती हुई लागत को देखते हुए इसमें भी परिशोधन अपेक्षित है। प्रभार की वर्तमान दर, वस्तुओं के स्वरूप के अनुसार, प्रति क्विंटल 10 पैसे से 20 पैसे तक अलग-अलग है। इसे प्रति क्विंटल न्यूनतम 25 पैसे से बढ़ाकर अधिक से अधिक 50 पैसे कर दिया जायेगा। इसी प्रकार कोयले का यानान्तरण प्रभार भी 40 पैसे प्रति मीटरिक टन से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति मीटरिक टन पर कर दिया जायेगा। नयी दरों से प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

**पार्सलों और सामान**

पार्सलों और सामान पर इस समय 5 प्रतिशत पूरक प्रभार लिया जाता है। इस पूरक प्रभार को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का विचार है लेकिन फलों, सब्जियों और दूध के परिवहन को प्रस्तावित पूरक प्रभार से पूर्णतः मुक्त रखा जायेगा। आशा है, इससे रेलवे को प्रति वर्ष 5.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

**यात्री किराये**

तेल संकट के कारण रेल परिवहन की मांग बढ़ना अवश्यम्भावी है। इसलिए कुल मिलाकर यह हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए हितकर होगा कि रेल परिवहन की उपलब्ध सुविधाओं में से अधिकांश का उपयोग माल और उन वस्तुओं की ढुलाई के लिए किया जाये जो कृषि और उद्योग के लिए अनिवार्य कच्चे माल कहलाती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बढ़ते हुए यात्री यातायात को निरुत्साहित किया जाये। साथ ही यह भी आवश्यक है कि लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए कम दूरी के यातायात को भी निरुत्साहित किया जाये क्योंकि सड़क परिवहन द्वारा उसकी आवश्यकताएं अधिक अच्छी तरह पूरी हो सकती हैं। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि स्थिति को देखते हुए किराये में युक्तियुक्त आधार पर वृद्धि करना आवश्यक है ताकि रेलों की परिवहन सामर्थ्य के भीतर यात्री यातायात को कम प्राथमिकता मिले और साथ ही हमारे राजस्व में होने वाले घाटे को कम करने में भी इसका योगदान रहे।

**ऊंचा दर्जा**

वातानुकूल कुर्सी यान और पहले दर्जे की यात्रा के लिए मैं, हाल में लगाये गये अधिप्रभार सहित, प्रति टिकट कम से कम 2 रुपये से लेकर अधिक से अधिक 16 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव रख रहा हूं। जहां तक वातानुकूल पहले दर्जे के किराये का संबंध है, मैंने अपने पिछले बजट भाषण में ही यह संकेत

दिया था कि इनके किराये हवाई जहाज के तदनुरूपी किरायों के लगभग समान कर दिये जायेंगे। तदनुसार मैं दूरी के आधार पर प्रति टिकट 15 रुपये से 160 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव रख रहा हूं। दोनों राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के वातानुकूल पहले दर्जो के लिये भी इसी तरह वृद्धि करने का प्रस्ताव है, नयी दिल्ली और हावड़ा के बीच प्रति टिकट 379 रुपये का वर्तमान किराया बढ़ाकर 520 रुपये कर दिया जायेगा। इसी प्रकार नयी दिल्ली और बम्बई सेण्ट्रल के बीच यात्रा का किराया 349 रुपये प्रति टिकट से बढ़ाकर 465 रुपये प्रति टिकट कर दिया जायेगा। जहां तक इन गाड़ियों में उपलब्ध वातानुकूल कुर्सी यान का संबंध है, उनके किराये में भी उपयुक्त संशोधन किया जायेगा लेकिन डीलक्स गाड़ियों के कुर्सीयान के किराये में तदनुरूपी वृद्धि की अपेक्षा इनका किराया कुछ अधिक बढ़ेगा। ऊंचे दर्जे के बढ़े हुए किरायों के परिणामस्वरूप वर्ष में 4.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

**तीसरा दर्जा डाक और एक्सप्रेस**

डाक और एक्सप्रेस गाड़ियां मुख्यत: ट्रंक मार्गों पर लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए चलायी जाती हैं। इस समय, इस प्रत्याशा के विपरीत इन गाड़ियों के तीसरे दर्जे के डिब्बों में अधिकांश भीड़ थोड़ी दूरी के यात्रियों की होती है और इसका एक कारण यह है कि इन गाड़ियों में 50 किलोमीटर तक किराया बहुत कम है; यहां तक कि न्यूनतम किराया केवल 25 पैसे है। इस भारी भीड़ और लम्बी दूरी के यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से इन गाड़ियों के 50 किलोमीटर तक के अत्यधिक कम किरायों में संशोधन करने का विचार है अर्थात् डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा के लिए 25 पैसे के न्यूनतम किराये को बढ़ाकर 50 पैसे कर दिया दिया जायेगा। 50 किलोमीटर से आगे के किराये में प्रति टिकट 50 पैसे बढ़ेंगे और दूरी के साथ-साथ उत्तरोत्तर यह किराया बढ़ता जायेगा और 3000 किलोमीटर से आगे प्रति टिकट अधिक से अधिक 8 रुपये बढ़ेंगे। इससे प्रति वर्ष 18.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने का अनुमान है।

**साधारण तीसरे दर्जे के यात्री**

अब मैं साधारण तीसरे दर्जे के यात्रियों को लेता हूं। इनके लिए में अपेक्षाकृत बहुत मामूली वृद्धि करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। साधारण तीसरे दर्जे में 25 किलोमीटर तक केवल 5 पैसे और 26 से 49 किलोमीटर के बीच 10 पैसे की वृद्धि होगी। इसके बाद दूरी के आधार पर यह वृद्धि 25 पैसे प्रति टिकट से लेकर अधिक से अधिक 1 रुपया प्रति टिकट तक होगी। दूसरे शब्दों में, किसी भी दूरी के लिए नया किराया वर्तमान किराये से 1 रुपये प्रति टिकट से अधिक नहीं होगा। साधारण तीसरे दर्जे के यात्रियों से 16.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

**सीजन टिकट**

छोटे-मोटे दुकानदारों, कार्यालयों और उद्योग धन्धों में लगे व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन के एक अंग के रूप में नियमित रूप से अपने काम के स्थान तक आना-जाना पड़ता है। ये लोग आम तौर पर अधिक रियायती किरायों का लाभ उठाने के लिये सीजन टिकट खरीदते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि एक निश्चित आय-वर्ग वाले इन दैनिक यात्रियों के जीवन निर्वाह की इस मद में कोई वृद्धि न की जाये। महानगरों के उपनगरीय खंडों में यात्रा करने वाले लगभग 72 प्रतिशत यात्री अर्थात् वर्ष में लगभग 99 करोड़ यात्री इससे लाभान्वित होंगे और रेल की अपनी दैनिक यात्रा के लिए वे वर्तमान किराया ही देते रहेंगे।

**विविध प्रभार**

आरक्षण प्रभार को वातानुकूल कुर्सी यान के मामले में 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया, पहले दर्जे के मामले में 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये और वातानुकूल दर्जे के मामले में 1 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये किया जा रहा है। तीसरे दर्जे की यात्रा के आरक्षण प्रभार में मैं कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं। लेकिन तीसरे दर्जे के तीन-टियर डिब्बों के वर्तमान शायिका प्रभार को पहली रात के लिए 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये और बाद की हर रात के लिए 1 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, दो-टियर डिब्बों में यात्रा के लिए इस प्रभार को प्रति रात्रि 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, वर्तमान प्रभारों में कुछ वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और हम यह प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक शयन यानों की व्यवस्था की जाये और इस सेवा में और भी सुधार किया जाये। स्टेशन प्लेटफार्मों पर आने-जाने वाले लोगों की भीड़ कम करने के उद्देश्य से प्लेटफार्म टिकट का मूल्य भी 25 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे करने का विचार है। विविध प्रभार संबंधी इन प्रस्तावों से प्रति वर्ष 3.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना है।

माननीय सदस्यों को एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें भाड़ा-दर और यात्री किराया दोनों से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है।

**प्रस्तावों का वित्तीय प्रभाव**

ये सभी प्रस्ताव 1 अप्रैल 1974 से लागू होंगे और 1974-75 में इनसे कुल 136.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इससे सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान में 52.79 करोड़ रुपये की राशि ऐसी रह जायेगी जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गयी है।

**अपील**

हम बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आर्थिक दबाव, मुद्रास्फीति और तेल संकट आदि के कारण उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए हम सबसे भरसक प्रयास की अपेक्षा की जाती है। ऐसी स्थिति में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। बल्कि हमें कठिन परिश्रम करना होगा। कोई भी संस्था तभी अच्छी मानी जाती है जब उसमें काम करने वाले आदमी अच्छे हों। रेलों के मामले में यह बात और भी सही है क्योंकि सरकारी और प्राइवेट उपक्रमों के बीच रेलों में अपेक्षाकृत अफसरों की संख्या न्यूनतम है। तेल की बढ़ी हुई कीमतों के संदर्भ में हमारी अर्थ व्यवस्था पहले से भी अधिक रेल परिवहन पर निर्भर होने जा रही है, अतः रेल कर्मचारियों का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है। मैं सभी वर्गों के रेल कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे परिस्थितियों को देखते हुए, अपने मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा योगदान दें। मुझे पूरी आशा है कि मेरी अपील व्यर्थ नहीं जायेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : समय के भीतर अपने भाषण को समाप्त करने के लिए मंत्री महोदय ने अपने मुद्रित भाषण के कुछ भागों को नहीं पढ़ा है। इन्हें पढ़ा हुआ समझा जायगा। मंत्री महोदय को ऐसा कहना चाहिये।

**श्री एल० एन० मिश्र** : जी, हां।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : उन्होंने आप से इसकी अनुमति नहीं ली है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले मेरे पास आये थे। महा-सचिव ने इस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाया था। मैंने कहा कि ठीक है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुयी ।

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till half past fourteen of the clock.**

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुयी

**The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty-five minutes past fourteen hours of the clock.**

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

**Mr. Deputy-Speaker in the Chair**

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

## Motion of Thanks on the President's Address

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior): According to our Constitution it is the duty of the President to address the Joint Session of the both Houses. The entire exercise of President's Address and the discussion over it appears to be meaningless. The ruling party has gained more than two-third majority in 1971 elections, but the common man has not been benefited by it.

Even the Defence Minister Shri Jagjivan Ram has himself admitted that the bank nationalisation has not benefited the common man and weaker sections of the society. The Prime Minister has repeatedly made statements in U.P. electioneering that the development of the State of U.P. would come to a standstill if the ruling party is not returned to the power in U.P. To make such kind of statements is nothing less than blackmail. Such kind of threats has reduced the elections in U.P. to mockery. Such thing incite people emotions and they pose a danger to the nations integrity. If such kind of discrimination is made against States on the basis of party considerations, it would be most unfortunate for the country. The flood of foundation-stone ceremonies on the eve of elections in U.P. shows the intentions of the ruling party.

The condition is deteriorating day by day. The existing crisis in the country is going to take serious turn. Inspite of the bumper crop this year an artificial scarcity has been created due to wrong policies of the Government, because of which an explosive situation has been created in the country. The economy of the country has been shattered by inflation, black money and corruption. The value of rupees has gone down to 36 paise in 1973 due to large expansion of money supply. In contrast, the growth rate has declined to 0.6 per cent in 1972-73 from 5.3 per cent in 1969-70. A parallel economy of black money has been operating in the country which is effecting our economy adversely.

The Members of Parliament of the House fill the wrong statement of expenditure of amount spent in the elections. No one can contest elections with just Rs. 12 thousand.

**श्री एस० ए० शरीम** (श्रीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री वाजपेयी ने 'सारी सभा' का नाम लिया है । वह अपने लिये कह सकते । वह उनके लिये भी कह सकते हैं....

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल कर लिया गया है ।

**श्री एस० ए० शरीम** : क्या आप मुझे कुछ स्पष्ट करने की अनुमति देंगे । उन्होंने 'सारी सभा' का नाम लिया है । उन्हें अवश्य ही मेरा नाम इसमें से निकाल देना चाहिये ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं ऐसा करता हूं ।

'The Prime Minister has developed a feeling of grouse against the opposition parties that they were creating troubles in the country. Is it not the duty of the opposition parties to give vent to the feelings of resentment and frustration against the wrong policies adopted by the Government. The Prime Minister has also complained that the people, who are better off and not the poorest people are resorting to the methods of strikes and agitations etc. The fact is this that the poorest people are dumb and oppressed. They are not in a position to agitate or express their resentment because they have not got themselves organised and therefore, only the organised sections are in a position to express their grievances. That is reason why students, teachers, doctors, engineers and other well educated sections are agitating today. The Government should try to understand their feelings instead of resorting to repressive methods. It is very strange that the students have been arrested at Rai Bareli, because they made a mistake of inviting me for inaugurating the Students Union of Feroz Gandhi Memorial College. The students of the college were harassed by the police.

Gujarat has posed a great challenge for the ruling party. The ruling party had won the assembly elections because of the emergence of Bangla Desh and political instability. But now the people have started there a protest movement against the Government. Maharashtra is also going to follow suit because the people found that the Government has failed to evolve an honest and efficient system of administration in the country based on radical, realism and pragmatism and the whole country is on the verge of revolution.

The Prime Minister is not prepared to dissolve the Gujarat Assembly because the ruling party is in majority there, but when such an upsurge occurred in Kerala, the Communist Government was dismissed there and the Assembly was also dissolved. At that time the Prime Minister was the President of the Congress Party. It amounts to following of double standards. The Prime Minister delivered speeches against communalism, but she herself incite the communalism in U.P.

If you spend so much money and misuse the Government openly, it is not difficult to win the elections, but it is done to win one's own individual political gains.

Even after 25 years of our independence, the country is still in the grip of social evils like superstition and untouchability. Harijans are still burnt in this country. Is it not possible for the Prime Minister to wage a war against these social evils and communicalism and change the Muslim personal law?

It is matter of regret that Prime Minister has lost an opportunity to bring in the social change in the country. Today the whole democratic system is in danger. This is the proper time to decide. We should all try to build a great India of our dreams. The Prime Minister should understand the problem in time, otherwise she can suffer in the same way as Shri Chiman Bhai Patel has suffered.

**Shri Shashi Bhushan (South Delhi):** I support the motion of thanks on the President's Address. In the President's Address the people have been apprised of the present situation and they have been asked to face the new challenges. We have committed ourselves for the removal of property, but to achieve this aim we have to curb down the affluent people. In this age of democracy we should fight unitedly against casteism and parochialigm.

The opposition parties are creating obstacles in the progress of ushering in social and economic revolution in the country. The imperialist forces have posed new challenges for us. Our country is in the grip of economic troubles and still the opposition parties are joining hands with disruptive forces. It is nothing but an act of treason. I would have surely welcomed, if the President would have declared that such people, who got themselves released after apologising to the British Government during the freedom struggle, would have no right to contest the elections. Such people, who had beaten the people....

**Shri Phool Chand Verma** (Ujjain): If you bring such a Bill, we would support it.

**Shri Shashi Bhushan:** I have said only this that such people, who used to beat the people and put hurdles in the way of struggle for freedom, should not have right to contest the elections ....

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Morena): What were you doing during these days.

**Shri Shashi Bhushan:** I was detained in jail for four years. I did not get myself released from Jail after apologising to the British Government like your leaders.

**Shri Hukam Chand Kachwai:** You were detained on the charges of theft?

**Shri Shashi Bhushan:** When we were detained in Jail, these people used to say that we have been detained on the charges of theft and dacoity. This was their role. They were supporting the British Government .....

**Shri Phool Chand Verma:** You please bring this Bill, we would support it.

**Shri Shashi Bhushan:** I would bring a Bill to the effect that the people, who used to put hurdles in the struggle of freedom, should not have the right to contest the elections, if you support it. From the military point of view, we are fourth power in the world. We are proud for this. But some people look upon our development schemes with a bias of imperialist ideology.

We have adopted a democratic system of administration for our country. But these people encourage the 'Gheraos' of M.L.A's. Every person can be 'gheraoed'. The incident of Gujarat can be repeated throughout the country.

The leaders like Shri Jai Parkash Narain has asked the students to come out from their classes as they did during the movement of 1942. The people who had seen 1942 movement and are at present members of this House, know that Shri Jai Parkash Narain was arrested before the movement of 1942 and he escaped from Hazaribagh Jail in March, 1943. He did nothing during 1942 movement. He was not a leader of the movement, but he asks the students to come out of their schools/colleges as they had done in 1942. The students were the martyrs of that movement.

**Shri Phool Chand Verma :** Mr. Speaker, on a point of order, Sir, Shri Jai Parkash Narain is not present in this House, so he is unable to defend himself. But the Hon'ble member is making charges against him. I want your ruling in this regard.

**Shri Shashi Bhushan :** If Shri Jai Parkash Narain speaks against democracy, we will have come out with facts. He has been a member of R.S.S. He has asked the students in the meetings of Jana Sangh that they should leave their classes and take part in the movement.

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : क्या वह कुछ समय मेरी बात सुनेंगे।

**श्री एस० ए० शमीम** (श्रीनगर) : क्या मैं जय प्रकाश नारायण की रक्षा हेतु कुछ कह सकता हूं। वह केवल उनके वक्तव्य का ही हवाला दे रहे हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैं श्री शशि भूषण को बताना चाहता हूं कि एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू भी 1942 के आन्दोलन में श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा निभायी गयी शानदार भूमिका की सराहना कर चुके हैं। श्री शशि भूषण अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये इस बात से इंकार कर सकते हैं, किन्तु उन्हें इस प्रकार उनके अतीत का उल्लेख नहीं करना चाहिये।

**Shri Shashi Bhushan :** I have got no personal grudge against Shri Jai Prakash Narain. But the Hon'ble member may be knowing that Shri Jai Prakash Narain was in Jail during the movement of 1942 and this movement had been withdrawn at the time of his escape from the Hazaribagh Jail. So how can he become of the leader movement.

Whenever any measure is taken to remove the disparity between rich and the poor, it is branded as a wrong step.

At present various kinds of cloth is being manufactured in the country with the result that landless labourers and other poor people do not get the cloth. Therefore, it is essential that only five or ten varieties of cloth should be manufactured so that it may be available to poor people.

The land should be properly distributed. Stringent action should be taken against adulteration, blackmarketing and corruption. If such type of action is taken, there would be no demonstration of yellow and green flags (*Interruption*). The poor people of the country are the supporter of the Congress. If necessary, Government should assume emergency powers for taking action against adulteration, blackmarketing and corruption.

It is also very essential to impose ban on communal organisation like R.S.S., otherwise the story of Gujarat can be repeated in the whole country. Today the country has to proceed along the path of social revolution. No one can stop that revolution.

**श्री एच० एम० पटेल** (ढंढुका) : राष्ट्रपति अभिभाषण में उन सभी समस्यायों की चर्चा पूर्णतः नहीं की गयी हैं जिनका सामना आज देश कर रहा है । क्या वे इस बात को अनुभव नहीं करते कि जन वित्तरण प्रणाली अकर्यदेकुशलता के कारण असफल रही है ?

गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लिया गया था और यह दायित्व स्पष्ट था कि वित्तरण की ज़िम्मेवारी इनकी होगी । इसके विफल रहने से समाज के संवेदनशील वर्ग की कठिनाई बढ़ गयी है । वास्तव में यह व्यापार उनकी सहायता के लिये सरकार ने अपने हाथ में लिया था । वितरण व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण होने के कारण इन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है । वसूली तंत्र भी अकुशल है । वसूली अपेक्षित मात्रा में नहीं हो सकी क्योंकि किसानों को उचित और लाभप्रद मूल्य नहीं दिये गये हैं । उत्पादन लागत विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है । सामान्यतः औद्योगिक उत्पादों के मूल्य उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं । परन्तु कृषि उत्पादों के मामले में पूर्णतः भिन्न कसौटी होती है । सरकार किसानों को उचित दाम दिलाना चाहती थी और उनको आशा थी कि वसूली तंत्र कुशलतापूर्वक कार्य करेगा ।

त्रुटिपूर्ण और उपेक्षापूर्ण भंडारण व्यवस्था के कारण खाद्यान्न मानव खपत के अयोग्य हो जाते हैं । यह उस समय तक हो जाता है जब वे खाद्यान्न उचित दाम की दुकान से उपभोक्ता को बेचे जाते हैं । क्या इससे अधिक धानक कोई चीज हो सकती है । देश के कृषि उत्पादों का 20 प्रतिशत भाग खराब भंडारगारों में रखा जाता है । जब सरकार एकाधिकार रूप से वसूली और वितरण करती है तो ऐसा नहीं होना चाहिये

गुजरात में गत छः सप्ताहों से अधिक समय से आन्दोलन चल रहा है । वहां सामान्य स्थिति लाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं । कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है अब क्योंकि गुजरात में राष्ट्रपति शासन है तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है । अतः उन्हें वहां शीघ्र ही कम से कम समय में कानून और व्यवस्था कायम करनी चाहिये । मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि व ऐसा मार्ग अपनायें जिससे राज्य में कम से कम समय में व्यवस्था स्थापित की जाये ।

**Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) :** The way some Members of the opposition parties tried to obstruct the President from delivering the Address, was nothing but shameful. They not only behaved in an irresponsible manner but also brought down the dignity of parliamentary democracy in the country.

The ruling party made commendable achievements during the last four years. A historic step was taken by passing the 24th Amendment to the Constitution. Privy Purses have been abolished and reform measures are being implemented to help the landless and the poor.

It is admitted that there are shortages and ill effects of inflation who is responsible for this. Hoaders, profiteers and blackmarketeers are responsible for this. Opposition parties and bureaucrats are encouraging them. All those who encourage blackmarketeers should be treated at par with the traitors and awarded the punishment they deserve.

Certain steps were taken with a view to bring about socialism in the country. We should impose ceiling an income and also minimum wage for each family. The executive powers of the bureaucrats should be taken over by the Ministers so that policy decisions in the direction of socialistic objective could be expeditiousiy implemented. Opposition parties like Jana Sangh incited communal and caste feelings among the voters to win the elections in U.P. which is most improper and objectionable. All the political parties should refrain from indulging in such activities.

**श्री एच० एन० मुखर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 2 बजकर 30 मिनट के बाद संसदीय कार्य मंत्री को छोड़कर मंत्रिमंडल स्तर के कोई भी मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं है जो इस सदन का अपमान है ।

देश में आज एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके लिये हड़तालें और असंतोष जिम्मेदार नहीं बल्कि ऊंचे मूल्य, बेरोजगारी, मुनाफाखोरी तथा नौकरशाही जिम्मेवार है । यह बात खेदजनक है कि सरकार वास्तविकता से दूर भाग रही है, जिसके कारण देश की जनता में असंतोष व्याप्त है ।

बम्बई में शिवसेना सक्रिय है और राज्य सरकार इसका साथ दे रही है । शिवसेना का रिकार्ड हमेशा गंदा रहा है और खेद है कि देश के एक राज्य की सरकार भी उससे मिली हुई है।

बम्बई कलकत्ता के समान महान नगर है जहां प्रत्येक राज्य के लोगों को रहने का हक है । शिव सेना की इस मांग को कि सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों, बैंकों में 80 प्रतिशत नियुक्तियां महाराष्ट्र के व्यक्तियों को दी जायें ; राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है ।

इसके संबन्ध में केरल की विधान सभा ने संकल्प पारित किया है । कलकत्ता में इस प्रकार की प्रथाए नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना से मिल गई है । प्रधान मंत्री को इस मामले पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कार्यवाही करनी चाहिये।

बम्बई में एक व्यक्ति के विवाह के लिये लन्दन से 50000 रुपये व्यय करके हेयर ड्रेसर बुलाया गया था। कलकत्ता के एक छात्र ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था कि उसे 70 मील दूर खड़गपुर ले जाकर इसलिये पीटा गया कि उसके क्रान्तिकारी होने का संदेह है । केवल पश्चिम बंगाल में इसी संदेह में 10,000 लोगों को जेल में डाला गया है । क्या प्रधान मंत्री यह बतायेंगे कि राजनीतिक बंदियों के विरुद्ध और विलम्ब किये बिना अत्याचार समाप्त किया जायेगें।

**श्री वसंत साठे पीठासीन** हुए

SHRI VASANT SATHE in the chair.

धनी वर्ग द्वारा विलास की सामग्री का जो प्रदर्शन किया जाता है उसके विरुद्ध किसी प्रकार की सांस्कृतिक क्रान्ति वांछनीय है ।

**श्री श्यामनन्द मिश्र (बेगुसराय)** : शासक दल ने इसे आरम्भ किया है ।

**श्री एम०एन०मुखर्जी** : पिछले तीन वर्ष में चीनी, अनाज वनस्पति और मिल के बने कपड़े के उत्पादन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं जबकि फ्रिजों एयरकन्डीशनरों और मोटर कारों का उत्पादन दुगुना हो गया है । बांधों एवं फैक्ट्रियों का निर्माण तो रुक सकता है परन्तु बम्बई में भव्य, भवनों का नहीं रुक सकता। बेबी फूड नवम्बर 1972 में 9 रुपया किलो था वह नवम्बर 1973 में 20 रुपया किलो से भी मंहगा हो गया है । पिछले 10 वर्ष में दूध के उत्पादन में वृद्धि के यत्न तो किये नहीं गये परन्तु बियर इत्यादि का उत्पादन 7 गुना बढ़ गया है ।

सभी स्थानों पर लोगों के जीवन यापन की स्थिति में गिरावट आई है । राजनीतिक विरोधियों को जेलों में तथा जेलों के बाहर भी दबाया जा रहा है ।

प्रधान मंत्री ने जो ऊंची स्थिति पाई है उसमें समय लगा है । इस ऊंचा उठने का हमने स्वागत किया है । हमने उन्हें सब प्रकार की सहायता दी और जो सहायता वांछनीय है वह आगे भी देंगे। परन्तु जैसी घटनाएं गुजरात तथा अन्य स्थानों में हो रही है उनसे पतन शीघ्र हो सकता है । परन्तु हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि विकल्प उससे भी बुरे हैं।

सरकार को चेतावनी दे दी गई है। उसे इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

**श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम)** : मैं आशावादी हूं। कुछ समय पूर्व हम आन्ध्र प्रदेश में तेल की अनुपलब्धता की बार बार चर्चा करते रहे हैं। एक रूसी दल ने वहां की यात्रा के पश्चात् कहा था कि गोदावरी कृष्णा बेसिन में तेल विद्यमान है । मैं मंत्री महोदय से इसकी शीघ्र खुदाई कराने के लिये निवेदन करती हूं ।

तेल उत्पादक देशों पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए ।

दूसरे देशों से हम केवल सद्भावना और मित्रता द्वारा ही कोई लाभ उठा सकते हैं।

**सभापति महोदय** : आप राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रही है अथवा पेट्रोलियम मंत्रालय के बारे में ?

**श्रीमति टी० लक्ष्मीकान्तम्मा** : पहले तो स्वयं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तेल संकट का जिक्र किया है दूसरे, मंत्री महोदय को देखकर मुझे तेल के बारे में बोलने की प्रेरणा हुई। मेरे विचार से, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय हमें देश में तेल स्रोतों का विकास करने के लिये ठोस उपाय करने चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए मैं कुछ सत्य पेश करना चाहती हूं। सत्य बड़ा कड़वा होता है परन्तु उसका फल बड़ा मीठा होता है । आज हम सब का ध्यान जनता की परेशानियों और कठिनाइयों पर केन्द्रित है । स्वयं राष्ट्रपति ने भी इस संदर्भ में जनता के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की हैं ; ऐसा ही हम सब भी कर रहे हैं । सहानुभूति व्यक्त करना तो बड़ा आसान काम है परन्तु इन समस्याओं के लिये हल ढूंढना बड़ा मुश्किल है । इस दिशा में हमने जो कदम उठाये हैं वे सशक्त तथा प्रभावी नहीं हैं । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मूल्य वृद्धि के कई कारण बताये हैं परन्तु क्या ये कारण हमें इन समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे ? उपदेश तो चाहे जितने दे दीजिये वह कोई मोल तो नहीं आते ।

आंध्र प्रदेश में केवल डेढ़ मास पूर्व ही खरीफ की फसल कटी है परन्तु इस राज्य में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की उपज होते हुए भी यहां मूल्य कम नहीं हुए हैं । इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने इस संदर्भ में अपनी नीतियों की त्रुटियों को समझा है ? अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले राज्य को 'फ्री जोन' बनाने और उससे खाद्यान्नों के स्वतंत्रतापूर्वक बाहर जाने या वहां आने संबन्धी सभी प्रतिबन्ध हटा लेने से जमाखोरों तथा तस्करों एवम् मुनाफाखोरों की मौज होना ही है । मैं सरकार को चेतावनी देती हूं कि एक या दो मास में आंध्र प्रदेश जैसे अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में भी मूल्य बढ़ने लगेंगे । सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठाने जा रही है ?

यह आवश्यक है कि वसूली करना सही है । भारी फसल के समय हम व्यापारियों को थोक व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं और फिर तुरन्त बाद ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की सोचते हैं। क्या इस व्यवस्था को एक दम तेजी से चालू कर देना संभव हो सकता है । सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारु रखने के लिये स्थायी उपाय किये जाने चाहियें ।

तर्क दिये गये कि किसान अपना खाद्यान्न नहीं देना चाहता ; परन्तु यदि आप किसान को बुआई आदि के समय खाद, रसायनिक खाद, डीजल तेल आदि दे दें तो वह भी अपना उत्पादन आपको प्रसन्नता पूर्वक देगा ।

समाचार छपे हैं कि एक केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय मंत्री ने वसूली अभियान के असफलता के लिये भूमिपतियों के क्रोध को दोषी बताया जोकि उनकी भूमि छीनने के प्रयासों के कारण पैदा हुआ। उन्होंने भूमि सुधारों के विरोध को भी न्यायोचित बताया। क्या इससे हम सब का मनोबल नहीं टूटता है ?

खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण की मूलभूत नीति में कोई दोष नहीं है । कठिनाई तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के दोषपूर्ण होने की है । क्या हम इस व्यवस्था को सच्चे हृदय से सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ? कुछ राज्यों द्वारा की गई कार्यवाहियों से व्यापारियों को भारी लाभ हो रहा है। अतः इस नीति का सच्चे दिल से तथा भरपूर प्रयासों द्वारा अनुसरण न करने के कारण हम अपने उद्देश्यों में असफल हो रहे हैं, अपना विश्वास जनता में खो रहे हैं । निर्धन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत बुरा शकुन है।

वर्ष 1972 में जनता ने हमें भारी समर्थन दिया। हमें प्रशासन सौंपा क्योंकि वे अनुभव करते थे कि राज्यों में स्थायी सरकारें बनेंगी। परन्तु हुआ क्या ? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा कई अन्य राज्यों में कांग्रेस सरकारें गिरने लगीं। लोगों ने हमें कहा कि हम अपनी नीतियों को क्रियान्वित करें परन्तु हमने चुनौतियों को स्वीकार करने के बजाये एक डरपोक सिपाही की तरह पीठ दिखा दी और

प्रतिक्रियावादी शक्तियों के सामने घुटने टेक दिये। हमें अपने इस चुनौती रूप रक्षाक्षेत्र में भी नहीं दिखानी थी डट कर इसका मुकाबला करना था। आज हमें भूमि सुधार अभियान की क्रियान्विति अथवा नगरीय सम्पत्ति की सीमाबन्दी के बारे में किसी मंत्री का भाषण सुनाई नहीं देता है। हर राज्य में हम लोग सत्ता के लिये राजनैतिक सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। अब समय आ पहुंचा है जबकि हमें अपना अपना आत्मविश्लेषण करना है, स्वयं को पहचानना है।

यह कहना गलत है कि निर्बल राज्यों के कारण केन्द्र सरकार सुदृढ़ होती है। राज्य केन्द्र का अंग हैं। उनके सुदृढ़ होने से ही केन्द्र सुदृढ़ होगा।

आज प्रश्न लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने का है। दलगत भावना में लिप्त रहने का नहीं। आज हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है। यदि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली कमजोर हो जायेगी तो हमारी जनता भी हमें अपना समर्थन नहीं देगी। हमें अपने लोकतांत्रिक मानदण्डों तथा अवमानों को ऊपर उठाये रखना है।

**Shri S. A. Shamim** (Srinagar): My experience in the Parliament makes to realise that our Parliamentary institution systems and way of working are becoming quite irrelevant. In the eyes of the people we Parliamentarians are acting here like the characters of a drama; when Government puts up something before the Parliament, the opposition comes out with strong opposition to that and when opposition submits anything the Government benches also do not accommodate them. We oppose each other just for the sake of opposition. And that is why we all are getting delinked with and disbelieved by the masses.

It has been repeatedly said here that the opposition parties are exploiting the violent situation in Gujarat. But it must be found out why people there are coming out to violate curfew etc. and receive police bullets on their chests. Why are they desirous of fighting even with the Army? What for are the young men coming out to sacrifice their precious lives? Do you give this credit to the opposition parties for such a big upheavel! If opposition could be so much mighty to create such a revolutionary situation in Gujarat, then the Congress power should go away from here to hide its face. But the things are different. This situation has arisen out of the sentiments of both Congress minded and others. The fact is that people are losing faith in Parliamentary institution. Who is responsible for it? Not only the ruling party but the opposition parties are also equally responsible for this. We all have ruined this great institution of ours. That is why the centre of public contempt is only a Legislator, a Parliamentarian. But still the magnitude of faults has to be ascertained, i.e. who is more responsible in this all. Our Government wants appreciation for their achievements but she is not prepared to own the responsibility for the sufferings of the people of Gujarat or Maharashtra. The Government should know that a serious situation has arisen in the economic sphere. It is a matter of concern to all of us. But the most dangerous thing is that the ruling party as well as opposition parties have created such an atmosphere in which communal elements are taking maximum advantage. The leaders of Muslim League think that they are true representatives of Muslim community but the facts are otherwise. During the course of U.P. elections many people criticised the Government for entering into an agreement with Shiv Sena. But I charge the Government then the ruling party had entered into an agreement with Muslim League in Kerala and thus

harmed the secular forces of this country. They have encouraged this party and as a result thereof the leaders of this party have made certain objectionable speeches which can foment communal tension. The Government can plead their helplessness in view of drought or economic situation in the whole world but may I know whether it was imperialism to join hands with Muslim League, Shiv Sena and Congress (O)? What was the compulsion? The only thing was that they could not form the Government in a particular State without the help of one of these parties. It is very sad that the ruling party joined hands with communal forces which were responsible for the partition of the country. Shri Ibrahim Sulaiman Sait has been making communal speeches for one month in Uttar Pradesh. They call themselves the representatives of Muslim community but they should know that they will lose their deposits in U.P. Even if they win they cannot get majority without winning the confidence of others. We shall have to seek confidence of Hindus and they should believe in secularism.

When we talk of price spiral, the examples of Britain, U.S.A. and other countries are quoted and rise in prices is justified. But they should create an atmosphere in which people should think that the ruling party is not anxious to rule. It should set up good conventions.

**श्री एस०ए० कादर** (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि जब वह मंत्रिमंडल में थे तब खाद्य स्थिति अच्छी थी परन्तु उन्हें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये था। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 43.90 करोड़ थी जबकि वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार यह 54.80 करोड़ हो गई है अर्थात् 11 करोड़ की वृद्धि हो गई है। अनाज के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी जनसंख्या में हुई है। वितरण की खराब स्थिति का यह भी एक कारण है। परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि देश में अनाज का जितना उत्पादन हुआ है उसका भी समान अथवा उचित रूप में वितरण नहीं हुआ। एक राज्य दूसरे राज्य से अनाज नहीं मंगवा सकता और अब तो जिला और तल्लुका स्तरों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। हमें राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य नीति बनानी चाहिये ताकि वर्तमान स्थिति जारी न रहने पाये जैसे एक स्थान पर चावल का मूल्य 1 20 रुपये प्रति किलो है जबकि दूसरे स्थान पर 4 रुपये या 5 रुपये प्रति किलो का मूल्य है। खाद्य नियंत्रण ठीक ढंग से लागू करना चाहिये अन्यथा नियंत्रण होना ही नहीं चाहिये।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबन्ध है यह हमें ब्रिटिश सरकोर से विरासत में मिला है। सरकार को सेवा करने के लिये शासन मिला था परन्तु अब यह सेवा जनता की सेवा न हो कर अपनी सेवा तक सीमित रह गई है। इस प्रकार मूल्यों में परिवर्तन हो गया है और इसके लिये हमारे नेता जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण कारण वर्तमान चुनाव प्रणाली है। हमें इसपर पुनः विचार करना चाहिये। हमें चुनावों की व्यवस्था इस ढंग से करनी चाहिये कि दलों को काले धन पर निर्भर न करना पड़े। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये आमूल परिवर्तन करने होंगे। सभी दलों को मिलकर स संबन्ध में विचार करना चाहिये और नई चुनाव व्यवस्था के बारे में निर्णय करना चाहिये।

फिर हर वर्ष कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं और रचनात्मक कार्यों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के बजाय हम परस्पर लड़ते रहते हैं। चुनाव के समय शत्रुता का वातावरण बन जाता है। अतः कम से कम चुनाव होने चाहियें। लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव आवश्यक है परन्तु चुनाव के समय और विधि के बारे में हम सब को विचार करना चाहिये।

श्री सी०एच० मोहम्मद कोया ने कहा था कि वह एक महत्वपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं । मेरा विचार यह है कि हमारे देश में एक भी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जिसमें केवल एक ही धर्म को मानने वाले अथवा एक ही समुदाय के लोग रहते हैं और दूसरे के न रहते हों। उनके अपने चुनाव क्षेत्र में भी गैर-मुस्लिम रहते होंगे। हम यहां पर जो कुछ कहते हैं वह संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र की ओर से कहते हैं किसी समुदाय विशेष की ओर से नहीं। हम सब को इस मूल बात को समझ लेना चाहिये। उर्दु भाषा को इस आधार पर मान्यता नहीं दी जानी चाहिये कि वह एक समुदाय विशेष की भाषा है बल्कि इसलिये दी जाने चाहिये कि वह हमारे देश की एक महत्वपूर्ण भाषा है । मुस्लिम लीग दो अलग-अलग राष्ट्र के सिद्धान्त के समर्थन में इन बातों का प्रचार करती है । उन्हें वर्ष 1947 के जमाने के नारे नहीं लगाने चाहियें । यदि वह उर्दू प्रेमी है तो उन्हें साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अपना कर उर्दू की वकालत नहीं करनी चाहिये ।

उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार मुसलमानों के मत मांगे गये हैं वह ठीक नहीं है। उनसे यह कहना कि मुसलमान ही मुसलमानों के हितों की रक्षा कर सकेंगे, इसलिये उन्हें मुसलमान उम्मीदवारों को मत देने चाहियें। उन्हें शेष भारत से अलग करना है जो बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है । भारत के मुसलमानों की प्रगति तभी हो सकती है जब भारत की प्रगति होगी। अतः उन्हें अपने आप को देश का अंग समझना चाहिये। उन्हें अपने आपको सर्वप्रथम भारतीय समझना चाहिये । यदि वे इस बात को नहीं समझेंगे तो अन्य राजनीतिक दल इस प्रकार के दृष्टिकोण का अनुचित लाभ उठायेंगे।

**Shri Jamburkant Dhote** (Nagpur) : Sir, our nation is passing through transitional period. News papers are full of news about firing, lathi-charges, tear-gases, gherao and arrests of thousands of persons in some parts of the country or another. When the people ask for bread, they are fired at. Our Government is trying to rule by using force. Democracy is in danger. A revolution is in sight but unfortunately the country is lacking leadership. The result is that there is anarchy every where. If the ruling party keep on playing politics, all parts of India will follow Gujarat. It is clear from the election results that people are losing faith in the ruling party. In such circumstances if the rulers want to rule by committing atrocities on the people, democracy will be crushed. They should keep this fact in mind. Revolution takes the shape of anarchy in the absence of proper leadership.

Our Government blames the opposition parties for taking advantage of the difficult situation and creating trouble. Do they expect us to appreciate their wrong policies ? In fact they should not take such steps which could create discontentment among the people. Discontentment is the result of their economic, social and other policies. The Government should study the result of the policies followed by it. Every one is in search of an alternative to the democracy which has proved failure in our country

The movement of Gujarat was started by general masses and not by any political party or leaders. We want to be elected and that is all. We should try to solve the problems of unemployment to avoid discontentment among the people. If we fail to solve the problems of food and unemployment, people will lose faith in the Parliament itself as they have lost faith in the ruling party.

**Shri M. Ram Gopal Reddy** (Nizamabad) : I would like to suggest that the leaders of Muslim League should change the name of their party because it is felt that this party was responsible for the partition or the havoc played at that time. The moment

we hear the name of Muslim eague we recalled the ugli scences of partition days The Muslim League is advocating the cause of urdu but I am sorry to say that many of them do not know Urdu at all. We know and speak Urdu much better than many muslims. It would be better if they do not plead the cause of urdu on communal basis.

It is not necessary to dissolve the Legislative Assembly of Gujarat. Similar demands were raised in Andhra Pradesh but after the installation of new Government everything is alright. It is a temporary phase and the question of dissolution of State Assembly does not arise. I think that there is not much shortage of foodgrains but distribution system is responsible for this situation. The vested interests are trying to disrupt this distribution system and creating chaos in the country. The Government should reconsider the distribution system I would suggest that restrictions on movement of foodgrains shpuld be removed. There is huge stock of rice in Andhra Pradesh and the farmers are anxious to sell their commodity. Let the Maharashtra people purchase that rice.

The Government should adopt sympathetic attitude towards striking doctors. They should not be crushed. It would be better if a settlement could be reached through negotiations.

**Shri Ibrahim Sulaiman Sait** (Kozhikode): Today I have to give some personal explanations. Shri Shamim has called me a traitor, this has neither served the democracy in the country nor has it raised the dignity of the House **(Interruption).** I would be happy if he contradicts this statement. But if these words have been used by him there should either be withdrawn or expunged. It is not fair to use such words against a Member of the House.

What is Muslim League or what are its policies or what is its constitution? Answers to all these questions are well known to Members belonging to Kerala. This Muslim League is a different organisation from the Muslim League which created Pakistan. Indian Union Muslim League and All India Muslim League are two distinct bodies. Indian Union Muslim League was formed on March 1948 and its new Constitution was adopted in January 1951.

The role of Muslim League in the country is well known. We have always tried to maintain harmony. We always try to save democracy and try for stability in the whole of country.

During the last elections in West Bengal the Prime Minister sought our help to save democracy and Congress formed a coalition Government with Muslim League. First principal of the constitution of the Muslim League is to safeguard Independence and Integrity of the country. Its second principal is harmonious relations between different communities. Its third principal is protection of rights guaranteed by the Constitution. I don't think there is anything in this which is against the Constitution of the country. If it is said that followers of such a party are traitors. I would like to say that Shri Shamim is himself a traitor.

During the 1965 war with Pakistan it was proved that we were prepared to shed our blood to the last drop for the country. Where were there people at that time ? I have said such things everywhere be it in Paliament or outside. I have sought the support of Hindus to prove that complete communal harmony in this country.

This country has a secular Constitution and it provides certain Fundamental Rights to minorities. The Constitution provides that minorities can form their own Associations and fight for their Constitutional Rights. Then it is not fair to level here any charge against any body. We are called communalists when we talk of our Constitutional rights. We can not be called communalists when our organisation has been formed under the Constitution.

So far as the question of Urdu language is concerned we have never said that it is a language of Muslims. Urdu was born in India and it was brought up here. Sir Tej Bahadur Sapru called it a "common heritage of the Hindus and Muslims". Bengali Muslims speak Bangla and Kerala Muslims speak Malyalam. But still we say that this language is connected with our religion and culture. It must be safeguarded so that our children could be acquainted with their religion and culture.

No body can deny this that minorities have their own problems and when we raise our voice we are called communalists. Justice has not been done to us. Our demands have not been conceded. We have been deprived of employment opportunities. We want to participate in the progress of the country. We want to play our role in the national development.

Pt. Nehru had said that "the certificate of a good government must come from the minorities". But who can raise the voice of minorities ? Only minorities organisation can raise it. I therefore refute the charge of communalism levelled against us. Muslims also live here. They have their problems. They have their rights. We want that their minority character may be kept in view, because it is a backward community. We want that change in personal law should not be affected through legislation. The Government agrees to it. But still efforts are made to do it through back door by making amendments in Criminal Procedure Code. This is not fair.

We want Hindus to understand us. We should live unitedly, we cannot go anywhere else. We have to live here and die here. Therefore, we want a generous treatment. If one country is making progress and other communities are not, it can be said that country is progressing.

I therefore refute the charges, whatever have been levelled. Those who called me a traitor or Muslim league a traitor are themselves traitors.

**श्री धामनकर (भिवंडी)** : माननीय राष्ट्रपति ने बहुत ही सक्षम ढंग से देश के सन्मुख समस्यायों के बारे में विचार प्रकट किये हैं। देश की दो मुख्य समस्याएं हैं--एक समस्या है मूल्य वृद्धि तथा खाद्य-वस्तुओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा दूसरी समस्या है हमारी विदेश नीति।

जहां तक मूल्य वृद्धि और कमियों की बात है केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं। कीमतें निरन्तर बढ़ रही हैं और राज्य सरकारें वसूलीं के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। प्रतीत होता है कि वसूली की नीति के आधार में ही कोई दोष है। उत्पादक अथवा कृषक अनुभव कर रहे हैं यद्यपि उन्हें पहले से अधिक पैसे उनके उत्पादन पर मिल रहे हैं परन्तु खाद बीज कृषि उपकरणों के बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुए यह पैसे कम प्रतीत हो रहे हैं। कृषि मंत्रालय को सारी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिये। सरकार किसान को रिआयती दरों पर खाद, बीज आदि की सप्लाई करे और उसके बदले में उससे लेवी प्राप्त करे। इससे किसानों में यह भावना आएगी कि वे सार्वजनिक उपयोग के लिये अपना उत्पादन सरकार को दे रहे हैं और वे देश की सहायता कर रहे हैं और इससे वह उत्पादन बढ़ाने की ओर भी ध्यान देगा जब हम पर्याप्त मात्रा में वसूली कर पाने की स्थिति में नहीं हैं और हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति हमें खाद्यान्न का आयात करने की अनुमति नहीं देती, ऐसी स्थिति में सरकार को सभी को खाद्यान्न की सप्लाई करने की जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बम्बई, नागपुर, शोलापुर तथा अन्य औद्योगिक नगरों में सांविधिक राशनिंग व्यवस्था है। सम्पन्न और निम्न आय वर्ग के लिए सभी लोगों के लिए एक-समान राशनिंग व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। औद्योगिक श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई दिया जाना चाहिए, जबकि सम्पन्न लोगों को आधा राशन सस्ती दर पर दिया जाय और शेष आधा राशन वे ऊंची दर पर खरीद सकते हैं। बम्बई और अन्य नगरों में चावल 4 या 6 रु० प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रहा है। अगर जिला और तालुका स्तर पर नियन्त्रण लागू करने के बजाय खाद्यान्नों का निर्बाध परिवहन किया जाता है, तो स्थिति में सुधार हो सकता है। सम्पन्न लोग उसी राशन की दुकान से आधा राशन अधिक कीमत पर खरीद सकते हैं और आधा प्रचलित कीमत पर। इस प्रकार प्राप्त हुई अधिक राशि कृषकों को अदा की जा सकती है।

आदिवासी और हरिजनों की समस्या का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ राज्य योजनायें बनाई जायेंगी। छोटे छोटे गांवों में स्कूल खोले गये हैं और अध्यापक भी नियुक्त किये गये हैं। लेकिन वहां अध्यापक होता है, तो चार पांच छात्र ही वहां उपस्थित होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में जो परीक्षण किया है, उसके अनुसार चरागाहों में ही जहां आदिवासी बालक पशुओं को चराने चले जाते हैं, अध्यापक पढ़ाने जाते हैं। परन्तु यह परीक्षण सफल नहीं हुआ, तो आश्रम स्कूलों की स्थापना की गई। इन आश्रम स्कूलों में अध्यापक दिन भर पढ़ने लिखने की ही नहीं, बल्कि कृषि कार्यों सहित अन्य कार्यों की भी शिक्षा देते हैं। समाज कल्याण विभाग के उपमन्त्री इन आश्रम स्कूलों के कार्यकरण से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।

मैंने भूतपूर्व बम्बई राज्य में श्री मोरार जी के साथ एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया है। श्री मोरार जी भाई ने यह कहा कि गुजरात में निरीह और बेकसूर लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ बच्चों को उस समय गोली से उड़ा दिया गया, जबकि अपने घर के बरामदे में वे पतंगें उड़ा रहे थे। बम्बई में जो 105 लोग मारे गये थे, उनके बारे में उन्होंने यह कहा कि वे हत्यारे थे और लूटपाट तथा आगजनी कर रहे थे। यह बात असत्य है। उस समय रसोईघरों में बैठी हुई औरतों की भी मृत्यु हुई थी। दंगों के समय गोली चलाने से ऐसा होता ही है।

**Shri Jambuwant Dhote (Nagpur):** I rise on a point of order. Shri Morarji had not said so. The record of the proceedings should be seen. If he had not said so, he should withdraw his words.

Mr. Chairman: It is a matter of fact. The record of proceeding would be persued.

*(Interruptions)*

**श्री धामनकर** : मैं दो मिनट और बोलना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण करना जारी रखें।

**कार्य-कल्याण समिति**

**Business Advisory Committee**

**37वां प्रतिवेदन**

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया)** : मैं कार्य-मन्त्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

***वर्ष 1974–75 के लिए इस्पात का उत्पादन-लक्ष्य**

**Production target of steel for 1974-75**

**श्री डी० डी० देसाई (कैरा)** : वर्ष 1-65-66 से इस्पात का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है, जबकि उस समय बिक्री योग्य इस्पात की मात्रा 45.90 लाख टन थी। अगर हम नव-गठित प्राधिकरण के आंकड़ों को सही मानें तो, वर्ष 1974-75 के लिए बिक्री-योग्य इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 44.50 लाख टन रखा गया है। यह विडम्बना की ही बात है कि इस्पात बनाने के लिए सभी संसाधन हैं, फिर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रहा। हमारे इस्पात संयंत्रों के निकट लौह अयस्क, कोकारी कोयला, फैरो मैंगनीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फेल्स्पर और रिफ्रेक्टरी आदि सभी उपलब्ध हैं, फिर भी इस्पात के उत्पादन में वृद्धि न हो सकने से ऐसा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी है।

इस समय बम्बई में खुले बाजार में 5,000 रु० प्रति टन कीमत अदा करनी पड़ती है। हम प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये मूल्य के इस्पात का आयात करते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना दो वर्ष पहले हुई थी। अफसोस की बात है कि अपने कार्यकरण के साल भर के अन्दर ही इस्पात प्राधिकरण ने उत्पादन लक्ष्य में कमी कर दी। यह कहाँ जाता है कि बिजली की कमी, परिवहन समस्या, श्रम समस्याओं और कोककारी कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई थी। उत्पादन में कमी में वास्तविक कारण अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न करना है। हम यह चाहते हैं कि इस्पात उद्योग की उत्पादन क्षमता का, जिसमें हमने 2100 करोड़ रु० की धनराशि का निवेश किया हुआ है, पूरा नहीं, तो कम से कम 85 अथवा 90 प्रतिशत तो उपयोग होना ही चाहिए।

*आधे घन्टे की चर्चा

**Half-An-Hour Discussion**

भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत केवल 11 किलोग्राम है, जबकि अफ्रीका में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 26 किलोग्राम है और जापान में 914 किलोग्राम है । 70 वर्षों के गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात उत्पादन के अनुभव और 20 वर्षों के सरकारी क्षेत्र के अनुभव का फायदा उठाकर हम विश्व में सबसे सस्ते इस्पात का उत्पादन कर सकते थे और उसका निर्यात भी हो सकता था। लेकिन आज भी हम फैरो-मैंगनीज जैसे कच्चे माल का जापान और अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लि० को नौकरशाही का एक ऐसा नमूना समझा जाता था, जो काम करने में असफल मानी गई थी। अब इस्पात प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो नौकरशाही का एक अन्य नमूना है। उसके महाप्रबन्धक को इस्पात उत्पादन के कार्य का कोई भी अनुभव नहीं है। दस साल का अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को अन्यत्र भेज दिया जाता है। रूरकेला के महा प्रबन्धक के पद पर तीन साल में तीन व्यक्तियों की नियक्ति की गई।

मन्त्री महोदय इन मामलों पर विचार करें और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें ।

**श्री अण्णा साहिब गोडखिण्डे (सांगली)** : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विभिन्न इस्तात संयंत्रों में लगभग 3 लाख टन इस्पात अप्रयुक्त पड़ा हुआ है और देश में, विशेषकर महाराष्ट्र की पुनर्वेलन मिलों में इस कच्चे माल की अत्यधिक कमी है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस लघुउद्योग की सहायता करने के लिए नई प्रक्रिया से किस प्रकार सुधार होगा।

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna) : Mr. Chairman, Sir, it is a matter of great concern that the production of steel in our country is not as much as we want. Shortage of power, strikes in railways and go-slow movement of workers are told to be the main reasons for low production. In view of it I would like to know whether Government will consider the question of setting up of a thermal power stations in the coal-belt so that more thermal power may be generated and power shortage may be met. Secondly, may I know whether government will open fair price food-grains shops for the workers of steel plants, so that they may devote their full time in production instead of wasting their time in running after their ration. I would also like to know the reason why government is feeling shy of taking over the management of TISCO under its control in view of steel crises and big investment in it from public financial institutions. What are the steps being taken by government to check the collusion of bureaucracy with private sector resulting in sabotage of production ?

**श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर)** : श्रीमान् देश के औद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए इस्पात एक आधारभूत सामग्री है। इस दृष्टि से सभी इस्पात संयंत्रों को पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण लौह अयस्क निकालने के लिए कराया है जिनका सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है। क्या इस्पात संयंत्रों को अपेक्षित मात्रा में विद्युत् सप्लाई करने के लिए इस्पात और खान मंत्रालय तथा विद्युत् मंत्रालय के बीच कोई समन्वय स्थापित किया गया है।

**इस्पात तथा खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : जहां तक इस्पात और खान मंत्रालय तथा विद्युत् मंत्रालय के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, हम न केवल मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के माध्यम से बल्कि अन्तरमंत्रालय समितियों के माध्यम से भी परस्पर समन्वय करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मंत्रालय के बीच समन्वय और सहयोग से अच्छे परिणाम निकलेंगे। विश्वनारायण ने और अधिक लौह अयस्क निकालने का प्रश्न भी उठाया है। जिन निक्षेपों का हमें पता है उनमें पर्याप्त मात्रा में अयस्क है। वहां अयस्क निकालने का कार्यक्रम है सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और नये निक्षेपों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हमारी स्थिति संतोषजनक है।

As regards the questions raised by Shri Ramavatar Shastri, I agree with him that thermal power stations should be set up in coal belt and I think that they will be get up in Fifth Five Year Plan. As regards the opening of fair price shops, government is seized of the problem and they have an urgent programme in this direction. As regards the credit to private sector industries like TISCO by public financial institutions, private sector has to depend on public financial institutions for financial help but we try to ensure repayment of credit from private sector organisations in time.

अब मैं श्री डी० डी० देसाई द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। यह सच है कि खान और इस्पात मंत्रालय के अधीन भारतीय इस्पात प्राधिकरण (स्टील अथोरिटी आफ इंडिया) ने जो आंकड़े बनाये हैं, वे वर्ष 1972–73 के आंकड़ो की अपेक्षा कम हैं। यह भी सच है कि इस प्राधिकरण ने 1974–75 के लिए विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 51.9 लाख टन रखा है जो वर्ष 1973–74 की तुलना में कम है। साथ ही मैं श्री देसाई को यह बताना चाहता हू कि 1966–67 में 48.38 लाख टन उत्पादन हुआ था। सरकारी क्षेत्र के भिलाई आदि संयंत्रों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है जबकि इंडियन आयरन एण्ड स्टाल कम्पनी का उत्पादन घटा है । हां इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन संयंत्रों की सफलता को इस आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए कि उनमें प्रति वर्ष उत्पादन कितना होता है और उनमें पूंजी निवेश कितना होता है, क्योंकि यह पूंजी निवेश दीर्घवधि के आधार पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश से लाभ हमें पांचवीं योजना के दूसरे या तीसरे वर्ष में मिलेगा। वर्ष 1974–75 में इनमें कुल 276 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का प्रस्ताव है। जिसमें से 119.64 करोड़ रुपये बोकारो संयंत्र के लिए और 6 करोड़ रुपये भिलाई संयंत्र के लिए हैं। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन मंद गति से हुआ और उसमें गिरावट आई है और यह भी कटु सत्य है कि इस अवधि में बिजली की कमी और श्रमिक अशांति रही है।

श्री देसाई ने जो चित्र खींचा वह पूर्णतः सत्य नहीं है। पाचों संयंत्रों में विक्रेय इस्पात का सबसे अधिक उत्पादन वर्ष 1966–67 में हुआ। वर्ष 1966–67 में कुल उत्पादन 48.4 लाख टन था जिसमें तीन सरकारी संयंत्रों का योगदान 25.61 लाख टन था। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन 15.7 लाख टन था और इंडियन एण्ड आयरन स्टील कम्पनी का उत्पादन 7 लाख टन था । वर्ष 1972–73 में कुल उत्पादन 47.9 लाख टन हुआ जिसमें सरकारी इस्पात संयंत्र का उत्पादन 29.9 लाख टन रहा। हां, वर्ष 1973–74 में उत्पादन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और उसके

कारण सम्बद्ध तारांकित प्रश्न के उत्तर में दिये जा चुके हैं। हम रेलवे मंत्रालय आदि के सहयोग से सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रमिक संघों के नेताओं और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए उपायों पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यदि वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं हुआ और तनाव बना रहा तो हमारे लिए उत्पादन में वृद्धि करना कठिन होगा।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि इस्पात संयंत्रों में तैयार इस्पात का भंडार बढ़ता जा रहा है। यह सच है कि उनमें लगभग 3.61 लाख टन तैयार इस्पात पड़ा है चूंकि परिवहन की कठिनाई थी। मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ हफ्तों में स्थिति में सुधार हो जायेगा और माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे।

जहां तक श्री देसाई के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि संयंत्रों में कार्यक्रमों को स्थगित करने या उनमें कमी करने की प्रवृत्ति है, मैं यह कहना चाहूंगा कि बोकारो में जो प्रगति हुई है और उसमें उत्पादन की दर में किसी भी तरह की कमी हम नहीं होने देंगे। जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं, उन्हें हम दूर कर रहे हैं। सभी कठिनाइयों के दूर करने में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से हमें सहयोग मिलेगा।

समाज-विरोधी तत्त्वों से हम दृढ़ता से निपटेंगे। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे उत्पादन कार्यक्रम में किसी प्रकार की अव्यवस्था न आने पाये। मुझे पूर्ण आशा है कि निकट भविष्य में इन सभी बातों में सुधार होगा, रेलवे यातायात में सुधार होगा, कोयला-खानों के कार्यक्रम में सुधार होगा और सरकार तथा श्रमिकों के बीच सम्बन्ध भी सुधरेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 28 फरवरी, 1974 9 फाल्गुन, 1895 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday the 28th February 1974/Phalguna 9, 1895 (Saka).



MGIPRRND Sec. I. N 76 LSS/73—13-5-74--490.